(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] दसवीं विधान सभा के छठे सत्र का दसवां दिवस [संख्या : 7

शनिवार,

16 मार्च, 1996

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री चलाने की घोषणा कर दी। उसके लिये सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री रामस्वरूप मीणा : उन्होंने घोषणा की है कि चुनावों से पहले ही धुआं निकाल देंगे।

श्री अध्यक्ष : अब बिराजिये आप।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट आप सुन लीजिये। निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले में ओलावृष्टि से सरसों, चना व अन्य फसलें नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जो प्रिविलेज का मोशन होता है, वह प्रश्न, क्योंकि आपने प्रश्नकाल आज केन्सिल कर दिया।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये अभी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पूनमचन्दजी ने भी कल आपको यही अर्ज की थी,

Page No. 2

(2)

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

शकधर भी यही कहते हैं कि सबसे पहले प्रिविलेज का मोशन आपको लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : और मैं यहां तक आपको अर्ज कर चुका हूं कि भंवर लालजी शर्मा ने जो आरोप लगाया है, उसके बारे में....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। अंकित मत कीजिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। स्थगन....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय भाटी साहब, बिराजिये आप।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। कोई अंकित मत करो इनका।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : मुझे आप पहले व्यवस्था सुनाने दीजिये। आप बिराजिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था सुना रहा हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : (2) श्री शैलेन्द्र जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीकर जिले के थाना दांतारामगढ़ में दर्ज मुकदमा नम्बर, 226/95 के अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को आज राज्य में अकाल, ओलावृष्टि तथा शीतलहर के प्रकोप से फसलों को हुई क्षति से उत्पन्न स्थिति तथा राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विचार के समय प्रस्ताव की विषयवस्तु पर बोलने की अनुमति होगी।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है :—

(1) श्री रामनारायण मीणा एवं 6 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बूंदी, थाना देई में चोरी एवं हत्या के दर्ज मुकदमों के मुलजिमों को पुलिस द्वारा कथित रूप से बचाने के प्रयास से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से होली की पूर्व संध्या पर थाना पूगल क्षेत्रान्तर्गत गांव कुम्हार-वाला में कतिपय समाजकंटकों के प्रभाव में आकर एक सब इंस्पेक्टर द्वारा ग्रामवासियों के साथ मारपीट की घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को आज राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विचार के समय प्रस्ताव की विषय वस्तु पर बोलने की अनुमति होगी।

मुझे माननीय सदस्यों को अग्रेत्तर यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है :—

(1) श्री रामनारायण मीणा एवं चार अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से हैंडपम्प संधारण में कथित सरकारी उदासीनता के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भारी रोष व्याप्त होने के सम्बन्ध में।

(2) श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीगंगानगर शुगर मिल में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस द्वारा मजदूरों की मांगों के सम्बन्ध में की जा रही भूख-हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री बनवारीलाल बैरवा एवं श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला झालावाड़ की पंचायत समिति मनोहरथाना के ग्राम झीरी की प्राथमिक पाठशाला की अनुसूचित जाति की एक अध्यापिका के साथ अशोभनीय व्यवहार करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री जुबेर खान एवं 19 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष द्वारा परिषद के धन का कथित दुरुपयोग करने एवं स्टैंडिंग कमेटी की बिना स्वीकृति के अनधिकृत अनुदान स्वीकृत करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर स्टाक एक्सचेंज के पास स्थित इन्दिरा पैलेस की जमीन की नीलामी से राज्य कोष की हुई हानि के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः इन पर अनुमति

(श्री अध्यक्ष)

देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को प्रस्ताव की विषयवस्तु पर एक-एक मिनट बोलने की अनुमति होगी।

श्री भरतसिंहजी एवं 24 अन्य सदस्यों की ओर से बारां जिला मुख्यालय पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में जिला प्रशासन द्वारा सम्मान के लिये नामजद एक व्यक्ति को कथित अपमानित करने की घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है और न नियम 50 की परिधि में आता है। अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री राकेश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगरपालिका, मकराना की अध्यक्षा द्वारा कथित रूप से की जा रही अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

(2) श्री भीमराज भाटी, सदस्य, विधान सभा कि ओर से फव्वारा सिंचाई पद्धति एवं बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति एवं इनमें प्रयुक्त उपकरणों पर विक्रय कर समाप्त करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजकीय चिकित्सालय गंगापुर सिटी में 18 कर्मचारियों के पद कथित रूप से समाप्त कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री जितेन्द्र नीनामा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान के मेडिकल कालेजों में प्रवेश हेतु पी. एम. टी. परीक्षा में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये आरक्षित कोटे को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री रामचन्द्र रावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के राजस्व ग्रामों में विद्युतीकरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री किशनाराम नाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्री डूंगरगढ़, जिला चूरू के राजस्व ग्राम मोमासर व उसके अधीन कई ग्रामों में विद्युत संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में।

(7) श्री चुन्नीलाल गरासिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से भूजल विभाग, जयपुर में कार्यरत एक अधिशासी अभियन्ता द्वारा की गयी कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(8) श्री राजेन्द्र गहलोत, सदस्य, विधान सभा की ओर से विद्युत मण्डल द्वारा पुराने कृषि कनेक्शनों पर सिक्योरिटी राशि बढ़ा देने से किसानों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

(9) श्री रेवती प्रसाद कोली, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र वैर में किले के चारों ओर स्थित नहर की खुदाई करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(10) श्री कन्हैयालाल पाटीदार, सदस्य, विधान सभा की ओर से थाना सांगानेर द्वारा फल-सब्जी के ट्रकों के प्रातः 6.00 बजे बाद जयपुर शहर में प्रवेश करने पर कथित चौथ वसूली करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्रीमती तारा भण्डारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सिरोही नगर को रेल सेवा एवं वायु सेवा से जोड़ने के सम्बन्ध में भारत सरकार से पेशकश करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों के विशेष उल्लेख की सूचना के यह प्रथम प्रस्ताव हैं।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आप इजाजत दें। मैं एक मिनट में खतम कर दूं।

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको स्थगन प्रस्ताव दिया था। मेरे स्थगन प्रस्ताव पर आपने यह व्यवस्था दी है कि राज्य सरकार से जानकारी की जा रही है लेकिन मेरा स्थगन प्रस्ताव....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : आप मुझे इजाजत दीजिये। मैं एक मिनट में खत्म कर दूंगा। मैंने आपके हाउस में कभी कोई विघ्न नहीं डाला। कभी व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया। पहली दफा मैं कोई बात कहने जा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : एक सैकण्ड। कुछ माननीय सदस्यों ने 295 की ओर सूचनाएं दी हैं, उनके ...श्री रामगोपाल बैरवा, श्री शंकरलाल अहारी, श्री रिछपालसिंह मिर्धा, श्री भीमसेन चौधरी, श्री हरिनारायण बैरवा, श्री रामरिछपाल नुवाल, श्री रतनलालताम्बी, श्री रामनारायण मीणा, श्री रामस्वरूप मीणा, श्री महावीर भगोरा, श्री हरजीराम बुरड़क, श्री गोपीराम, श्री चुन्नीलाल धाकड़, श्री रमाकान्त, श्री राजेन्द्र गहलोत, श्री नाथूराम अहारी, श्री अमराराम।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि प्रक्रिया नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत जिन माननीय सदस्यों ने राज्य में अकाल, ओलावृष्टि, कानून और व्यवस्था की स्थिति तथा विद्युत समस्या के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है, वे भी आज इन विषयों पर चर्चा के समय बोल सकेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री महावीर भगोरा : अध्यक्ष महोदय, मेरे 295 का क्या हुआ? पढ़े हुए माने जायेंगे हमारे?

श्री अध्यक्ष : हां, पढ़े हुए माने जायेंगे ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर, सर ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि देई थाने में गोपाल मीणा डाबूर वाले के गुप्तांग काटकर हत्या की गयी है, पूरे गुप्तांग ले गये । 31-1-1996 का वाकया होते आज दिन तक बरामद नहीं हुआ और राज्य सरकार ऐसे मामले में जवाब नहीं दे पा रही है । यहां हमारा सिर शर्म से झुक जाता है और आपने व्यवस्था दे दी, दो मिनट बोलने के लिये । इतना जघन्य अपराध राजस्थान में कभी नहीं हुआ । गुप्तांग काटकर ले गये, और उसको जान से मार दिया । इससे ज्यादा.... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : इसी प्रकार से जुगताराम के साथ हुआ और फिर आज हो गया वह कांड ।

श्री रामनारायण मीणा : मैं कहता हूं कि राजस्थान सरकार को इस सदन में प्रताड़ित किया जाय कि इस सदन की अवमानना अवहेलना नहीं करे ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायं ।

श्री रामनारायण मीणा : ऐसे जघन्य हत्याकांड में, जिसके सारे गुप्तांग काट कर ले गये और 20 हजार....

श्री अध्यक्ष : आप अंकित नहीं करें अब ।

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायं ।

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायं । यह अंकित नहीं हो रहा है, आप बिराज जायं ।

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये अब । कानून व व्यवस्था का विषय आ रहा है, उस समय आप बोलें । आप बिराजिये ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायें । कानून व्यवस्था पर चर्चा होगी उस समय बोल लेना । बिराजें आप ।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

Page No. 7

(7)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : ××××

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, परसों भी इस मामले को माननीय सदस्य ने उठाया था।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : जानकारी ली होगी। क्या इसमें गिरफ्तारियां हो गयीं ? क्या कार्यवाही हुई ? आप बताइये, गृह मंत्रीजी। परसों भी माननीय सदस्य ने कहा था। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री परसादीलाल मीणा : सारे पुलिस के कारनामों को आप दबा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री महेन्द्रकुमार मीणा (सिकराय) : यह जीरो आवर से सम्बन्धित मामला है, अनुसूचित जनजाति का मामला है, आप इसको गम्भीरता से लीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय, अब बिराजें आप। (व्यवधान) अंकित नहीं करें।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : ×××

श्री महेन्द्रकुमार मीणा : ×××

श्री परसादीलाल मीणा : ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : ×××

श्री अध्यक्ष : अब बिराजें। आप बिराजने का कष्ट करें। माननीय सदस्य, कानून व्यवस्था पर बोल लें आप। बिराजें।

श्री महेन्द्रकुमार मीणा : ×××

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बिराजने का कष्ट करें। थक जायेंगे बोलते-बोलते। बिराजें आप।

श्री महेन्द्रकुमार मीणा : ×××

श्री परसादीलाल मीणा : ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : ×××

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें। अब आप बिराज जायें।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : ×××

श्री परसादीलाल मीणा : ×××

श्री महेन्द्रकुमार मीणा : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें, बिराजें। अंकित नहीं हो।

श्री परसादी लाल मीणा : ×××

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : ×××

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय, आप बिराजें, बिराजें।

आप अपनी बात कानून व्यवस्था की जब चर्चा होगी उस समय उठा लें।

श्री परसादीलाल मीणा : ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : ×××

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराज जायं। आप थक गये होंगे, बिराज जायं आप।

श्री परसादीलाल मीणा : ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : ×××

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायं। बिराजें, बिराजें। आप थक गये होंगे, अब आप बिराज जायं।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : ×××

श्री परसादीलाल मीणा : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायं। अब आप लोग थक गये होंगे, बिराज जायं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : ×××

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री परसादीलाल मीणा : ×××

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें। माननीय सदस्य, बिराजें आप। बिराज जायं।

श्री परसादीलाल मीणा : ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : ×××

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : ×××

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराज जायं। अब आप बहुत थक गये होंगे, बिराज जाय।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि पांच मिनट से लगातार यह एक ही बात कह रहे हैं कि गृह मंत्रीजी इसका जवाब दे दें। आज हाउस एडजोर्न हो रहा है, आप उनसे कहिये।

श्री अध्यक्ष : मैं यह कह रहा हूं कि जब ला एण्ड आर्डर पर विचार होगा उस समय अपनी बात रख देना आप। बात रखने के लिए तो मनाही हो ही नहीं रही है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ला एण्ड आर्डर का तो आयेगा ही नहीं मसला, उससे पहले ही अकाल और ओलावृष्टि समय खा जायेंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : पांच बजे हाउस एडजार्न हो जायेगा, हम को पता है, हम भुगतभोगी हैं। पहले भी हाउस एडजोर्न कर दिया गया बिना जवाब दिये। गयी बार आपने हाउस एडजोर्न कर दिया।

श्री महेन्द्रकुमार मीणा : मंत्री महोदय के नोटिस में यह मामला है कि किस तरह गुप्तांग कटे हैं, क्या हुआ है ?

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : गृह मंत्रीजी को यह पता नहीं यह गुप्तांग किस काम आता है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : गुप्तांग का महत्व क्या है, गृह मंत्रीजी को यह ही पता नहीं है। जीवन की अमूल्य चीज है यह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : इसका सदन में आज ही जवाब दे दिया जायेगा।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, अभी दो जवाब पहले।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी तो कागज मेरे पास नहीं हैं। मंगवाऊंगा, मैं दे देऊंगा।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : हमें आश्वासन चाहिये आपका।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपको कार्यवाही का भी आश्वासन देता हूं और अगर आप जवाब से सन्तुष्ट हों तो जवाब देने का भी आश्वासन देता हूं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : जवाब भी दीजिये आप। हमें तो आप के ऊपर विश्वास है। वह मुजरिम गिरफ्तार हों।

श्री परसादीलाल मीणा : कार्यवाही करें आप तो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कार्यवाही भी करूंगा, आप जो बता रहे हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : बस ठीक है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कार्यवाही निश्चित रूप से करूंगा और अगर आपको जवाब ही लेने से सन्तोष होता है तो जवाब भी दे दूंगा।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : नहीं कार्यवाही करें आप तो।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : जुगताराम जैसी कार्यवाही मत करना।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या भैरोंसिंहजी शेखावत के सारे मंत्री नाकाबिल हैं, सब नाकारा हैं, कोई जवाब देने लायक ही नहीं है कि सबका जवाब आप ही देंगे ? फिर इनको गृह मंत्री क्यों बनाया आपने ? (व्यवधान) क्यों गृह मंत्री बनाया ? क्यों तनख्वाह दे रहे हैं इनको ? क्यों हमारे पर बोझ डाल रखा है ? सारे मंत्रियों का जवाब आप देते हैं तो निकालो इनको बाहर, हम आपसे सन्तुष्ट हो जायेंगे अकेले से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, सब काबिल हैं।

श्री चन्दनमल बैद : कहां काबिल हैं यह ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सब काबिल हैं। मैं इसलिये खड़ा हुआ हूं....

श्री चन्दनमल बैद : पांच मिनट से सारे माननीय सदस्य+++रहे हैं, बोल रहे हैं....

एक माननीय सदस्य : +++रहे हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : और आपके मंत्री जी चुपचाप+++बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : हां, यह एक्सपंज कर देना+++बाहर कर देना, निकाल देना।

श्री चन्दनमल बैद : आप ही खड़े होकर बोलेंगे, इनसे नहीं बोला जाता क्या ? क्यों तनख्वाह दे रहे हैं इनको ?

+++शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेरी सुन लीजिये। मैं इसलिये खड़ा हुआ हूं कि ग्रापकी पार्टी के मुख्य सचेतक बोले, उनका सम्मान रखने के लिये बोला हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अच्छा। हां।

श्री चन्दनमल बैद : इन माननीय सदस्यों का कोई सम्मान नहीं है ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : देखिये ग्रध्यक्ष महोदय ने एक व्यवस्था दी है कि ग्राज ला एण्ड ग्रार्डर की सिचुएशन पर चर्चा होगी उस समय जवाब देंगे। उस बीच में मुख्य सचेतक बोले कि ग्राप जवाब.... (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : तो ग्रापके गृह मंत्रीजी को क्या हो गया ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : गृह मंत्रीजी को कुछ नहीं हुग्रा।

श्री चन्दनमल बैद : क्या + + + हो गये ? क्या इनकी जीभ कट गयी ? बोलते क्यों नहीं हैं यह ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं-नहीं, बहुत बढ़िया हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : गुप्तांग के बारे में गृह मंत्रीजी क्यों नहीं बोलते ? (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : नहीं, ग्राप ही जवाब देंगे, यह क्यों जवाब नहीं देते ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : ठीक है, आइन्दा ध्यान रखेंगे। (व्यवधान)

श्री महेन्द्रकुमार मीणा (सिकराय) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट के लिये निवेदन करूंगा। मुख्य मंत्रीजी, राजस्थान का लिम्बाराम जो कि ग्रादिवासी है ग्रौर इण्टरनेशनल प्लेयर है, उसकी दिल्ली में पिटाई हुई। सदन की तरफ से दिल्ली के लिए ग्रापने कुछ भी नहीं बोला। मेरा निवेदन है कि दिल्ली के जिन ग्रधिकारियों ने गलत व्यवहार किया है उसके लिये भी ग्राप दिल्ली में सूचना करें।

श्री ग्रध्यक्ष : बिराजिये। भाटीजी, बिराजें ग्राप।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (ग्रोसियां) : पाइण्ट ग्राफ ग्रार्डर, सर। ग्रापने मुझे विश्वास दिलवाया था 12 तारीख को, ग्रध्यक्ष महोदय, कि ग्राप व्यवस्था देंगे।

श्री ग्रध्यक्ष : आप बिराजें ग्रब। दो मिनट बिराज जायं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापने कहा कि ग्राप कार्यवाही की सूचना दे दें सदन को उसके बाद में मैं मेरा पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर उठा लूं।

श्री ग्रध्यक्ष : मैं ग्रापको ग्रर्ज कर रहा हूं वह सुन लें ग्राप। विशेषाधिकार प्रश्न पर जब तक ग्रध्यक्ष द्वारा विचार न कर लिया जाय, सदन के

+ + + शब्द ग्रध्यक्षपीठ के ग्रादेशानुसार ग्रपलोपित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

लिए लिये जाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं इसीलिये अर्ज कर रहा हूं कि आप मुझे अनुमति दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : मैं उसका परीक्षण कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं । मैं आपको जरूर दूंगा ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आप देख रहे हैं आज अन्तिम दिन है । पहले दिन मैंने आपको जिस शख्स पर आरोप....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं इसका परीक्षण कर रहा हूं, स्वयं देख रहा हूं, आपको चैंबर में बता दूंगा ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : क्या ?

श्री अध्यक्ष : आप चैंबर में मिल लें, मैं चैंबर में बता दूंगा । इसको मैं देख रहा हूं, परीक्षण कर रहा हूं अभी ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरे को आपसे आपके कक्ष में मिलने में कोई एतराज नहीं है लेकिन यह सदन का मामला है, मैं यहां उठाना चाहता हूं । यह मेरा अधिकार है । आप मेरे को मेरे अधिकार से........

श्री अध्यक्ष : जब तक कि अध्यक्ष अनुमति नहीं दे दें 157 में, मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूं....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, ढाई साल हो गये हैं और नया इश्यू, यह बार बार इस सरकार को जो प्रोटेक्शन मिल रहा है, अब इनके ऊपर ही आयी है बात, एक भूतपूर्व मंत्री....

श्री अध्यक्ष : A member may, with the consent of the Speaker, raise a questoin involving a breach of privilege either of a member or of the House or of a Committee there of.

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, क्या यह दसवीं विधान सभा खतम हो जायेगी तब मौका दिलायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : अभी आपने चार दिन पहले ही दिया है । आप बिराजें अब । आप बिराज जायं (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इस चेयर के सामने मेरे तीन प्रिविलेज मोशंस हैं इस सत्र के, उसमें से मैंने आपको खुद अर्ज किया है, ठीक है, आप पहले दो न लें....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं करें । अंकित नहीं करें । आप बिराजें ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ×××

×××अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : अब विराजें आप।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि आप विराजें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप प्रोटेक्शन चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं (व्यवधान) सवाल यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि क्या इन्हें बोलने की अनुमति दे रहे हैं। इस हाउस की यह परम्परा रही है और नियमों में भी यह प्रावधान है कि कोई भी विशेषाधिकार का प्रश्न एक बहुत गम्भीर मामला होता है, उस पर जब तक माननीय अध्यक्ष गहराई से विचार नहीं कर लें और जब तक कोई अनुमति नहीं दे दें तब तक इस सदन में विचार नहीं हो सकता। माननीय पूनमचन्द जी विश्नोई बहुत लम्बे समय तक इस सदन के अध्यक्ष पद पर बिराजमान रहे हैं और आपने बहुत सारी व्यवस्थाएं दी हैं। मैं आपको पढ़कर सुनाऊं। आपने उन सारी व्यवस्थाओं में यही कहा है। इस सदन की यही परम्परा रही है ...

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन : यदि आप अनुमति देते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन : लेकिन जब तक अध्यक्ष के आसन से कोई व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक किसी मामले में विचार करना, उस पर चर्चा प्रारम्भ कर देना यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि उस विषय पर आप बोलने की अनुमति देते हैं या उस विषय पर चर्चा की अनुमति देते हैं तो चर्चा प्रारम्भ की जाए और यदि आप अनुमति नहीं दे सकते हैं तो हर बार आसन को+++और दबाकर उस पर चर्चा शुरू कर दी जाय, गम्भीर विषय है। किसी पर भी आरोप-प्रत्यारोप लगाया जाय यह किसी प्रकार से बरदाश्त नहीं किया जा सकता है। (व्यवधान) इस पर गम्भीरता से विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : जब तक मैं उसे देख नहीं लूंगा, अनुमति देने में असमर्थ हूं। जब तक उसका मैं परीक्षण करके देख नहीं लूं, अनुमति देने में असमर्थ हूं। आप बिराजें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन है, क्योंकि महावीर प्रसादजी, सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक जी ने मेरा नाम लेकर कुछ व्यवस्थाओं की बात कही, जब यह उच्च प्राथमिकता का प्रश्न है तो आपको भी

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

6

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

उस पर तत्काल विचार करना चाहिये। सर्वोच्च प्राथमिकता का है, उसका आशय क्या होगा? आपको भी उस पर तत्काल विचार करना चाहिये (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने भी तो विचार किया था।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हम तो इधर आ गये, आप आ जाओ इधर।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको यह कह रहा हूं कि अभी अनुमति नहीं है फिर क्या पाइंट आफ आर्डर रह गया?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सर्वोच्च प्राथमिकता का प्रश्न है तो फिर आपको भी उस पर तत्काल विचार करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं करें। आप विराजें, माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : XXX

श्री अध्यक्ष : कह दिया, अंकित नहीं हो रहा है। मैंने आपको पांच बार कह दिया है, अंकित नहीं हो रहा है यह। माननीय, आप विराजें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : XXX

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, सदस्य, का सदन में धरना)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। श्री अमराराम जी।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष जी, यहां सदन में वैल में विराजमान हैं सदस्य, नाराज होकर बैठे हैं, तो व्यवस्था फरमा दें।

श्री चन्दनमल बैद : सारे अखबारों में यह बात आयेगी, कितनी बेइज्जती होगी विधान सभा की।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं नहीं चाहता कि बैठे पर मैं जब तक देखूंगा नहीं तब तक क्या कह सकता हूं। आप विराजें अब।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उपाध्यक्ष जी को बैठाकर आप कृपया विचार कर लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी इतना काम रहता है और परसों 12 तारीख को ही आपने दिया है। उसको देखने तो दें मुझे आप। पहले भी दो-दो, तीन-तीन साल तक निर्णय हो ही नहीं पा रहे हैं इस पर और आप सब मुझे आज का आज कम्पेल कर रहे हैं। माननीय, विराजें आप। श्री अमराराम जी।

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : यह वरिष्ठ सदस्य हैं और वैल में बैठ गये हैं। आप मेहरबानी करके फरमायें तो यह वापस बैठ जायें। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : आज आप गौर फरमा कर समय निश्चित करें। एक माननीय सदस्य वैल के अन्दर बैठे हैं और हाउस की कार्यवाही चल रही है, अच्छा नहीं लगता है। (व्यवधान)

श्री भरत सिंह (खानपुर) : (व्यवधान) उठाया जा सकता है लेकिन ढाई साल से पेंडिंग इश्यू है। कम से कम इतना तो एश्योरेंस दे दीजिये कि आज हाउस जब एडजोर्न होगा उसके पहले आप इस पर निर्णय कर देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, अभी चार दिन ही नहीं हुए इसको। चार दिन ही हुए हैं।

एक माननीय सदस्य : तीन हैं न। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें अब।

श्री भरत सिंह : चार दिन के अन्दर भी, अध्यक्ष महोदय प्रिविलेज का इश्यू बहुत इम्पाटेन्ट होता है। प्रिविलेज का इश्यू, अध्यक्ष महोदय, सबसे इम्पार्टेंट होता है चाहे वह सदन का प्रिविलेज हो, चाहे इण्डिविजुअल इश्यू हो। चार दिन कोई कम समय नहीं। इसका चार घण्टे में डिस्पोजल होना चाहिये था। आप, प्लीज, एश्योर कर दे। आज के एडजोर्नमेंट के पहले। (व्यवधान) अध्यक्षजी। यह शोभनीय नहीं है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें अब।

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय अध्यक्षजी, यह शोभनीय नहीं है कि एक माननीय सदस्य वैल के अन्दर बैठे हुए हैं और हाउस की कार्यवाही चल रही है। (व्यवधान) आप विचार करने के लिए समय ले लें और आप हमें बता दें कि तीन बजे, चार बजे कब तक व्यवस्था देंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : भाटीजी के वहां बैठने पर ....(व्यवधान) क्या हो गयी और आप समय की बात कर रहे हैं तो कितना समय चाहिये इस विषय पर विचार करने के लिए ?

श्री अध्यक्ष : जब तक देख नहीं लें तब तक क्या कह सकते हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्यों नहीं देखा आपने, ऐसे भी कह रहे हैं आपको ?

श्री अध्यक्ष : यह मुझे आप नहीं कह सकते कि क्यों नहीं देखा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कैसे दिखाना है आपको ? (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : यह नहीं कह सकते लेकिन ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं देख लूंगा। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उसकी प्रक्रिया फरमा दें आप।

श्री अध्यक्ष : आज देखेंगे। आप बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप यह तो देखिये कि इस सदन के इतने महत्वपूर्ण सदस्य वैल में बिराजे हुए हैं। हमारा सारा ध्यान कार्यवाही से हटकर इनकी तरफ चला गया है। यह मंत्री रह चुके है, एक विद्वान सदस्य हैं।

श्री बनवारीलाल बैरवा : अध्यक्षजी, यह बिलकुल अनुपयुक्त है। (व्यवधान) माननीय सदस्य वैल में हैं और आप हाउस की कार्यवाही चलाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : अब बिराजें माननीय आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय धारीवाल जी, आप मंत्री भी रह चुके हैं और मंत्री रहने के बाद में भी आपने जिस प्रकार का इनके साथ व्यवहार किया ....(व्यवधान) आप मंत्री भी रहे हैं, इस सदन के माननीय सदस्य रहे हैं और उसके बाद में भी आपकी सरकार ने जिस प्रकार का इनके साथ व्यवहार किया, यह आपको पता है। (व्यवधान)

श्री भरत सिंह : समय की गम्भीरता को समझिये, अध्यक्ष, महोदय और अनुरोध कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : धारीवाल जी मंत्री नहीं रहे, इनके पिताजी मंत्री रहे थे।

श्री भरत सिंह : पांच बजे से पहले आप इस पर रूलिंग दे देंगे .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें। आप बिराज जाइये। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : हम तो बिराज जायेंगे, माननीय अध्यक्ष जी (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम जी कुछ कह रहे हैं। आप बोलने दें इन्हें। आप बिराजें।

श्री बनवारीलाल बैरवा : इनको अपने स्थान पर भेजने के लिए आप कुछ आश्वासन दें।

श्री भरत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप उस आसन पर बिराजमान हैं जहां पर मावली के ही निरंजननाथ जी आचार्य और नरोत्तमलाल जी जोशी और पूनमचन्द जी बिश्नोई जैसे महान् अध्यक्ष रह चुके हैं और वहां रहकर....

श्री महावीर प्रसाद जैन : उसी परम्परा को निभा रहे हैं।

श्री भरत सिंह : इन्होंने जो परम्पराएं स्थापित की हैं, हमें आपसे यही अपेक्षा हैं, उम्मीद है। हम आपका सम्मान करते हैं और करते रहेंगे लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के हमारे एक वरिष्ठ सहयोगी ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं तो आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप यहां नहीं बिराजें। आप वहीं बिराजें जहां आपका स्थान नियत है। अपने नियत स्थान पर ही बिराजें।

श्री भरत सिंह : आप कृपया एश्योर कर दीजिये कि पांच बजे से पहले आप इसका निर्णय दे देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन के बाद भी यह चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज का आज ही हो जाय। सदन के बाद भी इसमें व्यवस्था दी जाती है।

श्री भरत सिंह : तीन साल से पेंडिंग इश्यू है, इन्होंने चार दिन पहले उठाया है। यह बात सही है कि किसी कारण से यह पिछले सत्र में नहीं आ सके थे, पिछले सेशन में भी यह आ नहीं सके थे.... (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : आप कब व्यवस्था दे देंगे। आप यह आश्वासन दे देते। (व्यवधान)

श्री भरत सिंह : लेकिन इश्यू तो ढाई साल से पेंडिंग है। आप अगर कहें कि इन्होंने चार दिन पहले ही उठाया है तो, अध्यक्ष महोदय, इसके लिए तो यह जिम्मेदार नहीं हैं। इसके लिए तो सम्मानपूर्वक कहना चाहूंगा कि यह सदन और आप जिम्मेदार हैं।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। माननीय अमरारामजी बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय अध्यक्षजी, यह उपयुक्त नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, यह ठीक नहीं लगता है कि एक माननीय सदस्य हाउस में वैल में है और हाउस की कार्यवाही चल रही है। (व्यवधान) हाउस की व्यवस्था को चलाने के लिए आप कोई आश्वासन दें ताकि यह अपना स्थान ग्रहण कर लें। फिर आप चलाइये हाउस की कार्यवाही। फिर आप चलायें अपना हाउस। कोई समय दे दें। आपके पास विचार करने के लिए कोई समय तो होगा। जो वक्त लगे वह बता दें आप ताकि यह उठ जायें।

श्री अध्यक्ष : मैं तो आपसे अभी भी प्रार्थना कर रहा हूं कि आप विराजें।

श्री बनवारीलाल बैरवा : जो वक्त लगे वह वक्त बता दें आप इनको ताकि यह उठ जायं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप वहीं विराजें। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : हाउस में अव्यवस्था फैल जायेगी। आज बिजली है, अकाल है, शीतलहर है, ये तमाम बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। उन पर विचार करने के लिए आप व्यवस्थित कीजिये हाउस को।

श्री अध्यक्ष : आप विराज जायं। बैरवा साहब, विराजें आप।

श्री बनवारीलाल बैरवा : हमारे सदन के वरिष्ठ माननीय सदस्य वहां विराज रहे हैं, हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। हम तो अपनी सीटों पर बैठे हैं। (व्यवधान) आप व्यवस्था देकर उनको बैठाओ।

श्री अध्यक्ष : अब आप तो विराज जायं। आप विराजिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : माननीय सदस्य को राजी करके उनको बैठाओ पहले।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम जी।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : यह अच्छा लग रहा है जो यहां बैठे हैं ?

श्री अध्यक्ष : अमराराम जी।

Page No. 18

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव सबलपुरा के हरिजन परिवारों के बारे में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जिनको आज से 22 साल पहले राजस्थान की सरकार ने बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत पट्टे दिये, वह 50 के करीब परिवार हैं । वे अपनी झोंपड़ी बनाकर रह रहे थे । कुछ लोगों ने एक-डेढ़ साल पहले यह शिकायत की कि यह अवैध रूप से बसे हुए हैं । सीकर जिले के तहसीलदार/कलक्टर के पास ये शिकायतें गयीं । उन्होंने निर्णय कर दिया कि वैध हैं । लेकिन राजस्थान की सरकार जो अपने आपको हरिजनों की हमदर्द सरकार कहती है, उसी सरकार के मुख्य मंत्री के सचिवालय से उन परिवारों को बेदखल करने के आदेश दे दिये गये और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई नोटिस दिये बगैर 22 साल पहले बसे हुए उन 50 हरिजन परिवारों को तबाह कर दिया और उनका जो भी सामान था, वहां का जिला प्रशासन उठाकर ले गया । इससे बड़ी शर्म की बात इस सरकार के लिए नहीं हो सकती । एक तरफ गरीबों की बात करती है, सरकार ने पट्टे दिये, कोई अवैध नहीं बसा, जहां तक अवैध की बात है, 1991 तक बसे हुए लोगों की रेगुलराइज करने की बात यह सरकार करती है । सरकार ने पट्टे दिये हैं वह किस जमीन में दिये हैं वह सरकार का देखना था, उन गरीबों का देखना नहीं था । उन गरीब निहत्थे लोगों को नोटिस नहीं दिया गया और उन परिवारों के घरों को तोड़ दिया गया । उनका सारा सामान सरकार ले गयी । इसलिए मेरा अनुरोध है कि....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें ।

श्री अमराराम (धोद) : वापस उनको उसी जगह बसाया जाय और जो उनकी क्षति हुई है उसकी भरपायी की जाय । यही मुझे सरकार और मुख्य मंत्रीजी से कहना है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें । डा. जितेन्द्र सिंहजी ।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : मुख्य मंत्रीजी, आप इसमें दखल कीजिये । खास परिवारों का मामला है, शिड्यूल्ड कास्ट के हैं उनको बरबाद कर दिया । सरकार का उनके पास पट्टा था । उनका कौनसी जगह होना चाहिये, कौनसी जगह नहीं होना चाहिए, यह तो सरकार के देखने का काम था । जब वह वहां बस गये और उनका अधिकार वहां हो गया उसके बाद सरकार ने उनको उखाड़ दिया, बरबाद कर दिया, तबाह कर दिया । उनके पास जो कुछ था वह भी बरबाद कर दिया, बेघर कर दिया । 50 परिवार हैं हरिजनों के । इससे बड़ी दुखदायी बात और कोई हो नहीं सकती । उस वक्त के अन्दर आपको रिएक्शन देना चाहिए सरकार की तरफ से । उसका हल निकलवाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : डा. जितेन्द्र सिंह ।

डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) : अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में होली के रोज मेरे विधान सभा क्षेत्र में लुटेरों द्वारा

(डा. जितेन्द्र सिंह)

गोली कांड करने के सम्बन्ध में, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। होली की रात खेतड़ी में एक खूनी होली खेली गयी। 10-15 लुटेरों ने एक बहुत बड़े गांव शिमला, जो खेतड़ी तहसील में, मेरे कान्स्टीट्यूएंसी में है, में रात्रि को वहां के प्रतिष्ठित व्यक्ति श्री रामकिशन बोहरा और उनके लड़के श्री ओमप्रकाश को गोलियों से भून दिया। वे मैदान के बीच में से भाग गये, पकड़ में नहीं आये। महोदय, बड़ा गम्भीर विषय है। चूंकि खेतड़ी और नीमकाथाना दोनों बार्डर पर हैं, वह वारदात करके हरियाणा से तुरन्त भाग जाते हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, वे डैथ एण्ड लाइफ के बीज में झूल रहे हैं। तुरन्त उन अपराधियों को गिरफ्तार करवाने के लिए मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा।

दूसरा, आपके माध्यम से मैं प्रश्न उठाना चाहूंगा, नीमकाथाना के अन्दर गत दो वर्षों में कम से कम 40 जीपें चोरी चली गयी। जो बड़े-बड़े कार्यालय थे, पी. एच. ई. डी., आर. एस. ई. बी., पंचायत समिति सबकी गाड़ियां उठा ली गयीं। और तो और, महोदय, उन्होंने विधायकों को भी नहीं छोड़ा। मेरे निवास स्थान से मेरी स्वयं की जीप उठा ली गयी। बात जीप जाने की नहीं है। विधायक या जन-प्रतिनिधि, जनता का विश्वास और उनकी सुरक्षा का प्रतीक होता है और जब उसके घर कोई स्ट्राइक किया जा सकता है तो, महोदय, गांव वाले अपने आपको क्या महफूज महसूस करेंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

डा. जितेन्द्र सिंह : मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी को दो-तीन बार निवेदन कर चुका हूं कि बात चोरी की नहीं है, बात जनता के विश्वास के टूटने की है और वह भी आपकी जैसी सक्षम सरकार के अन्दर। मैं निश्चित रूप से उस सरकार का तभी अपनी ओर से हार्दिक इस्तकबाल करूंगा जब इस तरह की घटनाओं पर गम्भीरता से ध्यान देगी। अगर वह विधायक की सिक्योरिटी नहीं कर सकती और गांव में इस तरह की गोलियां चलाकर वारदात करके जा सकते हैं तो बड़ा गम्भीर विषय है। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी प्रबुद्धता से जिस ओज शैली में हाउस में बोलते हैं उस ओज शैली में अपने अधिकारियों को भी इस बात के लिए जिम्मेदार ठहरायेंगे कि वह तुरन्त कार्यवाही करें। वरना जनता का विश्वास उठ जायेगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। माननीय विश्नोई साहब।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। परसों के पंजाब केसरी अखबार में एक खबर छपी है, मेहरानगढ़ ट्रस्ट जिसके अध्यक्ष जोधपुर के भूतपूर्व महाराज गजसिंहजी हैं, उस ट्रस्ट को सिवाना, जालोर और नागौर के किले दिये जा रहे हैं। टूरिस्ट डवलपमेंट कारपोरेशन अगर किन्हीं किलों को या ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को अपने

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

हाथ में लेकर विकसित करे तो वह और बात है लेकिन मेहरानगढ़ ट्रस्ट के ऊपर झण्डा फहराये रणबंका राठौड़। Mighty in the battlefield. यह बार्डर स्टेट है। मैं मुर्दों को नहीं उखाड़ना चाहता लेकिन जोधपुर स्टेट की जो भूमिका रही है, जब इंटीग्रेशन हुआ उस वक्त, उससे आप अच्छी तरह से परिचित हैं। यह किले उनके पुरखों के बनाये हुए नहीं हैं। क्यों कि जब अलाउद्दीद खिलजी ने सिवाना जीता था उस वक्त राठौड़ रहते थे कन्नौज में। उसके बाद जालोर का किला....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : आपने इतिहास पढ़ा है तो आप यह बता दीजिये कि कन्नौज में राठौड़ क्या काम करते थे ? (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह तो मुझे पता नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं-नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं, क्या करते थे कन्नौज में ?

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : इत्र बनाते थे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : कन्नौज में इत्र बनाते होंगे।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : इतिहास में यह बात अभी पढ़ने की आवश्यकता है लेकिन शायद मैंने कुछ पढ़ा होगा कि शेखावत वहां पर तबेलों के ऊपर थे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह मजाक में टालने की बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शेखावतों के इतिहास का जिक्र नहीं है। यह राटौड़ों के इतिहास का है। मैंने इतिहास में पढ़ा है, आप उसकी पुष्टि कर दें तो ठीक हैं। राठौड़ जब कन्नौज में थे तो इत्र बनाने का काम नहीं, कुछ और ही काम करते थे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप तो तबेलों पर थे। इस बात को तो मानो कि राठौड़ों के तबेलों पर.... (व्यवधान) थोड़ा तो सही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राठौड़ों के तबेलों पर नहीं, हम तो राठौड़ों के खुर्रा फेरते थे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह जो किला है यह अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में मौजूद था और सोनगरों को बनाया हुआ है, स्वर्णगिरि पर्वत के ऊपर। बहुत ऐतिहासिक महत्व का है और रायों का माव रात्यूं गया यह कहावत उस वक्त चली थी जबकि यह किला अलाउद्दील खिलजी जीत नहीं सका। नागौर का किला है जांबाजी गुरु के टाइम में महमद खान नागौर, जो गुरु जम्बेश्वर महाराज का चेला था उसके हाथ में था। उस वक्त राठौड़ों का वहां राज ही नहीं था। खैर, राज होता तो भी जितनी धन-सम्पत्ति इनको मिलनी

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

चाहिए थी वह एक्सेशन के समय मिल गयी। बोर्डर स्टेट में यह तो सौभाग्य की बात है, राजपूत हैं वह देशभक्त हैं, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे लेकिन अगर किसी के जच जाय तो इस झण्डे के सहारे बोर्डर स्टेट के ऊपर जैसे पंजाब और कश्मीर में हो रहे हैं और आप कह रहे थे कि हमको केन्द्र को ज्यादा अधिकार देने चाहिए, भारत का दुर्भाग्य ही यह रहा कि इतना महान देश होते हुए केन्द्रीय सत्ता मजबूत नहीं थी इसलिए अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देश, उन देशों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन उसके लिए बाबर के मेमोयर्स आप पढ़ लीजिये, कुछ भी पैदा नहीं होता था वह लोग इस भारत जैसे महान देश के ऊपर छा गये थे। आपने वह जसवन्त थड़ा दिया है तो वह उनके पुरखों का है, उनकी याददाश्त में बनाया गया है हमको कोई एतराज नहीं हैं। लेकिन मेहरानगढ़ ट्रस्ट को यह माइटी फोर्ट्स जो ऐतिहासिक है, उनको दें और उनके ऊपर रणबंका राठौड़ों का झण्डा लगे, यह देशहित में नहीं है, यह मेरी आपसे प्रार्थना है। इसलिए ऐसा काम आप, मैं समझता हूं, कभी नहीं करेंगे। आप एक साधारण से आये हैं इसलिए एक बात याद दिला दूं, आप शायद भूलते जा रहे हैं, वैरा नहीं आवे चींत काचर काचरिया वास तणा भूप भयो भयभीत सिविल लाइन रे मालिये। आप शायद वह बातें भूल करके वह अदृश्य दीवार जो ढाई साल से आती है उसकी भूमिका मत बनाओ। यह चीज बहुत खतरनाक है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, पूनमचन्दजी विश्नोई एक आशु कवि के रूप में हैं इसमें कोई सन्देह नहीं है और आपने बुढ़ापे में जो यह काम शुरू किया है इसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि कई बार बुद्धि धीरे धीरे बुढ़ापे में वैसी तेज नहीं रहती जैसी खेतसिंह जी की है लेकिन आपने यह काम कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। आपने जो बातें अभी बताई हैं, आपको मैं अभी तो तत्काल जानकारी नहीं दे सकता लेकिन मैं कल ही, कल नहीं तो इसका उत्तर लिखित रूप में आपके पास भेज दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह जी।

श्री किशनाराम नाई : मैं आपसे मिला था, मैंने निवेदन भी किया ...

श्री अध्यक्ष : 295 का है।

श्री किशनाराम नाई : 295 का नहीं है, 7 तारीख को मैंने पेश की थी याचिका।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों ऋषभदेव थाना, जिला उदयपुर में फलूणगुढ़ा गांव में एक नर्स रात्रि को दस बजे करीब जो उसे लेने आया था उसके साथ डिलेवरी कराने जा रही थी तो रास्ते में एक गमेरा नाम का डम्पर चालक, जो डम्पर लेकर

Page No. 22

(श्री रघुवीरसिंह)

खड़ा, था पुलिस यह बताती है कि एक्सीडेंट करके उसको मारा है परन्तु हकीकत यह है कि उसकी हत्या की गयी। 164 के बयान जब हो गये उसके बावजूद भी पुलिस ने इस केस को रफा दफा कर दिया, दो गवाह भी हैं कमल किशोर और कल्याणमल नाम के, उन्होंने 164 के बयान दिये उसके बावजूद भी पुलिस ने चार दिन बाद एफ. आर. देकर एक्सीडेंट जिसने किया, गमेरलाल को निर्दोष साबित कर दिया और एक्सीडेंट का केस बता दिया जबकि हकीकत कुछ और है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि गृह मंत्री जी इस मामले में कोई स्पष्टीकरण देवें। पिछले दिनों कर्मचारी यूनियन ने एक प्रदर्शन करके उदयपुर के एस. पी. और कलक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया था उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। रात्रि दस बजे एक्सीडेंट हुआ, मेडिकल विभाग के डाक्टर को सूचना मिली तीन बजे। दूसरे दिन बारह घण्टे तक वह मौके पर नहीं पहुचे हैं। कलक्टर साहब ने सी. एम. एच. ओ. को उस डाक्टर की लापरवाही के लिये कहकर इसके हैडक्वार्टर से हटाकर सी. एम. एच. ओ. कार्यालय में लगा दिया परन्तु दो दिन बाद पुन. वह डाक्टर वहां पहुंच गया। इसके बारे में क्या स्पष्टीकरण है, यह थोड़ा-सा आप जानकारी दें।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यहां जिस घटना के बारे में माननीय विधायक ने चर्चा की है, आप भी मेरे ध्यान में लाये थे और उदयपुर के कर्मचारी संघ ने भी इस बारे में ज्ञापन दिये हैं। मैंने इस बारे में स्पष्ट निर्देश दिये हैं एस. पी. साहब को कि यह एक्सीडेंट है या हत्या है। कर्मचारी वर्ग का कहना है कि हत्या की गयी है और जो पुलिस ने तफतीश की है उसमें एक्सीडेंट बताया गया है। मैं माननीय विधायक को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें मैंने उनके ध्यान दिलाने के बाद एस. पी. को स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि सारे प्रकरण का अपने स्तर पर निरीक्षण करें, परीक्षण करें और भी कोई साक्ष्य उपलब्ध हों और इसमें बिलकुल निष्पक्ष कार्यवाही करें। मैं इसकी बिलकुल निष्पक्ष जांच करवाऊंगा।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मैं भी माननीय गृह मंत्री जी को थोड़ा-सा आग्रह करना चाहूंगा।

श्री रघुवीर सिंह (सगाड़ा) : उदयपुर का एस. पी. एक तरफा कार्यवाही करता है। सत्ता पक्ष के माननीय विधायक भी बिराजें हुए हैं, उदयपुर के जितने भ विधायक हैं....

श्री चुन्नीलाल गरासिया : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह दुर्घटना नहीं है, हत्या है। उस दुर्घटना की आप अगर तह में जायं तो उस ड्राइवर ने उस ए. एन. एम. को पहले भी छेड़ा है। उसके साथ छेड़छाड़ की है और उसकी शिकायत उसने की है। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि दुर्घटना या हत्या हुई, उसके पहले किस तरह उसके साथ यह दुर्घटना हुई थी, उसकी छोटी बहन ने स्वयं बयान दिये हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

कि पुलिस अधीक्षक स्तर पर आप इसकी जांच करायें जिससे सही निर्णय हो सके।

श्री महावीर भगोरा : अध्यक्ष महोदय वर्तमान पुलिस अधीक्षक के भरोसे तो एक केस नहीं होना है। (व्यवधान) ऐसे सैंकड़ों केस हो गये हैं उदयपुर में।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, यह ए.एन. एम. आदिवासी समुदाय की थी इसलिए सरकार इस घटना की जांच नहीं करेगी। (व्यवधान) यह आदिवासियों के खिलाफ है सरकार।

श्री महावीर भगोरा : हमने पर्सनल ज्ञापन दिया है जाकर। हम मिले हैं। पुलिस थाने में डाक्टर गया नहीं है। इस पर निश्चित रूप से कार्यवाही की जानी चाहिये। ऐसे अधीक्षक को तो रखना ही नहीं चाहिये। उदयपुर में सैंकड़ों केस ऐसे होने के बावजूद भी सारी मनगढ़त कहानियां की गयीं। आपने जो स्टेटमेंट दे दिया, हम कतई समर्थक नहीं हैं आपका जो स्टेटमेंट है। क्या वो लोग अपराधी थे या हत्यारे थे या लुटेरे थे जिनके ऊपर पुलिस ने 43 राउंड गोलिया चलाई हैं?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। माननीय गृहमंत्री जी।

श्री महावीर भगोरा : यह जो घटना हुई है वह मेरे रिलेटिव हैं, मैंने नहीं उठाया पर हमारे माननीय सदस्यों ने उठाया है। इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिये किसी और संस्था से। इस एस. पी. से नहीं, दूसरे अधिकारी से।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : अध्यक्ष महोदय मैं मंत्री जी को यह भी बता दूं कि उस थानेदार से अगर अपेक्षा करते हैं तो वह थानेदार तो चैलेन्ज करता है फरियादियों को और इतनी भद्दी गालियां देता है जो मैं यहां तो कह ही नहीं सकता हूं....

श्री कैलाश मेघवाल : एस. पी. को निर्देश दिये हैं और माननीय विधायक चाहते हैं....

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : वह थानेदार यह भी कहता है कि मुख्य मंत्री भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह स्टेटमेंट देता है, यह शब्द कहता है। हजारों आदमियों के बीच में उसने यह कहा है कि मेरा कोई एम. पी., एम. एल ए., मुख्य मंत्री भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह शब्द कहता है वह और पूरे गांव को यह कहता है कि मैं जला कर खाक कर दूंगा। मुख्य मंत्री के लिए कहता है तो गृह मंत्रीजी के लिये क्या नहीं कहेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपकी स्पष्ट छवि है और सरकार की भी स्पष्ट छवि मानता हूं तो कृपा करके ऐसे मामलों में कम से कम ऐसे अधिकारियों को तो काबू में रखे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय रघुवीरसिंह जी, बिराजें आप। माननीय मंत्री जी कोई बात कह रहे हैं, सुनें आप।

श्री कैलाश मेघवाल : गोगुन्दा से आने वाले विधायक और गिर्वा से आने वाले विधायक और माननीय विधायक ने कुछ

(श्री कैलाश मेघवाल)

शंका इसमें रखी है। मैं आज ही जो उदयपुर के डी. आई. जी. हैं उनको इस सारे प्रकरण का परीक्षण करने के निर्देश दे दूंगा और इसमें पुख्ता कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री महादेव सिंह जी।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति खण्डेला के ग्राम जयरामपुरा में सन् 1938 में श्री गांधी किसान विद्यालय के नाम से एक स्कूल की स्थापना की गयी थी। स्कूल को बिड़ला के एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा चलाया गया। उसके तीन-चार साल बाद में एक समिति का गठन हुआ और प्राइमरी संस्था से स्कूल मिडल स्कूल में क्रमोन्नत हुई। उसके कुछ दिनों बाद वह माध्यमिक शाला के रूप में क्रमोन्नत हुई। स्कूल के अन्दर दो बड़े-बड़े भवन हैं जिनमें कम से कम तीस कमरे बने हुए हैं। स्कूल की ग्यारह एकड़ जमीन है। एक फर्स्ट क्लास ट्यूबवैल बना हुआ है। सीमेंट का बहुत बड़ा हौद बना हुआ है। ट्यूबवैल में बिजली का कनेक्शन है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि माध्यमिक स्तर के स्कूल को तोड़कर मिडल स्कूल बनाया गया और स्कूल के अन्दर एक राजनीतिक अड्डा कायम कर दिया गया। आज छह महीने से स्कूल के अध्यापकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। गांव वालों ने और हम सबने मिलकर जिला कलक्टर महोदय से शिकायत की। जिला कलक्टर महोदय ने एस. डी. एम. को जांच के लिए भेजा। जब एस. डी. एम. साहब जांच करने आये तो स्कूल के हैडमास्टर और समिति के मंत्री और अध्यक्ष गायब थे। आज तक स्कूल का कोई आडिट भी नहीं हुआ है। सरकार की ओर से कम से कम 70 प्रतिशत ऐड मिलती है। सरकार द्वारा मिली ऐड का कोई हिसाब नहीं है। समिति उसका भी दुरुपयोग करती है। ग्यारह एकड़ जमीन के अन्दर, 1960-61 में मैं वहां पढ़ता था उस जमाने में हजारों पेड़ उगे हुए थे। आज भी उस स्कूल के अन्दर कम से कम हजारों पेड़ शीशम के और कई तरह के लगे हुए हैं लेकिन समिति के द्वारा उसका बहुत दुरुपयोग किया जा रहा है।

मास्टरों के साथ में इतना अत्याचार किया जा रहा है कि उनको समिति द्वारा एक नोटिस दिया गया है कि आपको तीन महीने में हटा दिया जायेगा। क्योंकि उन्होंने तनख्वाह मांगी, तनख्वाह दी नहीं गई।

हैडमास्टर, श्री किशन सिंह ने केन्सर का असत्य सर्टिफिकेट लेकर पी. एफ. के एक लाख रुपये अभी-अभी एक महीने पहले इस स्कूल फण्ड में से निकलवाये हैं और अपने घर पर मकान का काम चालू करवा रखा है। सर्टिफिकेट असत्य है, हैडमास्टर के कोई बीमारी नहीं है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उसकी जल्दी से जल्दी जांच करवायें, सारी आडिट करवायें और अपनी सरकार के हित में और जनता के हित में वहां प्रशासक नियुक्त करें।

(श्री महादेव सिंह)

सारी जांच हो जाय उसके तुरन्त बाद में स्कूल को राज्याधीन लेने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आज यह कहना तो नहीं चाहता था, मेरा नाम आपने पुकारा, सुबह गांव के कम से कम 50-60 आदमी बस भर कर आये थे, माननीय मुख्य मंत्री महोदय के निवास पर हम सब लोग मिले थे और शिक्षा मंत्रीजी भी वहां उपस्थित थे, मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्रीजी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्दी से जल्दी जांच करवायेंगे, जल्दी ही प्रशासक नियुक्त कर देंगे और स्कूल को राज्याधीन ले लेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उस गांव के अन्दर राजकीय प्राइमरी स्कूल है लड़कियों का। हर पंचायत हैडक्वार्टर पर सरकार ने मिडल स्कूल खोले हैं इसलिए उस गांव की लड़कियों की प्राइमरी स्कूल को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप जी।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिला सवाईमाधोपुर के गुढ़ाचन्द्रजी कस्बे के अन्दर पुलिस की गोली से एक निर्दोष बच्चे की मौत हो गयी। अध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख की बात है, एक निर्दोष व्यक्ति को पुलिस ने पहले पीटा उसके कारण उग्र भीड़ थाने पर गयी, भीड़ ने जाकर अपनी मांग रखी तो थाने वालों ने उनकी मदद करने के बजाय, उस भीड़ पर गोली चलानी शुरू कर दी। जबकि ऐसा नियम है कोई भीड़ इकट्ठी होती है तो सबसे पहले अश्रु गैस छोड़ी जाती है लेकिन कोई किसी प्रकार की अश्रु गैस उन्होंने नहीं छोड़ी, उन्होंने लाठीचार्ज भी नहीं किया और उसका परिणाम यह निकला, एक हमारे महाजन का बच्चा जो दो माताओं के बीच में इकलौता बेटा था, उस इकलौते बेटे को पुलिस की गोली ने उड़ा दिया और वह वहीं पर धराशायी, शहीद हो गया। बड़े दुःख की बात है, माननीय अध्यक्ष महोदय, गुढ़ाचन्द्रजी कस्बे में इस प्रकार का वातावरण बन गया। सारे में मातम छा गया। प्रशासन वहां आया। उसके बाद जब बाजार बन्द हुए, उस समय सबने आकर यह आश्वासन दिया था, गृह मंत्रीजी, कि जिसका बेटा मरा है उसको सरकार कुछ देगी। लेकिन बड़े दुःख की बात है, गृह मंत्रीजी, आपको भी पता है, आज तक एक पैसे की भी सहायता आपने नहीं दी और वह दोनों मां-बाप जिनका इकलौता बेटा था, उसके मां-बाप रो रहे हैं उनको रात दिन। जो इकलौता बेटा मरा पुलिस की गोली से, जिस पुलिस वाले ने निर्दोष पर गोली चलाई है उसके खिलाफ आज तक आपने कार्यवाही की ? सदन को अवगत करवायें और मुझे भी बतायें कि जिसका बेटा मरा है उसके मां-बाप के लिए आप क्या कर रहे हैं। आपने असत्य घोषणाएं करके कह दिया हम मदद कर रहे हैं लेकिन आज तक कोई मदद, माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं हुई। आज सदन का आखिरी दिन है, ऐसा हत्याकाण्ड जहां

(श्री रामस्वरूप मीणा)

हुआ हो, पुलिस की गोली से मरा हो, निर्दोष आदमी मरा हो, जिसके खिलाफ कोई केस नहीं हो, उसके लिए कार्यवाही नहीं की जाए इससे बड़े दुःख की बात और क्या होगी। आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, ठीक है, आपने हमारे एस. पी. का भाई मरा, तुरन्त जाकर मदद कर दी लेकिन एक महाजन का बच्चा मर गया, निर्दोष मर गया उसके लिए क्या मदद आप दे रहे हो, यह बतायें। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा जो गुढ़ाचन्द्रजी कस्बा है उसमें आज सारे लोगों में मातम छाया हुआ है, आक्रोश पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। इस बार में आप क्या कार्यवाही कर रहे हो यह, गृह मंत्रीजी, अवगत करवायें। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : यह बिलकुल सही है जो महाजन का लड़का मरा है उसके माता-पिता अर्द्ध विक्षिप्त हो गये हैं, आधे पागल हो गये हैं और दोनों घर की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा उनको जितनी भी आप सहायता दिला सकते हैं, मेहरबानी करके, उनको सहायता तो दिलवा दीजिये। वैसे हां कर लो तो बात दूसरी है। हां करने में तो माहिर हो ही हो।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी बैठे हुए हैं, मौन धारण कर रखा है। एक बच्चा मर गया, मां-बाप पागल हो गये, गृह मंत्रीजी जवाब नहीं दें....(व्यवधान) मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप इसका भी जवाब दें कि आप क्या कार्यवाही कर रहे हो उसके बारे में और कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हो ? अब तक क्यों नहीं कारवाई गयी ? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन है, जो बच्चा पुलिस की गोली से मरा है उसके मां-बाप के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री राकेश मेघवाल। 295 लिया जा रहा है।

श्री रामस्वरूप मीणा : अब वह इसके बारे में क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से करबद्ध निवेदन है, जो बच्चा निर्दोष था और पुलिस की गोली से मारा गया है क्या कार्यवाही कर रही है सरकार ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : मेरी पर्ची है, मान्यवर ...(व्यवधान) कल ही स्लिप रख ली थी कि कल बुलवा दूंगा। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, गोलीकाण्ड हुआ है। निर्दोष बच्चा मरा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। रामस्वरूप जो बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : बड़े दुःख की बात है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपा करके बिराजिये आप। आपकी सारी बात हो गयी।

एक माननीय सदस्य : गृह मंत्रीजी को सहायता की घोषणा करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : गोलीकाण्ड हुआ है, गृह मंत्रीजी को स्टेटमेंट देना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : गृह मंत्रीजी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं?

श्री महेन्द्रकुमार मीणा : सहायता दिलवाई जाय। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ऐसे मौके पर आप घोषणा करेंगे तो जनता....(व्यवधान) आपका भी काम होगा....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, माननीय।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय विधायक ने चूंकि गम्भीर समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है, मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से इसके बारे में निवेदन करूंगा, माननीय सदस्यों की भावनाओं से अवगत करवाउंगा।

श्री सुखलाल सेंणचा (रायपुर) : सहायता क्या कर रहे हो? (व्यवधान) पुलिस की गोली से आदमी मरा है। आपको आर्थिक सहायता देनी चाहिये।

श्री महादेव सिंह : मैं गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आंधी ग्राम के अन्दर श्री मुन्ना लाल ने श्री हरिनारायण अग्रवाल की खान पर जबरन कब्जा किया है और कब्जा करके हरिनारायण के आदमियों के साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट की है। उसके आदमी एस. एम. एस. अस्पताल में पड़े हैं। (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि हरिनारायण की तरफ से एफ. आई. आर. दर्ज करवा कर कार्यवाही करें और मुन्ना के खिलाफ कार्यवाही करके उसको दंडित करने की कृपा करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण मीणा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : माननीय मुख्य मंत्री को राजस्थान सरकार का बजट सदन में रखा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कर्मचारियों के लिए ग्रेचुएटी की राशि की ढाई लाख रुपये की सीमा निश्चित की है, 1 अप्रेल 1996 से और भारत सरकार ने राशि निश्चित की है 1 अप्रेल 1995 से। हम जब यह कहते हैं कि भारत सरकार के बराबर देंगे तो माननीय उप मुख्य मंत्रीजी आप तो बिराजमान है ग्रेचुएटी की राशि, जो सीमा बढ़ाई है वह 1 अप्रेल, 1995 से बढ़ाई जाय। उसके साथ ही मैं आपसे निवेदन

(श्री रामनारायण मीणा)

कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह : मुझे जवाब तो दिलवायें, गृह मंत्रीजी से आश्वासन तो दिलवायें।

श्री अध्यक्ष : आप बात कर लेना।

श्री महादेव सिंह : मैं आपके मार्फत कर रहा हूं, डायरेक्ट बात नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। उसके बाद तो दो जने और बोल चुके हैं।

श्री महादेव सिंह : गृह मंत्रीजी बैठे हैं, आप एक बार उनसे कहें कि जवाब दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप बात कर लें। आपके पास ही बिराजे हुए हैं।

श्री महादेव सिंह : आप हुकम तो दो इनको। यह तैयार हैं, आप कम से कम सम्बोधित तो करें इनको।

(12.00)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, आसन से जिन लोगों को 295 पर बोलने की व्यवस्था दी गयी है वह बोलें, परन्तु कोई भी, कहीं भी कभी भी....(व्यवधान) बाकायदा आसन से जो नाम पुकारें, वह बोले तो हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन बिना आसन की अनुमति के कोई भी कुछ भी बोलना प्रारम्भ कर दें बिना नोटिस के, बिना सूचना के, बिना कोई प्रस्ताव, बिना कोई नियम कोई प्रक्रिया के तो मैं समझता हूं कि आसन देखे इस बात को।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, निर्दोष मरा है।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : अध्यक्ष महोदय उचित कार्यवाही के लिए तो कहें।

श्री अध्यक्ष : महादेव सिंह जी, बिराजें आप।

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, उनके खिलाफ उचित कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। कृपया करके बिराजें।

एक माननीय सदस्य : यह तो बड़ी शंका की स्थिति है कि आसन से व्यवस्था देने के बावजूद....

श्री अध्यक्ष : हर माननीय सदस्य को बोलने का अधिकार है। अब आप बिराज जायं। रामनारायण जी, क्या कह रहे हैं आप ?

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके निर्देशानुसार बात कर रहा हूं। आज राजस्थान के किसानों के

(श्री रामनारायण मीणा)

पक्ष में बड़ी बातें होने लगी हैं और हर पार्टी किसानों की बात करती है। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के प्रदेश महामंत्री ने माननीय ऊर्जा मंत्रीजी की शिकायत की है क्योंकि इन्होंने ऊर्जा विभाग में एक नियम ही बदल दिया।

श्री अध्यक्ष : यह दूसरा प्रश्न कहां से आ गया ? अब आप बिराज जायं।

श्री रामनारायण मीणा : मान्यवर, चूंकि भैरोंसिंह जी ने मीणा जाति को+++क्या कह दिया, ऊर्जा मंत्रीजी भी उनको+++मानने लग गये। सारे कानून बदल दिये, सारी प्रायोरिटीं बदल दी।

श्री अध्यक्ष : आप बात कर लेना। एक मिनट बिराजें आप।

श्री महादेव सिंह : गृह मंत्रीजी, मुझे आश्वासन देने के लिये तैयार है, आप कृपया कहें तो सही।

श्री अध्यक्ष : श्री महादेव सिंहजी, बिराजें आप। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : मैं माननीय विधायक से इस पर चर्चा कर लूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 295; राकेशजी मेघवाल। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : ऊर्जा मंत्रीजी की जो शिकायत मुख्य मंत्रीजी से की है उस पर कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। श्री राकेश जी मेघवाल।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

मकराना नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा कथित भ्रष्टाचार एवं अनियमितताएं

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमती सुरैया भाटी, अध्यक्ष, नगरपालिका मकराना द्वारा अनेक अनियमितताएं और भ्रष्टाचार किया जा रहा है :—

(1) आपके विभाग में पूर्व में भी श्रीमती सुरैया भाटी के विरुद्ध जांच है जिसमें अध्यक्षा दोषी हैं।

(2) श्रीमती सुरैया भाटी, अध्यक्षा, नगरपालिका मकराना के सगे भाई के लड़के को दैनिक वेतन पर रखा है, जबकि सरकार से इस प्रकार दैनिक वेतन पर रखा जाना नियमों

+++शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

Page No. 30

30

(श्री राकेश मेघवाल)

के विरुद्ध है ? जिन्हें तीन या चार माह से अधिशासी अधिकारी वेतन नहीं दे रहे हैं और अध्यक्षा इन्हें जबरन वेतन दिलाने का दबाव डाल रही हैं। यहां तक कि दो बार बोर्ड मीटिंग में अधिशासी अधिकारी को रिलीव करने का प्रयास भी किया गया, क्योंकि सुना है कि सुरैया भाटी, अध्यक्षा के सगे भाई के लड़के को रखा हुआ था, उसे हटा दिया गया है।

(3) सेल्स टैक्स विभाग ने बिट्स पकड़े थे, जुर्माना वसूल कर नगरपालिका को माल सम्भलवाया लेकिन अध्यक्षा की लापरवाही से और गलत निर्णय के कारण लगभग एक लाख की आय की हानि हुई। इस मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि अध्यक्षा के द्वारा गोलमाल किया गया। जांच आवश्यक है क्योंकि इसमें राजस्व निरीक्षक, अध्यक्षा के रिश्तेदार हैं इन्होंने इस पत्रावली को दबा रखा है।

(4) भारत सेल लिमिटेड से मैसर्स बाबता रामदेव जुबरी केटिंग सप्लायर्स ने वाहन संख्या आर. जे. 14/जी 4160 से कुछ माल की चुंगी कटाकर गाड़ी दुकान पर ले गये। कर्मचारियों को सन्देह होने पर अधिशासी अधिकारी को बुलाया गया। जांच के दौरान माल अधिक पाया तो उस माल को नाकेदार ने जब्त कर लिया। इस पर अध्यक्षा ने इस माल की पी. टी. जारी करने का आदेश दिया। मगर अधिशासी अधिकारी नहीं माने और उक्त मामले को बोर्ड की मीटिंग में रखा तब मूल चुंगी व दस गुणा समझौता का निर्णय हुआ। मगर अध्यक्षा के रिश्तेदार आर. आई. समद इस पर कार्यवाही करना नहीं चाहते हैं।

(5) दिनांक 8-12-95 को रेल्वे से आयात माल के बिना चुंगी चुकाये ले जा रहे व्यापारी से श्री मातादीन, नाकेदार ने चार कार्टून पकड़े। उस समय कर्मचारी ने लिखित में अधिशासी अधिकारी को अवगत कराया। अधिशासी अधिकारी ने मूल चुंगी व दस गुणा समझौता शुल्क लेने का आदेश दिया। लेकिन अधिशासी अधिकारी के अवकाश पर चले जाने के बाद अध्यक्षा, श्री अब्दुल समद, रामस्वरूप निरीक्षक एवं श्री अख्तर अली, कनिष्ट लिपिक तीनों मिलकर नगरपालिका की चुंगी को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं।

राजस्व निरीक्षक द्वारा कई वर्षों से कर वसूली जैसे बकाया व पावर वसूली, कर वसूली, किराया वसूली व हाउस टैक्स की वसूली नहीं की जा रही है। राजस्व निरीक्षक के यहां अध्यक्षा ने अपनी लड़की का रिश्ता कर रखा है। अतः अनुरोध है कि मामला गम्भीर है, तुरन्त जांच की जावे और पालिका को हानि

(श्री राकेश मेघवाल)

पहुंचाने के लिये अध्यक्षा, नगरपालिका मकराना को तुरन्त निलम्बित किया जावे और श्री अब्दुल समद, राजस्व निरीक्षक तथा श्री अख्तर अली, कनिष्ठ लिपिक को स्थानान्तरित कर इनकी जांच की जावे।

श्री अध्यक्ष : माननीय भामड़ा साहब, अब आप फरमावें।

स्पष्टीकरण

श्री हरिशंकर भाभड़ा उद्योग मंत्री का स्पष्टीकरण

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, कल श्री विष्णु मोदी जी ने अपने भाषण में यह उल्लेख किया था कि उनके पत्र का उत्तर नहीं दिया। मैं चाहता हूं कि मैं इसका स्पष्टीकरण करूं। मैंने उस पत्र का उत्तर 11 मार्च को दे दिया और जो सूचनाएं उन्होंने मांगी थीं वह सारी सूचनाएं उसमें दे दीं। यदि आप कहें तो मैं पूरा पत्र पढ़ दूं या आप कहें तो जो सूचनाएं उन्होंने मांगी थी वह बता दूं मुख्य रूप से उन्होंने यह सूचना मांगी थी कि अन्य प्रदेशों की तुलना में राजस्थान में इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? इसका हिस्सा मैं पढ़कर सुना देता हूं। महाराष्ट्र में सन् 1994 तक 64 हजार 766 का हुआ और 1995 में 87,392 का हुआ अर्थात् 34.93 पर्सेण्ट की बढ़ोतरी हुई। गुजरात में 1994 तक 56,201, और 1994 से 1995 में 93,542 इस प्रकार 66.44 पर्सेण्ट की बढ़ोतरी हुई। यू. पी. में 1994 तक 36,770 और 1995 तक 46,423 इस प्रकार 26.25 पर्सेण्ट की बढ़ोतरी हुई। एम. पी. में 1994 तक 33,453 और 1995 में 40,443 इस प्रकार 20·89 पर्सेण्ट की बढ़ोतरी हुई। तमिलनाडु में 1994 में 17,792 तथा 1995 में 27,829 इस प्रकार 56·41 पर्सेण्ट की बढ़ोतरी हुई। आन्ध्रप्रदेश में 1994में,24,223 तथा 1995 में 35,285 इस प्रकार 45·66 पर्सेण्ट की वृद्धि हुई। राजस्थान में 1994 में 15,291 तथा 1994-95 में 22,753 अर्थात 48·80 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। यह सारी सूचनाएं मैंने उनको दे दीं। इसलिए उन्होंने जो कहा था उसका जवाब दे दिया।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

फव्वारा सिंचाई पद्धति एवं बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति में प्रयुक्त उपकरणों पर विक्रय कर समाप्ति

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री भीमराज भाटी।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत फव्वारा सिंचाई पद्धति एवं बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति तथा इनमें प्रयुक्त उपकरणों पर विक्रय कर समाप्त किये जाने व राजस्थान विक्रय कर अधिसूचना दिनांक 6 जनवरी, 1993 में संशोधन बाबत निवेदन करना चाहूंगा।

32

(श्री भीमराज भाटी)

महोदयजी, अनुरोध है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसी सदन में बजट सत्र 1992-93 के दौरान बजट भाषण में निम्न घोषणा की थी--

"पिछले बजट के समय स्प्रिंकलर सिंचाई एवं ड्रिप सिंचाई प्रणाली में प्रयुक्त साधनों पर विक्रय कर की दर 10 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत को गयी थी। इस प्रदेश में पानी के सीमित साधनों को देखते हुए मैं इस मत का हूं कि पानी की एक-एक बूंद का सदुपयोग होना चाहिए। अतः मैं उक्त कर को पूर्णतः समाप्त करने की घोषणा करता हूं।"

इस घोषणा पर राज्य सरकार ने 4 मार्च, 1992 को एक अधिसूचना जारी कर विक्रय कर समाप्त किये जाने वाली वस्तुओं की सूची में प्रविष्टि संख्या 30 पर निम्न प्रकार दर्ज किया :--

"30--Sprinklers and Items of Drip system of irrigation." परन्तु राजस्थान विक्रय कर विभाग ने उक्त प्रविष्टि में प्रयुक्त शब्दों की बात उधेड़ते हुए स्प्रिंकलर शब्द को परिभाषित करते हुए पूर्ण स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति को ही मुक्त माना। अर्थात् मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान में पानी के महत्व को समझते हुए उसकी बचत की जो आशा रखी थी और प्रदेश के गरीब किसानों को इसकी खरीद के लिए जिस प्रकार प्रेरित करना चाहा था उस भावना पर प्रदेश के अधिकारियों ने पानी फेर दिया।

कृषि विभाग के तत्कालीन निदेशक, श्री सी. एस. राजन ने वित्त विभाग की उपरोक्त गजट अधिसूचना का एतराज किया एवं इसे माननीय मुख्य मंत्रीजी की भावनाओं एवं बजट भाषण के विपरीत बताते हुए वाणिज्य कर आयुक्त को पत्र लिख कर इसे संशोधित करने का अनुरोध भी किया है, परन्तु इसके बावजूद भी राज्य सरकार अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी।

राजस्थान के किसानों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से एक बार फिर राज्य सरकार व माननीय मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया तत्पश्चात राज्य सरकार ने फिर एक बार और संशोधन करते हुए 6 जनवरी, 1993 को एक और निम्नानुसार अधिसूचना जारी कर दी :--

"For the existing entry No. 30 of the said notification, the following shall be substituted :—

'Sprinkler Irrigation System and Drip Irrigation System not including Pumping Unit, but including ISI Marked coupled aluminium/HDPE Pipes."

(श्री भीमराज भाटी)

परन्तु राज्य सरकार के विक्रय कर के विद्वान अधिकारीगण न तो मुख्य मन्त्रीजी की भावनाओं का आदर करना चाहते हैं एवं न ही राजस्थान के गरीब किसानों को इस फव्वारा पद्धति व इसके उपकरण क्रय करने पर पूर्णत: कर से छूट देना चाहते हैं। अब उनका कहना है कि इसमें फव्वारा सिंचाई पद्धति और ड्रिप पद्धति तो लिखा है, उपकरणों को शामिल नहीं किया है। अत: इसके उपकरण खरीदने पर विक्रय कर लगेगा।

राज्य सरकार फव्वारा पद्धति और ड्रिप सिंचाई पद्धति को सिंचाई में जल बचत का सबसे महत्वपूर्ण साधन मानकर करोड़ों रुपये अनुदान देती है, अन्य सभी संस्थाएं आसान किश्तों पर किसानों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए प्रेरित करती है। नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त की भी व्यवस्था की जाती है किन्तु इसके बावजूद भी विक्रय कर विभाग शब्दों में हेरफेर कर इन सिंचाई पद्धतियों को पूर्णत: कर मुक्त नहीं करना चाहता है, जो कृषि और कृषकों के हितों पर कठोर कुठाराघात है।

मैं आपका ध्यान इस सिंचाई पद्धति के तकनीकी पक्ष की ओर भी दिलाना चाहूंगा। इस पद्धति में सात अवयव उपयोग में आते हैं तथा इनका अन्यत्र कहीं भी किसी भी साधन में उपयोग नहीं होता है। इस बारे में स्वयं कृषि निदेशक, राजस्थान सरकार ने अपने पत्र में स्वीकार किया है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी की बजट घोषणा के कारण किसी भी विक्रेता ने कृषकों से कोई कर नहीं लिया है जबकि अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग ने 11-1-1996 को एक आदेश पारित कर स्प्रिंकलर व बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति में उपयुक्त अवयवों पर सामान्य दर 10 प्रतिशत से कर वसूलने का स्पष्टीकरण किया है जो कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी के बजट भाषण की पूर्णत: अवहेलना है।

इस सिंचाई पद्धति हेतु 75 प्रतिशत अनुदान राशि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवायी जाती है एवं बकाया 25 प्रतिशत अनुदान राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवायी जाती है। राज्य सरकार एक ओर तो अनुदान राशि द्वारा किसानों को लाभान्वित कर रही है एवं दूसरी ओर किसानों से इसी अनुदान की राशि को विक्रय कर के रूप में पुन: वसूला जा रहा है।

अत: मैं राज्य के गरीब किसानों की ओर से आपसे अपील करना चाहता हूं कि राज्य की कृषि एवं कृषकों के हितों को ध्यान में रख कर राज्य की खुशहाली व उन्नति के लिए राज्य विक्रय कर में एक ओर संशोधन करते हुए 6 जनवरी, 1993 की अधिसूचना में "Sprinkler Irrigation System and Drip Irrigation System, not including pumping unit but including ISI marked coupled aluminium/HDPE Pipes" में "part thereof" जोड़ने की मेहरबानी करावें

(श्री भीमराज भाटी)

ताकि विक्रय कर अधिकारी कोई शब्दों के जंजाल का बहाना बना कर मनमाने ढंग से विक्रय कर वसूलने के नाम पर राज्य के किसानों को तंग नहीं करें। राज्य में प्रयुक्त सिंचाई साधनों में से जल बचत की सबसे महत्वपूर्ण साधनों की लोकप्रियता में वृद्धि हो सके एवं राज्य में कृषि एवं कृषक के विकास में सार्थक प्रयास सम्भव हो सकें एवं माननीय मुख्य मन्त्रीजी की भावनाओं का भी आदर हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, आसन से व्यवस्था चाहूंगा कि हम लोगों ने 8-9 तारीख को ओलावृष्टि के ऊपर एडजोर्नमेंट मोशन दिया था।

श्री अध्यक्ष : हां, आप बोलेंगे।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उसके बाद में आपने यह व्यवस्था दी थी कि 16 तारीख नियत है और उस दिन आपको बोलने का मौका देंगे।

श्री अध्यक्ष : हां, बोलेंगे आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) : लेकिन कुछ ऐसी आशंका हमें है कि आसन को अलग से एक लिस्ट दोनों चीफ व्हिप महोदय मिलकर दे रहे हैं। जिन लोगों ने पहले से अपने नाम दे रखे हैं....

श्री अध्यक्ष : जिनका है वे बोलेंगे। अब आप बिराजें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं अनुरोध करता हूं कि उन लोगों को आप प्राथमिकता के आधार पर मौका दें।

श्री अध्यक्ष : जिनका इस तरह का या 131 का है वे जरूर बोलेंगे। आप बिराजें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : एडजोर्नमेंट मोशन वालों को प्राथमिकता के आधार पर बुलवायें।

श्री अध्यक्ष : हां। बिराजिये आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) : धन्यवाद।

राजकीय चिकित्सालय, गंगापुर सिटी में कर्मचारियों के पद समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि राजकीय अस्पताल, गंगापुर सिटी में डाक्टर्स, कम्पाउण्डर्स व अन्य कुल 18 कर्मचारी हैं उनके पद समाप्त कर दिये गये हैं। जैसा कि मुझे विदित हुआ है कि उक्त पोस्टें यू. एन. एफ.पी. ए. के अन्तर्गत थीं।

श्रीमान्जी, गंगापुर सिटी की जनसंख्या एक लाख के लगभग है। जिला

Page No. 35

(35)

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

सवाईमाधोपुर के मध्य में स्थित होने के साथ-साथ उप-खण्ड गंगापुर का मुख्यालय है। गंगापुर तहसील के अलावा नादौती, बामनवास, टोडाभीम व सपोटरा तहसील की जनता लाभान्वित होती है।

श्रीमान्जी, राजस्थान सरकार ने इस वर्ष का बजट स्वास्थ्य के लिए समर्पित किया है। हम लोग तो यह मान रहे थे जैसा कि आपने अपने गंगापुर प्रवास में यह घोषणा की थी गंगापुर अस्पताल, जो कि 50 शैय्याओं का है, गंगापुर की महत्वता को व आम जनता की सुविधाओं के लिए 100 शैयाओं का कर दिया जायेगा।

आज गंगापुर क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश है और स्टाफ की कमी के कारण 30 शैयाओं का अस्पताल रह गया है।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जो पद आपने समाप्त किये हैं उन्हें बहाल करते हुए गंगापुर अस्पताल को 100 शैयाओं का अस्पताल बनाने की आज ही घोषणा करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : अध्यक्ष महोदय, जिन पदों की समाप्ति की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं वे पद केन्द्र सरकार की योजना के थे, यू. एन. एफ. पी. ए. के तहत ही सृजित किये गये थे। उस योजना का समय पूरा हो गया है इसके कारण वे पद समाप्त हुए हैं। उसके पश्चात् गंगापुर के अन्दर मरीजों की संख्या और लम्बा चौड़ा क्षेत्र पड़ता है तो इन पदों को वापस उस योजना में तो सृजित नहीं किया जा सकता पर दूसरी किसी योजना में किस प्रकार सृजित किया जायेगा उसके लिए मैं प्रयास करूंगा।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री जितेन्द्र नीनामा। (अनुपस्थित)

श्री रामचन्द्र रावत।

कोटपूतली के राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण

श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के 295 नियम के तहत कोटपूतली के राजस्व ग्रामों में विद्युतीकरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। महोदय, सदन व सरकार के माध्यम से माननीय विद्युत मंत्रीजी से निवेदन है कि विधान सभा के कोटपूतली गुलाब गढ़, पदमगढ़, रामनगर, रामगढ़, बामनवास इत्यादि गांवों में राजस्व ग्राम घोषित होने के बावजूद भी विद्युत सुविधा मुहैया नहीं कराये जाने से सरकार की राजस्व ग्रामों में विद्युतीकरण की नीति की अवहेलना हो रही है जिससे जनता में असंतोष उत्पन्न हुआ है। उक्त गांव ट्रांसफार्मर से एक से दो किलोमीटर दूरी पर होने के कारण से विद्युत पहुंचाने में लगभग 20 से 30 हजार रुपयों का खर्च होता है जो ग्रामीण जनता वहन करने में असमर्थ है। अतः

(श्री रामचन्द्र रावत)

राजस्थान सरकार की विद्युत नीति के अनुसार उक्त गांवों को अविलम्ब ही विद्युतीकृत करने सम्बन्धी अत्यन्त लोक महत्व के विषय पर सदन में चर्चा की अनुमति प्रदान करवायें ।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनारामजी ।

मोमासर, राजस्व ग्राम जिला चूरू में विद्युत संकट

श्री किशनाराम नाई (श्री डूंगरगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़, जिला चूरू के राजस्व ग्राम मोमासर व उसके अधीन कई ग्रामों में उत्पन्न विद्युत की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्रीमान्, ग्राम मोमासर में 1.6 के. वी. का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है । जिसे जले हुए करीब 10 दिन हो गये हैं जिसके कारण ग्राम आडसर, सुरजनसर, धीरदेसर, लाखरसर, उदासर, चारणाथ, लालासर, सतासर, तथा लिखमादेसर, इत्यादि भयंकर रूप से प्रभावित है और रबी की फसल को भयकर रूप से नुकसान हो रहा है । बार-बार विभाग का ध्यान दिलवाने के बावजूद आज तक यह ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया है जिससे वहां की जनता में भयंकर आक्रोश फैला हुआ है ।

इसी तरह इस क्षेत्र हेतु 33 के. वी. की स्कीम प्रभावित हो चुकी है परन्तु बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि वह स्कीम आज ठण्डे बस्ते में बन्धी हुई पड़ी है । अतः इसे पूर्ण करवाया जाये ।

अतः इस सदन के माध्यम से आग्रह है कि उक्त ट्रांसफार्मर तुरन्त प्रभाव से ठीक करवाया जाये अथवा बदला जाये और भविष्य में इस तरह की देरी नहीं हो इसका पुख्ता इन्तजाम करवायें तथा 33 के वी. स्कीम को तुरन्त प्रभाव से चालू करने की मेहरबानी करें ।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलालजी गरासिया ।

भू-जल विभाग, जयपुर में तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता एस. एन. पाल द्वारा की गयी अनियमितताएं

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत भू-जल विभाग, जयपुर में तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता एस. एन. पाल द्वारा की गयी भारी अनियमितताओं व लक्ष्य से अधिक सरकारी पैसे खर्च करने व दुरूपयोग की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

वर्ष 1992-93-94 के दौरान दिनांक 1-4-92 से 23-12-92 तक श्री एस. एन. पाल, अधिशासी अभियन्ता एवं दिनांक 23-12-92 से 31-3-94 तक श्री आर. एन. करोल, अधिशासी अभियन्ता भू-जल विभाग, जयपुर के पद पर कार्यरत थे ।

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

श्री एस. एन. कंवर ने एस. ई. जयपुर का पद भार दिनांक 7-11-92 को संभाला था। श्री एस. एन. कंवर ने दिनांक 7-11-92 से 23-12-92 से 23-12-92 तक एन. एस. पाल को गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं बरतने एवं ढाई गुणा से अधिक खर्च करने के सम्बन्ध में श्री एस. एम. कंवर ने श्री पाल की कई पत्र लिखे जिनका उन्होंने जवाब नहीं दिया।

श्री पी. सी. जैन के पत्रांक 785 के सन्दर्भ में मुख्यालय, जोधपुर से आडिट पार्टी का स्पेशल चयन कर भू-जल विभाग, जयपुर अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय का वर्णित वर्षों का माह जून, 94 से अगस्त, 94 तक आडिट का कार्य पूर्ण कर दिया। श्री एस. एन. कंवर ने आडिट रिपोर्ट के आधार पर तकनीकी रिपोर्ट तैयार करके करोल को दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध आरोप-प्रत्यारोप वर्णित कर चार्ज शीट के फ्रेम करके मुख्यालय पर श्री पी. सी. जैन को प्रस्तुत कर दी थी। श्री पी. सी. जैन ने अपने स्तर से दिसम्बर, 1994 को राज्य सरकार को चार्ज शीट प्रेषित कर दी थी।

श्री एन. एस. पाल स्वयं के पत्र दिनांक 27-12-95 को उनके कार्यरत समय (दिनांक 1-4-92 से 23-12-92) स्वय द्वारा किया गया खर्च 108.18 लाख रुपये बताया लेकिन कार्यालय रेकार्ड के अनुसार 114 लाख रुपये खर्च किये गये। बड़े आश्चर्य का विषय है कि श्री पाल द्वारा गम्भीर अनियमितताएं बरतने एव खर्च किये गये थे 23-12-92 तक 108 लाख रुपये बताये जबकि कार्यालय रिकार्ड के अनुसार 114 लाख रुपये थे। यह बड़े आश्चर्य का विषय है कि श्रीपाल द्वारा गम्भीर अनियमितताएं बरतने एवं किये गये कार्य के अनुपात में ढाई गुणा से अधिक गम्भीर खर्चा करने के कारण गम्भीर दोषी है।

श्री पी. सी. जैन द्वारा दोनों अधिकारियों के कार्यकाल के समय में किये गये खर्च का राज्य सरकार के पत्र संख्या 94, दिनांक 8-7-94, 30-7-94 एवं अन्य पत्रों द्वारा मुख्य अभियन्ता, जोधपुर को तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था। लेकिन आज तक श्री पी. सी. जैन मुख्य अभियन्ता द्वारा आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये।

अतः श्री पाल द्वारा किये गये खर्च का तुलनात्मक आंकड़ों में सिर्फ 6 लाख रुपये का अंतर होने से ही स्पष्ट होता है कि इसमें 100 लाखरुपये के कार्य करनेके लिए श्री पाल ने इसमें 114 लाख रुपये खर्च किये जबकि विभागीय लक्ष्यानुसार 100 लाख रुपये के कार्य करने हेतु 42 लाख रुपये की आवश्यकता थी। अतः 72 लाख रुपये श्री पाल ने अतिरिक्त खर्च करके विभागीय राज्य कोष का दुरुपयोग किया। इस आधार पर गम्भीर दोषी श्री पाल को बचाने के लिये श्री एस. एन. कवर एवं श्री पी. सी जैन गम्भीर दोषी है। अतः इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।

अतः श्री एन. एस. पाल गम्भीर दोषी अधिकारी को बचाने हेतु श्री कंवर एवं

(38)

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

श्री पी. सी. जैन अत्यन्त गम्भीर अनियमितता करके सरकारी धन का दुरुपयोग करने में स्वत: सहयोगी सिद्ध होते हैं।

इस सम्बन्ध में राज्य कोष एवं भारी अनियमितताएं करने पर इस लोक महत्व के विषय को देखते हुए मुझे सदन में इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति प्रदान करें जिससे गम्भीर दोषी अधिकारियों के खिलाफ श्री एस. एन. कंवर एवं श्री पी. सी. जैन, मुख्य अभियन्ता पर शीघ्रातिशीघ्र अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सके।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्रजी गहलोत (अनुपस्थित)। श्री रेवतीप्रसाद कोली (अनुपस्थित)। श्री कन्हैयालाल जी पाटीदार।

फल सब्जी ट्रक वालों से सांगानेर पुलिस थाना कर्मियों द्वारा चौथ वसूली

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत फल-सब्जी के ट्रकों के जयपुर में सुबह 6 बजे बाद प्रवेश करने वाले वाहनों से थाना सांगानेर के सामने पुलिस द्वारा चौथ वसूलने के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मैंने पूर्व में भी यह मामला सदन में उठाया था लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जयपुर फल-सब्जी मण्डी में सन्तरों के आने वाले अधिकांश वाहन झालावाड़ जिले के होते हैं और यहां सांगानेर थाने के सामने पुलिस वाले खड़े रहते हैं जो 6 बजे बाद आने वाले वाहनों पर डण्डे ठोकते हैं और बिना 150-200 रुपये लिये प्रवेश नहीं करने देते। यदि किसान का माल उस रोज बिकने से रह गया तो आधा माल खराब हो जाता है और दूसरे दिन माल बेचने पर किसान को आधे पैसे ही प्राप्त होते हैं। किसानों के प्रति हो रहे इस अन्याय को रोका जाये।

इसी प्रकार जब ये वाहन जयपुर की सीमा में प्रवेश करते हैं तो वहां के चुंगी नाकों पर वैध चुंगी के साथ-साथ 20 रुपये वाहन वाले को नाके वाले को अलग से बिना रसीद के चुकाने पड़ते हैं अन्यथा वाहन को वहीं खड़ा करा दिया जाता है। कृपया दूरस्थ जिले से अपने फलों को बेचने आने वाले कृषकों को इस दोहरे अन्याय से मुक्ति दिलाये जाने का कष्ट करें। आपके माध्यम से मैं माननीय गृह मंत्री महोदय एवं स्वायत्त शासन मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों को उक्त अन्याय से मुक्त कराये जाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी।

सिरोही नगर को रेल व वायु सेवा से जोड़ना

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सिरोही नगर की रेल सेवा

(श्रीमती तारा भण्डारी)

एवं वायु से सेवा जोड़ने के लोक महत्व के प्रश्न पर में विशेष उल्लेख करना चाहती हूं।

महोदय, सिरोही जिला पर्यटन एवं प्राकृतिक सौन्दर्य की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध जिला है। परमात्मा ने सिरोही जिले को मुक्तहस्त से नैसर्गिक सौन्दर्य प्रदान किया है। अध्यक्ष महोदय, आबू के दर्शनीय स्थलों एवं विश्व में बेजोड़ कलात्मक मन्दिरों से आकर्षित होकर पर्यटकों की संख्या में भी प्रति वर्ष वृद्धि होती जा रही है। अध्यक्ष महोदय, जिले की पर्वतीय बाउण्ड्री पर विराजमान कावेश्वर महादेव, गोपेश्वर, गणकेश्वर मारकुन्डेश्वर, रामेश्वर, पोवेश्वर लीलाधारी, मधुसुदनजी, गौतमजी आदि का अलग ही महत्व है।

खनिज सम्पदा तथा औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी यह जिला अग्रणी जिलों में है।

अध्यक्ष महोदय, सिरोही, जालौर तथा पाली जिले के अधिकतम व्यापारी दक्षिण भारत एवं अन्य प्रान्तों में हैं परन्तु आवागमन की दृष्टि से जिले के मुख्यालय सिरोही नगर में रेल सेवा या हवाई सेवा सुविधा युक्त भी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, सिरोही जिले में पर्यटन तथा खनिज एवं उद्योगों की विपुल सम्भावनाएं हैं परन्तु अध्यक्ष महोदय आवागमन की समुचित सुविधा नहीं होने से जिले के विकास को गति नहीं मिल रही है।

अध्यक्ष महोदय, सिरोही में हवाई पट्टी तथा टर्मिनल भवन की भी सुविधा है तथा इस निर्माण में लाखों रुपये राजकीय कोष से खर्च हुये हैं। परन्तु, अध्यक्ष महोदय, इस हवाई पट्टी को वायु सेवा से नहीं जोड़ने के कारण तथा इसका उपयोग नहीं होने से धीरे-धीरे इस हवाई पट्टी के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना बन गयी है।

अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि सिरोही नगर रेल सेवा से जोड़ने के लिए केन्द्र सरकार पर दबाव डालकर सिरोही को रेल सेवा से जोड़ने की व्यवस्था करावें।

साथ ही सिरोही में वायुसेवा प्रारम्भ करने के लिए विकास की गति प्रदान करें।

(नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त शेष प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अध्यक्ष : अधिसूचनाएं। श्री नाथूसिंह जी।

श्री बनवारी लाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य यहां सदन के वैल में बैठे हैं और सदन चल रहा है, यह हाउस की गरिमा के खिलाफ है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय भाटीजी ने दो प्रिविलेज मोशन दे रखे हैं और उसमें से एक प्रिविलेज मोशन तो पिछले सत्र से चला आ रहा है और एक प्रिविलेज मोशन अभी दिया है। दोनों प्रिविलेज मोशन के

(श्रीमती कमला)

ऊपर आप कोई रूलिंग नहीं दे रहे हैं और आज सदन का आखिरी दिन है। एक प्रिविलेज मोशन तो माननीय मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट के सम्बन्ध में है...

श्री अमराराम : कोई न कोई आश्वासन तो दिलायें।

श्रीमती कमला : आप कोई रूलिंग नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, आप कोई रूलिंग नहीं दे रहे हैं। सदन की कार्यकाल समाप्त हो जायेगा आज और आप कोई रूलिंग नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : जब तक इसको एक्जामिन नहीं किया जायेगा, मैं रूलिंग नहीं दे सकता। ... (व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य यहां बैठे हैं और इतने समय से अपनी बात को कहे जा रहे हैं और आप सुन ही नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्रीमती कमला : सदन के पटल पर रखने में क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह जी,

श्रीमती कमला : जब सी0 बी0 आई0 रिपोर्ट दे चुकी है और उसमें कोई आपत्तिजनक बात उनको नहीं लगी है या नहीं लग रही है तो पटल पर रखने में क्या दिक्कत है ? माननीय सदस्य यहां पर वैल में बैठे हैं और आप कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। नेता महोदय भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सत्ता पक्ष को इतनी क्या परेशानी है ?

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि

अधिसूचनाएं

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह जी।

श्री नाथूसिंह (राज्य मंत्री, पंचायती राज) : अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या एफ–4 (1) एल एण्ड जे./आर. डी. पी. 1951 3478 दिनांक 31-10-95, जिसके द्वारा राज्य सरकार भत्तों का भुगतान (नियम), 1961 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्रीमती कमला : .... यह सदन के अधिकारों का हनन है।

श्री बनवारीलाल बैरवा : आप व्यवस्था दे दें ताकि माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठ जायें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनसिंह, अधिसूचना रखेंगे।

पशुपालन विभाग

श्री अर्जुनसिंह (राज्य मंत्री, पशुपालन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रशासनिक

(श्री अर्जुनसिंह)

सुधार विभाग (अनुभाग--3) के आदेश संख्या प्र. 6 (2) प्रसु । अनु-3196 दिनांक 9 जनवरी, 1996, जिसके द्वारा गोसेवा आयोग का गठन किया गया है, को सदन की मेज पर रखता हूं ।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन (वर्ष 1995-2000) तथा उस पर की गयी कार्यवाही के विवरण का ज्ञापन

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह जी शेखावत ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप-मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रथम राजस्थान राज्य वित्त आयोग, राजस्थान का प्रतिवेदन (वर्ष 1995-2000) तथा उस पर की गई कार्यवाही विवरण का ज्ञापन सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा ही नहीं कि आप कब इसकी रूलिंग देंगे । कब देंगे आप ? समय तो निर्धारित कीजिये ।

श्री अध्यक्ष : पहले आप विराजें ।

श्रीमती कमला : 4 बजे देंगे, 5 बजे देंगे, 2 बजे देंगे या कब देंगे ? यह तो बताइये । माननीय सदस्य सदन के वैल में बैठे हैं....

श्री अध्यक्ष : पहले मैं देखूंगा और देखकर बता दूंगा ।

श्रीमती कमला : हमारे सामने बैठे हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें ।

श्री बनवारीलाल बैरवा : आप एक लाइन तो कह दीजिए कि आज आप रूलिंग दे देंगे । व्यवस्था देने में क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह कौशल ।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल के वार्षिक लेखे (वर्ष 1975-76 से 1990-91)

श्री नाथूसिंह (राज्य मंत्री, पंचायती राज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जल अधिनियम, 1974 की धारा 40 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल के वार्षिक लेखे वर्ष 1975-76 से 1990-91 सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नरेन्द्र कंवर ।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, आपको जरा भी विचार नहीं आता है, आप इनको समय तो दीजिए । आप कितने बजे रूलिंग देंगे, समय बताइये । (व्यवधान)

राजस्थान पर्यटन विकास निगम का 16वां वार्षिक (1994-95) प्रतिवेदन एवं लेखे

श्रीमती नरेन्द्र कंवर (राज्य मन्त्री, पर्यटन) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 के

(श्रीमती नरेन्द्र कंवर)

अन्तर्गत राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखे 1994-95 सदन की मेज पर रखती हूं। (व्यवधान)

समिति का प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति 1995-96 का 34वां, 35वां, 36वां एवं 37वां प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। श्री परसराम मदेरणा।

श्रीमती कमला : आप समय निर्धारित कीजिए कि आप कब रूलिंग देंगे।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) (सदस्य, राजकीय उपक्रम समिति) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजकीय उपक्रम समिति 1995-96 के निम्नांकित प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूं:—

(1) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लि0, अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1979-80, राजकीय उपक्रम समिति, 1991-92 (नवीं विधान सभा) के 21 वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही,

(2) राजस्थान राज्य औद्योगिक तथा खनिज विकास निगम लि0(अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1975-76) बाबत राजकीय उपक्रम समिति 1991-92 के 19 वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही

(3) राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि0 (अंकेक्षण वर्ष 1974-75) से सम्बन्धित, नवीं विधान सभा के 23 वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिश पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही, तथा

(4) राजस्थान पर्यटन विकास निगम बाबत (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1981-82) राजकीय उपक्रम समिति 1991-92 (नवीं विधान सभा) के 22वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही।

श्री अध्यक्ष : श्री कालीचरण सराफ।

याचिका समिति 1995-96 का प्रथम प्रतिवेदन

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (सदस्य, याचिका समिति) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 1995-96 की याचिका समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन। श्री भीमराज भाटी।

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित 8 याचिकाएं ....(व्यवधान)....

अनुरोध

मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर व्यवस्था

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर प्रिविलेज मोशन के कारण

(श्रीमती कमला)

कोई सदस्य सदन में बैठे हैं तो कम से कम रूलिंग तो दो। चाहे आप इनके पक्ष में ही दे दें ....(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप तो इनके पक्ष में ही रूलिंग दे दो पर समय बता दो कि इतने बजे रूलिंग दूंगा।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : और आप जो रूलिंग देते हैं उनको चैलेन्ज नहीं करेंगे। समय तो बता दीजिए कि रूलिंग आज दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा। (व्यवधान)....

श्रीमती कमला : समय निर्धारित कीजिए।

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा है.... ग्राम मेहड़ा की ढाणी, खेताजी मेघवाल की ढाणी....

श्रीमती कमला : आप समय की घोषणा कीजिए। आप कितने बजे रूलिंग दगे ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें,

श्रीमती कमला : यह हमारे सामने माननीय सदस्य धरना देकर बैठे हैं। आपके मुंह के सामने बैठे हैं...(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : आन ए पाइन्ट, आफ आर्डर, सर। मैं यहां पर दो मिनट से खड़ा था। अध्यक्ष महोदय, जब सदन में 3-3 माननीय सदस्य खड़े रहते है, हम कोई बाहर जाते हैं या अन्दर आते हैं, हम उस परम्परा का अनुसरण करते हैं जो इस सदन में हाल रखी है 1952 से। इसलिए मैं खड़ा रहा। आप जब एक दफा खड़े हो जाते हैं तो न तो हमारी आई कैच करते हैं और न उधर एन्ट्रेन्स को देखते हैं, न एन्ट्रीज को देखते हैं। अध्यक्ष महोदय जब तीन-तीन मैम्बर बोल रहे हैं उस वक्त मेरा बहुत विनम्रतापूर्वक और आदर के साथ आपको निवेदन है कि आपको आसन ग्रहण कर लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं तो बैठ गया।

श्री परसराम मदेरणा : आपके प्रिडिसेसर यहां पर मौजूद हैं और मैं यह देखता था कि ज्यादा मैम्बर खड़े होने के बाद में वह बैठ जाया करते थे। फिर खड़े हो जाया करते थे। आप अगर "फ्रक्शन आफ ए सैकण्ड" ही बैठें तो हम अन्दर एन्टर तो हों। आप तो अविचल खड़े रहते हैं और फिर आप बैठते नहीं हैं। हम बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं। तो या तो परम्पराओं का उल्लघंन करें और नहीं करें तो आसन के प्रति जो सम्मान और आदर है उसको प्रकट करते हुए जब आसन पैरों पर है तो सदन में हम आगमन नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : माननीय भाटी साहब।

श्री भीमराज भाटी : ग्राम मेहड़ा की ढाणी, खेताजी मेघवाल की ढाणी,

(श्री भीमराज भाटी)

ढोलियों की ढाणी में पीने के पानी के लिए जी. एल. आर. बनवाने बाबत....

श्रीमती कमला : आप रूलिंग का समय दीजिये। यह बहुत गलत बात है कि आप माननीय सदस्य के प्रिविलेज मोशन पर समय भी निर्धारित नहीं कर रहे हैं। हम यह थोड़े ही कह रहे हैं कि आप उनके पक्ष में या हमारे पक्ष में दीजिये। आप सारा का सारा चाहें निराधार ही उनके पक्ष में दे दें, हमको कोई आपत्ति नहीं, पर समय निर्धारित करो आप।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें अब, मैं बता रहा हूं।

श्रीमती कमला : आप समय निर्धारित नहीं करोगे तो फिर हम खड़े हो जायेंगे (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : मेहड़ा की ढाणी, खेताजी मेघवाल की....

श्री अध्यक्ष : यह आपको अधिकार है।

श्रीमती कमला : जब तक वह समय नहीं दें आप, आगे कोई कार्यवाही नहीं करें। आप समय निर्धारित करिये। यह क्या बात है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं जब तक देख नहीं लूंगा तब तक क्या कर सकता हूं?

श्रीमती कमला : आप क्यों इस प्रिविलेज मोशन का जजमेंट नहीं करना चाहते हैं और समय देने में आपको क्या आपत्ति हो रही है?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। श्रीमती उजला जी।

श्रीमती कमला : सिर्फ समय मांग रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं आपको।

श्री अध्यक्ष : माननीय भाटी साहब।

श्रीमती कमला : आप रूलिंग कितनी बजे दे रहे हैं? यह असेम्बली का लास्ट डे है।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, आपके सामने जो मुद्दा है वह गणित का है, दो और दो चार करने का है। उसमें बहुत ज्यादा चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री जगदीप धनखड़ : आप यह तो घोषणा कीजिये कि कब तक आप रूलिंग दे देंगे? (व्यवधान)

श्रीमती कमला : आपने आश्वासन दिया था। समय तो दें कम से कम।

श्री अध्यक्ष : मैं अभी देखूंगा जब आपको बता दूंगा।

श्री जगदीप धनखड़ : कब तक दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : अभी मैं जाकर के देखूंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मेरा आपसे निवेदन है कि....(व्यवधान)

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, आपने माननीय सदस्य को यह आश्वासन दिया था कि सत्र समाप्त होने से पहले मैं रूलिंग दूंगा। यह सदन के सामने आपने आश्वासन दिया है। (व्यवधान) आप कोई समय नहीं देना चाह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : सदन का समय समाप्त हो गया क्या अभी ?

श्रीमती कमला : आप सदन में दे ही नहीं रहे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं अभी देखकर बताऊंगा आपको। जब तक देखूंगा नहीं तब तब तक क्या जवाब दूं। आप विराजें। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आज का समय समाप्त होने से पहले ....(व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप ऐसे ही बताते रहेंगे और... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री भाटी साहब, आप अपनी बात रखें। मैं अभी उठा ही नहीं। अब जा करके देखूंगा और आप मुझे कम्पैल कर रहे हैं। आप बोलें, भाटी साहब।

श्री भीमराज भाटी : ग्राम मेहड़ा की ढाणी, खेताजी मेघवाल की ढाणी....

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सत्र का आखरी दिवस है और आपके पास में दो प्रिविलेज मोशन विचाराधीन है। एक प्रिविलेज मोशन, जिसका सम्बन्ध शायद सी. बी. आई. की जांच से हैं, पिछले सत्र से विचारधीन है। मैं ऐसा निवेदन कर रहा हूं, मैं आवश्यकता भी नहीं समझता था लेकिन अब प्रसंगवश मुझे यह कहना लाजिमी हो गया है कि इन केसेज को, जिसमें कालोनाइजेशन एरिया के अन्दर रिकार्ड्स की हेराफेरी हुई थी, मैं जालसाजी का मामला समझ रहा था और उस वक्त कालोनाइजेशन डिपार्टमेंट का कार्यभार मेरे पास में था और इस सदन में काफी लम्बी चौड़ी चर्चा हुई थी। उस चर्चा के फलस्वरूप इसी सदन के प्रांगण में मैंने यह आश्वासन दिया था, कि यह तमाम जो केसेज हैं उनको सैण्ट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन से अन्वेषण के लिए रेफर कर रहा हूं। रेफर के बाद में, यह मेरा दुर्भाग्य रहा, कि यह 1976 में मैंने आश्वासन दिया था और यह सब केसेज सी. बी. आई. को भेज दिये थे, सी. बी. आई. ने इन केसेज को अपने जुरिस्डिक्शन में ले लिया था, 1977 में हम प्रतिपक्ष में आ गये इसलिए जो रिपोर्ट सी. बी. आई. से आयी उसकी जानकारी मुझे नहीं है। उसके बाद 1981 से 85 तक राज्य सरकार में मंत्री पद पर तो मैं रहा लेकिन कालोनाइजेशन का विभाग कभी भी मेरे पास

(श्री परसराम मदेरणा)

नहीं रहा। इसलिए उस वक्त भी मैंने निवेदन किया था कि सी. बी. आई. की रिपोर्ट क्या है, यह पर्टिकूलर केस रेफर हुआ है या नहीं हुआ? क्योंकि मुझे बड़े-बड़े केसेज का मालूम था कि महाराज हनुवंत सिंह जी के 50 मुरब्बे हैं, मालपानी के 40 मुरब्बे हैं और बागड़ के कोई 40-50 मुरब्बे हैं। किसी के 25 थे किसी के 20 थे। मैंने कहा, यह इतने मुरब्बे इस कीमती जमीन के, इन्होंने पहले विजय सिंह जी की स्टेट के अन्दर यह एण्ट्रीज करवायी हैं और एण्ट्रीज का मैनीपुलेशन था, ओवर राइटिंग थी। कई तरह की रिपोर्ट्स जो कालोनाइजेशन एरिया के बारे में कमेटी बनायी थी उस कमेटी ने भेजी थी। उस कमेटी ने जो रिपोर्ट भेजी है इसका उल्लेख बाद में यहां पर हुआ है। वह कमेटी की रिपोर्ट भी मेरे सम्मुख प्रस्तुत नहीं हुई थी। ऐसी सूरत में इस सन्दर्भ में जो नये फैक्ट्स सामने आये हैं इन सब को देखकर के यह उचित होता, क्योंकि ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य की, मैं समझता हूं मुख्य मांग यह थी कि सी. बी. आई. की जांच का जो निष्कर्ष है उस निष्कर्ष से इस सदन को अवगत करायें और वह जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें। ऐसा नहीं करना, कोई बात छिपाने की नहीं है। अगर इसी सम्बन्ध में आपका यह प्रिविलेज मोशन है, मैं समझता हूं कि दो साल या ढाई साल हो गये, वह प्रिविलेज मोशन पड़ा हुआ है, माइंड एप्लाई करना था, आपका माइंड बहुत फरटाइल है और आप उसको रोज एप्लाई करते हैं। कुछ केसेज आपको प्रिविलेज कमेटी को रेफर करने थे वह कर दिये। दोनों आपने अपने पास रख लिये, अब आपका माइंड होया हुआ है, मैं समझता हूं, सदन का आखिरी दिन है, मेरा आपसे निवेदन है कि इस सम्बन्ध में जो भी निर्णय आसन को देना है वह आज ही दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि 12 तारीख को ही आपने पेश किया है, इसको मैं देख रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने.......

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सत्र में भी यह का यह प्रिविलेज मोशन उठाया था....

श्री महावीर प्रसाद जैन : जिस जांच के बारे में और........

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : और आपने फरमाया था कि इस पर निर्णय दूंगा। मैं तो यह डिमांड कर रहा हूं कि सी. बी. आई. की रिपोर्ट सरकार कहती है कि उनके पास है तो यहां पटल पर रखें। सदन को अवगत कराये उससे। यह 12 तारीख का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री लक्ष्मण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी, छिपाना क्यों चाहते

(श्री लक्ष्मण सिंह)

हैं ? मुख्य मन्त्रीजी यह छिपा करके क्या करना चाहते हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में चूंकि मैंने आपसे लीव मांगी थी, उसमें मैं हाजिर नहीं हो सका था क्योंकि मेरे फादर आई. सी. यू. में थे। फिर पिताजी का स्वर्गवास हो गया। उसके पहले वाले सत्र में मैंने आपके सामने पेश किया था। हर सत्र में, जब से यह दसवीं विधान सभा शुरू हुई है, इस इश्यू को उठा रहा हूं। क्यों डर रहे हैं मुख्य मन्त्रीजी और यह सरकार ? अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक सिम्पल रिक्वेस्ट है कि सी. बी आई. की........(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप आसन पर तो बैठे नहीं हैं, आप चाहे जो कह सकते हैं। आप फ्री हैं कहने के लिए। मेरी अपनी लिमिटेशंस होती हैं अध्यक्ष के नाते और आप फ्री हैं, आप चाहे जो कह सकते हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष के नाते आपकी कुछ ड्यूटीज भी होती हैं। आपको हमें प्रोटेक्शन देना चाहिए। कहां जायं हम।

श्री अध्यक्ष : मैंने अभी यह कहा है कि मैं अभी देख करके आपको बताऊंगा। मैं अभी 11 बजे से उठा ही नहीं हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, माफ करें, आप अदरवाइज न लें, आपके मेरे प्रति दो सेंटेंसेज बहुत फेवरेट हैं— आप बिराजें, मैं देख लूंगा।

श्री अध्यक्ष : यह तो अच्छा ही मैं बोलता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपके कहने के तहत मैं अनेक बार तो बैठ गया।

श्री अध्यक्ष : अभी भी आप बिराजें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अल्टीमेटली मुझे यहां आकर बैठना पड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अभी फिर बैठ जाओ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, 16 मार्च, 1994 को मुख्य मन्त्रीजी ने हाउस में कहा था कि सी. बी. आई. की रिपोर्ट मेरे पास है। अब वह आपके रिकार्ड में है। मैं आपसे सिर्फ यह रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वह रिकार्ड सदन के पटल पर रखें और सदस्यों को अवगत करा दें तो आगे हम स्टेप तो लें।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : धनखड़जी ने एक प्रिविलेज मोशन उठाया था, उन्होंने कहा कि यह सी. बी. आई. की रिपोर्ट न तो है, न कभी यह सब्जेक्ट सी.बी.आई. को भेजा गया है। मैं यह चाहता हूं....

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य पहले तो अपनी सीट पर पधारें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : देखिये, आप इसका मजाक मत उड़ाइये.......

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य पहले तो अपनी सीट पर पधारें क्योंकि अपने यहां व्यवस्था है.......

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मुझे पता है, मुझे कहां बैठना है, मुख्य सचेतक महोदय।

श्री महावीर प्रसाद जैन : और फिर मेरा निवेदन है कि जिस विषय पर प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जिस सी. बी. आई. की रिपोर्ट पर बात कही है उस सी. बी. आई. की रिपोर्ट के मामले में पूर्व अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है कि ....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं....... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : और उन्होंने उस रिपोर्ट को देखा, उस रिपोर्ट के आधार पर कोई निर्णय, विनिश्चय किया। उस मामले में मेरा आपसे निवेदन है कि.......

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइन्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक महोदय, मुझे निर्देश देने के लिए यहां अपाइन्ट नहीं हुए हैं। यह अपनी पार्टी के सदस्यों को दो। अगर मेरे से बात करनी हो तो आपके श्रू करें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : देखिये, यह मेरा दायित्व है कि नियमों में, प्रक्रिया में.......

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप पधारना जैसलमेर, अभी देखता हूं आपको।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप कहो जहां चलेंगे और अभी चलें ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको कोई इस बात का गरूर हो तो आप कहो जहां चलें।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप धमका रहे हो। क्या समझते हैं आप ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप, माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे कि....

श्रीमती कमला : जो घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सदन में की है कि सी. बी. आई. की रिपोर्ट----

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या घोषणा की है ? आपने पढ़ा है क्या प्रिविलेज मोशन ? (व्यवधान)

श्रीमती कमला : .... आ चुकी है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्रीमती कमला : जब मुख्य मंत्रीजी खुद ही यह घोषणा सदन में कर चुके हैं तो....

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह विषय ही नहीं है।

श्रीमती कमला : तो उसको सिर्फ पटल पर रखने की तो बात कह रहे हैं और क्या नयी बात कह रहे हैं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं केवल उसमें इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पूर्व अध्यक्ष महोदय ने जिस प्रिविलेज मोशन के बारे में और जिस सी. बी. आई. की रिपोर्ट के बारे में एक व्यवस्था दी और उस व्यवस्था को चैलेंज करते हुए आपने कोई शायद एक चीज रखी है। वह क्या प्रिविलेज मोशन है ? वह तो हममें से किसी ने पढ़ा नहीं। वह केवल आपके विचाराधीन है.। मेरा निवेदन है कि जब आप अपने चैम्बर में पधारें तो उसको देखिये। कब आपको क्या व्यवस्था देनी है, उस पर....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, सब्जेक्ट मैटर वही है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं समझता हूं, आप जब चैम्बर में पधारें तो माननीय सदस्य को वहां पर बुला लें। यदि आप आवश्यक समझते हों कि उसमें आपको कोई विचार-विमर्श करना है, जो भी प्रिविलेज मोशन आपके सामने विचाराधीन है, उसमें आपको कोई जांच करनी है, आपको देखना है, तथ्यों को देखना है, स्वीकार करना है, अस्वीकार करना है, जो भी तथ्य उसमें हों, नियमों के अन्तर्गत है या नहीं है, इस मामले में मेरा आसन से विनम्र निवेदन है कि जब भी आसन चैम्बर में पधारें तो इस मामले में गम्भीरता से विचार-विमर्श कर माननीय सदस्य से भी विचार-विमर्श कर ले और जो भी व्यवस्था जब भी आपको देनी हो दें। लेकिन यहां अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हैं, अकाल पड़ा हुआ है राजस्थान में, सारे माननीय सदस्य उस पर चर्चा करना चाहते है, आज बिजली की समस्या है उस पर चर्चा करना चाहते हैं। लॉ एण्ड आर्डर का मामला है। तो ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर उसको देखें, कई माननीय सदस्य इन पर चर्चा करने के पक्ष में हैं और आज सत्र का आखिरी दिन है तो मैं यह चाहता हूं उन पर चर्चा हो। नियमों में, प्रक्रियाओं में किस प्रकार की व्यवस्था हो, यह भी व्यवस्था है कि हर माननीय सदस्य को जो सीट आबंटित है वहां से बोले इसलिए मैंने यह निवेदन किया है। मैंने आसन के माध्यम से कोई इस प्रकार की बात नहीं कही है जिससे माननीय सदस्य की तकलीफ हो

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

और उत्तेजित होकर वे यह कहें कि चलो। मैं नहीं समझता कि यह किस बात का गरूर है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : कहां चलो। मैंने चलने को नहीं कहा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस हाउस का ठीक प्रकार से संचालन हो और आज अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है, आपका यह विषय टैक्नीकल विषय है, सी. बी. आई. की रिपोर्ट आप देखें, कुछ भी करें....

श्रीमती कमला : नहीं, कागज रखवाने में क्या दिक्कत है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : लेकिन अकाल से सारा सदन, सारा प्रदेश चिन्तित है। ओलावृष्टि से चिन्तित है। फसल को नुकसान हुआ हैं, उस पर चिन्ता करनी है। लॉ एण्ड आर्डर की समस्या है उस पर सदन बहुत गम्भीर है, माननीय सदस्य बहुत गम्भीर हैं। मैं चाहता हूं कि समय पर यह चर्चा चले इसलिए मेरा आपसे....

श्रीमती कमला : आपसे ज्यादा सबको चिन्ता हो रही है कि दो कागज रखने में क्या देरी लग रही है। उसकी रूलिंग देनी है कि वह सदन के पटल पर रख दिया जायेगा इतने बजे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, क्या मांग कर रही हैं ?

श्रीमती कमला : ....महाराष्ट्र का एग्रीमेंट भी सदन के पटल पर नहीं रख सकते।

श्री महावीर प्रसाद जैन : तो महाराष्ट्र का एग्रीमेंट क्या हमारे पास है ? आपने कोई मांग की है ?

श्रीमती कमला : मुख्य मंत्रीजी की घोषणा किये हुए कागज हैं, वे भी सदन के पटल पर नहीं रख सकते।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह कोई विषय आज विचाराधीन नहीं है।

श्रीमती कमला : उसको रखना तो दूर रहा, उसकी रूलिंग भी नहीं दे सकते।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सदन के पटल पर कोई नियमानुसार रखने की मांग तो करो।

श्रीमती कमला : कहां आप डिफेंड कर रहे हो ? किस बात को डिफेंड कर रहे हो आप ? नियमानुसार आप तो कर रहे हो क्या ? कल किया था क्या आपने ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपकी कही हुई बात को बोल रहे हैं।

श्रीमती कमला : कितने नियमानुसार काम कर रहे हो आप ? हम तो नियमों में मांग रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हम पूरे नियमों के अनुसार, जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं।

श्रीमती कमला : इस सरकार की घोषणा कि सदन के पटल पर कागज रखा जाय....

श्री अध्यक्ष : विराजिये। माननीय कमला जी, बिराजिये।

श्रीमती कमला : सिर्फ यह मांग कर रहे हैं, यह नियमों के अन्तर्गत आता है।

श्री अध्यक्ष : कमला जी, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको ओलावृष्टि से, अकाल से, लॉ एण्ड आर्डर से, इन सारी समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय कमला जी, बिराजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मुख्य सचेतक महोदय, आप कौनसे नियमों के अन्तर्गत बोल रहे हो? कितने नियम याद हैं आपको?

श्री अध्यक्ष : माननीय कमला जी, बिराजिये। (व्यवधान) बिराजिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही अच्छी बात है कि मुख्य सचेतक महोदय ने साफ-साफ विषय को यहां एक्सप्लेन कर दिया लेकिन सब्जेक्ट मैटर वही है। पूर्व अध्यक्ष जी ने यहां पर इस कुर्सी से निर्णय दिया था और सुनाया था, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : हां, बिराजे।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : कि मैंने सी. बी. आई. की रिपोर्ट देख ली है और वह सही है। मुख्य मंत्रीजी के भाषण की उन्होंने पुष्टि की है। अब मेरी आप से 157 के तहत यह रिक्वेस्ट है कि वह सी. बी. आई. की रिपोर्ट यहां सदन के पटल पर रखवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। आपका यह कथन भी नहीं है कि सी.बी.आई. की रिपोर्ट रखें आप। यह आपका कहीं पर भी 157 में नहीं है। आप बिराजिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो....

श्री अध्यक्ष : आप यह नहीं समझें कि मेरी याददाश्त नहीं है। अभी मैंने पूरा देखा नहीं है। मैं आपको देखकर अभी बताऊंगा। आप बार-बार एक ही बात को हैमर किये जा रहे हैं। 12 तारीख को आपने कोई एक पत्र दिया है, कागज दिया है। उसका भी अभी का अभी फैसला कर दूं और जब आप चाहें तो फैसला कर दूं, How is it possible unless I go through it in detail?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : यह सबजेक्ट कंटीन्युअसली है। धनखड़जी ने यह का

Page No. 52

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

यह रखा था कि सी. बी. आई. की रिपोर्ट नहीं है और अगर हो तो रखें।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। अभी मैं देखकर बताऊंगा कि क्या है, क्या नहीं है। आप बिराजिये।

श्रीमती कमला : देखा नहीं साल भर से ?

श्री अध्यक्ष : आप होते तो बड़ा देख लेते जैसे। बिराजिये आप।

श्रीमती कमला : देख लेते। क्यों नहीं देख लेते ?

श्री अध्यक्ष : बहुत ज्यादा बात, आपको बढ़ चढ़कर बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप बिराजिये। मर्यादा भी होती है उसकी। आप बिराजिये। (व्यवधान) माननीय भाटी साहब। (व्यवधान) भाटी साहब, बिराजिये।

श्रीमती कमला : सी. बी आई. की रिपोर्ट आयी कि नहीं आयी है या गलतबयानी की जा रही है ? हाउस को धोखा दिया जा रहा है और अब नहीं आयी है, बिलकुल नहीं आयी है और इसलिए सदन के पटल पर रखने की मांग कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : आप देखिये तो सही, आप आंख से आंख तो मिलाइये।

श्रीमती कमला : एक साल से आप नहीं कर सकते हो तो और भी कोई नहीं कर सकता ? क्या बात कर रहे हो।

श्री अध्यक्ष : इतनी याददाश्त आपकी तगड़ी हो तो मैं नहीं कह सकता। तरसो आपने क्या सब्जी खायी और हर मामले में.... आपने तरसों-परसों और कौनसे कपड़े पहने, यदि आपको यह याद होता तो कह दो देखें। ऐसा सम्भव नहीं है हर चीज याद रखना। देखकर बताऊंगा। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि मैं देखकर बताऊंगा।

श्रीमती कमला : ये क्या बातें बोल रहे हो ? आप अध्यक्ष होकर क्या बोल रहे हो ?

श्री अध्यक्ष : Again and again, you are harping the point. आप इतनी सीनियर मैम्बर हैं। मैं आपको कह रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं कि मैं अभी देखकर बताता हूं। बिराजिये आप।

मैं आपको कह रहा हूं। 12 तारीख को आया है। मैं अभी देखूंगा।

श्रीमती कमला : यह मात्र इतना सा था कि क्या सी. बी. आई की रिपोर्ट आयी है या गलतबयानी हुई है या आयी है तो सदन के पटल पर रखें।

श्री अध्यक्ष : एक याचिका का उपस्थापन होना है और आप होने नहीं दे रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि मैं अभी देखकर बताऊंगा। मैं यहां से

(श्री अध्यक्ष)

खड़ा तो होऊंगा । आप विराजिये । (व्यवधान)

श्रीमती कमला : यह अध्यक्ष की शालीनता है क्या ।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये । माननीय माटी जी ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, सदन के पटल पर रखना एक दूसरी बात है । वह प्रिविलेज्ड डाक्यूमेंट है या नहीं है, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप सदन के पटल पर रखेंगे, गवर्नमेंट कोई प्ली ले सकती है । मैं उस सम्बन्ध में यह नहीं कह रहा हूं । यह तो एक बात उस वक्त आयी थी । अब पहले से पेंडिंग है या अभी उन्होंने जो 12 तारीख को दिया है, इसका मतलब हुआ कि पहले का तो आसन ने निर्णय....

श्री अध्यक्ष : निर्णय हो चुका था । माननीय भामडा साहब निर्णय कर चुके हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं । मैं सुन रहा था उस दिन, निर्णय दिया था उस दिन मैं हाउस में बैठा था । एक प्रिविलेज जो ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा था । आपके वर्दी प्रिडिसेसर आसन से उसकी रूलिंग हो गयी । उस रूलिंग के सम्बन्ध में कुछ बातें जो शायद नहीं जोड़कर, जैसाकि मुझे फैक्ट्स मालूम भी नहीं है, मैंने वह पढ़ा भी नहीं है, एक कोई दूसरा प्रिविलेज मोशन है यह दोनों मोशन दिये हैं । आप उन मोशन के सम्बन्ध में उनकी मैरिट्स पर निर्णय लेकर, क्योंकि यह सत्र का आखिरी दिन है, सदन में, हम अपेक्षा करेंगे कि आसन आज ही अपने विनिश्चय से सदन सूचित करें, एक बात । अभी नैराठ से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा, एनरान का जो समझौता महाराष्ट्र सरकार ने किया है, कल मैं किन्हीं विशेष कारणों से यहां उपस्थित नहीं हो सका था और मुझे दिल्ली जाना पड़ गया था, मुख्य मंत्रीजी ने यहां पर यह उल्लेख किया था कि जो समझौते हुए हैं, उनकी प्रतिलिपि प्रतिपक्ष के नेता को दे दी गयी है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : मैंने यह नहीं कहा ।

श्री परसराम मदेरणा : आप सुनिये । मैंने सुना था जैसे, मुझे मेरे चीफ व्हिप ने यह बात इन्फार्म की है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने कब यह कहा था कि एम. ओ. यू. की कापी माननीय विपक्ष के नेता को दे दी है ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं, मुख्य मंत्रीजी, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि सात तारीख को जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हो रही थी, आपसे मैंने रिक्वेस्ट की थी, आपसे कहा था कि आप बैठकर, आपके विरोधी पक्ष के मैम्बर हो जायें, उनके साथ बैठकर डिस्कस कर लें ।

(13.00)

चाहे मेरे साथ कर लें, चाहे कुछ अधिका-

(श्री परसराम मदेरणा)

रियों के साथ बैठकर कर लें। आपके सैक्रटरी का दूसरे दिन टेलीफोन आया था कि पांच अधिकारी मुख्य सचिव सहित आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा कि नहीं, हम कोई बात करने की स्थिति में इसलिए नहीं हैं पहले, जब तक मैंने मुख्य मंत्रीजी, को जो निवेदन किया है कि जो एनरान ने समझौता 1993 के अन्दर पवार साहब की सरकार के साथ किया था और पी. पी. ए. का जो समझौता हुआ है मनोहर जोशीजी की सरकार के साथ, दोनों की मुख्य मंत्रीजी ने मुझे प्रतिलिपि देने की बात कही थी, इसलिए मैंने कहा कि आप मुख्य मंत्रीजी से बात कर लीजिये और उनसे दोनों प्राप्त करके मेरे पास दोनों पी. पी. ए. को भेज दीजिये ताकि हम उसको देख लें, उसके बाद ही निर्णय कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करता हूं। कोशिश करने के बाद में 1993 का जो समझौता है शरद पवार का, उसकी प्रतिलिपि तो आपके पास मिल गयी लेकिन दूसरा जो समझौता किया है, वह मुझे बता रहे थे कि उसकी प्रतिलिपि आपके पास नहीं है। इसलिए जब दोनों प्रतिलिपि नहीं हैं तो कम्परेटिवली, एनर्जी मिनिस्टर, हम इस निर्णय पर पहुंच ही नहीं सकते कि जो समझौता हुआ है उससे कौन-कौन सी शर्तें और कौन-कौन सी कण्डीशंस चेंज हुई है। बेसिक चेंज हो गया, जहां पर रॉ मेटेरियल गैस था, वहां पर नेफ्था हो गया, फारेन एक्सचेंज के अन्दर पर्सेंटेज अलग हो गयी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की इक्विटी के अन्दर चेंज कर दिया गया। यह सब फेक्टर्स हैं। आप लेवलिंग प्राइस और उसकी बात जो आज कह रहे हैं, उसमें मैं अभी नहीं जाना चाहता क्योंकि जब तक वह सामने नहीं होते हैं दोनों ही एग्रीमेंट, तब तक कम्परेटिवली आप न तो वेरियेबल और न कास्ट प्राइस को कम्पेयर करके लेवलिंग प्राइस पर आ सकते हैं।

दूसरा, मुख्य मंत्रीजी, मैंने जो कुछ कागज मंगवाये हैं वे आपके एनर्जी सैक्रेटरी से मंगाये हैं। अखबारों के अंदर हमेशा उसकी जानकारी आती थी, जो लेटर आफ इन्टेन्ट थे। पहले लेटर आफ इन्टेन्ट तीन या चार मुझे भेज दिये। फिर उन्होंने 12 कर दिये। तो 12 की कापी मैंने मंगायी, उसी दिन टेलीफोन किया, उन्होंने भेज दी। वह तो लेटर आफ इन्टेंट है, यह पब्लिक डाक्यूमेंट है। उसके बाद 14 की भेजी। फिर मैंने एक अखबार में पढ़ा, मैंने कहा कि अब एक और आपने लेटर आफ इन्टेंट इश्यू कर दिया। तो अभी असेम्बली शुरू होने के तीन-चार दिन पहले 15 लेटर आफ इन्टेंट इश्यू किये हैं, उन सब की प्रतिलिपियां उन्होंने इकजाही करके, मैंने कहा कि अलग-अलग भेजी है आपने या तो फिर मुझे यहां इनको कन्सोलिडेट करना पड़ेगा, आप भेज दीजिये, उन्होंने भेज दी। फिर मैंने सैकण्ड या थर्ड डे टेलीफोन किया कि जो आपका एग्रीमेंट हुआ है, वह पी. पी. ए. भेज दीजिये। तो उन्होंने मेरे पास एक

(श्री परसराम मदेरणा)

पी. पी. ए. भेजा और वह भेजा—एनरान का जो आपने सौर ऊर्जा का किया है। सौर ऊर्जा का पी. पी. ए. भेजा है और दूसरा जो आपने पी. पी ए. उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए भेजा है कि दूसरा एक कम्पनी है सन....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सनसोर्स।

अनेक माननीय सदस्य : सनसोर्स।

श्री परसराम मदेरणा : सनसोर्स। नहीं, सन तो सोर्स जो है, मुख्य मंत्रीजी जब गये तो वहां भूमि पूजन किया और मैं सोच रहा था कि यह तो सौर ऊर्जा आ रही है, यह भूमि का पूजन कर रहे हैं। "रश्मिवन्तः समुद्यतं दिवासुर नमस्तकृतम। पूज्यस विवस्तं भास्कर्म भुवनेश्वरम्।" भास्कर की कृपा है और आप भूमि के अन्दर कोई लौकीमुड़ा निकाल रहे थे क्या वहां पर। मेरा निवेदन करने का यह है कि आपने जो दिया, उसका हम कम्पेरिजन नहीं कर सकते, यह तो सौर ऊर्जा का मामला है, यह नेफ्था के बेसिस पर है। नेफ्था का कोई पी. पी. ए. हुआ है क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं हुआ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं समझता हूं कि नेफ्था का अभी तक कोई पी. पी. ए. नहीं हुआ है, जैसा मुझे आपके सैक्रेटरी ने टेलीफोन पर बताया था। अगर नेफ्था का कोई पी. पी. ए. नहीं हुआ है और दोनों ही सौर ऊर्जा के हुए हैं तो सौर ऊर्जा की जो रेट है वह दो रुपये 24 पैसे मिनिमम है। दो साल या तीन साल के बाद तीन रुपये 81 पैसे, जिस रेगिस्तान की बात करते हो न आप, भारतवर्ष के अन्दर ऊर्जा की जो बिजली पैदा होगी, पूरे देश को हम उसको निर्यात कर देंगे, आप देश को तो निर्यात कर दोगे लेकिन 3.81 में तो वह गरीब आदमी, जहां सबसे ज्यादा अकाल पड़ता है वह कैसे वहन करेगा। पहले साल कितनी बिजली पैदा करेंगे ? डेढ़ मेगावाट पैदा करेंगे। दूसरे साल कोई सात या आठ मेगावाट बनेगी 2.24 पर और तीसरे साल, ज्योंही 24 मेगावाट बिजली पैदा करनी शुरू करेंगे तो उसकी रेट 3.81 हो जायेगी और वह सात साल तक चलेगी। कमर तोड़ देंगे उस गरीब आदमी की, जहां हमेशा अकाल पड़ता रहता है। मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि इसको हम कैसे कम्पेयर करें। इसलिए मैंने मेरे साथियों को भी नहीं बताया कि यह एनरॉन वाला मामला है और यह ऊर्जा पर बेस्ड है। कोई भी नेफ्था पर बेस्ड एग्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ। मुझे यह कहा गया था कि नेफ्था पर अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ है। जब नहीं हुआ है तो अभी माननीय सदस्या कह रही थीं कि पटल पर रख दो, पटल पर क्या रख दें ? अभी इन्होंने कोई एग्रीमेंट ही नहीं किया है।

श्रीमती कमला : चन्दनमलजी ने.... (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : हां, चन्दन मलजी। इसलिये उनको मैंने भी यह बात

(श्री परसराम मदेरणा)

बतायी थी जो मुझे जानकारी दी है, हो गया है तो चुपचाप रख लिया होगा पास में, यह मुझे बताते कि हो गया है, जो किया है वह सौर ऊर्जा के सम्बन्ध में किया है और दोनों ही का शिलान्यास मुख्य मंत्रीजी ने किया है। नेफ्था बेसु किसी भी प्रोजेक्ट का अभी तक पी. पी. ए. नहीं हुआ है और जब पावर परचेज एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है तो किन शर्तों का हम कम्पेरिजन करें।

श्री विष्णु मोदी : लेटर ग्राफ इन्टेंट इश्यू किया है।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं, एनरान से जो समझौता महाराष्ट्र का 1993 में और अभी 1996 में हुआ है, अगर 96 वाले की कापी मिल जाती है तो भी राजस्थान जब तक कोई पी. पी. ए. साइन नहीं करते है, बोर्ड साइन नहीं करता है, या एनर्जी सैक्रेटरी साइन नहीं करते हैं, तब तक किसी भी निष्कर्ष पर हम पहुंच नहीं सकते। इसलिये पटल पर क्या रखें ?

श्री विष्णु मोदी : लेटर आफ इन्टेंट।

श्री परसराम मदेरणा : सुनें। लेटर ग्राफ इन्टेंट की कापी अभी मैं आपको मंगा दूंगा। यह सब लेटर ग्राफ इन्टेंट का नहीं, पी. पी. ए. का मामला है। लेटर ग्राफ इन्टेंट कितनी ग्रायेगी, कितनी नहीं ग्रायेगी, यह अभी आने वाली है या नहीं आने वाली है, इन्होंने पन्द्रह को दे दिये, फिर भी दौड़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं। इसलिए मुझे जो लेटर ग्राफ इन्टेंट की कापी की है वह तो आपके पास भी होगी।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। आज आगे इस पर चर्चा होगी।

श्री परसराम मदेरणा : सच्ची-सच्ची बात कहो न मुझे। आपके पास है या नहीं लेटर आफ इन्टेंट।

श्री विष्णु मोदी : मेरे पास लेटर ग्राफ इन्टेंट की कापी नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : हां, तो मैं दे दूंगा।

श्री विष्णु मोदी : राजस्थान इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 1948 में साफ प्रोवीजन है, क्योंकि पिछले एक साल से माननीय मुख्य मंत्रीजी इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 1948 और सी. ई. ए. के ऊपर प्रहार कर रहे हैं और उस प्रहार के पीछे निश्चित रूप से एक धारणा है। क्योंकि इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट इस बात को प्रोवाइड करता है कि जो भी समझौते कंज्यूमर के प्रति होंगे उसकी जो धारा 78 है, यह कहती है....

श्री अध्यक्ष : आज आपकी इलेक्ट्रिसिटी पर होने वाली है, अभी ध्यानाकर्षण आ जायं, उसके बाद आप करें, आराम से।

श्री विष्णु मोदी : नहीं, यह बीच में माननीय प्रतिपक्ष के नेता जो बोल रहे थे और 79(ए) धारा साफ बोलती है—

(श्री विष्णु मोदी)

"Every rule made by the State Government under Section 78-A, and every regulation made by the Board under Sec. 79 shall be laid, as soon as may be, before the State Legislature." तो मै कल भी निवेदन कर रहा था कि जो लेटर आफ इन्टेंट....

श्री अध्यक्ष : आज बिजली पर भी है, वैसे कल भी हो चुकी, इसके पहले भी कई बार हो चुकी है, उसके बाद आप फरमायें तो मैं समझता हूं, बहुत अच्छा रहेगा भाटी साहब।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री भीमराज भाटी (पाली) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से निम्नांकित आठ याचिकाएं उपस्थापित करता हूं :—

ग्राम मेहड़ा की ढाणी, खेताजी मेघवाल की ढाणी, ढोलियों की ढाणी में पीने के पानी के लिये जी. एल. आर. बनाने हेतु

(1) ग्राम मेहड़ा की ढाणी, खेताजी मेघवाल की ढाणी, ढोलियों की ढाणी में पीने के पानी के लिए जी. एल. आर. बनवाने बाबत,

अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बस्ती हजावा क्षेत्र में जी. एल. आर. व पशु पेयजल हेतु खेली बनवाया जाना

(2) अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बस्ती हजावा क्षेत्र में जी. एल. आर. व पशु पेयजल हेतु खेली बनवाने बाबत।

जेतपुर से मुरड़िया सड़क पर पुलिया निर्माण

(3) जेतपुर से मुरड़िया सड़क पर पुलिया निर्माण करवाने बाबत,

पाली जिले के बायद बांध के पुर्नोत्थान

(4) पाली जिले के बायद बांध के पुर्नोत्थान बाबत,

धौलेरिया शासन की ढाणियों में मोहब्बतराम व गुणपतराम की ढाणी के पास जी. एल. आर. बनवाया जाना

(5) धौलेरिया शासन की ढाणियों में मोहब्बतराम एवं गुणपतराम की ढाणी के पास पीने के पानी का जी. एल. आर. बनवाने बाबत,

(श्री भींमराज भाटी)

विश्नोइयों की ढाणी एवं ग्राम खुटाली जिला पाली में पीने के पानी की समस्या निवारण हेतु

(6) विश्नोइयों की ढाणी एवं ग्राम खुटाली जिला पाली में पीने के पानी की समस्या निवारण हेतु जी. एल. आर. बनवाने बाबत,

ग्राम पांचपदरियां भीलों की ढाणी में प्राथमिक विद्यालय खुलवाने बाबत

(7) ग्राम पांचपदरियां भीलों की ढाणी में प्राथमिक विद्यालय खुलवाने बाबत, एवं

पाली जिले में ग्राम बस्सी से पाली सम्पर्क सड़क पर रपट या पुल निर्माण एवं अधूरी सड़क को पूर्ण कराने बाबत

(8) पाली जिले में ग्राम बस्सी से पाली सम्पर्क सड़क पर रपट या पुल निर्माण एवं अधूरी सड़क निर्माण कार्य पूर्ण करवाने बाबत।

श्री अध्यक्ष : माननीया श्रीमती उजला जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय मैं निम्नांकित तीन याचिकाएं उपस्थापित करती हूं :—

जयपुर नगर में गंगापोल परकोटे से अतिक्रमण हटाकर मरम्मत कराकर पुनः गुलाबी रंग करवाया जाना

(1) जयपुर नगर में गंगापोल परकोटे से अतिक्रमण हटाकर मरम्मत कराकर पुनः गुलाबी रंग कराये जाने हेतु 4 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित

सुभाष चौक थाने की चौकी बारी के बाग में स्थायी रूप से चौकी बनवाना

(2) जयपुर नगर में सुभाष चौक थाने की चौकी बारी के बाग में स्थायी रूप से चौकी निर्माण कराने बाबत तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

हरिजन बस्ती, कंवर नगर के सम्पूर्ण विकास के अभाव में नागरिकों को हो रही कठिनाई

(3) जयपुर नगर में हरिजन बस्ती, कंवर नगर के सम्पूर्ण विकास के अभाव में नागरिकों को हो रही कठिनाई के सम्बन्ध में चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम जी

ग्राम रघुनाथपुरा (जिला झुन्झुनूं) का नाम बिजा नाई का बास रखने बाबत

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं जिला झुंझुनूं के वर्तमान ग्राम रघुनाथपुरा के स्थान पर पूर्ववत नाम बिजा नाई का बास रखने व राजस्व ग्राम शक्ति करने बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

व्यवस्था का प्रश्न

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों का सरकार द्वारा उत्तर

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्षजी, एक मिनट। यह ध्यानाकर्षण का जो प्रोविजन है बहुत सोच-समझकर यहां रखा गया और उसके पीछे एक सैंकटिटी है, एक मन है। अध्यक्ष जी, कई माननीय सदस्यों उनमें मैं भी शामिल हूं, ने पहले रोज जब यहां विधान सभा शुरू हुई उस रोज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिये थे। जानकारी करने पर पता यह लगा कि सरकार की तरफ से उनका जवाब नहीं आया है। माननीय अध्यक्ष जी, अपने नियमों में प्रावधान है और तीन दिन का समय आप उनको देते हैं, उसको 4 रोज, 5 रोज बढ़ा सकते हैं। आज इस सदन का, इस विधान सभा का जो सत्र चल रहा है उसका आखिरी दिन है। आज तक माननीय अध्यक्ष जी, आपको सरकार की तरफ से कोई जवाब पेश नहीं हुआ है। इन परिस्थितियों में क्या हम यह सोचे कि ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव का जो प्रोविजन हमने रखा है उसकी कोई सैंक्टिटी बचती है या नहीं? आपको ध्यान होगा कि इस सत्र में एक भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपने नहीं लगाया है। आज तीन लगे हैं और उसमें मैं आपको दोष नहीं देता। सरकार बार-बार इस चीज को टालना चाहती है जबकि सरकार के पास सब साधन हैं, फैक्ट्स है। सरकार इन बातों की आपको सूचना नहीं देती है या जवाब नहीं आता है, इसके लिये सरकार दोषी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज अब कुछ नहीं हो सकता इसलिए सरकार को प्रताड़ना दीजिये कि इस तरह की ढिलाई वह नहीं बरते और सरकार समय पर इन ध्यानाकर्षण प्रस्तावों का जवाब दे। हो सकता है जवाब के बाद हमारे ध्यानाकर्षण-प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं हों। कोई बात नहीं, लेकिन उसका जवाब आपके पास नहीं आये इस प्रकार की व्यवस्था बहुत ही बुरी है, इसलिये आप सरकार को प्रताड़ना दीजिये। माननीय मुख्य मंत्रीजी हैं, इनको जरूर प्रताड़ना दीजिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रताड़ना आपने दे दी है।

श्री अध्यक्ष : गवर्नर साहब के एड्रेस पर नहीं लगाने का तय किया था और यह होता है। उसके पश्चात् आज जो भी आ गये हैं उनके ध्यानाकर्षण लगाये हैं। नहीं है तो सबके जवाब आ हो जाते हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष

(श्री शिवनाथ सिंह)

महोदय, गवर्नर साहब के एड्रेस के बाद यह बजट सैशन है और बजट सैशन में गवर्नर का एड्रेस हो वह बात नहीं है। बजट सैशन छोटा है, बजट सैशन बड़ा भी हो सकता है बजट सैशन में कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं लगाया जावे इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है और यह सदन उसको मानता भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं तो गवर्नर साहब के एड्रेस के समय की बात कर रहा था। बिराजें आप।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है। मैंने पिछले सदन में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था। हमारे माउण्ट आबू की एक विधवा डायना वर्ड्सवर्थ की जो प्रापर्टी थी उसको धोखाधड़ी के साथ किसी ने हड़पा। उस प्रकरण को मैंने पिछले सैशन में दिया था कि एक विधवा की जिसकी औलाद भी नहीं है और पीछे से चार सौ बीसी करके इस प्रकार....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें इस पर माननीय मंत्रीजी से बात करेंगे।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, हमारी बात भी सुनिये। हम तो विधवाओं की बात करते हैं, वह भी आप नहीं सुन रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं तो आपकी सब चीज सुनने के लिये ही बैठा हुआ हूं।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, पिछले सैशन में दिया था। उसका जवाब पछले सैशन में भी नहीं आया और इस सैशन में भी नहीं आया। क्या आप यह पसन्द करेंगे कि विधवाओं की सम्पति ऐसे ही लोग चार सौ बीसी करके हड़प लें। जवाब दिलवाइये अध्यक्ष महोदय, जवाब तो आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप, जरूर आयेगा जवाब। श्री राधेश्याम जी।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, निर्णय क्या हुआ? क्या आप हमको यह आश्वासित कर सकते है कि जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में पेश नहीं हो सके हैं उनके जवाब हमको मिल जायेंगे?

श्री अध्यक्ष : जवाब मिलेगा। मैं पहले ही कह चुका हूं कि जवाब मिलेगा।

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं मिलता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं या इस प्रकार के प्रस्ताव हैं, पूर्व में भी उनके जवाब दिये जाते रहे हैं और अभी जो शेष रह गये हैं उनके जवाब निश्चित रूप से मिलेंगे।

श्री अध्यक्ष : सबके जवाब आते हैं। 12 ही महीने चल रहा है आजकल तो यह काम। प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री राधेश्यामजी, सदस्य विधान सभा।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं, सदन के साइने-डाई-एडजर्न होने के बाद में अपने-आप ही लैप्स होते हैं या जिनको नहीं लिया गया है उनके लिए राज्य सरकार को आप निर्देश देते हैं कि उनकी फैक्चुअल पोजीशन की माननीय सदस्यों को जानकारी दे दें। हमेशा ऐसा हुआ है कि जिन ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को सदन में नहीं लिया गया है तो भी उनसे सम्बन्धित तथ्यों की जानकारी सम्बन्धित माननीय सदस्य को हमेशा सरकार की तरफ से भेजी जाती है।

श्री अध्यक्ष : सबकी सूचना आती है अगर नहीं आती है तो फिर प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को भी भेज देते हैं। बिराजिये आप।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, आपने अभी दो दिन पहले व्यवस्था दी कि इन-इन स्थगन प्रस्तावों को राज्य सरकार की जानकारी के लिए भेजा है। आज आपने उस व्यवस्था को बदल कर कहा है कि अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है। उन पर राज्य सरकार की जानकारी भी नहीं आयी है। जैसे मेरा एक प्रस्ताव जे. डी. ए. की सम्पत्ति के बारे में था। आज आपने उसमें कहा कि आप कानून-व्यवस्था में बोल लेंगे। लेकिन उसका कानून-व्यवस्था से क्या सम्बन्ध हुआ? आपको उस व्यवस्था को चेंज करने की कहां जरूरत पड़ी? अगर आप लिखित में जवाब भिजवा देते हैं तो वैसी ही व्यवस्था रखनी चाहिए थी। अभी आपने फरमाया कि आप कानून-व्यवस्था पर बोल लेंगे जबकि मेरा स्थगन प्रस्ताव जे. डी. ए. की सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द करने का था।

श्री अध्यक्ष : सबके जवाब आ आयेंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं आपने यह व्यवस्था दे दी इसका मतलब जवाब नहीं आया है और आप इसमें बोल लेंगे तो उसका क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष : आज जो भी विषय आये हैं उस पर आप बोल लें और उसके बाद जवाब आ जायेगा। बिराजिये।

श्री हरजीराम बुरड़क : विषय है ही नहीं। कानून-व्यवस्था है, बिजली है, अकाल है इनसे उसका क्या लेना-देना? उसका आप उत्तर दिलवायेंगे क्या?

श्री अध्यक्ष : हां, उत्तर आयेगा। सबका आता है उत्तर।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री गंगानगर शहर में गन्दगी के कारण संक्रामक रोग फैलने से उत्पन्न स्थिति

श्री राधेश्याम गंगानगर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करता हूं--

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

श्रीगंगानगर शहर की गंदगी पूर्ण सड़ांध मारती नारकीय स्थिति तथा पुरानी आबादी सहित शहर के अन्य क्षेत्रों में पीलिया जैसी महामारी के लिए नगर परिषद्, जिला कलक्टर, स्वास्थ्य विभाग तथा जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी जिम्मेदार हैं।

विपक्षी विधायकों ने विधान सभा में मामला उठाने के साथ-साथ बार-बार लिखित ज्ञापन देकर कलक्टर को भी इस नारकीय स्थिति से अवगत कराया था। पार्षदों ने सफाई व्यवस्था को लेकर नगर परिषद् की बैठकों में बार-बार आवाज उठायी है।

(13.18)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

लेकिन बोर्ड ने सफाई की कोई व्यवस्था नहीं की है। पुरानी आबादी में बड़े नाले तथा नालियों के बन्द होने और सड़कों पर गन्दगी के ढेर लगने के स्वरूप पीलिया फैल गया और 1200 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ गये और लगभग 3 व्यक्ति मौत के शिकार हुए हैं।

श्रीगंगानगर शहर में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है और सड़कें गन्दगी के ढेर से भरी पड़ी हैं। कूड़ा-कचरा और गन्दे पानी के कारण उत्पन्न मच्छर व अन्य कीटाणुओं से बीमारियां फैलती रहती हैं। श्रीगंगानगर शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा लेने गत वर्ष स्वायत्त शासन मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ वहां पधारे थे....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप उत्तर दे रहे हैं या ध्यानाकर्षित कर रहे हैं ?

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं ध्यानाकर्षण कर रहा हूं। जो आपने दिया है वही पढ़ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इतना लम्बा थोड़े ही है ध्यानाकर्षण ?

श्री राधेश्याम गंगानगर : ये तो जितना आपने दिया है वह ही तो पढ़ूंगा मैं। उपाध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण तो कई बार कर चुका हूं। ये उत्तर आने दें। मैं कम से कम तीसरी ध्यानाकर्षण कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप नियमों का ध्यान रखें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : हां, आप तो जवाब दिलवाइये।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रीगंगानगर शहर में नियमित रूप से सफाई करायी जा रही है। शहर में सफाई एवं गन्दगी, कूड़ा-कचरा, मलबा उठाने में परिषद द्वारा 380 स्थायी कर्मचारी, ठेका पद्धति पर 300 सफाई कर्मचारी और कूड़ा-कचरा उठाने हेतु परिषद् के 8 ट्रैक्टर ट्राली एवं किराये की 6 ट्रैक्टर-ट्रालियां

(श्री भंवरलाल शर्मा)

तथा गन्दा पानी उठाने के लिए 4 टैंकर कार्यरत हैं। बी. ए. सी. का छिड़काव पूरे शहर में विशेष तौर से पुरानी आबादी एवं कच्ची बस्तियों में करवाया गया। सार्वजनिक शौचालयों की सफाई तेजाब से कराकर फिनाइल से सफाई करवायी जा रही है। जिससे मच्छर एवं अन्य कीटाणु न हो सकें। शहर में स्थित विभिन्न मैनहोल समय-समय पर साफ करवा कर ढकवाये जाते हैं। शहर के नाले नालियों की सफाई विशेष गैंग लगवाकर समय-समय पर करवायी जा रही है। बड़े नालों की सफाई के लिए टेंडर आमंत्रित कर लिये गये हैं। उनकी भी सफाई करवायी जा रही है। यह सही है कि स्वायत्त शासन मंत्री यानी मैं और माननीय चिकित्सा मंत्री द्वारा सन् 1995 में इस स्थिति का अवलोकन किया है। सफाई का विशेष तौर पर अभियान चलाकर सफाई का कार्य करवाया गया है। ऐसे अभियान 20 अगस्त, 1995 से दीवाली तक एवं 15 जनवरी से से 15 मार्च, 1996 तक कार्य प्रगति पर है।

शहर में प्रतिदिन सफाई करवायी जा रही है एवं प्रतिदिन का कूड़ा-कचरा परिषद् वाहन द्वारा उठाया जा रहा है। कहीं भी कूड़े के ढेर नहीं लगे हुए हैं एवं न ही सड़कों पर पानी है। समय-समय पर नाली-नाले अवरुद्ध होने पर तुरन्त पानी का निकास करवाया जाता है। परिषद् द्वारा विभिन्न वार्डों में नाली, पुलिया एवं सड़कों के पेच वर्क का कार्य प्रगति पर है।

शहर के गंदे पानी की निकासी के लिए सिवरेज योजना प्रोजेक्ट रिपोर्ट हेतु अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जलदाय विभाग को जोनल ऑफिसर मानकर कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये थे, तदनुसार अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जलदाय विभाग द्वारा श्रीगंगानगर शहर का दौरा एवं निरीक्षण करने के उपरान्त उनके द्वारा निर्देशानुसार नगर परिषद् श्रीगंगानगर द्वारा शहर की सिवरेज योजना हेतु तकनीकी रूप से सक्षम संस्थाओं एवं निजी क्षेत्र के कन्ट्रेक्शन से राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कर निविदाएं आमंत्रित की गयीं। उक्त योजना हेतु निर्धारित समयावधि दिनांक 30-12-95 एवं पांच निविदाएं क्रमश:
1. टाटा कंसलटेंसी इंजीनियर्स, बाम्बे,
2. वाटर पावर कंसलटेंसी, नई दिल्ली,....

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, हो सकता है कि गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने स्वायत्त शासन मंत्री जी को, शायद उनका ध्यान आकर्षित किया होगा गलती से....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया इस वक्तव्य को पूरा होने दें।

श्री परसराम मदेरणा : एक बीमारी है और बीमारियों की ओर ध्यान आकर्षण तो करना चाहिए मेडिकल एण्ड हैल्थ मिनिस्टर का।

श्री राधेश्याम गंगानगर : नहीं, किया है साहब।

श्री परसराम मदेरणा : मेडिकल एण्ड हैल्थ मिनिस्टर को ध्यान देना चाहिए। यह सफाई तो कर देंगे।

श्री राधेश्याम गंगानगर : पहले लिखित में दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन यह रोग जो फैल रहा है....

श्री उपाध्यक्ष : यह गन्दगी के कारण बीमारियां हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : नहीं, गन्दगी के कारण पीलिया फैला। पीलिया पर वह फरमा रहे हैं नहीं, पीलिया पर उन्होंने कोई बात कही नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : लोकल सैल्फ मिनिस्टर ऑल परपजेज मिनिस्टर नहीं हैं और ये मेडिकल मिनिस्टर नहीं हैं। इस बीमारी के ये एक्सपर्ट नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम दोनों ही आकर्षित हो जाते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आप तो आकर्षित हो जाते हो क्योंकि आपके चुम्बक है, लेकिन बात यह है कि यह बीमारी गंगानगर, हनुमानगढ़ में बहुत जबरदस्त फैली है। इसलिए इसके बाद में स्टेटमेंट मेडिकल मिनिस्टर का भी आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलाल जी।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैंने दोनों को दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री भंवरलाल शर्मा :.... 3. सरस्वती टैक्निकल सर्विसेज, जयपुर 4. कंसल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज, नई दिल्ली एवं 5 किर्लोस्कर कंसलटेंट, जयपुर की प्राप्त हुई। इनकी तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएं अलग-अलग आमंत्रित की गयी हैं। जिनमें से प्रथम चरण में तकनीकी निविदाएं निविदाताओं के सम्मुख खोली जाकर तकनीकी रूप से वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जलदाय कम्प्यूटर तकनीकी से इन योजनाओं की जांच करके कल इनको अन्तिम रूप दे दिया गया है। वर्तमान में योजनाबद्ध तरीके से कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में सफाई व्यवस्था एवं गन्दे पानी की निकासी हेतु नई व पुरानी आबादी में स्थित गड्ढों में एकत्रित कर मोटर पम्प सेट के जरिए खेती में पम्प आउट किया जा रहा है। मोटरें गन्दे पानी की निकासी हेतु काम में ली जा रही हैं।

परिषद् द्वारा शहर का कूड़ा-कचरा डालने के लिए ट्रेंचिंग ग्राउण्ड के लिए 11 बीघा जमीन खरीद ली है, जिसका कब्जा 15 अप्रैल के बाद प्राप्त होने पर खाद की बिक्री से अलग व्यवस्था की जायेगी। परिषद् द्वारा शहर की विभिन्न कालोनियों की योजना तैयार कर कार्यवाही की जा रही है। नगर परिषद् द्वारा पार्कों की साफ-सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है एवं उद्यान अधीक्षक को वर्तमान में पार्कों में पेड़ लगाने के निर्देश दिये गये हैं।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

शहर की बढ़ती आबादी के लिए नगर विकास न्यास द्वारा मॉडल टाउन योजना विचाराधीन है। परिषद् के पास ऐसी कोई भूमि नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह समस्या वास्तव में तो जो आपका गन्दा पानी है उसके एकत्रित होने से होती है। पिछली बार जब मैं और चिकित्सा मंत्री गये थे, आप भी हमारे साथ थे तब यह बात ध्यान में लायी गयी थी कि यह जो गन्दा पानी एकत्रित होता है इसको शहर से बाहर कैसे निकाला जाय। आप इस बात से सहमत होंगे।

श्री राधेश्याम गंगानगर : नहीं, आप पहले मेरी सुन लीजिये फिर बोलिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, पहले मुझे बोलने दीजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : नहीं, नहीं यह तो मैं करूंगा कथा। आप मेरी कथा तो सुनें।

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप वक्तव्य पूरा होने दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : आई हेव नॉट कम्प्लीटेड। आप भी इस बात से सहमत होंगे कि यह समस्या कोई 2-4 साल से नहीं है। यह समस्या श्रीगंगानगर के निर्माण के साथ ही पैदा हो गयी थी। आप भी यू. आई. टी. के चेयरमैन रहे, शायद नगर परिषद् भी आपके पास रही। आपने भी कोशिश की होगी लेकिन इतनी बड़ी समस्या का समाधान हो नहीं पाया। अब जब हम दोनों गये थे तो हमने जलदाय विभाग के अधिकारियों को यह कहा कि आप यह योजना बनायें। आखिर यह पानी कैसे बाहर निकाला जा सकता है। यह कोई वाद-विवाद का विषय नहीं है। यह एक समस्या है। इसका निदान जब ही होगा जब यह गन्दा पानी शहर के बाहर चला जायेगा। उस हिसाब से एक योजना बन गयी। उसके टेंडर आमंत्रित कर लिये और तननीकि हिसाब से उसकी स्वीकृति कल दे भी दी गयी। अब मैं समझता हूं कि जब तक यह गन्दा पानी बाहर नहीं जाता है तब तक यह मुश्किल होगा और इसीलिए इसकी योजना करीब 2 करोड़ रुपये की है, उसकी व्यवस्था करके मैं समझता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब तक यह गन्दा पानी शहर के बाहर नहीं जायेगा तब तक जो शिकायत है वह मैं समझता हूं आसानी से दूर नहीं होगी। इस विषय पर इसका काम प्रगति पर है और हमारे जाने के बाद हमने टेंडर कर लिये। टेंडर करने के बाद कल खुल भी गये और शेष टेंडर कल, एकाध दिन में खोलकर और व्यवस्थाओं पर काम चालू होगा तभी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समस्या का हल हो पायेगा। यही मेरा आपसे निवेदन है।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल आप भी तो नगरपालिका के सदस्य हैं और आपकी जो अध्यक्षा हैं वह महिला है। मेरा आपसे विनम्र निवे-

(श्री भंवरलाल शर्मा)

दन है कि आप उनका सहयोग करके और वह सफल हों, नगरपालिका की सफाई होती रहे उसमें योगदान करते रहिये और राज्य सरकार से कुछ चाहिए तो बताइये। यह सफाई का काम नगरपालिका का है। यह चर्चा नगरपालिका की मीटिंग में करनी चाहिए। लेकिन फिर भी आपने यहां अवसर मुझे दिया है, मैं उसका धन्यवाद करता हूं। अब राज्य सरकार से आपको सफाई के सम्बन्ध में क्या चाहिये, इस नाले के सम्बन्ध में, वह आप मुझे बता दें। अभी बता दें या बाद में मिलकर बता दें। इस समस्या के समाधान के लिए मैं भी चिन्तित हूं और आपकी भी यह इच्छा है। यह न तो कोई पोलिटिकल सवाल है और न कोई विरोध है। इसका हल कैसे हो, आखिर में यह समस्या बहुत बड़ी है, छोटी नहीं, बरसों से है और उसके लिए यह योजना बन रही है। उसका समाधान हो जायेगा। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : परम् सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि मंत्री जी बहुत सज्जन आदमी हैं लेकिन आज सारी बात उन्होंने यहां गलत कही है और एक लिखा हुआ दस्तावेज यहां पढ़ा है जिस बात को आप पूरी तरह से जानते। दोनों मंत्री वहां पर आए तब हजारों आखें रो रही थीं हजारों महिलाएं आपके आगे थीं। क्या-क्या आश्वासन आपने दिये। तीसरे दिन आपने चीफ इंजीनियर भेजा। आप मेरी बात कर रहे थे कि मैं भी नगर परिषद का चेयरमैन रहा हूं, आपने सही फरमाया। मैं नगर विकास न्यास का भी चेयरमैन रहा हूं, यह भी आपने सही फरमाया। मैं आपको उन दिनों की याद दिलाना चाहता हूं जब गंगानगर में नाली नालियों का नाम भी नहीं होता था। हजारों नाले और लाखों फुट नालियां बने वे उस टाइम में बने। यह गन्दगी का जो आलम हुआ है वह अभी हुआ है। पहले किसी भी विधान सभा में आज तक यहां मेरे से पूर्व भी कई विधायक रहे हैं, उन्होंने भी कभी कोई जिक्र किया हो तो आप बता दीजिये। आज गंगानगर एक नरक है। माननीय मंत्री जी, बड़े दुःख की बात है, आप कितने सज्जन आदमी हैं और क्या कुछ आपने वहां कहा ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप सवाल करें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : दोनों मंत्री वहां मौजूद थे। देखो, उपाध्यक्ष महोदय, आप रोकिये नहीं। कारण यह है कि यह लोगों की जिन्दगी और मौत का सवाल है। 1200 आदमियों को पीलिया, 5 आदमी मर गये।

श्री उपाध्यक्ष : इसके बजाय आप सवाल करें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : और 5 बच्चे पहले मर गये, हजारों पशु मर गए आप बोलने नहीं देंगे तो कौन क्या करेंगे। कमाल की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं बोलने से मना नहीं कर रहा हूं, आप सवाल पूछें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं निवेदन यह करना चाहता था क्या आपने वहां बिराजकर जो मीटिंग ली, हजारों माताओं को, बहनों को और बच्चों को आश्वासन दिया, क्या वह पूरा हुआ। पिछली बार भी यही बात कही थी जो मैंने यहां से प्रार्थना की थी। क्या आपने उनसे यह दुबारा जानकारी की और नगरपरिषद के लोगों ने जो आपको झूठी जानकारी दी उसके लिए क्या उन पर प्रिविलेज मोशन की कार्यवाही की गयी ? क्या आपके अलावा माननीय मंत्री यहां बिराजमान हैं राजेन्द्र जी राठौड़, स्वास्थ्य मंत्री ये यहां मौजूद थे। इनके सामने मीटिंग में क्या कार्यवाही हुई थी। ये ईमानदारी से उठकर बता दें कि श्रीगंगानगर का एक-एक बच्चा रो रहा था। 6-6 इंच और 9-9 इंच पानी एक एक सड़क पर आपने अपनी आंखों से देखा है। जो दुर्दशा और जो इस तरह की घटना हिन्दुस्तान के किसी भी शहर में नहीं हुई होगी। आज आपको जो चीज वे लिख देते हैं, आप वही चीज यहां पढ़ देते हैं। आप जैसे विद्वान मंत्री, जिनके ऊपर लोगों को भरोसा है वह व्यक्ति इस तरह की बात करें तो इंसाफ कहां मिलेगा ? दो साल हो गये मेरे को +++। मुझे याद है मैं जब यहां बोल रहा था तो मुख्य मंत्री जी ने मुझे इशारा करके वहां बुलाया था हमारे यहां के 200 सदस्य देख रहे थे....

श्री परसराम मदेरणा : मुझे बहुत वेदना होती है कि मेरी पार्टी के लोग उधर बैठे हुए हैं, अभी तो खेतड़ी से आने वाले माननीय सदस्य इस सरकार को सक्षम बता रहे थे, अब ये एक मिनिस्टर को विद्वान बता रहे हैं। मुझे तो एक भी विद्वान दिखता नहीं है। असक्षम तो यह सरकार है। इसके जो सफाई के मिनिस्टर हैं अगर इनके अन्दर विद्वता भी है तो भंवरलाल जी शर्मा ऐसे मिनिस्टर हैं लोकल सैल्फ के स्टोनी फेस, कम बोलने वाला आदमी न मालूम इनकी विद्वता का अन्दर ही अन्दर क्या हो रहा है, चर्निंग हो रहा है, भगवान जाने मुझे तो स्पष्ट तौर से कभी भी इसके सिम्पटम्स बाहर नहीं आये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं वही प्रार्थना कर रहा था, मैं इसलिये यह बात निवेदन कर रहा था कि जो प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने बताई आपके लिये उन्होंने जो सम्मान दिया है, ...

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह चाहूंगा कि आप मुझे दिशा-निर्देश दें कि आप चाहते क्या हैं ? मुझे क्या करना चाहिये, यह तो बतायें आप।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं क्या चाहता हूं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, बताइये। हमने वहां जाकर के गंदा पानी निकालने के लिये योजना बना दी, जहां पानी इकट्ठा होता है इसके लिये जमीन ले ली,

---

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

15 अप्रैल, को उसका कब्जा मिल जाएगा और क्या चाहिए आपको ?

श्री राधेश्याम गंगानगर : कहां है वह योजना, कहां बना दी ? कितने रुपयों की योजना बनी ? कहां वह योजना है ? कब वे टेण्डर हुए ? वही मैं पूछना चाहता हूं । पटल पर रखिए आप ।

श्री भंवरलाल शर्मा : 2 करोड़ की योजना है वह लगभग । टेण्डर कॉल कर लिये हैं ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : हां, आप बताइये यह तो जिक्र ही नहीं किया ।

श्री भंवरलाल शर्मा : टेण्डर काल हो गये हैं ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : कब तक कम शुरू करेंगे ।

श्री भंवरलाल शर्मा : टेण्डर काल कर लिये हैं ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : टेण्डर तो आपने पिछले साल भी काल किए थे ।

श्री भंवरलाल शर्मा : टेण्डर मंजूर हो गया ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आपने टेण्डर किये हैं तो टेण्डर का आप प्रतिवेदन यहां रखिए, मेरे को बताइए और आपने कितनी योजनाएं बनाई है । 2 करोड़ की योजना से वहां कुछ होने वाला नहीं है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : कल इसका टेण्डर मंजूर हो गया टेक्निकल । अब इसके फाइनेंसियल टेण्डर आये हैं वह खोल दिये जाएंगे । 2-3 करोड़ की लगभग यह योजना है । इसके अलावा और क्या चाहते हैं आप बताइये ? हमारे जाने के बाद सारे काम कर दिये । जमीन हमने ले ली । 15 अप्रैल को उसका कब्जा मिल जाएगा । उस पर इसका निस्तारण कर देंगे, वाट मोर डू यू वांट ? यह नगर पालिका का विषय है, वहां उठाना चाहिये। सरकार से क्या चाहते हैं आप ? बताइये आप ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह दुःख की बात है । नगर पालिका आपकी है वह तो सुने नहीं और हमें चिट्ठी भी नहीं लिखे । अभी आप फरमा रहे थे कि आप नगर परिषद के मैम्बर है । मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि आज तक मुझे किसी ने एक पत्र भी नहीं भेजा कि यह मीटिंग है और आप आइए । मैं किस चीज का मैम्बर हूं ? माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे जानकारी करना चाहता हूं कि गजट में तो आपने हमारा नाम दे दिया लेकिन हमें कोई सूचना मीटिंग की देगा तभी तो हम वहां जाएंगे । अगर यहां विधान सभा की सूचना ही नहीं मिले तो हम कैसे यहां आएंगे । आपने यह बात तो कह दी परन्तु उनको कहिए ।

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर आपको सूचना नहीं मिलती है तो निर्देश दे देंगे कि आपको सूचित किया जाए । यह शिकायत सही है आपकी ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जब आपने जाकर सारी स्थिति का जायजा लिया और आपने उसका आश्वासन दिलाया, अधिकारियों की मीटिंग ली, उसके अन्दर क्या कुछ हुआ था ? आप दोनों मंत्रियों ने और खासकर आपका जो कलक्टर बैठा था वह आपका काम होने ही नहीं देता। करणीसिंह कलक्टर है वह बी.जे.पी. का एक जिले का अध्यक्ष है। कलक्टर नाम की चीज नहीं है। कई तो बी.जे.पी. वाले भी दुखी है उनसे। वह इस तरह का व्यक्ति है कि जन प्रतिनिधि कोई काम लेकर जाते हैं तो वे कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, आप बाद में बात करना। किसी मीटिंग में जाते हैं तो पेपर वेट खटकाते हुए सारा दिन शराब पीकर वहां बैठता है और इससे रद्दी आदमी मेरे ख्याल से आपके सारे राजस्थान में आई.ए.एस. ऑफिसर नहीं होगा। जो आदमी जन प्रतिनिधियों की बात को सुने तक नहीं, आज मेरे विधायक साथी यहां नहीं जो आपके सामने यह बात रखते।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। श्री राधेश्याम जी आप समाप्त करें, पर्याप्त हो गया।

श्री राधेश्याम गंगानगर : नहीं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, पर्याप्त कहां से हो गया। 1200 आदमियों को पीलिया हुआ, 4 आदमी मर गये आप कह रहे हो कि समाप्त करो। अभी चिकित्सा मंत्री अपनी बात कहेंगे। हास्पिटल की बुरी हालत है। गवर्नमेंट का हास्पिटल है ही नहीं है वहां। जिला हैडक्वार्टर पर गवर्नमेंट का जो महाराजा गंगासिंह ने हास्पिटल बनाया था वह वहां नहीं है। अब जनता ने नया हास्पिटल बनाया। आपने शिफ्ट कर दिया उसमें महिला हास्पिटल और बच्चों का हास्पिटल बनना था। बड़े दिनों से वह बात अधर में पड़ी है। कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं। लोकल डिस्पेंसरी नहीं है। लोग मारे-मारे फिर रहे है और हास्पिटल के अन्दर चूहे डान्स करते हैं और बिल्लियां फिरती है, कुत्ते फिरते हैं। लाइट का इन्तजाम नहीं है आप कह रहे हो कि चुप करके बैठ जाओ। बड़ी दुःख की बात है। मैं कहां बोलूंगा। मेरा प्लेटफार्म तो यही है। जब लोगों ने मेरे को चुनकर भेजा है मैं उनके इलाके की बात नहीं कहूंगा तो कहां जाऊंगा ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें ?

श्री राधेश्याम गंगानगर : निवेदन यह है कि अभी मैं कम से कम 10 मिनट आपके और लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : टेण्डर हो चुके हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : नहीं, कुछ भी नहीं हुआ साहब। जब तक उन्होंने यह बात कही है। 2 करोड़ की योजना कब लागू होगी और उस 2 करोड़ से क्या वह सारी गंदगी हट जायेगी। जब इन्होंने मेरे ऊपर इलजाम लगाया था तो मैंने निवेदन कर दिया कि जिस वक्त कांग्रेस सरकार थी मैं वहां का चेयरमैन था। उस वक्त की स्थिति अगर शहर वाले कह दें कि जब मुख्य मंत्री वहां पधारे थे....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : एक-एक गली का उन्होंने निरीक्षण किया था और उन्होंने गंगानगर की जनता से यह वादा किया था कि चाहे मैं हारुं या जीतूं, गंगानगर को पेरिस बना दूंगा। पेरिस की बजाय यह तो गंदगी का घर बन गया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधेश्यामजी, बिराजें आप।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मेरी माननीय मुख्य मंत्री जी से, वे मौजूद नहीं है इस वक्त, प्रार्थना है कि इस तरह आपको बिल्कुल....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप आसन ग्रहण करें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : निवेदन यह है कि पिछली विधान सभा में मुख्य मंत्री जी ने बुलाकर यह आश्वासन दिया था....

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त, आप बिराजें।

श्री परसादीलाल मीणा : भंवरलाल जी के भरोसे रहे तो 'गंगानगर' को 'गंदा नगर' बना देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अंतर्गत श्री हीरालाल विश्नोई, श्री रामनारायण मीणा, श्री हरजीराम बुरडक, श्री रिछपालसिंह एवं श्री शैलेन्द्र जोशी, सदस्य विधान सभा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जालौर में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों में कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में विशिष्ट योजना संगठन राज्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री राधेश्याम गंगानगर : नहीं साहब, मेरी तो बात ही बीच में पड़ी है। मेरा निवेदन तो आप सुनिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहां जाकर यह बात कहूंगा। सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुनिए। मेरी बात का रिप्लाई नहीं हुआ, आप क्या कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह अगर हमारे बोलने का कोई फायदा नहीं रहा और आपको काम ही नहीं करना है तो आगे से नहीं बोलेंगे और क्या करें ? मैं धरने पर बैठ जाता हूं। अगर आपकी यही इच्छा है कि हर व्यक्ति धरने पर बैठता रहे। मैं बिलकुल धरने पर बैठूंगा। रिप्लाई ही नहीं हुआ अभी रिप्लाई के बिना आप मुझ रोक रहे हैं, सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप आसन पर बिराजमान हैं, आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे, हितों की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। आप एक मिनट बिराजें।

श्री राधेश्याम गंगानगर । कैसे बिराजूं ? नहीं, मैं नहीं बैठूंगा, बिल्कुल नहीं बैठूंगा। मेरी बात मैं कहकर रहूंगा। यह क्या बात हुई ?

श्री उपाध्यक्ष : आप माननीय मंत्री जी को सुनना ही नहीं चाहते । आप विराजें, बैठिए आप । माननीय मंत्री महोदय ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने यह निवेदन कर दिया कि यह मामला नगरपालिका का सफाई से सम्बन्धित है, इसलिए मुझे आप सुझाव दें कि आप हम से क्या चाहते हैं ? आपकी समस्या का समाधान नाला बनाकर ही हो सकता है, उसके लिये मैंने निवेदन किया....

श्री परसादीलाल मीणा : आप जोर से तो बोलें सुन ही नहीं रहे है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : उसके टेण्डर बुला लिये गये, टेण्डर मांग लिये गये । टेण्डर कल मंजूर हो गये । 12 करोड़ रुपये के लगभग की यह योजना है । इसके बाद जो आप कह रहे थे कि पानी कहां इकट्ठा करेंगे, उसके लिये जमीन ले ली, 15 तारीख को उसका कब्जा मिल जायेगा । अब इसके अलावा और क्या चाहिये, बताइए आप । यह सब काम हमारे जाने के बाद हुआ है ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अगले साल की 15 तारीख ? कौन-सी 15 तारीख ? 15 तारीख तो गई आज 16 है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : 15 अप्रेल, मैंने कहा 15 अप्रेल ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय मंत्री महोदय, आपको धोखा दे रहे हैं वे लोग । आप उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर निर्भर रहेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है और यहां आप पर प्रिविलेज चल जाएगा ।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, मैं आपसे बात कर लूंगा । आप पर विश्वास करेंगे और आपकी सलाह ले लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल विश्नोई ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : 1200 आदमी तो पीलिया से मर रहे हैं । 3 आदमी मर गये, उनको मुआवजा, 5 बच्चे डूबकर मर गये उनका मुआवजा । बात तो करें मंत्री जी कम से कम, मैंने इनको अलग से दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजें, माननीय सदस्य । माननीय राधेश्याम जी बहुत हो गया, अब आप बिराजें । स्वास्थ्य मंत्री आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो चिंता व्यक्त की है वास्तव में सही बात है । हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में माह जनवरी, फरवरी, इन दोनों माह में पीलिया का प्रकोप रहा । इस पीलिया के प्रकोप का मुख्य कारण जो पेयजल नहरों के द्वारा इन बनों, शहरों और गांव-गांव में आता हुआ और के पास उपाध्यक्ष महोदय एक स्थान है जहां से घग्घर डाइवर्जन राजस्थान में प्रवेश करता है । हरियाणा

(श्री राजेन्द्र राठोड़)

में ओटू का जितना भी गन्दा पानी है, वह घग्घर डाइवर्जन में डाला जाता है। इसके लिये मुख्य मंत्री महोदय ने हरियाणा के मुख्य मंत्री को चिट्ठी भी लिखी। वहां गंगानगर जिले के अन्दर जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक 996 पीलिया के रोगी थे जिनमें से 4 की मृत्यु हुई। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये हमने वहां 19 सर्वे दल बनाये, 10 चल चिकित्सालय स्थापित किये और पूरा सर्वे करवाकर, कैम्प लगाकर, जो पीलिया से ग्रस्त रोगी थी उनको हमने दवाइयां भी मुफ्त में दीं, उनकी जांच भी की। जहां-जहां पेयजल अशुद्ध पाया गया, उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमने इसके लिये भी आवश्यक नमूने लिये और पेयजल के 11 नमूने अशुद्ध पाये गये, पीने योग्य नहीं पाये गये। उसके लिये भी हमने पी. एच. ई. डी. को लिखा। इसका मुख्य कारण उपाध्यक्ष महोदय, यह भी है कि जहां पानी की पाइप-लाइन जाती कई स्थानों पर पाइप लाइन और गन्दे पानी के जाने का रास्ता है, वह पास-पास में होने के कारण यह लीकेज के कारण होता है पी. एच. ई.डी. ने उन सारे कनेक्शंस को दुरुस्त करने का काम भी कर दिया।

इसी तरह हनुमानगढ़ जिले के अन्दर भी 371 रोगी पीलिया के पाये गये। वहां मृत्यु नहीं हुई। इसका मुख्य कारण जल-स्त्रोत है। हमने हरियाणा सरकार को लिखा है कि हमा डाइवर्जन में इस तरह का गंदा पानी नहीं डालें। हमारा पूरा प्रयास है कि क्लोरीनेशन करके लोगों को शुद्ध पानी मिले, और इस रोग के उपचार के लिये जितना हो सका, मेडिकल कॉलेज की टीम वहां भेजी, एक्सपर्टस वहां भेजे और मैं समझता हूं कि आज की तारीख में सारी स्थिति नियन्त्रण में है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं और स्वायत्त शासन मंत्री जी गए थे और हमारी बड़ी विस्तृत चर्चा हुई। माननीय सदस्य आज बड़े नाराज हैं, परन्तु वे उस दिन को याद नहीं कर रहे हैं, जब इन्होंने मुझको और इनको लगभग 20 किलोमीटर पैदल चलाया होगा। इन्होंने कहा कि इस कोट को देखो, इस कोट को हमने देखा। उसके दूसरे-तीसरे दिन चीफ इंजीनियर वहां चले गये और 2 करोड़ की योजना आज मन्जूर भी हो गयी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इनको भी इस सकारात्मक कार्यवाही का जो सरकार कर रही है, उसके लिये धन्यवाद देना चाहिये। अगर हम सब मिलकर इस तरह के कार्य जिस तरह से प्रतिपक्ष के नेता महोदय के विचार आते हैं, स्वागत योग्य विचार है, हमेशा ध्यान-आकर्षित भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं और सुझाव भी देते हैं आप भी सुझाव दें। आपका कोई भी सुझाव होगा, अगर स्वीकार करने होगा तो उसको हम स्वीकार करेंगे। हम सब इस तरह से मिलकर समस्याओं से लड़ें तभी बात जमेगी।

श्री परसराम मदेरणा : 20 किलोमीटर पैदल चले, विनोबाजी पूरे देश में पैदल चले थे, स्वास्थ्य मंत्री जवान आदमी हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं तो हूं, लेकिन भंवरलालजी भी साथ में थे।

श्री परसराम मदेरणा : आप 20 किलोमीटर इनके कहने से नहीं चले थे। जाने के बाद वहां शायद ऐसी परिस्थितियां थीं कि आपके लिये पैदल चलना अपरिहार्य हो गया था।

मैं आपसे एक पर्टिकूलर क्वश्चन पूछना चाहता हूं कि 300 जोंडिस के मरीज, इसको हेपिटाइटिस भी कहते हैं, यह हेपिटाइटिस कोई छोटी-मोटी बीमारी नहीं है। हेपिटाइटिस तीन तरह की होती है। तक हेपिटाइटिस ऐसी है जो बहुत इनीशियल स्टेज पर होती है, जिसके कीटाणुओं का डाइग्नोसिस हो जाए तो जल्दी इलाज से आदमी रिकवर हो सकता है सेकिण्ड हेपिटाइटिस ऐसा होता है जिसमें 21 साल के बाद में रिकवर होता है और बराबर 21 साल तक उसको मेडिसन लेनी पड़ती है। तीसरी बीमारी ऐसी होती है जिसमें बहुत ज्यादा समय निकल गया है और फार दी टाइम बीइंग कैंसर की तरह एक आदमी जिंदा रह सकता है, वह इनक्योरेबल है। 300 थे उसमें अलग-अलग मेडिसंस हैं, लेटेस्ट इंजेक्शन भी आ गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि इन 300 में से ऐसे कितने लोग थे जो पहले उपचार से ही स्वस्थ हो जाएं। ऐसे कितने लोग थे जिनको 21 साल तक मेडिसन लेनी पड़ेगी, अगर उनमें से कोई गरीब आदमी है तो उसकी दवाइयों का व्यय कौन करेगा। जो थर्ड कैटेगरी है, वह काफी डेंजरस है। उसके इंजेक्शंस भी बहुत मंहगे हैं। इस कैटेगरी में ह्यूमन लाइफ की बहुत बड़ी वेल्यु है। वह अपने परिवार के लिये अगर वह 2 साल तक भी जिन्दा रहता है तो वह उतनी मंहगी दवाइयां नहीं खरीद सकता है। ये इंजेक्शंस बहुत महंगे हो रहे हैं। क्या उस सम्बन्ध में भी आपने कोई व्यवस्था की है? इन तीनों कैटेगरियों की अलग-अलग श्रेणियों में जो 300 जोंडिस के बीमार पाये थे उसके सम्बन्ध में क्या कोई भी निर्देश मेडिकल ऑफिसर्स को दिये हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता को हेपेटाइटिस के बारे में जितना ज्ञान है उतना ज्ञान मुझे नहीं है। मेरी जानकारी में हेपेटाइटिस दो तरह का है। एक तो अशुद्ध जल व अशुद्ध खानपान के कारण फैलता है और दूसरा इंफेक्शन से फैलता है। यह हेपेटाइटिस अशुद्ध जल के कारण फैल और इसका फैलाव किस तरह रोकें, जो इनसे ग्रस्त रोगी हैं, उनका उपचार किस तरह से हो, इसके लिये हमने मेडिकल कॉलेज की टीमें भेजकर वहां किस तरह का रोग है, किस तरह से उसका उपचार हो सकता है, इसकी व्यवस्था की है। आपने मुझे बताया कि 3 तरह की बीमारी है। मैं आपसे जानकारी प्राप्त करके, मेरे विभाग के अधिकारियों से बात कर लूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : मैं भी आपकी तरह एक्सपर्ट नहीं हूं। I am also a generalist. You listen me.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, फिर भी आपका ज्ञान मेरे से अधिक है।

श्री परसराम मदेरणा : मंत्रीजी, मैं आपको बता दूं कि मुझे किस ने कहा है। ऐसा है कि गंगानगर से मेरे एक रिश्तेदार हैं। उनके बच्चों को यह बीमारी है। वहां बच्चों के डाक्टर तोमर हैं। वे आए हुए थे और मैंने उनसे पूछा कि यह बीमारी है और ये जोंडिस की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे उनके सामने एक्सप्लेन किया कि यह तीन तरह की बीमारी है, इतनी-इतनी गहरी बीमारी है। यह जोंडिस की मामूली बीमारी नहीं है, जो पहले ठीक हो जाया करती थी। आज यह रिसर्च हो चुका है और इन तीनों के अलग-अलग इलाज हैं। उन्होंने दो के प्रेस्क्रिप्शन, मेरे जो स्वयं के सम्बन्धी थ उनको लिखकर दिये कि आप पहले डाक्टर से ये मेडिशंस पूछ लेना और फिर उसका डाइग्नोसिस करवा लेना, जो बीमारी हो उस तरह से उसका उपचार होना चाहिये, यह बात कही थी। आपके हास्पिटल में डाक्टर तोमर हैं, आप उनको बुला लेना, वही आपका ज्ञानवर्द्धन कर देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत प्रतिपक्ष के नेता महोदय को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पीलिया का रोग फैला और पीलिया से पीड़ित लोगों के लिये, अगर जरूरतमंद लोगों को दवाइयों की आवश्यकता होगी तो सरकार वे दवाइयां उपलब्ध कराएगी। उसके इलाज की पद्धति के बारे में किसी और विशेषज्ञ से जानकारी प्राप्त करनी होगी तो वह जानकारी भी प्राप्त करेंगे। जो भी कार्यवाही करेंगे, उससे प्रतिपक्ष के नेता महोदय को मैं अवगत करा दूंगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं सदन को एक जरूरी जानकारी देना चाहता हूं। निवेदन यह है कि दोनों बातें जैसे हमारे चिकित्सा मंत्री महोदय ने कहा कि नहरों में पानी ठीक नहीं आ रहा है। उसके साथ मैं निवेदन करूं कि शहर का जो गंदा पानी है, वह भी उठाकर उसी नहर में डाला जाता है। खासकर पुरानी आबादी में जो पीलिया फैला उसका कारण केवल यह है कि गंदा पानी जो अपने को बाहर फैंकना चाहिये, वह नहर में मिलाया गया। इस कारण पर्टिकूलर एक एरिये में, क्योंकि आबादी तो बहुत बड़ी है, पुरानी आबादी में जो चीज आयी वह इस तरह से आयी। हनुमानगढ़ में भी पीलिया है और जगह भी है क्योंकि पानी भी गंदा आ रहा है, उस सबसे तो आप विदित हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें। कृपया बैठ जाएं, श्री राधेश्यामजी।

श्री राधेश्याम गंगानगर : लेकिन मैं चिकित्सा मंत्रीजी से एक निवेदन करूंगा कि आपने पुराने हॉस्पिटल के बारे में कोई बात ही नहीं की। जब आप खड़े हुए हैं (व्यवधान) क्या उसको महिला हास्पिटल आप बनाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल विश्नोई। अर्जेंट है क्या ? बोलिये आप।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : पाइण्ट ऑफ इंफार्मेशन। (व्यवधान)

Page No. 75

श्री राधेश्याम, गंगानगर : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। एक सैकिण्ड की बात है। मैं अभी बैठ जाऊंगा। (व्यवधान) जवाब दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरा शुरू हो गया। (व्यवधान)

श्री अनंगकुमार जैन (राज्य मंत्री, विशिष्ट योजनाएं संगठन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री राधेश्याम, गंगानगर : मैं अर्ज कर रहा हूं। जवाब दे रहे हैं, एक सैकण्ड (व्यवधान) आदरणीय, उपाध्यक्ष, महोदय, सिर्फ एक मिनट, यह बड़ी जरूरी बात है।

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठें तो सही।

श्री राधेश्याम गंगानगर : श्रीमान्, जवाब दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप व्यवधान तो नहीं डालें। बिराजिये।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जालोर में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों में कथित अनियमितताएं

श्री अनंगकुमार जैन (राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना राज्य में वर्ष 1993-94, में प्रारम्भ की गयी थी जिसमें जालोर जिले के सातों विकास खण्ड (पंचायत समितियां) चयनित हैं। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार वर्ष 93-94, 94-95 एवं 95-96 में विभिन्न पंचायत समितियों में उपलब्ध करायी गयी केन्द्रीय एवं राज्य अंश की राशि तथा उपलब्ध राशि के विरुद्ध स्वीकृत किये गये कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट पर उपलब्ध है।

यह सही नहीं है कि भारत सरकार ने वर्ष 95-96 में प्रत्येक पंचायत समिति को एक करोड़ रुपये की राशि का आबंटन किया था। वस्तुतः सांचोर पंचायत समिति को केन्द्रीय एवं राज्यांश की 1.00 करोड़ रुपये राशि आबंटित की गयी थी जबकि अन्य पंचायत समितियों को 75.00 लाख रुपये की राशि आबंटित थी।

भारत सरकार द्वारा इस योजनान्तर्गत राशि का आबंटन विकास खण्डवार किया जाता है जिसका उपयोग भी उसी पंचायत समिति में योजना की मार्गदर्शिका एवं समय-समय पर जारी किये गये आदेशानुसार विकास कार्यों की क्रियान्विति हेतु किये जाने का प्रावधान है। इस सन्दर्भ में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को निर्देश भी दिये गये हैं कि उपलब्ध राशि की तुलना में अधिक राशि के कार्य स्वीकृत किये जायं, जिससे कि इस वर्ष उपलब्ध राशि का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित हो। इस आशय से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जालोर द्वारा विभिन्न पंचायत समितियों में उपलब्ध राशि

(श्री अनंगकुमार जैन)

की तुलना में अधिक राशि के विकास कार्यों की स्वीकृतियां जारी की गयी थीं। वर्ष 1993-94, 94-95 में पंचायत समिति सायला एवं जसवन्तपुरा में उपलब्ध राशि की तुलना में कम राशि के कार्य स्वीकृत किये गये थे। इस कारण वर्ष 1995-96 में कुल उपलब्ध राशि के विरुद्ध अधिक राशि के कार्य स्वीकृत किये गये। पंचायत समिति सांचौर में वर्ष 1993-94 एवं 94-95 में उपलब्ध राशि के विरुद्ध बहुत अधिक राशि के कार्य स्वीकृत किये गये थे इस कारण वर्ष 1995-96 में केवल 12.14 लाख रुपये के कार्य ही स्वीकृत किये गये। परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जालोर ने सूचित किया है कि योजनान्तर्गत पूर्व स्वीकृत कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करवा कर स्वीकृत राशि का उपयोग करने हेतु समुचित प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो आंकड़े बताये हैं, वह सरासर लीपापोती करके यह आंकड़े बताये गये हैं जबकि आप कह रहे हैं कि नियमानुसार एक पंचायत समिति को एक करोड़ मिलना चाहिये या और दूसरे को 75 लाख। पिछले वर्ष 1994-95 में रानीवाड़ा में 134 लाख किया था और अब 151 लाख किया। भीनमाल में पिछले टाइम 164 लाख किया था, 1994-95 में और अब 122 लाख किया है। जब एक करोड़ की राशि आवंटित होती है तब यह ज्यादा कहां से लिये? सांचौर के लिये यह कह दिया कि पिछली साल हमने ज्यादा कर दिया था इसलिये आपको अभी कम राशि मिलेगी। जो 12 लाख का अभी कह रहे हैं इसमें सिर्फ ढाई लाख रुपया सिर्फ स्वीकृत किया है जबकि मंत्रीजी कह रहे हैं कि 12 लाख 14 हजार रुपया स्वीकृत किया है। यह सरासर गलत है। सांचौर के साथ में जिला ग्रामीण अभिकरण, जालोर हमेशा भेद-भावपूर्ण तरीके से काम कर रही है। यह एक सुनिश्चित रोजगार योजना की ही बात नहीं है, जो भी योजना है, चाहे जीवनधारा की हो, इन्दिरा आवास की हो, जो भी योजना भारत सरकार की योजना के तहत पैसे आते हैं और उनकी मनमर्जी से जिलाधीश महोदय एक गांव को कभी जीवनधारा के पचास कुएं दे दिये और पूरी पंचायत समिति को एक कुआं नहीं दिया। इन्दिरा आवास के एक-एक, दो दो गांवों के अन्दर बीस-बीस, तीस-तीस घर स्वीकृत कर दिये और इसलिये कर रहे हैं कि यहां कांग्रेस का विधायक है, यहां बी.जे.पी., भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। मंत्रीजी खुद वहां विराजमान थे। 12 दिसम्बर को मुख्य अतिथि मंत्रीजी थे और मंत्रीजी की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ था। हम विधायकों को सूचना ही नहीं दी जाती है। लोगों को यह आक्रोश था और जनवरी की 24 तारीख को पूरे सांचौर के अन्दर धरना दिया गया था, जिला कलक्टर के खिलाफ। मुख्य मंत्री महोदय को हमने लैटर लिखा था। मुख्य मंत्रीजी ने हमें आश्वासन दिया कि मैं इसकी कार्यवाही करा रहा हूं। आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

(श्री हीरालाल विश्नोई)

उपाध्यक्ष महोदय एम. पी. कोटे में से जो पैसे आये थे, उसकी स्वीकृति ऐसे ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है, सुनिश्चित रोजगार योजना का।

श्री हीरालाल विश्नोई : सुनिश्चित रोजगार में ही तो की है। सुनिश्चित रोजगार के अन्दर यह पंचायत समिति वाइज, जो सात पंचायत समितियां हैं, उसके अन्दर सिर्फ सांचौर पंचायत समिति सबसे बड़ी पंचायत समिति है और उसके अन्दर तो सिर्फ ढाई लाख रुपये किये हैं। और दूसरी पंचायत समितियों में, किसी में दो करोड़, किसी में 6 करोड़ 66 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं। जसवन्तपुरा और रानीवाड़ा में कुल चार करोड़ रुपये स्वीकृत किये है जबकि एक विधान सभा की सीट है और दो पंचायत समितियां हैं। एक करोड़ सतावन लाख, एक करोड़ 36 लाख, एक करोड़ 23 लाख और सांचौर में सिर्फ ढाई लाख रुपये। यह योजना है। इस आंकड़ें को माना जाय या मंत्री महोदय जो आंकड़ें बता रहे हैं, उन आंकड़ों को माना जाय ? यह सरासर लीपापोती करके जो आंकड़ें बता रहे हैं और सदन को गुमराह कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जालौर का, पूरी, जो भी स्वीकृतियां हुई हैं, वे सदन की पटल पर लाकर, उनकी जांच करवायी जाय।

श्री रामस्वरूप मीणा : पाइंट आफ इन्फोर्मेशन सर।

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता महोदय। आप सबकी तरफ से बोल दीजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : बाद मे बोलेगे सबकी तरफ से।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा। हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यह था कि भारत सरकार ने जो पंचायत समितिवाइज अलाटमेंट करके सुनिश्चित रोजगार योजना के पैसे भेजे हैं, आपने एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति को ट्रांसफर कैसे कर दिये ? आपने इस बात को माना है कि भारत सरकार इस हिसाब से पैसे भेज रही है। फिर कलक्टर चाहे जैसे स्वीकृति कर दें और वह आप यहां पढ़ दें। आपने देखा होगा कि....

श्री परसादीलाल मीणा : क्योंकि वे भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : आपने यह कह दिया कि पिछले साल में इस पंचायत समिति को ज्यादा हो गया इसलिये इस साल में कम कर दिये तो आपका आदमी, अगर आप आटे के लिए भेजते हों और वह आदमी कह दे कि इस साल तो अब नमक ही खरीदेंगे तो आपका काम चलेगा ? सुनिश्चित रोजगार योजना का मतलब यह है कि उस एरिये में आपको इतने

(श्री हरजीराम बुरडक)

आदमियों को रोजगार देना है। अब आप उसे हटाकर दूसरी जगह कर दें और कलक्टर इस तरह से आपके ऊपर हावी हो जाय और उस बात को खड़े होकर आप यहां पढ़ दें। इसी कलक्टर ने डी. आर. डी. ए. की प्रोसिडिंग में जो आंकड़े दिये हैं और 11 जनवरी, 1996 के जो आंकड़े हैं और आप यहां क्या पढ़ रहे हैं? उसमें सांचोर में दो लाख बताया है और आपने यहां 12 लाख बताया है। उसमें जसवन्तपुरा में 43 लाख बताया है और आपने यहां 91 लाख बताया। रानीवाड़ा में आपने 134 बताये हैं और उसने 136 बताये हैं। इसी तरह से भीनमाल में उन्होंने 70 लाख बताये हैं और आपने 134 लाख बताये हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : कलक्टर के खिलाफ कार्यवाही करें आप।

एक माननीय सदस्य : बिलकुल निश्चित तौर से करें।

श्री हरजीराम बुरडक : इसी प्रकार से आपने जो बताया है, वह उससे मेल नहीं खाता है। जब सांचोर में भारत सरकार ने दूसरी पंचायत समितियों से ज्यादा आबंटन करके भेजा था तो आपको इसमें कम करने का कहां राइट था? आप इन सवालों का स्पेसिफिक उत्तर दें, एक बात।

दूसरी बात, भारत सरकार की जो गाइड-लाइन्स है, उसके आधार पर आप मानने के लिये बाध्य हैं या नहीं हैं? जहां आपको कुछ भी नहीं करना होता है, वहां तो आप भारत सरकार का नाम ले लेते हो और जहां आपको हेराफेरी करनी होती है, वहां आप उसमें बोलते नहीं। तो उस गाइडलाइन के खिलाफ कार्य करने का कलक्टर को अधिकार है या आपको है? या कलक्टर जो कुछ भी करे उसमें आपको हां करने के सिवाय, आपके पास कोई दूसरा चारा है क्या?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्बर है। आप इजाजत दें।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न मंत्रीजी से यह है कि आश्वासित रोजगार योजना, जो प्राइम-मिनिस्टर ने प्रारम्भ की थी, नाम भी यही है-प्राइम मिनिस्टर्स एश्योर्ड एम्प्लायमेंट स्कीम, इस स्कीम के अन्तर्गत क्या भारत सरकार ने राजस्थान के अन्दर पहले 122 ब्लाक्स को आइडेंटिफाई किया था? कुछ ब्लाक्स में रोजगार और मिलना चाहिये, वहां पर लोग बेकार रहते हैं इसलिये 50 ब्लाक्स को बाद में एड करके, अभी राजस्थान के 172 ब्लाक्स में यह चल रही है। क्या यह सही है?

क्या भारत सरकार ने आपको कोई मापदण्ड या गाइडलाइन दी है? जैसा आप अभी कह रहे थे और उन्होंने कहा है। अगर यह है तो जिन दूसरी जगह पर आपने दिया है जो अमाउंट, आपने 1993-94 में जो वर्क सैंक्शन किए हैं, 1994-95 में किए हैं, 1995-96 में किए

(श्री परसराम मदेरणा)

हैं, इन दूसरे इलाकों से वह तो डबल क्रोप एरिया है, आपकी पंचायत समिति।

(14.00)

लेकिन सांचौर का बहुत बड़ा भू-भाग ऐसा है जो सिंगल क्रोप एरिया है।

दूसरा, मेरा यह पूछना है कि भारत सरकार ने जो मापदण्ड तय किये हैं उनकी पंचायत समिति वाइज अनुपालना हुई या नहीं हुई है?

तीसरा, मेरा निवेदन है कि दो करोड़ और ढाई लाख की बात कह रहे हैं वह तो उन्होंने एक उदाहरण दिया है। आपके स्वयं के व्यक्तित्व से ऐसा प्रतीत होता है कि सांचौर के साथ में बड़ा भारी डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, जो रूरल एम्पलायमेंट डवलपमेंट एजेंसीज हैं ये सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं और कलक्टर इनका अध्यक्ष है। कलक्टर की कोई अधिकार नहीं है कि वह कोई काम सेंक्शन कर ले। क्योंकि सोसायटी के रजिस्ट्रेशन के लिए जो मोडल बाई लाज यहां पर आपके पास में आये थे उसमें आपने सभी जिला अध्यक्षों को भेज कर इन सोसायटीज को रजिस्ट्रेशन किया है और जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वह 1981 में हुआ है। 1981 के बाद में समय-समय पर और भी निर्देश भारत सरकार ने दिये हैं। गवर्निंग कौंसिल, जो इसकी जनरल बोडी है वह गवर्निंग कौंसिल ही प्लान बना सकती है, गवर्निंग कौंसिल ही किसी काम को स्वीकृत कर सकती है। कलक्टर केवल उसका चेयरमैन है, लेकिन राजस्थान के अन्दर आज जो डी. आर. डी. ए. के काम हो रहे हैं उनके लिये कलक्टर्स को यहां से सरकार के इंस्ट्रक्शन हैं और पूरी इस सोसाइटी के अन्दर पैसा उनके मार्फत खर्च हो रहा है। मुझे माफ करना, मैं कहूंगा जब मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि आप सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के बारे में यहां एसपर्जन कास्ट कर रहे हैं, आज स्थिति यह है कि इससे बड़े-बड़े आफिसरों का राजनीतिकरण इस हद तक हो गया है कि इनको मेरूदण्ड टुकड़े-टुकड़े हो चुकी हैं। ऐसी सूरत में भारत सरकार के आपको बहुत साफ इंस्ट्रक्शंस थे कि अगर लार्ज स्केल काम हैं और गवर्निंग कौंसिल स्वीकृत नहीं करती है, तो उनको एक्जीक्यूटिव कमेटी बना देनी चाहिए। मेरा प्रश्न यह है कि जो काम स्वीकृत किये गये; क्योंकि एम. एल. एज., एक्स-आफिसियो मेम्बर हैं, सांचौर के माननीय सदस्य उसके सदस्य थे और इनको साल का एक प्लान बनाना पड़ता है, प्लान को गवर्निंग कौंसिल में एप्रूव कराना पड़ता है और एप्रूव कराने के बाद आप उस काम को ले सकते हैं।

दूसरा, मेरा प्रश्न यह है कि यहां पर कोई एक्जीक्यूटिव कमेटी बनी है या नहीं बनी है? बड़े अफसोस के साथ मुझे इस सदन को जानकारी देनी पड़ रही है कि इन्होंने ऐसी आपाधापी चला रखी है इस डी. आर. डी. ए. को''''(व्यवधान) ''मेरी''बात सुनिये, कुछ जगह

(श्री परसराम मदेरणा)

पर एक्जीक्यूटिव बनायी है और राजस्थान के अधिकांश जिलों में कलक्टर्स ने एक्जीक्यूटिव का गठन ही नहीं किया है। वे पावर अपने पास में रखते हैं। जहां जा रहे हैं वहां पांच लाख रुपये सेंक्शन किये और उसके बाद कलक्टर की वहां पर फोटो लग जाती है। भारत सरकार ने आपको इंस्ट्रक्शंस दिये हैं, कहने को तो कह रहे हो, बजट भाषण में कि इस बजट का 63 पर्सेण्ट प्रावधान हमने ग्रामीण क्षेत्र में रख दिया है। यह सात सौ और कुछ करोड़ रुपये हैं। आपको प्राइम मिनिस्टर एश्योर्ड एम्प्लायमेंट स्कीम में टोटल 133 करोड़ 75 लाख रुपये मिले हैं। आपने इस करंट ईयर के लिए सात करोड़ रुपये जालौर जिले को अलाट किया है इस 133 करोड़ 75 लाख में से। उधर सांचोर में फेमिन जबरदस्त है। इधर एम. एल. ए. को गवर्निंग कौंसिल में पूछे नहीं, गवर्निंग कौंसिल में बजट पास कराए नहीं, गवर्निंग कौंसिल के अन्दर चार्टेड एकाउण्टेंट की ऑडिट रिपोर्ट पेश करे नहीं। पिछली मीटिंग जो यहां 16 तारीख को होने वाली थी, मैं जा नहीं सकता था आज के दिन, कल रात को मेरे पास में सूचना आयी कि मीटिंग पोस्टपोन कर दी गयी है। मैंने यही प्रश्न खड़ा किया था कि एक रुपये का काम कलक्टर को सेंक्शन करने का अख्तियार नहीं है और डी. आर. डी. ए. के अन्दर आप निरंकुश शासन चला रहे हो। भारत सरकार ने जो गाइड लाइंस दे रखी हैं और जो नोर्म्स तय किये हैं उसकी जबरदस्त वायलेशन है।

दूसरी, तरफ भारत सरकार के रूरल डवलपमेंट मिनिस्ट्री ने आपके पास में लैटर भेजा है कि डी. आर. डी. ए. को आप जिला परिषद को ट्रांसफर कर दीजिये। इस सम्बन्ध में मेरा प्रश्न है कि इस बारे में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आप इस प्रकार के निश्चित रूप से निर्देश देने का विचार रखते हैं या नहीं रखते कि ईयरली प्लान डी. आर. डी. ए. की गवर्निंग बॉडी में सैंक्शन हो? उसमें हरेक प्रधान, हरेक एम. एल. ए. और प्रमुख, जिला परिषद जो एक्स ऑफिसियो मेम्बर हैं, और मेम्बर आफ पार्लियामेंट भी, सी. सी. बैंक का चेयरमैन भी मेम्बर है।

एक माननीय सदस्य : प्रधान है

श्री परसराम मदेरणा : प्रधान नहीं है अभी। न ही गवर्निंग बोडी में प्रधान, न ही बाद में इंस्ट्रक्शन....(व्यवधान)....

श्री रतनलाल ताम्बी : कुछ मेम्बर्स नामिनेट करते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मेम्बर्स नामिनेट एग्जिक्यूटिव के अन्दर है। उसके बाद आदेश आ गये हैं कि सभी प्रधान उसके एक्स आफिसियो मेम्बर हैं। मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि आप इन डी. आर. डी. ए. के मार्फत भारी पक्षपात कर रहे हैं, ब्रेजन एण्ड आउटरेजियस। जिस तरह से विकास के मामले के अन्दर इस तरह की आपाधापी और पक्षपात करने की आपकी नीति है, यह सोची-समझी नीति है और यह आदेश

(श्री परसराम मदेरणा)

और निर्देश, इस राजस्थान की सरकार ने सभी कलक्टर्स को दिये हैं। आप लोग एक पंचायत समिति और दूसरी पंचायत समिति में पक्षपात करते हैं। हो सकता है कि वहां पर आपके सदस्य हों, लेकिन भारत सरकार की योजना में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट उस पैसे का मिसयूस करती है और आपके पास में लचर जवाब है। यह बहुत बड़ा मामला है, रूरल डवलपमेंट से सम्बन्ध रखता है और क्योंकि आप यहां एकदम निरंकुश शासन चला रहे हैं तथा आप यहां पर बिलकुल पक्षपात कर रहे हैं। इस तरह की जो कार्यवाही व पक्षपात सरकार कर रही है, नंगा पक्षपात, उस पक्ष के लिए मंत्री का जवाब सुनने के लिये मैं और मेरा दल तैयार नहीं है। मैं दूसरे दलों से भी निवेदन करूंगा कि यह स्थिति सिर्फ जालोर डी. आर. डी. ए. की नहीं है, पूरे राजस्थान के अन्दर यही हाल है सभी डी. आर. डी. ए. का। इसलिये मैं अपने दल के साथ में इस प्रोटेस्ट में बहिर्गमन करता हूं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, जवाब दीजिये।

श्री अनंगकुमार जैन : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने फरमाया 172 विकास खण्डों में नहीं, बल्कि 174 विकास खण्डों में यह योजना लागू है। पहले 122 में थी, पिछले वर्ष 50 विकास खण्डों में और लागू की गयी, उसके बाद दो विकास खण्ड में इस साल लागू की गयी। इस प्रकार 174 विकास खण्डों में है।

श्री फतेहसिंह (नेता, जनता दल) : उपाध्यक्ष महोदय, सुनिश्चित रोजगार योजना में भारत सरकार जो पैसा देती है उसमें विधायकों को कभी विश्वास में नहीं लिया जाता। कलक्टर अपनी मर्जी से पंचायत समिति वाइज अलाटमेंट करता है। इसमें मेरा विरोध है। मैं भी अपने दल की तरफ से वाक आउट करता हूं।

(श्री फतेहसिंह, सदस्य द्वारा बहिर्गमन)

श्री अनंगकुमार जैन : इसमें भारत सरकार द्वारा सीधा सम्बन्धित डी. आर. डी. ए. को पंचायत समिति के मुताबिक पैसा ट्रांसफर किया जाता है, (व्यवधान)....

श्री रतनलाल ताम्बी : मंत्री महोदय, मैं भी इस बारे में थोड़े विचार प्रकट करना चाहता हूं।

श्री अनंगकुमार जैन : जितना पैसा भारत सरकार के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है उसका 20 पर्सेण्ट राज्यांश उस डी. आर. डी. ए. को यहां से राजस्थान सरकार के द्वारा ट्रांसफर कर दिया जाता है।

आपके माध्यम से मेरा इस सदन को निवेदन है कि माननीय विपक्ष के नेता महोदय का यह आरोप बिलकुल निराधार है, असत्य है कि राज्य सरकार द्वारा इस

(श्री ग्रनंगकुमार जैन)

प्रकार के कोई निर्देश दिये गये हों कि विकास के कार्यों में पक्षपातपूर्ण रवैया ग्रपनाया जाय। बल्कि सरकार द्वारा यह स्पष्ट निर्देश हैं कि जो पैसा जिस पंचायत समिति के लिए ग्रलॉट किया जाता है। वह पैसा उसी में खर्च किया जाय। मैं ग्रापके माध्यम से सदन से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यदि ऐसा कोई मामला राज्य सरकार के या मेरे ध्यान में लाया गया कि किसी पंचायत समिति का पैसा दूसरी पंचायत समिति में खर्च कर दिया गया तो निश्चित रूप से उस अधिकारी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जायेगी।

जहां तक सांचोर पंचायत समिति का सवाल है इसको और पंचायत समितियों के मुकाबले ग्रधिक पैसा दिया गया है। छह पंचायत समितियां और हैं उनके ग्रन्दर इस वर्ष 75 लाख रुपया आवंटित किया गया है, सांचोर पंचायत समिति को एक करोड़ रुपये ग्रावंटित किये गये हैं। भारत सरकार की गाइड लाइन के मुताबिक ही राज्य सरकार ने ग्रभी डी. ग्रार. डी. ए. को दिशा-निर्देश दिये हैं कि उस गाइड लाइन के मुताबिक कार्य करें। माननीय प्रतिपक्ष के नेता ग्रॉबरप्टली यह कह गये कि पक्षपातपूर्ण रवैया कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक भी उदाहरण ऐसा नहीं दिया जिसके माध्यम से सदन के सामने यह स्थिति ग्राती कि कौनसा डी. आर. डी. ए. पक्षपात कर रहा है या कौनसा डी. ग्रार. डी. ए. विधिवत कार्य नहीं कर रहा है। डी. ग्रार. डी. ए. के सारे सदस्य, विधायकगण, सारे प्रधान, जिला प्रमुख ग्रौर जो भी सदस्य हैं, उन सारे सदस्यों की मीटिंग बुलायी जाती है। यदि माननीय सदस्य मेरे ध्यान में कोई ऐसा विषय लायेंगे कि किसी भी जिले के सम्बन्धित डी. आर. डी. ए. के द्वारा मीटिंग नहीं बुलायी जाती है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ राज्य सरकार के द्वारा.... (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : कोई नहीं बुलायी जाती। मिनिस्टर ग्रन-यूजफुल बात कर रहे हैं। कोई मीटिंग नहीं बुलायी जाती। मुझे भी कहा जाता है (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : लीपापोती कर रहे हैं। सरासर ग्रसत्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह सुनिश्चित भ्रष्टाचार की योजना है। इसमें 60-40 पर्सेण्ट का है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी तो उनके खिलाफ ग्राप कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं। ग्राप कार्यवाही कीजिये। जिला कलक्टर ग्रपनी मनमानी कर रहे हैं। (व्यवधान) ग्रपनी मनमानी से चला रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : (व्यवधान) राजनीतिकरण कर दिया है। (व्यवधान) जो भी योजनाएं हैं उनमें 60-40 का है। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : डी. ग्रार. डी. ए. के द्वारा मापदण्ड के

(श्री रतनलाल ताम्बी)

अनुसार राजस्थान में काम नहीं हो रहा है, यह स्पष्ट है। मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे क्षेत्र में जो योजनाएं हैं उसमें एक करोड़ रुपये प्रतिवर्ष भारत सरकार देती है। इसके लिये भारत सरकार ने गाइड लाइन दे रखी है। उस गाइड लाइन के अनुसार प्रदेश में नहीं चला जाता है और डी. आर. डी. ए. (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : गवर्निंग कौंसिल में जो प्रस्ताव लिये जाते हैं उसके बाद प्रोसिडिंग बदल दी जाती है। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : डी. आर. डी. ए. की गवर्निंग कौंसिल में कोई मंत्री नहीं होते हैं। डी. आर. डी. ए. में कोई सुनता नहीं है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : गवर्निंग कौंसिल में जो प्रस्ताव पास होते हैं उनकी पूरी की पूरी प्रोसिडिंग ही बदल जाये.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जो भी स्वीकृत हो उसकी जांच हो। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं डी. आर. डी. ए. की गवर्निंग कौंसिल में कोई स्वीकृति नहीं होती है....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार की सुनिश्चित योजना है भारतीय जनता पार्टी की। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : यह पूरा ब्यूरोक्रेसी के आधार पर चला जा रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : जांच का मामला है, इसमें जांच होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : इन सभी योजनाओं में (व्यवधान) चाहे वह........ (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : 60 पर्सेण्ट मजदूरी दी जा रही है, 40 पर्सेण्ट दी जा रही है।

श्री परसराम मदेरणा : प्राइम मिनिस्टर एश्योर्ड एम्प्लायमेंट स्कीम हो, चाहे जे. आर. वाई हो। बोर्डर एरिया में हण्ड्रेड पर्सेण्ट ग्रांट है। .. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, कृपया विराजें। बैठिये। आप विराजें। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : भारत सरकार के पैसे की लूट हो रही है, इसलिये इस व्यवस्था को ठीक किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप बैठें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें। (व्यवधान) क्यों बैठें, यह क्या सवाल है आपका। यह क्या व्यवहार है आपका ?

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष जी, एक निवेदन करना है....(व्यवधान)

:

श्री मदन दिलावर : यह कोई +++ है . (व्यवधान) आसन को +++

:

श्री राधेश्याम गंगानगर : एक आदेश दीजिये, कोई कलेक्टर छह-छह महीने तक मीटिंग नहीं बुलाता....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जांच कमेटी बिठायी जाये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह इस तरह से करेंगे तो कैसे होगा। जब प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे थे, उस समय यहां पर नेता महोदय को होना चाहिये था। जब हमारे नेता बोल रहे हैं तो वे खुद मौजूद हों या उप मुख्य मंत्रीजी हों। यह सबसे गलत बात है कि प्रतिपक्ष के नेता बोलें और एक नवम्बर पर कौन बैठे हैं यहां, श्री मदन दिलावर जी, वाह, क्या कहने हैं !

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत डा. उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा, राजकीय आयुर्वेदिक औषधालयों में जीवन रक्षक व अन्य औषधियों का अभाव होने तथा रसायनशालाओं में औषधियों का निर्माण न होने व बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसन का पुनर्गठन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में... (व्यवधान) चर्चा समाप्त।

श्री रतनलाल ताम्बी : उपाध्यक्ष महोदय, जो विषय चल रहा था उस पर पूरी चर्चा करने दें। मैं उस पर अपनी बात कहने का अवसर चाहता हूं। यह ऐसा गम्भीर मामला है जिस पर चर्चा करना आवश्यक है और जब यह विषय आ गया है और मंत्री महोदय ने जवाब भी दिया है तो इसके बारे में हम भी अपनी बात रखना चाहते हैं कि यहां करोड़ों रुपया राजस्थान में . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बात सुनें। आप मेरी बात सुनें। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : यह राजस्थान की जनता के हितों का सवाल है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इस सवाल के बारे में जब प्रतिपक्ष बहिर्गमन कर गया तो अब इस पर दुबारा प्रतिपक्ष को चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री भरतसिंह : कौनसे नियमों में लिखा हुआ है ?

श्री रामनारायण मीणा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैंने बहिर्गमन नहीं किया। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं इसके बारे में अपनी बात कहना चाहता हूं उसका अवसर नहीं दिया आपने। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर यह सुनिश्चत 'रोजगार योजना' 'सुनिश्चित भ्रष्टाचार' योजना बनी है (व्यवधान) न तो इसमें 60-40 रखा है और न ही 40 (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : अरबों रुपयों का मामला है। ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ मामला है। मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, कृपया हमको अवसर दीजिये अपनी बात कहने का (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

श्रीमती कमला : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री रामनारायण मीणा : ×××

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : ×××

श्री हीरालाल विश्नोई : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने इस पर चर्चा समाप्त कर दी है। आप विराजें।

श्री रामनारायण मीणा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मैंने इस पर चर्चा समाप्त कर दी है। आप विराजें। आपने बहिर्गमन कर दिया, रोष प्रकट कर दिया। चर्चा समाप्त।

श्री परसराम मदेरणा : बहिष्कार कर दिया, इसका मतलब यह है कि हमारा राइट ऑफ स्पीच चला गया ?

श्री रतनलाल ताम्बी : मैंने कहा कि मैंने बहिर्गमन नहीं किया। मैं इस बारे में बात कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपका इसमें नाम नहीं है। इस ध्यानाकर्षण में आपका नाम नहीं है। चर्चा समाप्त।

श्री रतनलाल ताम्बी : विशेष तौर से आपसे अनुरोध किया है।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त। चर्चा समाप्त। अंकित नहीं करें।

श्री रामनारायण मीणा : ×××

श्री हीरालाल विश्नोई : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आसन की अवहेलना कर रहे हैं। कृपया विराजें। मैंने इस पर चर्चा समाप्त कर दी। श्रीमती उजला अरोड़ा।

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

आयुर्वेदिक औषधालयों में दवाइयों का अभाव एवं बोर्ड ग्राफ इण्डियन मेडिसन का पुनर्गठन न होने से उत्पन्न स्थिति

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मान्यवर, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 अन्तर्गत राज्य में आयुर्वेद औषधालयों में जीवन रक्षक औषधियों के किट, औषधियों का अभाव तथा रसायनशालाओं में औषधियों का निर्माण न होने एवं बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसन का पुनर्गठन नहीं होने, सलाहकार मण्डल का गठन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में आयुर्वेद मंत्री का ध्यान आकर्षित करती हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें। व्यवधान नहीं।

श्री अचलाराम मेघवाल (राज्य मंत्री, आयुर्वेद) : अध्यक्ष महोदय, यह कहना गलत है कि आयुर्वेद विभाग की स्थिति दयनीय हो गयी है एवं ग्रामीण-जन एवं शहरी-जन को निराशा का सामना करना पड़ रहा है। विभाग द्वारा बेहतर चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु अनेक कदम उठाये गये हैं, जिससे सेवाओं में सुधार हुआ है।

विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में मनोत समिति की सिफारिशों के अनुसार दो समितियां गठित की गयी थीं :--

(1) केडर रिव्यू कमेटी

(2) औषधालयों के लिये मानदण्ड निर्धारण समिति।

श्री रामनारायण (नैनवां) : एक आइटम के ऊपर 10-10, 15-15 रुपये की चुंगी लगती है। मेरा निवेदन करना यह है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अचलाराम मेघवाल : इन दोनों समितियों के प्रतिवेदन....(व्यवधान)

श्री रामनारायण : पहले यह महत्वपूर्ण है। यह कोई वक्तव्य नहीं है। राज्य मंत्री श्री अचलाराम मेघवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर है। आप किस नियम के तहत बुलाना चाहते हैं हमें बता दीजिये माननीय उपाध्यक्षजी। इतने +++ मंत्री सरकार में बैठे हैं और माननीय मुख्य मंत्रीजी जब प्रतिपक्ष के नेता थे, साधारण से साधारण मामले में.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पहले आयुर्वेद मंत्रीजी का वक्तव्य हो जाने दीजिये।

+++ अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : पाइण्ट ऑफ इनफोर्मेशन ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें ।

श्री रामस्वरूप मीणा : पाइण्ट ऑफ इनफोर्मेशन ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया व्यवधान नहीं ।

श्री रामनारायण : इनको हटाते क्यों नहीं ? इनको मौका दे रहे हो आप । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी का वक्तव्य हो जाने दीजिए। आप विराजें। (व्यवधान)

श्री रामनारायण : इन्होंने दो-दो हजार रुपये में ट्रांसफर किये हैं । मैं इन पर आरोप लगाता हूं । आप जवाब दीजिये मेरी बात का ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, आप बोलें । माननीय रामनारायणजी, कृपया आप विराजें ।

श्री रामनारायण मीणा : हां, मैं विराज जाऊंगा । इनके एजेंट थे । तीन-तीन हजार रुपये में ठेका लिया है । उनके नाम बताइये । कलक्टर भ्रष्टाचार करें तो हमारी यहां सुनवाई नहीं हो और अचला राम मेघवाल के खिलाफ हाई कोर्ट में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज है वहां हमारी सुनवाई नहीं होती । आखिर हम जायें कहां ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप बताइये ।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें, श्री रामनारायणजी । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाण्ट आफ इन्फार्मेशन ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया नियमों का ध्यान रखें । माननीय मंत्रीजी का वक्तव्य हो रहा है । इसमें कोई पॉइण्ट ऑफ ऑर्डर नहीं होगा ।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसके बाद होगा ?

श्री अचलाराम मेघवाल : विभाग विकेन्द्रीकरण के पक्ष में है, लेकिन विकेन्द्रीकरण के साथ-साथ उपलब्ध साधनों को ध्यान में रख कर ही कोई निर्णय लिया जा सकता है ।

औषधालयों के बिजली, पानी के बिल जमा कराने हेतु राशि का आहरण वर्तमान में जिला आयुर्वेद अधिकारी द्वारा किया जाता है तथा भुगतान की व्यवस्था भी इनके द्वारा ही की जाती है । यह गलत है कि राज्य के दो तिहाई औषधालयों के नल, बिजली के कनेक्शन बिल जमा कराने के अभाव में कट जाते हैं । इस सम्बन्ध में जिला आयुर्वेद अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो । यदि फिर भी विशेष मामले विभाग के ध्यान में आयें तो इन मामलों में शीघ्र कार्यवाही की जायेगी । पानी व बिजली के बिल एवं अन्य आकस्मिक खर्चों हेतु सरकार औषधालयों के प्रभारियों को अधिकृत करने पर विचार कर रही है ।

(श्री अचलाराम मेघवाल)

औषधालयों में न्यूनतम औषधियां/जीवन रक्षक किट निरन्तर उपलब्ध रहें, इस हेतु राज्य सरकार द्वारा हाल ही में औषधियों की संख्या का विवेकीकरण किया गया है। अब यह प्रयास होगा कि ये दवाइयां प्रत्येक औषधालय में निरन्तर उपलब्ध रहें। रसायनशालाओं की अगले वर्ष की कार्य योजना भी अभी से तैयार कर ली गयी है ताकि सीमित अवधि में निर्माण किया जाकर औषधालयों को दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। जहां तक दानदाताओं द्वारा दिये गये भवनों के रख-रखाव का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में भी राज्य सरकार कार्यवाही कर रही है। जो भवन सार्वजनिक निर्माण विभाग की सूची में आ चुके हैं, उनके रख-रखाव की व्यवस्था हेतु सरकार उचित कदम उठाएगी। वैसे वर्तमान में तहसील स्तर से नीचे के भवनों में रख-रखाव की व्यवस्था सार्वजनिक निर्माण विभाग की नीति में नहीं है। विभागीय स्तर पर इन भवनों के रख-रखाव की प्रक्रिया सम्बन्धी प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।

उप निदेशक, आयुर्वेद के पदों की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हेतु प्रस्ताव राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रेषित किये जा चुके हैं और इस बैठक के शीघ्र आयोजन हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

जिला आयुर्वेद अधिकारी के रिक्त पदों को भरने हेतु प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा, क्योंकि नियमों में संशोधन के पश्चात् पहले आयुर्वेद चिकित्सकों की नियुक्ति स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की जावेगी। उसके बाद वरिष्ठता सूची जारी होने के बाद ही विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक सम्भव हो पायेगी। फिर भी विभाग प्रयासरत है कि यह कार्य भी जल्द से जल्द सम्पन्न हो जायें।

जहां तक चिकित्सकों के स्थायीकरण की बात है, राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 5-5-90 से पूर्व के समस्त अस्थायी/तदर्थ रूप से नियुक्त आयुर्वेद चिकित्सकों एवं वैद्य-द्वितीय श्रेणी की सेवाएं स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर नियमित की जावें। इस हेतु नियमों में संशोधन विचाराधीन है। संशोधन के पश्चात् स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा चयन की स्थिति में वरिष्ठता सूची जारी की जाकर स्थायीकरण किये जा सकेंगे। दिनांक 5-5-90 से बाद के चिकित्सकों की सेवाएं नियमित नहीं की जायेंगी। ये पद राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा भरे जायेंगे।

आयुर्वेद औषधियों के निर्माण हेतु अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर की रसायनशालाओं में औषधियों के निर्माण में द्रव्यों की कमी के कारण प्रगति अपेक्षा से कम रही है, लेकिन द्रव्यों का क्रय जटिल प्रक्रिया के कारण देरी से होता था। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा क्रय समिति का सरलीकरण कर दिया है और भविष्य में द्रव्यों का क्रय समय पर उपलब्ध हो पायेगा। रसायनशालाओं की क्षमता की पूरी उपयोगिता हेतु अगले वर्ष की कार्य योजना तैयार कर ली गयी है।

(श्री अचलाराम मेघवाल)

यह सही है कि विभाग के चार वन औषधि उद्यानों का समुचित विकास नहीं हो पाया है, जिसका मुख्य कारण धन एवं स्टाफ की कमी रही है। अब राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को योजना बनाकर प्रेषित की है। योजना की स्वीकृति के पश्चात् इन उद्यानों के विकास पर समुचित ध्यान दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा सारे राज्य में वन औषधियों का वृहद सर्वे प्रारम्भ किया है ताकि स्थायी तौर पर उपलब्ध औषधियों के उपयोग एवं विकास की योजना को कार्यरूप दिया जा सके। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा एक समिति का गठन भी किया गया है ताकि समय-समय पर इस सम्बन्ध में विचार किया जाकर उचित कदम उठाये जायें।

बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसन के चुनाव करने हेतु रजिस्ट्रार, इण्डियन मेडिसन बोर्ड को निर्देश दे दिये गये हैं....

श्री उपाध्यक्ष : कितना लम्बा वक्तव्य है, माननीय मंत्रीजी ?

श्री अचलाराम मेघवाल : जिस पर अग्रिम कार्यवाही जारी है। राज्य सरकार चाहती है कि यह चुनाव जल्दी हो व बोर्ड लोकतांत्रिक पद्धति के अनुसार कार्य करें।

बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसन का पुनर्गठन चुनावों के द्वारा भरे जाने वाले रिक्त स्थानों की पूर्ति के बाद शीघ्र किया जायेगा। बोर्ड को शीघ्र चुनाव कराये जाने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं। इसके साथ ही आयुर्वेद सलाहकार परिषद के गठन के प्रस्ताव राज्य सरकार स्तर पर विचाराधीन हैं। इस पर भी शीघ्र निर्णय ले लिया जावेगा।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद द्वारा प्रदत्त 'वैद विशारद' एवं 'आयुर्वेद रत्न' की शैक्षणिक योजनाओं को भारतीय केन्द्रीय चिकित्सक अधिनियम, 1970 एवं राजस्थान भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1953 दोनों द्वारा मान्यता प्राप्त होने के कारण ऐसे शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यार्थियों का पंजीकरण नियमों के विरूद्ध हुआ था। जिन अधिकारियों ने ऐसे शैक्षणिक योग्यताधारी एवं अन्य अनियमित पंजीकरण किया था उनका निलम्बन कर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में 8 अधिकारी निलम्बित हैं।

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को 80 प्रतिशत सहायता उपलब्ध नहीं करायी जाती। राज्य सरकार एवं भारत सरकार के मध्य हुए अनुबन्ध के अनुसार राज्य सरकार ने संस्थान को 13.68 लाख रुपये की अनुदान राशि प्रतिवर्ष स्वीकृत कर उपलब्ध करायी जा रही है।

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान अपनी निर्धारित उपलब्धियों के अनुसार कार्य कर रहा है और उनके द्वारा राजस्थान के हितों की कोई अनदेखी हो रही है। यह सही नहीं है।

एक माननीय सदस्य : इनको टोको, उपाध्यक्ष महोदय,। ये भाषण पढ़ रहे हैं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : मैंने टोका है।

श्री अचलाराम मेघवाल : जहां पर भी राजस्थान के हितों की अनदेखी सम्बन्धी

(श्री अचलाराम मेघवाल)

कोई तथ्य ध्यान में आयेंगे, उन पर राज्य सरकार तत्परता से कार्यवाही करेगी।

यह भी कहना सही नहीं है कि आयुर्वेद विभाग के बजट में कोई कटौती की जा रही है। पिछले वर्ष चिकित्सालयों को मिलने वाली दवाइयों का बजट दुगुना किया गया एवं 20 नये औषधालय स्थापित किये गये। आयुर्वेद विभाग के बजट में निरन्तर वृद्धि की जा रही है, जो निम्न प्रकार है....

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : आयुर्वेद मंत्रीजी की यह हालत है तो फिर यह.... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जैसी आवश्यकता है, वैसी दवाएं दे रहे हैं।

श्री अचलाराम मेघवाल : सन् 1993-94 में नॉन प्लान में 47 करोड़, 74 लाख 37 हजार और प्लान में 3 करोड़ 72 लाख 40 हजार। कुल 51 करोड़ 46 लाख 77 हजार। सन् 1994-95 में नॉन प्लान में 55 करोड़ 4 लाख 44 हजार व प्लान में 4 करोड़ 19 लाख 10 हजार। इनका योग 59 करोड़ 33 लाख 94 हजार। 1995-96 में 63 करोड़ 20 लाख 3 हजार यह नॉन प्लान में था, प्लान में 5 करोड़ 29 लाख और योग 68 करोड़ 49 लाख 3 हजार रुपये था। अतः जो भी आरोप ध्यानाकर्षण में लगाये गये हैं वे तथ्यात्मक नहीं हैं और गलत हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन। मुझे यह कहा गया था कि मंत्री जी के वक्तव्य के बाद अवसर दे दूंगा, मेरा एक सैकण्ड का है।

श्री उपाध्यक्ष : उसको पूरा होने दें। पूरा नहीं हुआ है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जब अपना उत्तर शुरू किया तो उधर से इतनी आवाजें आ रही थीं तो मैं पूरा-पूरा सुन नहीं पायी ... (व्यवधान)... मैं जितना सुन पायी हूं उसके आधार पर जो प्रश्न खड़े होते हैं, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि उन प्रश्नों के उत्तरों से सन्तुष्ट करें कि विभाग की स्थिति क्या है? लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगी कि इधर के लोगों को जरा शांत रखें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये। आप उनको निमन्त्रण मत दीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निवेदन करूंगी कि मंत्री महोदय बतायें कि मनोत कमेटी की रिपोर्ट उनको कब प्राप्त हुई थी? मनोत कमेटी और सत्येन्द्र कमेटी की रिपोर्ट, जो वरिष्ठता के सम्बन्ध में थी वह उन्हें कब मिली और उस पर उन्होंने क्या कार्यवाही की और कार्यवाही नहीं की तो क्यों नहीं की?

मंत्री महोदय ने कहा कि पानी और बिजली के सम्बन्ध विच्छेद नहीं हुए लेकिन मंत्री महोदय को जानकारी देना चाहूंगी कि वह जानकारी प्राप्त करें। उनके औषधालयों के प्रभारियों द्वारा केवल वेतन

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

प्रोहरण करने और पानी बिजली के पैसे प्रोहरण न करने से अनेक औषधालयों के पानी और बिजली के सम्बन्ध विच्छेद हो चुके हैं। जिला अधिकारी उनको समय पर राशि उपलब्ध नहीं कराते। मंत्री महोदय बतायें कि इस सारी व्यवस्था को ठीक करने के लिये वे क्या कदम उठाने वाले हैं और कब तक उठाने वाले हैं। बिजली पानी के जिन कनेक्शनों का सम्बन्ध विच्छेद हो गया है उनको कब तक जुड़ा देंगे और भविष्य की योजना में किस प्रकार सुधार करेंगे। इसका उत्तर वह दें।

मेरा तीसरा बिन्दु है कि जिला आयुर्वेद अधिकारियों के मंत्री महोदय बतायें कि कितने पद खाली हैं और कब से खाली हैं? क्या उनकी जांच चल रही है? क्या 70 प्रतिशत पद खाली हैं? क्या वरिष्ठता सूची तैयार नहीं हुई? यह सूची कब तक तैयार हो जायेगी, अनुसंधान कब तक कर लिया जायेगा, पद कब तक भर दिये जायेंगे? यदि नहीं, भरे जायेंगे तो आपकी क्या मंशा है यह बताने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उजला अरोड़ा जी, आप अपने विषय के अन्दर ही रहें, बाहर नहीं जायं, आप बाहर जा रही हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं अपने विषय के अन्दर ही हूं। एक भी शब्द मैंने विषय से हटकर बोला हो तो आप जांच कर सकते हैं, उसको कटवा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट सुन लें। राजकीय आयुर्वेद औषधालयों में जीवन रक्षक व अन्य औषधियों का अभाव होने तथा रसायन शालाओं में औषधियों का निर्माण न होने से, यह विषय है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं अगला बिन्दु बोल गयी, मैंने गलती कर दी क्या? इसको छोड़ गयी, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमने किट उपलब्ध करवा दिये तो मैं उस पर संतुष्ट थी। आप कहें तो मैं इसको दुबारा दोहरा दूं।

मैंने अगला बिन्दु लिया है कि 70 प्रतिशत पद खाली हैं, आपकी वरिष्ठता सूची कब तक तैयार हो जायेगी? आप कब तक चयन कर लेंगे? जिन अधिकारियों को आपने सस्पैंड कर रखा है उनकी जांच कब तक हो जायेगी? पद कब तक भर दिये जायेंगे? आप सोच सकते हैं कि जिला अधिकारियों के न होने से सामान्य चपरासी ताला खोलें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, जवाब दें अब आप बिराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे तीन-चार बिन्दु और हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यह जो नियमों की विसंगतियां हैं, इनका कब तक अध्ययन कर लिया जायेगा और कब तक आप इस विभाग को सुचारू रूप से सम्भाल पायेंगे? इण्डियन मेडिकल बोर्ड की सलाहकार

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

समिति और बोर्ड के गठन के अभाव में दो वर्ष हो गये हैं हमको दुबारा आये हुए, यह कार्य नहीं हुआ। मंत्री महोदय बताने की कृपा करें यह कार्य आप कब तक करा देंगे और सलाहकार समिति भी नहीं बनेगी और बोर्ड भी नहीं बनेगा तो किस प्रकार आप निर्णय ले पायेंगे ? यह बताने की कृपा करें।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि केन्द्रीय औषधि मण्डल को शिड्यूल में हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं के सम्बन्ध में यह दिया गया है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की 'आयुर्वेद रत्न' की जो परीक्षाएं है, जिन्होंने पास कर ली हैं वे पंजीकृत कर दी जायें। वे पंजीकृत कर दी गयी। अभी दोनों में विघटन हुआ है, दो संस्थाएं बन गयी एक के बजाय तो आपको क्या मतलब है वह दो बनायें। आपके लिए शिड्यूल में प्रयाग लिखा हुआ है। प्रयाग और इलाहाबाद एक ही जगह का नाम है। आप उसमें घुस करके पुराने पंजीकृत वैद्यों को, उनकी जो डिग्री है, उनको निरस्त कर रहे हैं। डिग्री निरस्त की जा सकती है अगर किसी ने डिग्री का मिसयूज किया हो। अगर डिग्री से किसी की हत्या की गयी हो तो उसका पंजीकरण निरस्त कर सकते हैं। जिन कारणों से आप पंजीकरण निरस्त कर रहे हैं वे कारण ठीक नहीं हैं। आप अपना उत्तर दें कि आपने ऐसा क्यों किया है और आप क्या करने वाले हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने कहा कि आयुर्वेद का बजट बढ़ा लिया गया है। पांच करोड़ पहले था, पांच करोड़ उसके बाद था, पांच करोड़ उसके बाद था, पांच करोड़ अब है, अगर नॉन प्लान में आपके पास कुछ राशि आयी हो, उसको आप पर्याप्त मानते हो तो मुझे कुछ कहना नहीं है लेकिन अन्य औषधियों का, अन्य विभागों का चिकित्सा क्षेत्र में कितना बड़ा बजट है। मुझे आपके उत्तर से कतई संतुष्टि नहीं होती है। मैं चाहती हूं कि आप इस सम्बन्ध में प्रयास करें। सब चीजों की कीमत बढ़ गयी, दवाइयों की कीमत बढ़ गयी, वैद्यों के वेतन बढ़ गये हैं, अगर नहीं देंगे तो हड़ताल होगी। आप अधिक से अधिक लेने का प्रयास करें।

श्री उपाध्यक्ष : आदरणीय उजला जी, कृपया आप बिराजें। आपने बहुत सवाल पूछ लिये। इनको याद नहीं रहेंगे फिर। आप बिराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इनको याद नहीं रहेंगे तो मैं दुबारा पूछ लूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय। यह ध्यानाकर्षण में जो ध्यान आकर्षण आपका किया है केवल उन्हीं का उत्तर दें।

श्री अचलाराम मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, दोनों ही समितियों की जो रिपोर्ट आयी वह 30 नवम्बर, 1995 को फाइनेंस को भेज दी गयी है। वहां की स्वीकृति होने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

नल और बिजली के कनेक्शन सम्बन्धी जो बात आपने बतायी है, हालांकि हमारे

(श्री अचलाराम मेघवाल)

पास ऐसी कोई शिकायत आयी नहीं जिला अधिकारियों द्वारा, अगर ऐसी शिकायत है तो जिला अधिकारी को करें, जिला अधिकारी हमें कहें और पता लगा करके आगामी वर्षों में पांच सो या हजार रुपये के आसपास उनको इस सम्बन्ध में अलॉट कर दिये जायेंगे ताकि यह व्यवस्था सुव्यवस्थित चले।

आपने बताया कि सत्तर प्रतिशत जिला अधिकारियों के पद रिक्त हैं। जिला अधिकारी 31 हैं जिसमें सिर्फ 13 पद रिक्त हैं। नियमों में संशोधन होने के बाद ही उनको डी. पी. सी. बिठा करके किया जायेगा वरना लीटिगेशन होने की संभावनाएं हैं।

आपने बताया कि कुछ जिला अधिकारी निलम्बित हैं, उनका निलम्बन करके हमने प्रथम दृष्टया रिपोर्ट में ही यहां सदन में ही आवाज उठी, उसकी जांच कराकर हमने निलम्बन किया है और अब आप यह कह रहे हैं कि उनको बहाल किया जाय....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने यह कहा कि फाइनल रिपोर्ट कब तक आ जायेगी कब तक उनको....

श्री अचलाराम मेघवाल : तो उनको चार्जशीट दे दी गयी है। फाइनल रिपोर्ट डी. ओ. पी. के पास जब भी आयेगी उस सम्बन्ध में वार्ता कर लेंगे। नियमों के संशोधन सम्बन्धी कार्यवाही चल रही है और जब भी केबिनेट में आ जायेगी नियम सुधर जायेंगे।

बोर्ड के गठन के लिये हमने रजिस्ट्रार को आदेश दे दिया है। उसने कार्यवाही शुरू कर दी है। सलाहकार समिति के गठन के लिये हमने लिख दिया है, जब भी यह स्वीकार हो जायेगी उसको कर लेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कोई टाइम बाउन्ड प्रोग्राम है आपका ?

श्री अचलाराम मेघवाल : वह अभी मुझे पूरा-पूरा तो याद नहीं है लेकिन इनका नाम भी उसमें होगा।

केन्द्रीय औषध मंडल में प्रयाग की जो बात आपने बताई है अगर सी. सी. आई. रूल्स के अन्दर है तो उनको नहीं हटाया जायेगा। अगर सी. सी. आई. रूल्स के अन्दर नहीं है तो निरस्त किये जायेंगे।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक प्रश्न आपकी अनुमति से ही पूछ लूं। आपकी अनुमति चाहती हूं। मैं सदन के सामने एक गहन विषय लायी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें। बहुत इम्पार्टेन्ट मेटर है सदन के सामने।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह विषय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित है।

श्री उपाध्यक्ष : आप सवाल करना चाहती हैं। मंत्रीजी जवाब नहीं दे पायेंगे। आप विराजें। मैं उनको जवाब देने की अनुमति नहीं दूंगा। इसलिए कृपया आप विराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे दो-तीन प्रश्नों का स्पष्टीकरण ले लेने दीजिये। मैं आपके इस व्यवहार से बहुत असन्तुष्ट हूं।

विभिन्न विषयों पर विचार

राज्य में अकाल, ओलावृष्टि तथा शीतलहर के प्रकोप से फसलों को हुई क्षति से उत्पन्न स्थिति पर विचार

राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर विचार

राज्य में विद्युत समस्या पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री सांवरलाल जाट, सहायता राज्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राज्य में अकाल, ओलावृष्टि तथा शीत-लहर के प्रकोप से फसलों को हुई क्षति से उत्पन्न स्थिति पर विचार किया जाये।

श्री सांवरलाल जाट (राज्य मंत्री, सहायता) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य में अकाल, ओलावृष्टि तथा शीतलहर के प्रकोप से फसलों को हुई क्षति से उत्पन्न स्थिति पर विचार किया जाये।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब तक सदन की परम्परा रही थी कि जो हमारी प्रेस है उसके लिए हमेशा बजट की कापी दी जाती थी। कल जैसा हमको देखने को मिला धक्का-मुक्की हो रही थी। वे अपनी मांग कर रहे थे कि हमको एक कॉपी दे दो। प्रेस के लिए कॉपी दे दी जाती तो क्या फर्क पड़ता था। आपने कॉपी के ढाई तीन सौ रुपये खर्च किये है, डेढ़ सौ कर देते, सौ कर देते लेकिन हमारे देश का एक मीडिया है, चौथा स्तम्भ है उसकी उपेक्षा की गई है। जिस प्रकार का अपमान उनके साथ कल किया जा रहा था उसके ऊपर मेरा निवेदन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बात की घोषणा करें कि उनको कॉपी दे दी जायेगी। इसलिए मुझे इस बात का खेद है और इस खेद के साथ मैं इस सदन को इस बात के लिए अवगत कराना चाहता हूं कि मैं भी प्रेस से आया हूं। प्रेस हमारी मदद करती है। प्रेस हमारी आवाज को पहुंचाती है। अगर प्रेस का अपमान किया गया और इस प्रकार कॉपी नहीं बंटवाई गई तो ऐसे सदन में बैठने से कोई फायदा नहीं। मैं बहिष्कार करता हूं।

(श्री रामस्वरूप द्वारा बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल, गृह मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विचार किया जाये।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव

(श्री कैलाश मेघवाल)

करता हूं कि राज्य मे कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विचार किया जाये। जिसके बारे में मेरा निम्न वक्तव्य है। राज्य में कानून एवं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वक्तव्य आप बाद में दे देना।

श्री शिवनाथ सिंह : पहले इस पर चर्चा हो जाये तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री कैलाश मेघवाल : ... (व्यवधान) इस पर जवाब दे देंगे उसका।

श्री उपाध्यक्ष : एक साथ ले रहे हैं। तीनों मामलों को एक साथ ले रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं एक वक्तव्य रख देता हूं सदन के सामने.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : तीनों मामलों को एक साथ ले रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : मेरा वक्तव्य तो पढ़ दूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय। इसके बाद आप उठा लेना जितने सवाल उठाना चाहे (व्यवधान)....राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति गत एवं वर्तमान वर्ष में सन्तोषप्रद एवं पूर्व नियन्त्रण में रही। साम्प्रदायिक सद्भावना बनी रही ....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह गलत है.... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जोशी जी। आप बार बार उठ जाते हैं और व्यवधान करते हैं सदन में। आप बिराज जायें। बिना सदन की आज्ञा के उठे नहीं। आसन की आज्ञा लीजिये, फिर उठिये, फिर बोलिये।

श्री कैलाश मेघवाल : कुछ स्थानों पर छुट-पुट घटनाओं को लेकर साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करने के प्रयासों को स्थानीय स्तर पर ही पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के सामूहिक हस्तक्षेप से निष्फल कर दिया गया तथा जन-जीवन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। शिक्षण संस्थाओं एवं औद्योगिक क्षेत्र में भी स्थिति सन्तोषप्रद रही। कुल मिलाकर शान्ति तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने में राज्य सरकार सफल रही है। राज्य में अपराध की की स्थिति नियन्त्रण में रही है वर्ष 1995 में 1994 की अपेक्षा हत्या के अपराधों में कमी आई है। गत वर्ष अपराधों के त्वरित अनुसंधान हेतु विशेष प्रयास किये गये जिसके फलस्वरूप 1995 के अन्त में वर्ष में भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कुल पंजीकृत अभियोगों में से....

श्री जुबेर खान : ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं वक्तव्य पढ़ रहा हूं। उसके बाद आप पाइण्ट आफ आर्डर उठायें ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें, वक्तव्य हो जाने दीजिए।

श्री जुबेर खान : जो कार्य सूची आपने हमको दी थी उसमें क्लीयरकट कहा है

(श्री जुबेर खान)

कि श्री कैलाश मेघवाल गृह मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि .. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात सुनी जायेगी।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : हमारी बात की बात नहीं है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ....(व्यवधान) .. मंत्री महोदय बोलें, यही मैं कहना चाहता था। आप हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। मैं भी, यही कहना चाहता था कि पहले माननीय सदस्यगण की बात सुनें और उसके बाद माननीय मंत्री महोदय उत्तर दें। हमारे अधिकारों का संरक्षण तो आप ही करेंगे और इसीलिए मैंने बार-बार निवेदन किया था .. (व्यवधान)....

श्री कैलाश मेघवाल : प्रस्ताव रखना है। प्रस्ताव क्या है....(व्यवधान)....कानून और व्यवस्था पर चर्चा की जाये। कानून और व्यवस्था पर मैं मेरा वक्तव्य रख रहा हूं और यह वक्तव्य रखने का मेरा अधिकार है।....(व्यवधान)....

श्री शैलेन्द्र जोशी : पहले हम कहेंगे तभी तो आप उत्तर देंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : इनको बहस करने के लिये तैयार रहना चाहिए। इनके पास जो भी मुद्दे हो, उठायें। यह किस तरह की व्यवस्था हो गई है। बार-बार उठना, जैसे स्प्रिंग लग रही हो.... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : पहले हम कहेंगे तभी तो आप उत्तर देंगे। हम अपने पाइन्ट्स उठायेंगे, आप उनका जवाब दीजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हम हमारे अधिकारों के अन्तर्गत बात कर रहे हैं।.... (व्यवधान) .. पहले हमको हमारी बात कहने दी जाये उसके बाद माननीय मंत्री महोदय का उत्तर लिया जाये.... (व्यवधान)....

श्री कैलाश मेघवाल : मेरा अधिकार है वक्तव्य देने का और इस .. (व्यवधान)....

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : जैसे अकाल राहत मंत्रीजी ने प्रस्ताव किया है विचार किया जाये। हम लोग विचार करेंगे उसके बाद वे जवाब देंगे। उसी प्रकार से कानून व्यवस्था पर भी हम विचार करेंगे उसके बाद गृह मंत्रीजी अपना जवाब देंगे।...(व्यवधान)....

श्री जुबेर खान : कार्यसूची में कोई वक्तव्य नहीं है। प्रस्ताव करेंगे कि इस पर विचार किया जाये।....(व्यवधान) .. उसके बाद गृह मंत्रीजी बोलेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं अपना वक्तव्य पढ़ूंगा। इसमें एतराज क्या है। उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे सहमति दी है। उनकी सहमति से मैं खड़ा हुआ हूं। उसके बाद आपको चर्चा के मुद्दे उठाने का अधिकार होगा। इस पर आपको ऐतराज किस बात का हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आता माननीय विधायकों को एतराज किस बात का है....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : फिर कार्य-सूची का मतलब क्या है। एतराज इस बात का है कि इस कार्य सूची का मतलब क्या है? इस कार्य सूची का महत्व क्या है? इस कार्य सूची को आप रहने दीजिये (व्यवधान)....

श्री कैलाश मेघवाल : मैं अपना वक्तव्य दे रहा हूं। उस वक्तव्य में जितने भी सवाल होंगे सब सवालों का जवाब दिया जायेगा... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, यह कार्यसूची सदन की सहमति से तय करते हैं इसमें संशोधन कराइये।... (व्यवधान) लेकिन गृह मंत्रीजी पहले वक्तव्य देंगे... (व्यवधान)....

श्री हरिसिंह (महुआ) : The House is governed by the Rules.

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आपने कार्य-सूची में शामिल किया नहीं है इसको ... (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : यह नियमों में चल रहा है और नियमों का उल्लंघन बराबर इस तरह से हो रहा है ... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था तो.... (व्यवधान).... जब आपने पहले.... (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : कोई मुद्दा नहीं है .. (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : गृह मंत्री महोदय पहले बोलें उससे पहले हमारी बात सुनी जाये। क्या व्यवस्था हो रही है ला-एण्ड आर्डर की। उसके बाद आप उत्तर दें। इनको प्रीमियम-बोनस देने का कोई कारण नहीं है।... (व्यवधान) हम शासन से समानता के व्यवहार की अपेक्षा करते हैं।

श्री जुबेर खान : आप पहले मेरे पाइन्ट आफ आर्डर पर व्यवस्था दीजिये उसके बाद मंत्रीजी बोलेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : वक्तव्य के बीच में कोई पाइण्ट आफ आर्डर नहीं उठाया जा सकता।

श्री शैलेन्द्र जोशी : पहले हम हमारी बात कहेंगे उसके बाद ही मंत्री महोदय अपना उत्तर दें।....(व्यवधान)....उनको कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री का यह अधिकार है .. (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : राजस्थान में क्या स्थिति है ला एण्ड आर्डर की। आपने राजस्थान को तबाह कर दिया। राजस्थान में जगह-जगह चोरी, भ्रष्टाचार हो रहे हैं....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियमों के अन्दर प्रावधान है उसके अनुसार कार्यसूची बनती है और उस कार्यसूची के अनुसार कार्य चलता है। लेकिन मंत्रीजी ने जिस तरीके से अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, पहली चीज

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

तो तीनों विषयों को अलग कर दिया गया।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ... (व्यवधान)....हमारी बात कहेंगे उसके बाद मंत्री महोदय जो उत्तर देना चाहें दें।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अकाल कानून-व्यवस्था और बिजली तीनों पर अलग-अलग विचार होना चाहिए। अगर आप उसको क्लब भी करते हैं तो यहां पर पहले हमारे विचार सुनें जायें और उसके बाद गृह मंत्रीजी अपना जवाब दें। कार्य सूची का उल्लंघन किया जा रहा है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय जो आपने परम्परायें बनाई हैं उन परम्पराओं के अनुसार ही आप चलें। ये परम्परायें तोड़ना अच्छा नहीं है। सदन की गरिमा को बनाये रखना आपको फर्ज है, जो आपने एस्टेब्लिस्ड ट्रेडिशंस बनाए हैं उन्हीं के मुताबिक आप काम करें।

श्री कैलाश मेघवाल : मेरा वक्तव्य देने का मुझे अधिकार है... (व्यवधान)....

श्री जुबेर खान : आप इसको देख लो कार्य सूची को... (व्यवधान)....

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपको कोई अधिकार नहीं है.... (व्यवधान)....

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह तो मोनोपोली सिस्टम है... (व्यवधान)....

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी में कोई अनुशासन नहीं रह गया है... (व्यवधान)....उनके व्हीप की.... (व्यवधान)....

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय गृह मंत्री महोदय आप तो बैठिये..(व्यवधान)....

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से अगर कार्य सूची (व्यवधान)..आप गलत परम्पराएँ डाल रहे हो। उपाध्यक्ष महोदय ऐसी परम्परा ठीक नहीं है। आप कार्य सूची के ऊपर व्यवस्था दीजिये कि आप कार्य सूची का उल्लंघन....(व्यवधान)....

श्री शैलेन्द्र जोशी : क्या सदन माननीय मंत्री महोदय की इच्छा से चलेगा? (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : वक्तव्य ही दिलवाना है तो पहले अकाल राहत मंत्रीजी का वक्तव्य दिलवायें।....(व्यवधान).... सबसे पहले अकाल राहत पर विचार होगा उसके ऊपर डिस्कशन पूरा होगा उसके बाद नम्बर टू पर यह आयेगा। समझ में नहीं आता आपने समझ क्या रखा है हाउस को यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। + + + इस हाउस को।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सबसे आखिर में ला एण्ड आर्डर के लिये माननीय गृह मंत्रीजी से बुलवाया जाये। पहले जो माननीय सदस्य अपनी बात कहें वह सुनी जाये।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : किशनगढ़ से आने वाले विधायक आप खड़े क्यों हैं? आप तो बैठ जायें। हम तो यहीं थे आप तो दिल्ली रिटर्न हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप तो व्यवस्था दीजिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो अपनी तरफ से व्यवस्था दीजिये।.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें तो सही, विराजें आप....

श्री कुबेर खान (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आप बतायें कि कार्य सूची के आधार पर बोला जायेगा। तो पहले वक्तव्य होगा अकाल राहत, मंत्री का.... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : कार्य सूची के अन्दर पहले अकाल राहत का.... (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : पहले वक्तव्य होगा बाद में माननीय सदस्य बोलेंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : कानून-व्यवस्था के अन्दर जो हमारे विचार जाने जायेंगे और उसके बाद होम मिनिस्टर वक्तव्य देंगे।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमारे विचारों का क्या होगा? हम क्या विधान सभा भवन की दीवारों को सुनायेंगे ...(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : पहले वक्तव्य पढ़ा जायेगा और बाद में उसका जवाब दिया जायेगा। मुझे वक्तव्य देने का अधिकार है, आपको वक्तव्य सुनने में एतराज क्या है?

श्री कुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, आप तो व्यवस्था दीजिये हम आसन की ओर से व्यवस्था की अपेक्षा करते हैं। आप आसन की ओर से मंत्री महोदय को आदेश दें कि पहले विधायकों को सुना जाये। उसके बाद ही....(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : मुझे यह अफसोस है कि यह जो विधायक हैं। उन्हें यह नहीं मालूम है कि मंत्री को कभी भी चर्चा में चेयर की इजाजत से स्टेटमेंट देने का अधिकार है। मैंने आपसे इजाजत देने को... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी को अब आपने बोलने के लिये कहा तो आप व्याख्या दीजिये कि पहले माननीय सदस्य बोलेंगे। उसके बाद में ही वह जवाब दें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मंत्री महोदय अलग से नहीं कह सकते हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : Don't drag the Chair. You are a senior Minister. Don't behave as if you are the first ...

श्री कैलाश मेघवाल : आप तो दिल्ली रिटर्न है ।

श्री जगदीप धनखड़ : तब ही तो देखी देहली... (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : जब चाहे बोलने के लिये खड़े हो जाते हैं ।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : बोलना पड़ता है ।

श्री कैलाश मेघवाल : किशनगढ़से आने वाले माननीय विधायक ...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीन उपाध्यक्ष महोदय, इतना समय हो गया है । आप व्यवस्था दीजिये आसन की ओर से ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें आप । प्रतिपक्ष के नेता महोदय बोल रहे है । मंत्री जी बिराजें आप ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई पर्टिकूलर लॉ एण्ड आर्डर के इन्सीडेण्ड के ऊपर स्टेटमेंट या वक्तव्य नहीं है, यह जनरल डिस्कशन है है और पूर्व में भी जो डिमाण्ड के ऊपर रहा है कि मंत्री जी आखिर में अपना उत्तर देते हैं । विचारार्थ लिया जाये, यह बिलकुल ही जिस तरह से अकाल राहत मंत्री जी ने विचारार्थ लेने की बात कही है । विचारार्थ लेने के लिये आपको सदन को सूचित कर देना चाहिये । आप खड़े होकर स्टेटमेंट देने लग गये और हम क्या कहने वाले हैं उसका क्या आप दुबारा उत्तर देंगे ? आप पहले अपना जो बना-बनाया उत्तर लाये हो उसका ढोल पीटने का और बिरदावली गाने का, वह तो आप पढ़कर सुना देंगे । हमारे सुझाव को पहले सुनिये आप । उसके बाद में You are answerable to this August House आप आंसरेबल सदन को हो, । आप सबकी बात शांति से सुनने बाद गवर्मेंट का जो व्यू पाइण्ट है वह गवर्नमेंट के प्रभारी मंत्री की हैसियत से आप उसका उत्तर दीजिये । यह पहले आप खड़े हो रहे हैं और जोर-जोर से बोल रहे हैं, 'चुस्त और दुरुस्त' मुझे दिख रहा है । 'चुस्त और दुरुस्त' शब्द से कुछ नहीं होता है । आप जैसा इतना 'सुस्त' होम मिनिस्टर मैंने नहीं देखा ।

श्री उपाध्यक्ष : चुस्त ?

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, सुस्त हैं । इसलिये अब आप कृपया शांति से हैव पेसेन्स लिसिन द व्यूज आफ ऑनरेबल मेम्बर्स और उसके बाद में उत्तर दीजिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही आश्चर्य की बात है कि विपक्ष के माननीय सदस्य कई बार यह कहते हैं और मैं समझता हूं कि प्रतिदिन ही यह बात कहते हैं कि मैं विरोधी दल में था वही काम ये कर रहे हैं ।

श्री शिवनाथ सिंह : आज नहीं कहा है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज नहीं कहा है । जब भी मैं खड़ा होता हूं या

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जब भी कोई ऐसा प्रश्न आता है तो विरोधी प्रतिपक्ष की तरफ से यह कहा जाता है कि यह काम आप कर रहे थे तो हम उसी के अनुसार काम कर रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि पार्लियामेंट्री लाइफ में आज का जो विचित्र दृश्य देखा है, हम जब अपोजिशन में थे तो मांग करते थे कि सरकार पहले स्टेटमेंट दें और फिर चर्चा करायें । आज दुर्भाग्य यह है कि, कोई भी इस सबन्ध में आता तो यह मांग करते थे कि सरकार की तरफ से वक्तव्य दिया जाये। अब मेरी बात तो सुन लो... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये आप, आप सुनिये, व्यवधान नहीं ।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अकाल राहत मंत्री जी का स्टेटमेंट कराइये। आप पहले अकाल राहत मंत्री जी का स्टेटमेंट कराइये ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह भी करवा देंगे कोई खास बात नहीं है। मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूं ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप सुनिये ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कायदे-कानून सबके लिये एक हैं । परम्पराएं सबके लिये एक है व्यवस्थायें सबके लिये एक हैं। पहले परम्परायें यह रही हैं कि हम लोग मांग करते थे कि मंत्री का स्टेटमेंट दिलाया जाये ताकि चर्चा हो। अब आज वक्तव्य दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि आप पहले हमको सुनों ।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : आज चर्चा है। इसमें डिफरेन्स है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप सुन तो लीजिये । आपको जब गृह मंत्री जी ने बार-बार यह कहा है कि मैं आपकी चर्चा का भी जवाब दूंगा, तो आपको इसमें आपत्ति क्या है ?

श्री विष्णु मोदी : चर्चा करा लें ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : चर्चा तो करा लेंगे लेकिन वे तो उलटा आपको मैटेरियल दे रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : गवर्नर एड्रेस पर मिल चुका है वह मैटेरियल ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं सोचता हूं कि कोई स्टेटमेंट दे और स्टेटमेंट के आधार पर आपको मैटेरियल मिल रहा है। उसमें आपको आपत्ति क्या है ? आपको मैटेरियल दे रहे हैं उसमें भी आपको आपत्ति है। और दूसरा....

श्री विष्णु मोदी : ला एण्ड आर्डर की स्थति है। उसका हमें एनफ मैटेरियल दे रखा है। आप तो कृपा करके वह सुन लें फिर हमारी एक-एक बात का उत्तर दे दें ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मोदी जी, एक बात बताऊं अगर यह स्टेटमेंट भी दे दें नम्बर एक और आप भी चर्चा कर लें और चर्चा के बाद में फिर यह उत्तर दे दें तो आपको आपत्ति क्या है ?

श्री विष्णु मोदी : आप एक बात तय कर दीजिये कि आप पांच बजे इस हाउस को खत्म नहीं करेंगे तो आप सब स्टेटमेंट करा दीजिये और फिर उसके बाद में सबको बोलने दीजिये । जब सब बोल लें तब तक आप हाउस चलाने का वायदा कर लीजिये तो आप 10 स्टेटमेंट दे दें ।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : पहले आप अकाल राहत मंत्री जी का स्टेटमेंट करायें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हाउस चलाने और न चलाने का निर्णय मेरे हाथ में नहीं है

श्री विष्णु मोदी : सारे आपके इशारे पर ही होते हैं । सब नियमों को तोड़ने का तो आपने ठेका ले रखा है । आप हाउस चलाने की गारण्टी कर दें उसके बाद में सब स्टेटमेंट कराइये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बता दूं हाउस चलाना, नहीं चलाना आप तो पहली बार आए हैं । हम लोग तो खड़े के खड़े ही रह गये थे । मदेरणा साहब, रामनारायण जी बैठे हैं । हाउस चलाने और न चलाने का फैसला तो स्पीकर के हाथ में है । मेरे हाथ में नहीं है । मुझे काम का दिन दिया गया है । अगर आप शांति से सुनें तो कल सुबह तक चाहें हाउस को चलाइये मुझे कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन आप विघ्न नहीं करें । यह फैसला करना तो स्पीकर के हाथ में है मेरे हाथ में नहीं है ।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो परम्पराएं हैं सदन में उसकी अनुपालना होनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : वह मान लीं साहब उन्होंने ।

श्री परसराम मदेरणा : किसने मान ली ? कोई परम्परा ही नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी ने मान ली है । आज जिस परम्परा की बात मुख्य मंत्रीजी कह रहे है यह परम्परा सदन में कभी भी नहीं रही है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही रही है परम्परा ।

श्री परसराम मदेरणा : कब रही है बताइये आप ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमेशा रही है । हमने डिमाण्ड की है कि हाउस में स्टेटमेंट दिया जाये और सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार यह कहा जाता रहा था कि ...

श्री परसराम मदेरणा : स्टेटमेंट दिया जाता है, काल अटेंशन के ऊपर दिया जाता है । अगर जनरल चर्चा होती है तब दिया जाता है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं । बोलिये, अगर बोल रहे हो तो आप ।

श्री परसराम मदेरणा : हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं । आप एक नयी परम्परा डाल रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह कौशल, ऊर्जा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राज्य में विद्युत समस्या पर विचार किया जाये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य की विद्युत समस्या पर विचार किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम। (अनुपस्थित) श्री लक्ष्मण सिंह। (अनुपस्थित) श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत सत्र में यह विश्वास दिलाया गया कि राजस्थान के किसानों को बिजली आठ घण्टे दी जायेगी। यह सरकार ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि ग्रामीण अंचल के लोगों को, जिनके जीवन का एकमात्र जरिया खेती है। उन किसानों को आठ घण्टे निर्बाध रूप से बिजली दी जायेगी।

(15.00)

उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया, आठ घण्टे की जगह एक दिन में आठ-आठ मिनट भी बिजली नहीं मिली। जहां तक सवाल है दौसा जिले का, तो मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बताऊं कि रात के समय बिजली आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जगह-जगह फाल्ट हो गये हैं और उन फाल्ट को भी ठीक नहीं कर पाये हैं। हमारे यहां बिजली के सुधारने की कोई व्यवस्था नहीं है। जब-जब ए.ईएन. और एक्स. ईएन. को पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि हीरापुरा का जो ग्रिड है उससे बिजली नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति में किसान रात भर जागते हैं और जागने का परिणाम यह रहा कि कभी पांच मिनट के लिए बिजली आयी, तो कभी 10 मिनट के लिए बिजली आयी। इस तरह से खेतों में सोते-सोते ठण्डे पानी में हाथ देते-देते उनकी सुबह हो जाती है। जो राजस्थान की सरकार की बिजली की सप्लाई, इस तरह से है। कुए के पास में जो मोटर है उसके ऊपर आग जला कर जागते रहते हैं और देखते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज की बिजली अब आयी, अब आयी। पांच मिनट, दस मिनट जैसे ही बिजली आयी वे आग कर जाते हैं और जाते ही बिजली गयी।

इसके अलावा मेरा निवेदन करना है कि बिजली के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी ने जगह जगह जिले पर प्रदर्शन किया, उप जिले पर प्रदर्शन किया, तहसील पर प्रदर्शन किया। हजारों किसानों ने इस बात के लिए सावचेत किया कि सरकार की घोषित नीति है उसके अनुसार बिजली मिले किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि बिजली नहीं मिली। इसके अलावा जिन लोगों ने 1995 में बिजली के कनेक्शन के लिए आवेदन किया था उनकी भी लिस्ट आज तक पेंडिंग है। यह सरकार केवल पैसे वालों के लिए बिजली उत्पादित कर रही है। इन्होंने वन पोल, टू पोल स्कीम चालू की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले वन पोल स्कीम, टू पोल स्कीम के लिए करीब 18 हजार रुपये और यदि 10 हार्स पावर की मशीन है तो ढाई हजार रुपये के हिसाब से पच्चीस हजार रुपये की

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

सिक्योरिटी थी। आज दो पोल स्कीम में 42 हजार या 45 हजार रुपये देने पड़ेंगे। राजस्थान सरकार की किसानों के लिए यह गिफ्ट है, अनुपम भेंट है। इतना ही नहीं, इस पर भी जुल्म यह किया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि वन पोल, टू पोल में 45 हजार रुपये रखवा लिये उसके बाद माननीय मंत्री महोदय, से मैं पांच बार मिला और मैंने कहा कि आपने तो आश्वासन दिया था कि वन पोल में जिन्होंने पैसे दे दिये हैं उनको आप कनेक्शन देंगे, तो फिर जान बूझकर आर. एस. ई. बी. क्यों दबाव दे रही है कि अब उनको नर्सरी का कनेक्शन देंगे। उनको कहते हैं कि या तो आप पैसे रिफण्ड करवा लीजिये वन पोल स्कीम के, टू पोल स्कीम के अन्यथा हम आपको नर्सरी में देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नर्सरी के कनेक्शन का मतलब है कि करीब 1 रुपये 37 पैसे प्रति यूनिट बिजली की आती है और वन पोल टू पोल में जिन्होंने कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था उस में लगभग 70 नये पैसे प्रति यूनिट पड़ता है। अभी इस समय कई जगह चार्जेज बढ़ गये हैं। तो मेरा निवेदन करना यह है कि किसानों के साथ धोखा किया गया है। हमारी कांग्रेस के राज में कभी भी वन पोल, टू पोल के 9-9 हजार, 18-18 हजार रुपये नहीं लिये गये। तो मेरा निवेदन करना यह है कि इस तरीके से यह सिलसिला करीब तीन महीने तक रहा और फिर मैं माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से अनेक बार मिला पर ऊर्जा मंत्रीजी ने कुछ नहीं किया। टेक्निकल स्टाफ ने जान बूझकर वन पोल, टू पोल में गड़बड़ की है। एक्चुअली यह है कि वन पोल, टू पोल स्कीम के अन्तर्गत ये कनेक्शन दिये ही नहीं जाने चाहिए थे। इनके विभाग की बेई-मानी, इनके विभाग का भ्रष्टाचार, इनके विभाग के टेक्निकल अफसरों की गड़बड़ के कारण आज राजस्थान के किसान भुगत रहे हैं। गत दिनों में आपको मालूम है कि मीटर का किराया किस हद तक बढ़ गया है। जो इस महीने का बिल है वह करीब दुगना-ढाई गुणा बढ़ गया है। किसानों पर एक तरफ ओला पड़ा और उनको खेती नहीं हुई, बिजली नहीं दी गयी और दूसरी तरफ उनके बढ़े हुए बिल आये हैं। मेरा निवेदन करना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में किसानों को घोषणा के अनुसार जितने घंटे बिजली दी जानी थी वह छह घंटे, चार घंटे भी बिजली नहीं दी गयी। उनकी फसल जल गयी और जो कोई जनरेटर लगा सकते थे, कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते थे वे नहीं कर पाये, क्योंकि सरकार की घोषणा को उन्होंने यह माना कि सरकार ने घोषणा करी है तो वास्तव में वह सही करी है। लेकिन राजस्थान के किसान को आप कुछ भी बिजली नहीं दे पाये हैं।

एक आपने घोषणा की थी कि 1985 के पहले वाले कनेक्शन दिये जायेंगे। परन्तु उनको भी बिजली कनेक्शन नहीं दिये गये। वन पोल, टू पोल स्कीम के अन्तर्गत कनेक्शन नहीं दिये, नर्सरी के अन्तर्गत आपने जो कहा वे कनेक्शन नहीं दिये।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

इस तरह से जितनी भी घोषणाएं किसानों के हित में, बिजली सप्लाई के लिये की गयी थीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनमें से एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई।

इसके अलावा आपने दूसरी बात कही थी कि बिजली इतने इतने घंटे देंगे। परन्तु वह बिजली भी नहीं दी। तीसरी बात आपने कही थी कि हम पैसे नहीं बढ़ायेंगे। परन्तु मीटर का पैसा और जो चार्जेज अभी-अभी लिये हैं एक्सटेंशन के, उसके हिसाब से बढ़ोतरी करके बिल में आपने पैसे बढ़ा दिये हैं। तो आपने राजस्थान के किसानों के लिए घोषित नीति के अनुसार ऐसी कौनसी रिलीफ दे दी? आपने ज्यादा बिलिंग करके राजस्व ले लिया, राजस्व की उगाही कर ली परन्तु बिजली विभाग ने किसानों को क्या दिया है? किसानों को कुछ भी नहीं मिला है। वे नितान्त निराश हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के राज में राजस्थान के किसानों के लिए बिजली विभाग की देन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन में माननीय सदस्य बोल रहे थे, चर्चा अनेक विषयों पर हो रही है, तीन विषयों पर हो रही है लेकिन उन्होंने सारी शक्ति एक ही विषय पर लगायी और वह है आर. एस. ई. बी.। स्वाभाविक भी है, आर. एस. ई. बी. बहुत महत्वपूर्ण और, जन-जन को छूने वाला डिपार्टमेंट है। खेतों में काम करने वाले किसान से लेकर अपने कमरे में बैठ कर पढ़ने वाले विद्यार्थी तक का इस विभाग से सीधा सीधा वास्ता पड़ता है। हर किसी को इसकी हर गतिविधि सीधा प्रभावित करती है। उपाध्यक्ष महोदय, समस्या यह है इस प्रदेश की कि हमारी मांग बिजली की बहुत ज्यादा है और उत्पादन बहुत कम है। यह सदन वाकिफ है कि राजस्थान प्रांत को आज की तारीख में कम से कम चार हजार मेगावाट बिजली की आवश्यकता है जबकि हमारा प्रोडक्शन सिर्फ एक हजार मेगावाट है। उस एक हजार मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन करके हम चार हजार का काम नहीं कर सकते। इसलिए मजबूरी में हमको बाहर से, दूसरे राज्यों से, उत्तरी ग्रिड या अन्य संस्थाओं से बिजली खरीदनी पड़ती है, बहुत महंगे मोल पर खरीदनी पड़ती है और जैसा कि सामान्य बाजार का नियम है कि जब उनके पास अतिरिक्त बिजली होती है जब तो वे हमको दे देते हैं और जब हमें अधिक आवश्यकता होती है और उनके पास अतिरिक्त बिजली नहीं हो तो वे नहीं देते हैं। इसलिए कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि हमें बिजली की आवश्यकता कम है तो हमें उपलब्धि ज्यादा हो जाती है, वे देने को तैयार हो जाते हैं लेकिन हमको बहुत अधिक आवश्यकता है, हम मांग करते फिरते हैं, ढूंढते फिरते हैं तो हमको बाहर से बिजली नहीं मिलती है। ऐसी भी परिस्थितियां पिछले वर्षों में बनी हैं, यह सदन जानता है कि उड़ीसा जैसे दूरस्थ प्रांत से भी हमको बिजली

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

लाकर इस प्रांत के निवासीयों को, इस प्रांत के किसानों को सप्लाई करनी पड़ी। उद्यमियों को सप्लाई करनी पड़ी और इस तरह से व्यवस्था बनायी। व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की पूरी पूरी कोशिश बोर्ड ने की हैं।

मुख्य मुद्दा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि इतने वर्ष तक इस सारी स्थिति के बारे में चिन्तित क्यों नहीं हुए? इस देश को आजाद हुए 48 साल हो गये हैं। 48साल में राजस्थान की सरकार ने बिजली के उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से नये प्लांट, नयी परियोजना प्रस्तावित करने की दृष्टि से कुछ भी नही किया इसलिए आज हमारी मांग विरुद्ध बहुत कम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। इस मूल बीमारी को पहचान कर 1990 से जब से माननीय शेखावत साहब के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नये प्लांट और नयी परियोजनाएं स्थापित करने की दृष्टि से प्रयास शुरू हुए। बोर्ड के स्तर पर और निजी क्षेत्र की परियोजनाएं भी स्थापित हो इस दृष्टि से भी प्रयास किये गये और उन प्रयासों का परिणाम भी इस प्रांत के सामने है, जनता के सामने है। आज तक कुछ प्लांट्स में उत्पादन शुरू हो चुका है। जैसे बरसिंहसर का प्लांट है, रामगढ़ का प्लांट है और कुछ प्लांट ऐसे हैं जो उत्पादन प्रारम्भ करने की स्थिति में आ रहे हैं, निकट भविष्य में उनसे उत्पादन प्रारम्भ होगा। लेकिन उनसे भी हमारी सारी आवश्यकता पूरी नहीं होने वाली हैं। इसलिए निकट में भविष्य में जल्दी से जल्दी और अधिक परियोजनाएं लगें इस दृष्टि से समझौते किये हैं। निजी क्षेत्र की अलग-अलग कम्पनियों से जो समझौते किये गये हैं उन सबसे मिलाकर 4 हजार से अधिक मेगावाट बिजली और अधिक उत्पादित होगी। इसके लिये 18 हजार करोड़ रुपये का विनियोजन निजी कम्पनियों, जिनमें राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय और विश्व स्तरीय कम्पनियां शामिल हैं, द्वारा किया जायेगा। तब हम वर्तमान मांग और भविष्य में बढ़ने वाली मांग, सबको पूरा करेंगे। इस दृष्टि से माननीय मुख्य मंत्रीजी, ऊर्जा मंत्रीजी और राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, सबने मिलकर दूरदर्शितापूर्ण प्रयास किये हैं।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जिन विभागों की चर्चा हैं, मेहरबानी करके उन विभागों के मंत्रियों को निर्देश दें कि वे हाउस में बैठें। वे नहीं बैठेंगे तो हमारे बोलने पर सुनेगा कौन? कौन जवाब देगा? इसलिए आप गृह मंत्रीजी और अकाल राहत मंत्रीजी को निर्देश दें कि वह हाउस में बैठें। चर्चा नहीं कराकर फार्मेलिटी करनी है तो वैसे बता दें। वे यहां नहीं बैठेंगे तो कार्यवाही करने के लिए हमको कौन कहेगा? नहीं तो रटा-रटाया जवाब दे देंगे। हाउस का समय क्यों खराब कर रहे हैं?

श्री रघुवीरसिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : हम नोट कर रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : हम सब जानते हैं कि क्या नोट कर रहे हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो हमारी समस्या थी कि उत्पादन कम था, दूसरी तरफ व्यवस्थाओं में भी कमी थी। ट्रांसमिशन सिस्टम ठीक नहीं था जिसके कारण रास्ते में बिजली की छीजत अधिक हो जाती थी। इसके साथ ही बिजली चोरी करने की वारदातें भी बहुत अधिक होती थीं। बिजली चोरी करने की आदत प्रदेश के अधिकांश लोगों को पड़ चुकी थी। इस दृष्टि से जितनी बिजली वास्तव में जहां उपयोग होनी चाहिए थी वहां न होकर गैरकानूनी तरीके या अन्य तरीके से उपयोग हो जाती थी और बहुत सारी बिजली की रास्ते में छीजत हो जाती थी। इस सबको रोकने के लिए बोर्ड ने पिछले दो वर्षों में बहुत ही उल्लेखनीय प्रयास किये हैं। अलग-अलग कैपेसिटी के ग्रिड स्टेशन अलग-अलग जगह बनाये गये हैं। 400 के. वी. के ग्रिड स्टेशन बने हैं, 220 के. वी. के 3 ग्रिड सब-स्टेशन पिछले साल बन चुके हैं, अगले साल 3-4 और बजट में प्रस्तावित हैं। 132 के. वी. के ग्रिड सब-स्टेशन तो ढेर सारे हैं और जहां-जहां से मांग आयी है वहां-वहां बने हैं। 12 इस वर्ष निर्माणाधीन हैं और बजट में अगले वर्ष के लिए 157 सब-स्टेशन और प्रस्तावित हैं। 33 के. वी. के ग्रिड सब-स्टेशन तो जिस किसी एक्स. ईएन. ने मांग की कि यहां इसकी आवश्यकता है, वहां हाथों-हाथ स्वीकृति दी गयी है, बिना देर लगाये। इस तरह की व्यवस्था बोर्ड ने पिछले दो वर्ष में की है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सब कुछ ऐसे ही नहीं हो जाता। इसके लिए करोड़ों रुपये लगते हैं। हमारे राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की आर्थिक स्थिति 4-5 साल पहले कैसी थी यह हम सब जानते हैं, बहुत दयनीय स्थिति थी और दिवालियेपन के कगार पर खड़ा था। बोर्ड पर दुनियाभर का कर्जा था। कोई नया कर्जा देने को तैयार नहीं था। पहले पैसा दो, चैक काटकर दो फिर बिजली का कनेक्शन चालू। इस प्रकार की शर्तें हमारे सामने रखी जा रही थीं। इस स्थिति से बोर्ड को निकालने का प्रयास हुआ। राज्य सरकार का जो कर्जा बोर्ड पर था वह समाप्त किया। मैं उसको एक तरफ से माफ करना कहूंगा। उसके बाद बाहर के कर्जे से मुक्ति दिलाने और व्यवस्थित करने के प्रयास राज्य सरकार ने किये जिसके कारण गिने-चुने विद्युत मण्डलों, जो ब्याज व कर्ज की राशि समय पर चुकाते हैं, में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल पहले नम्बर पर आया है। इसके लिए मैं माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, माननीय मुख्य मंत्रीजी और बोर्ड और उसके चेयरमैन को बधाई देना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से क्योंकि इन सारी परिस्थितियों से निकाल कर प्रोडक्शन और सप्लाई में सुधार कर प्रदेश के किसानों को राहत देने का प्रयास हुआ है।

किसी भी बोर्ड के बारे में बात करते हैं तो एक अजीब प्रकार की मानसिकता बोर्ड के कर्ता-धर्ताओं की रहती है। सिद्धान्त रूप में, मैं कहना चाहता हूं कि प्राचीन काल में जब हमारे सारे ऋषि-मुनि, आत्मा-परमात्मा, इहलोक-परलोक की बातें करते थे, उस जमाने में भी एक चार्वाक

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

ऋषि हुए जिन्होंने शुद्ध भौतिकतावादी सिद्धान्त दिया,

"यावत जोवेत सुखम जीवेत, ऋणम् कृत्वा घृतम पिवेत, भस्मि पुत्रस्य देवस्य पुनरागमनम् कुत:"

जब तक जीओ, चैन से जीओ, कर्ज लेकर भी घी पीओ। इस शरीर के जाने के बाद कोई पुनर्जन्म नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता इसलिए जो कुछ करना है इस दौरान कर लो।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वे पुराने ऋषि थे लेकिन भगवान रजनीश हैं उनका भी यही सिद्धान्त हैं जो आप कह रहे हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग : रजनीश के बारे में मेरा अनुभव शून्य है। न मैंने उनको पढ़ा है, न उनको सुना है। उसके बारे में आप ज्यादा जानते होंगे। मैं तो कम जानता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर ज्यादा जानते हैं। आपके पहले वर्दी प्रिडिसेसर थे उनको भगवान रजनीश को किताबें मंगाने का ध्यान है। रजनीश की ऐसी कोई किताब नहीं है, भाषण नहीं है जो असेम्बली लाइब्रेरी में नहीं होगा। अपने यहां सब किताबें आयी हुई हैं, माननीय सदस्य वह थीसिस पढ़ लें और जरा ज्ञान प्राप्त कर लें।

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि बोर्डों में चेयरमैन लगते हैं, एम. डी. लगते हैं, सैक्रेटरी लगते हैं, उन सारे अधिकारियों के मन में एक बात जरूर रहती है कि मैं साल भर के लिए लगा हूं, दो साल के लिये लगा हूं, अधिक से अधिक तीन साल के लिये लगा हूं, उसके बाद तो मुझे यहां से जाना ही जाना है इसलिए मैं इसको सुधारने की कोशिश और मेहनत क्यों करूं। मेहनत करके उसको सुधारने, अच्छा बनाने के बजाय मैं इससे अधिकतम क्या लाभ ले सकता हूं, मुझे टेलीफोन मिलेगा, गाड़ियां एक्स्ट्रा मिलेंगी, दूसरी सुविधाएं एक्स्ट्रा मिलेंगी यह चिंता सामान्य तौर पर अधिकारी करते हैं। बोर्ड और संस्थान को सुधारने के लिए सामान्यत: प्रयास नहीं होता। चाहे वह तिलम संघ हो, चाहे एस. सी., एस. टी. कारपोरेशन हो या और कोई संघ हो, अधिकांश की यही हालत है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिन्दु पर मैं एक बार फिर उल्लेख करना चाहता हूं, शायद ही कोई ऐसा अवसर गया हो जब बिजली की बात हुई हो और बोर्ड के चेयरमैन के बारे में कुछ नहीं कहा गया हो। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पी. एन. भण्डारी साहब जब से इस बोर्ड के चेयरमैन बने हैं तब से इन्होंने बोर्ड की आर्थिक स्थिति सुधारने, व्यवस्थाएं सुधारने और बोर्ड की क्रेडिबिलिटी सुधारने के उल्लेखनीय प्रयास किये हैं। हाउस को इस रूप में उसको एप्रीशियेट करना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : आप चेयरमैन की तारीफ कर रहे हैं। व्यक्ति विशेष की तारीफ करने के लिए माननीय सदस्य यहां पर इकट्ठे नहीं हुए हैं। 1978 में उनके ऊपर चार्ज लगा था तब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, मैंने खड़े होकर मुख्य मंत्रीजी से कहा था कि इनके खिलाफ चार्ज लग रहे हैं वे निराधार हैं क्योंकि मैं उस ब्यूरोक्रेट को जानता हूं। आपने यहां ब्यूरोक्रेट्स की तारीफ करनी शुरू कर दी, उनकी खोपड़ी खराब हो जायेगी। दूसरी बात यह है कि "आगाज तो अच्छा है, अन्जाम खुदा जाने।" भण्डारी साहब की चेयरमैनशिप में यह जो 10 हजार मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, आपकी यह बात, it is prelude to high increase in tariff. टैरिफ में हाई इन्क्रीज होने वाली है और काश्तकारों के तीन रुपये हो जाएं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं यहां पर।

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस हाउस में जब भी किसी अधिकारी की आलोचना की है या तारीफ की है तो किसी न किसी आधार पर ही की है और, प्रतिपक्ष के नेता महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया अब आप समाप्त करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मेरा राजनैतिक अनुभव बहुत कम है, 6 साल ही हुए हैं, मेरी जानकारी में राजस्थान की धरती पर यह पहले आई. ए. एस. आफिसर हैं जिन्होंने हर दूसरे या तीसरे महीने एम. एल. एज. को बुलाया, उनकी मीटिंग लेकर समस्याओं की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है। एम. एल. एज को बुलाना किसी भी आई. ए. एस. आफिसर के लिए, आ बैल मुझे मार वाली स्थिति होती है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, एम. एल. ए. को जरूर बुलाते होंगे। यह बात कर रहे हैं लेकिन पहले जो पावर मिनिस्टर थीं आपकी गवर्नमेंट में उस वक्त प्रजेन्ट चेयरमैन थे, वह तो + + + मैंने तो रोज देखा है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप उस राजस्थानी कहावत को जानते होंगे....

श्री उपाध्यक्ष : आप कनक्लूड कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री जोगेश्वर गर्ग : दोनों तरफ से कुछ न कुछ गड़बड़ रही होगी पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुल मिलाकर पिछले दो वर्ष में जो बोर्ड की स्थिति में सुधार आया है, बोर्ड के काम करने की शैली में जो परिवर्तन आया है, बोर्ड की उत्पादन क्षमता और वितरण पद्धति में जो सुधार आया है उस बात को यह हाउस स्वीकार करे। यह मेरा निवेदन था।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

इसके साथ ही मैं कुछ बातों पर सुझाव देना चाहता हूं माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय को। इस वर्ष यह लक्ष्य तय हुआ था इस बोर्ड के सामने कि एस. सी. की 750 बस्तियों में बिजली पहुंचायेंगे, उनको विद्युतीकृत करेंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहता हूं, बोर्ड के चेयरमैन भी सुन रहे हैं कि उन 750 में से कुल 93 बस्तियों में अभी तक बिजली पहुंची है। यह सत्र पूरा होने जा रहा है बाकी सारी बस्तियों में, 650 से ज्यादा बस्तियों में कब बिजली पहुंचेगी ? उसके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं इस बारे में चिंता करें और उस लक्ष्य को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए प्रयास करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह और निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान विद्युत मण्डल का एक और सर्क्यूलर मेरी जानकारी में आया है कि किसी भी गांव को विद्युतीकृत घोषित करने से पूर्व सबसे पहले ट्रांसफार्मर एस. सी. की बस्ती में लगाया जायेगा, ऐसा नियम बना।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह तो बहुत पहले से है, माननीय सदस्य।

श्री जोगेश्वर गर्ग : बहुत पहले का नियम है यह बिलकुल ठीक है लेकिन मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि लागू नहीं हुआ कभी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : लागू हुआ है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : नहीं हुआ। ढेर सारे गांव ऐसे हैं कि जो विद्युतीकृत घोषित हो गये और एस. सी., एम. टी. की बस्तियों में ट्रांसफार्मर्स नहीं लगे, लाइन नहीं लगी इसलिए इस बार यह 750 गांवों का लक्ष्य निर्धारित करना पड़ा। लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो कमी रही है--आपने ढेर सारे लक्ष्य प्राप्त किये हैं लेकिन इस लक्ष्य को भी प्राप्त करने के आप उतनी ही सतर्कता बरतें, उतनी ही चिन्ता करें, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

एक अंतिम निवेदन और करना चाहता हूं। जले हुए ट्रांसफार्मर्स को बदलने की कार्यवाही बहुत तुरन्त हुई है, उसमें बहुत सुधार आया है। बहुत अच्छी बात है। जले हुए ट्रांसफार्मर्स को बदलने में जो भ्रष्टाचार होता था उस पर चैक लगा है, रोक लगी है। इक्के-दुक्के जो जाता हो तो पता नहीं बाकी सामान्य तौर पर रोक लगी है। इसके लिए भी मैं माननीय ऊर्जा मंत्रीजी को बधाई देता हूं लेकिन मैं उनका ध्यान एक बात की तरफ और दिलाना चाहता हूं कि नये कनेक्शंस देने के बारे में भ्रष्टाचार की शिकायतें अब भी आ रही हैं। उसको रोकने के लिए भी कार्यवाही की जाय, प्रभावशाली कार्यवाही की जाय तो इस बोर्ड की प्रतिष्ठा में और अधिक चार चांद लगेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से जो मुझे इस बोर्ड के बारे में निवेदन करना था मैं कर चुका....

श्री हरिसिंह (महुआ) : "आफटर आल गुड सेन्स प्रिवेल्स।"

श्री जोगेश्वर गर्ग : दूसरी बात, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं अकाल राहत के बारे में। अकाल पहले भी पड़े हैं, मैंने भी देखे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आज बहुत माननीय सदस्यों के नाम आये हैं उनका भी बोलना है, आप जल्दी समाप्त करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मैं जल्दी ही समाप्त करने का प्रयास करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत के कार्यों में पहले यह होता था कि सीलिंग अलाटमेंट थी कि कितने लेबर लगे। वह जितने होते थे उससे कई गुणा लेबर लाइन में लगते थे और वहां पर झगड़े होते थे कि मेरा नाम डालो, मेरा नाम डालो। उसके लिए दुनियाभर की अफरातफरी मचती थी। आज की तारीख में हालत यह है कि जितनी सीलिंग अलाटमेंट हो रही है उतने भी मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं।

श्री दयाराम परमार : गलतबयानी मत करो। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : पिछले अकाल में मार्च में कितने मजदूर लगे थे यह बतायेंगे? (व्यवधान) बाकी हमारे इलाके में अकाल में जितने मजदूर लगते थे उसके अभी एक तिहाई भी नहीं लग रहे हैं ...(व्यवधान)....

श्रीमती कमला : इसका मतलब आपके यहां अकाल नहीं है। बिना अकाल के ही अकाल घोषित करा लिया। (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : उसका कारण यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि आज जितने काम सरकार की तरफ से चल रहे हैं, चाहे वह एम्लायमेंट स्कीम में होते होंगे या अन्य स्कीमों में हो रहे हैं उसके कारण आज मजदूर इतने काम में लगे हैं कि इस अकाल राहत के लिए मजदूर ही नहीं मिल रहे हैं। इस दृष्टि से जहां मजदूर पर्याप्त मिल रहे हैं, जैसा कि कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं, मैं अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जहां पर्याप्त संख्या में मजदूर मिल रहे हैं वहां पर सीलिंग बढ़ाई जाय। उनको पर्याप्त संख्या में सीलिंग दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग : इस दृष्टि से मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आप कहीं भी जाय आज मजदूर नहीं मिल रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया इसके लिए आपका आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शीशराम ओला।

श्री शीशराम ओला (झुंझुनूं) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ला एण्ड आर्डर के बारे में कुछ कहना चाहूंगा लेकिन कहना, नहीं कहना कोई मायने नहीं रखता। ला एण्ड आर्डर राजस्थान में इस हद तक गिर गया है कि

(श्री शीशराम ओला)

डकैती हो जाय कोई पूछने वाला नहीं, कतल हो जाये तो कोई गिरफ्तार करने वाला नहीं, कोई दिन में मारकर भाग जाय कोई पूछने वाला नहीं, चोरी हो जाय उसका कोई नामोनिशान ही नहीं, चर्चा ही नहीं चलती। ला एण्ड आर्डर नाम की चीज राजस्थान में समाप्त हो गयी है।

मैं एक छोटा-सा उदाहरण आपको प्रस्तुत करूंगा। शिमला गांव है जो बहुत ही अच्छा गांव है, हरियाणा की बोर्डर पर है। उस गांव से कम से कम 300 टीचर्स होंगे। शिक्षित गांव है। उस गांव में होली के दिन एक ब्राह्मण, जिसका नाम रामकिशन बोहरा है, की हवेली में घुसकर डाका मारने की कोशिश की। रामकिशन जी ने और उसके लड़के ओमप्रकाश जी ने मिलकर उनसे संघर्ष किया। रात के एक दो बजे की बात थी। संघर्ष किया तो जो डाकू थे उन्होंने गोलियों से उनको भून दिया। अभी मानसिंह हास्पिटल में मौत और जिन्दगी से संघर्ष कर रहे हैं। आज तक न तो इसका कोई अता पता है, न कोई गिरफ्तारी हुई है, न कोई चर्चा है। गांव में भयंकर असन्तोष है, डर है, आतंक है और लोग भयभीत हैं। एक ही उदाहरण मैं आपको ला एण्ड आर्डर के बारे में देना चाहूंगा। मुझे खेद है कि लम्बे लम्बे हाथों से भाला मारने वाले माननीय गृह मंत्री जी यहां नहीं हैं अन्यथा मैं उनको प्रत्युत्तर कर देता। खैर, मैं आपके माध्यम से यह बात कहना चाहूंगा कि इनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए ताकि शिमला गांव में जो आतंक फैला हुआ है, लोग भयभीत हैं वह भयरहित हो सकें।

मैं बिजली के बारे में कुछ बातें कहूंगा। बिजली की स्थिति यह है कि कांग्रेस शासन में साल में लगभग 30-32 हजार किसानों को उनके कुओं पर प्रायोरिटी बेसिस पर बिजली दी जाती थी। उनमें एस. सी., एस. टी. एक्स सर्विसमैन को स्माल फार्मर्स को विशेष प्रायोरिटी मिलती थी। जो पहला आवेदनकर्ता था उसको पहले बिजली मिलती थी। आज जो आपाधापी बिजली में हो रही है वह यदि उस वक्त होती तो राजस्थान में बिजली का विस्तार नहीं होता, नारनौल से सम तक बिजली नहीं पहुंचती, अनूपगढ़ से धौलपुर तक बिजली नहीं पहुंचती। सारे राजस्थान में बिजली का विस्तार हुआ है और खास तौर से राजस्थान में थोड़े से इलाके को छोड़कर बाकी में इरिगेशन का माध्यम केवल बिजली है। किसानों को बिजली के माध्यम से आय का साधन उपलब्ध हुआ है। अब तो स्थिति यह बन गयी है कि बिजली तो प्रायोरिटी से मिलती नहीं, एस. सी. एस. टी., एक्स सर्विसमैन और स्माल फार्मर्स की प्रायोरिटी समाप्त कर दी। सबको प्रायोरिटी बेसिस पर बिजली देने की बात समाप्त कर दी। लोग बिजली के लिए आसमान में निगाह रख रहे हैं कि 12 साल तक बिजली कहां से मिलती रही। मेरे नेता शायद मुझे कह देंगे कि मैंने एक को टोका था, आप वही कह रहे हो लेकिन भण्डारी साहब के आने के बाद नर्सरी स्कीम

(श्री शीशराम ओला)

चालू हुई। निःसन्देह कुछ लोगों को राहत की सांस मिली। लेकिन इनका आदेश था कि पैसे जमा होने के 15 दिन में बिजली का कनेक्शन मिल जाना चाहिए और वह मिल जायेगी, इस आशा पर लोगों के कर्जा लिया, अपने घर के जेवर बेचे, रिश्तेदारों से लाये, किसी ने लाख, किसी ने डेढ़ लाख, किसी 80 हजार रुपये नर्सरी योजना के तहत बिजली विभाग को जमा कराये। बिजली विभाग के अधिकारी पहले तो उनको डिमाण्ड नोटिस देने में अपनी पूरी ताकत लगाते हैं कि हम इनको कितनी बार फेरें, कितने चक्कर कटवायें और जब तक यह हमको अच्छी तरह से खैरात में 10-15 हजार रुपये की राशि नहीं दे दे या उनके दलालों को नहीं दे दें तब तक डिमांड नोटिस इश्यू नहीं करें। उसके बाद भी आज तक झुंझनू जिले में मेरे ख्याल से 400-500 ऐसे किसान हैं जिन्हें बिजली के कनेक्शन नहीं दिये गये। झुन्झुनू में 1300-1400 नर्सरी के तहत एप्लीकेशन आयीं। उनमें से जो दिये गये वह भी विधिवत तौर से नहीं दिये गये। एक ट्रांसफार्मर से तीन कुएं लग रहे हैं, चौथे की गुंजाइश नहीं है। वहां दो कुएं और बन गये, नर्सरी के तहत उसमें उनको कह दिया गया।

माननीय मंत्रीजी बैठे हैं सुलताना में 132 के. वी. का उद्घाटन करने गये थे, इन्होंने कहा कि अक्टूबर तक बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी, 15 दिन में आप पांखड़ी डाल लो और बिजली ले लो। अब जब इतने बड़े राज्य का बिजली मंत्री कह दे तो कौन उसके आदेश की अवहेलना करेगा। सबको जंच गयी कि बिजली मिल गयी।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री): मैंने नहीं कहा।

श्री शीशराम ओला: अखबार में है, मैंने आपको सुना नहीं। मैं तो आप लोगों की मीटिंग में नहीं जाता हूं। अखबार दे दूंगा, हो सकता है अखबार गलत में लिखा हो। पांखड़ी मीन्स एक तार होता है। एक पर्टिकूलर खम्भे से वह तार लगाकर अपने कुएं में ले लो और बीच में खम्भे मत लो, चाहे 400 गज की दूरी पर है या 250 गज की दूरी पर है। ऐसे 400-500 कनेक्शन हैं। मैं मेरे शब्द वापस लेता हूं मंत्रीजी ने नहीं कहा तो। लेकिन जाकर देख लो, ऐसा है जमीन पर। खम्भे नहीं लगाये गये, उनको विधिवत कनेक्शन नहीं दिये गये। यहां मैंने क्वेश्चन किया, उसमें आपने बता दिया कि इतने कनेक्शन दिये हुए हैं। कनेक्शन नहीं दिये गये। उस तार को उस पोल से 250 मीटर, 300 मीटर लगा लाये और अपने कुए पर लगा लिया। उससे दुर्घटनाएं भी घटती हैं और बिजली कम ज्यादा होती है। यही नहीं, वह कुएं भी बेकार हो गये जिनको पहले उस ट्रांसफार्मर से मिल रही थी। दो ने और लिया तो उनको भी पूरी क्षमता से बिजली नहीं मिलती है। कभी घण्टा आती है, कभी आधा घण्टा आती है। पांच कुओं की फसल नष्ट हो गयी, बरबाद हो गयी।

यही नहीं, जिन लोगों को एक अवधि के तहत बिजली मिलनी चाहिए थी वह

(श्री शीशराम ओला)

नहीं मिली। आज भी परेशान हैं। उन पर ब्याज लग रहा है। मैंने मंत्रीजी को कवेशचन के वक्त भी कहा था और आज भी कहना चाहूंगा कि ऐसे किसान जिनको आपने न्योता देकर बुलाया, आपने एक आदेश निकला कि नर्सरी के तहत अमुक समय पर बिजली मिल जायेगी, फसल से मिल जायेगी, वह फसल नहीं कर सके, आपने बिजली नहीं दी, आपके विभाग ने नहीं दी, उन आदमियों ने पैसे जमा करा दिये, आप उस पैसे को मय ब्याज के और उसी फसल काटने पर, बोने पर उसको जो लाभ होता उसका मुआवजा देने के लिए तैयार हैं क्या? यदि नहीं, तो इस तरह की थोथी घोषणा नहीं करनी चाहिए थी।

यही नहीं, एक पोल, दो पोल स्कीम दिसम्बर, 1994 में समाप्त हो गयी। दिसम्बर, 94 तक जिन्होंने पैसे जमा करा दिये उस स्कीम के तहत उनको भी बिजली नहीं दी गयी और आज जिनको बिजली नहीं दी गयी उनको और जिनको वन पोल, टू पोल के तहत बिजली दे दी गयी उनको अब नर्सरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। नर्सरी के तहत बिजली मिलेगी अन्यथा नहीं मिलेगी। आपने पैसे जमा करवा लिये, आप उनको बिजली नहीं दे रहे हो। दोष आपका है या किसान का है?

तीसरी बात, किसी भी किसान का कनेक्शन कट गया। कनेक्शन लिया 60 में, 70 में, 80 में। प्रायोरिटी बेसिस पर मिला, 10 साल कुआं चलाया, दो भाई थे उनमें टैक्स नहीं जमा कराने का झगड़ा हो गया, टैक्स नहीं दे सके इसलिए कनेक्शन कट गया। वह यदि आज उसको रेस्टोर करना चाहे या री-कनेक्शन लेना चाहे तो आपका आदेश पहुंच गया है कि नर्सरी के तहत मिल सकती है। यह कहां तक उचित है? बोर्ड ने काट दी उस पर टैक्स नहीं आया होगा, दो भाइयों में झगड़ा हो गया, बंटवारे में झगड़ा हो गया तो आपको क्या अधिकार है कि उसको नर्सरी के तहत दें? उसको उसी तरह से जब बिजली आपने दी, जो बाण्ड भरवाया गया उसी के तहत उसको बिजली मिलनी चाहिए। उसको नर्सरी के तहत बिजली देना उस किसान के साथ न्याय नहीं अत्याचार है।

श्री परसराम मदेरणा : रेट 117.5 नये पैसे थी। पांच हार्स पावर के बाद में पहले 101.5 पैसे थी अब जो नर्सरी के कनेक्शन हैं पांच हार्स पावर तक 101 और उसके ऊपर 117.5 है। घोषणा तो दूसरी बातों की करते हैं। जब माइक्रोफोन हाथ में होता है और पब्लिक स्पीकर होता है तो कई बातें घोषणाएं चेप देता है। हम भी इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं हैं जिस वक्त बोलने खड़ा होता है और माइक्रोफोन और पब्लिक जोरदार जमी होती है तो थोड़ी बहुत वैसे ही कह दी जाती है। लेकिन इसकी घोषणा नहीं की है, यह तो अन्दर ही अन्दर रेट ज्यादा लेने के लिए ट्रैप है।

श्री शीशराम ओला : मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि जिस दिन उसने बिजली

(श्री शीशराम श्रोला)

ली थी तब शायद 18 पैसे, 12 पैसे, 13 पैसे श्रौर 27 पैसे पर यूनिट थी। श्राज श्रापने 60 पैसे पर यूनिट कर रखी है। साधारण तौर से बिजली दी गयी उनके लिए भी। नर्सरी की बात छोड़िये वह 50 है, उससे तो दुगुनी, तिगुनी हो गयी। इसलिए नर्सरी के तहत री-कनेक्शन करना उस किसान के साथ न्याय नहीं उसके साथ में आप अत्याचार कर रहे हैं।

यही नहीं, 1983-84 में अकाल राहत कार्य के तहत लोगों ने कुएं खोदे उसमें गवर्नमेंट ने सहायता दी श्रौर कुछ बैंक से कर्जा लिया, कुश्रा खोदा उसने बैंक से जो कर्जा लिया उसका ब्याज इतना हो गया है कि उसको चुका नहीं पायेगा और आप उनको कनेक्शन नहीं दे रहे हो। श्रापके श्राज के बिजली बोर्ड के चेयरमैन श्री भण्डारीजी 1972 में सीकर में कलक्टर हुआ करते थे, इन्होंने फेमिन कोड में एक विशेष राहत दिलवायी, ढील दिलवायी। बरकत साहब मुख्य मंत्री होते थे। सीकर, झुन्झुनू, श्रौर चूरू, इन तीन जिलों में हजारों कुएं खोदे थे। उन कुश्रों पर बिजली भी मिली, गवर्नमेंट की सहायता भी मिली थी। श्रकाल का सामना करने के लिए, अकाल का प्रभाव समाप्त हो जाय, अकाल दूर हो जाय, इस तरह की एक योजना चलायी थी। उसी योजना के तहत ये कुएं खुदे। 1983-84 में कुएं खुदे, बिजली का कोई नामोनिशान नहीं, 15 वर्ष हो गये। श्राज ऐसी स्थिति उन किसानों की हो गयी जिन्होंने श्रकाल राहत कार्य के तहत ये कुएं खुदवाये या खोदे, उन्हें बिजली नहीं मिलने के कारण वे बरबाद हो गये। मैं श्रापको बहुत ही नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि श्राप प्रायोरिटी बेसिस पर जो बिजली है, वह स्कीम कायम रखें। एक्स-सर्विस मैन, स्माल फार्मर्स, एस. टी., एस. सी. को कनेक्शन देने में प्रायोरिटी कायम रखें, उसको समाप्त नहीं करें। यदि श्रापने समाप्त की है प्रायोरिटी बेसिस की योजना, यह कल्याणकारी सरकारी का कार्य नहीं है। एक श्रादमी अपंग, एक श्रादमी अन्धा है श्रौर विकलांग है, उसको भी कांग्रेस के युग में, कांग्रेस के शासन में बिजली मिलती थी। यह श्रादमी अन्धा हो गया, यह श्रादमी विकलांग हो गया उनको भी कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया था प्रायोरिटी बेसिस पर, अगर वह सी. एम. एच. श्रो. से मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त कर ले। यह जो प्रायोरिटी थी उसे समाप्त नहीं करना चाहिए।

दूसरा, मेरा श्रापसे निवेदन यह है कि एक पोल-दो पोल को नर्सरी में नहीं लेना चाहिए। वह जो श्रापकी स्कीम थी, उसी में रहना चाहिए।

चौथा, मेरा श्रापसे निवेदन यह है कि आठ घण्टे बिजली देने की तो घोषणा मुख्य मंत्रीजी यहां कर दें श्रौर बिजली किसी को श्राठ घण्टे मिली नहीं, फसल सूख गयी, किसान बरबाद हो गये। ट्रांसफार्मर जल जाता है तो 20 दिन तक रिप्लेसमेंट नहीं होता। आपके कार्यालयों

(श्री शीशराम ओला)

में कहीं कण्डक्टर नहीं हैं, कहीं तार नहीं हैं, कोई सामान बिजली का नहीं है, कहीं खम्भे नहीं हैं। आपने बहुत अच्छा किया, 3200 रुपये में खम्भा बनता है, सीमेंट का, आपने 9000 रुपये लगा दिये। पहले तो किसान के खेत में बिजली बोर्ड डालता था कांग्रेस के युग में, उसका सारा सामान और पोल, बिजली विभाग का ट्रक होता था वह ले जाता था, आज किसान को लाना पड़ता है बिजली विभाग के कार्यालय से खेत तक वह सामान और आपके विभाग के व्यक्ति, कर्मचारी पोल को खड़ा करने के लिये नहीं आते हैं। और अगर वह किसान कहीं से किसी प्राइवेट आदमी से तार खिचवा लेता है तो आये दिन दुर्घटनाएं घटती हैं। चार-पांच आदमी होली के दिन एक गांव से आ रहे थे बस में बैठकर, किठाणा और सुलताना के बीच में तार छू गया। सारे के सारे बेहोश हो गये। एक तो मरने वाला है। सारा यहां से जल गया, सड़ने लग गया। यहां आकर आपरेशन करवाया। क्या होगा, भगवान जाने। किसी का ऊंट मर जाता है, कोई मुआवजे की बात नहीं। ये इसीलिए घटनाएं घटती हैं कि प्रापर तार खींचा हुआ नहीं है और आपके विभाग के अधिकारी उसमें लापरवाही बरतते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री शीशराम ओला : नहीं, नहीं, मेरी पार्टी का टाइम है, डोंट डिस्टर्ब प्लीज। मेरी पार्टी का टाइम है आप उसमें से काट लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये, माननीय सदस्य, आपके मुख्य सचेतक जी ने यह कहा है कि सात मिनट से ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं दें।

श्री शीशराम ओला : तो मैं बैठता हूं। पांच मिनट और बोलकर बैठता हूं। ऐसी बात है तो मैं मानूंगा, जरूर मानूंगा।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अच्छा बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं।

श्री शीशराम ओला : मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं। इससे बिजली विभाग को लाभ होगा; किसान को लाभ होगा। मैं एक निवेदन यह कर रहा था कि...

श्री परसराम मदेरणा : मंत्रीजी यह कह रहे हैं कि आप ठीक कह रहे हैं। मंत्रीजी अभी कह रहे हैं कि वे ठीक बोल रहे हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अच्छा बोल रहे, बोलने दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : अच्छा बोल रहे हैं तो बोलने दीजिये। वे जब कह रहे हैं तो बोलने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, और भी माननीय सदस्य बोलेंगे, सब अच्छा ही बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री शीशराम श्रोला : मैं निवेदन यह कह रहा हूं कि झुंझनूं जिले में खास तौर से बिजली की लाइन में सुधार होना चाहिए। बिजली की जितनी लाइन बिछी है, ओवर लोडेड चल रही हैं। ट्रांसफार्मर ओवर लोडेड हैं। इससे काश्तकारों की मोटरें जलती हैं और वे बरबाद हो रहे हैं वे परेशान होते हैं। ट्रांसफार्मर जल जाते हैं तो 15-20 दिन तक रिप्लेसमेंट नहीं होते हैं, उसकी फसल जल जाती है। इसमें सुधार होना चाहिए और सुधार की दृष्टि से शायद बिजली बोर्ड जो उनको बजट अलाट करता है, मेरे झुंझनूं जिले में अधिकारी उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। पिछले वर्ष भी बबाई से सेबराम्वाल, 9-10 किलोमीटर में लाइन में सुधार के लिए बजट दिया बिजली बोर्ड ने लेकिन वहां एक पोल भी नहीं गाड़ा गया। माधोगढ़, काणोटा, बबाई, जागराटा, दलैलपुरा, बदेवा, सेबराम्वाल, सुनारी, नांगलिया, 15-16 गांवों के किसान पूरी तरह प्रभावित हैं। उनको बिजली नहीं मिलती है। तो जो सुधार के कार्य हैं, उन पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, रख रखाव ठीक नहीं होता तो बिजली दें क्या। उनमें क्षमता है नहीं तो किसान बरबाद हो जायेगा,

(15.46)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

इसलिए मेरा निवेदन था कि इस विशेष पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें बिजली विभाग का, बोर्ड का या मंत्रीजी का ज्यादा दोष मैं नहीं मानता। मेरे जिले में ट्रांसफार्मर जलते हैं उसमें भी आपका भी दोष कम मानता हूं। मैं दोष मानता हूं ठेकेदारी प्रथा का। आज ट्रांसफर एक अधिकारी का दूसरे स्थान पर हो रहा है। वह एक तरह का आक्शन है, इस पर आप ध्यान देंगे। आप आनेस्ट हैं, कुछ करना चाहते हैं। चेयरमैन साहब भी बड़े आनेस्ट है, सक्षम भी हैं लेकिन पता नहीं, कहां गड़बड़ी हो रही है। ठेके पर बदली हो रही है। ठेके पर तबादले होते रहेंगे तब तक व्यवस्था सुधर ही नहीं सकती। ठेका मीन्स कुछ लिया जाता है और वह जो देता है उसको पूरा करने की चेष्टा करता है और और भी कुछ जमा करना चाहेगा। न मालूम कब उसको झटका लग जाय। इसलिए इस व्यवस्था को आपको देखना होगा। हमारे यहां आप यदि चाहें तो एक कमेटी बैठा दें और आप चाहें तो बोर्ड के चेयरमैन पर ही छोड़ दें तो भी मुझे संतोष है, मैं मान लूंगा। ये जांच कर लें। झुंझनूं में एक भी कनेक्शन बगैर रुपये दिया गया हो नर्सरी का, एक पोल-दो पोल का तो मैं क्षमा चाहूंगा, माफी मांगूंगा, दुबारा एक शब्द भी नहीं बोलूंगा और यदि यह बात सत्य निकले तो फिर आपको इस पर विचार करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, अध्यक्ष जी, मुझे टाइम दिया और मंत्रीजी ने मुझे सुना। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। आशा है, मैंने जो सुझाव रखे, इन पर आप गौर फरमायें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय फतेह सिंह जी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : आपने शून्यकाल में व्यवस्था दी थी, दो मामलों पर बोलने की व्यवस्था दी थी।

श्री अध्यक्ष : हां, हां, बिराजिये आप।

श्री रामनारायण मीणा : इनकी बारी की व्यवस्था दी थी, उनका निर्णय तो कर लें।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : उनका नम्बर तो पहले आना चाहिए था। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहती हूं कि मेरी पार्टी की सूची में मेरा कितने नम्बर पर नाम है जिसमे कि.....(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : पहले उनको दो। आप हममें से दो जिनके लिए आपने व्यवस्था दी थी।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : एक-एक, दो-दो मिनट कुछ हम भी अर्ज कर लें।

श्री अध्यक्ष : हां, हां, आप बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : हालांकि सुनना-करना तो कुछ है नहीं। करनी-धरनी तो कुछ है नहीं।

श्री अध्यक्ष : वैसे भी आप बोल लेते हैं, रामनारायण जी। कोई कमी तो है नहीं बोलने में। आप बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : आर. एस. ई. बी. के चेयरमैन से भैरोंसिंह जी, हमारे मुख्य मंत्रीजी कितने ग्राब्लाइज्ड हैं, वह भी जानते हैं और वह भी जानते हैं...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : इसलिए ये बेकार की बातें हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, परसादीलाल जी।

श्री रामनारायण मीणा : आप तो हमको दो-दो, तीन-तीन मिनट दे दें। बिजली पर बोलें, ओलावृष्टि पर बोलें (व्यवधान)

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, आप तो मुझे सिर्फ इतना सा बता दें कि सूची में कितने नम्बर पर नाम है मेरा।

श्री अध्यक्ष : अभी इतनी देर में तो, माननीय सदस्य, आप कुछ कह ही देते।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, सूची में कितने नम्बर पर मेरा नाम है, इतना ही बता दें।

श्री अध्यक्ष : अब मैं, आप कहेंगे कि.....(व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : आपने जिनकी व्यवस्था दी है; पहले उनको बुलाइये आप ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है कि एडजोर्नमेंट मोशन वालों को पहले बुलवायेंगे । अध्यक्ष महोदय, जो चीफ व्हिप ने सूची दी है उनको बाद में बुलवायेंगे आप, यह आपकी व्यवस्था है ।

श्रीमती कमला : क्या सूची में नाम ही नहीं है क्या मेरा ?

श्री अध्यक्ष : पहले ये बोलें । फतेह सिंह जी बोलें पहले ।

श्रीमती कमला : अगर मेरा नाम नहीं है तो मैं प्रस्ताव करती हूं कि मेरे नाम को भी कहीं दर्ज करें और मुझे भी बोलने का मौका दें ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एडजोर्नमेंट मोशन था, आपने व्यवस्था दी थी बोलने के लिए ।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये । माननीय कमला जी, आपका नम्बर देर से हैं । इधर-उधर जा सकती हैं ।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, बड़े विनम्र शब्दों में आपसे निवेदन करते हैं, आपने व्यवस्था दी है कि ओलावृष्टि पर आज बोलेंगे हम ।

श्री अध्यक्ष : आज ही बुलायेंगे अभी ।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं-नहीं, उनको प्राथमिकता दें । फिर क्या फायदा बोलने से बाद में ।

श्री अध्यक्ष : प्राथमिकता ही दे रहा हूं । आप विराजें तो प्राथमिकता दूं ।

श्री परसादीलाल मीणा : हम तो जब से ही विराज रहे हैं, अध्यक्ष महोदय । हम ग्यारह बजे से हाउस एडजोर्न होने तक यहां बिराजते हैं ।

श्री अध्यक्ष : फतेह सिंह जी को बोलने दें न आप । आप बिराजें ।

श्री परसादीलाल मीणा : आप चले जाते हैं, हम यहीं बिराजते हैं ।

श्री अध्यक्ष : यह इस तरीके से पांच-सात मिनट क्यों खराब कर रहे हैं आप मैं प्राथमिकता दूंगा जिनका था । आप बिराजें । (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, हमारी व्यवस्था तो अध्यक्ष महोदय की है, बुलाने की ।

श्री अध्यक्ष : हां, आप बिराजें ।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं हमको एडजोर्नमेंट मोशन पर पहले बोलने का, सुबह टाइम दे देते आप ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें । फतेह सिंहजी ।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, अब आप पधार गये हैं तो

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

माननीय भाटीजी के बारे में अपनी व्यवस्था दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय भाटी साहब से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप विराजें अपनी सीट पर, पानी भी पीवें और हम पर कृपा करें। मैं जरूर आज ही दूंगा। (व्यवधान) आज दूंगा, मैं कह रहा हूं आपको। आपने जो प्रकरण उठाया, उस पर जरूर दूंगा, अब विराजें आप। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : आप अपनी सीट पर आकर बोलें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मिले हैं। (व्यवधान) मैं तो सब पर ही दूंगा, आज ही। (व्यवधान) देख कर दूंगा। मैं आज सदन उठने के पहले जो भी व्यवस्था होगी, सब दूंगा। विराजें आप। आपको कह दिया अब मैंने पहले ही। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : ठीक है, अब आ जाओ।

श्री शिवनाथ सिंह : ठीक है। अब आप पधारो।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें अब। मैं लक्ष्मण सिंहजी साहब से भी कहूंगा कि आप उनको ले जायं। विराजें आप। फतेहसिंहजी साहब।

श्री रतनलाल ताम्बी : हिस्टोरिकल व्यवस्था देकर जायं आप।

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी द्वारा धरना समाप्त)

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में इस प्रदेश की गम्भीर समस्या के ऊपर, आम जनता की मुसीबत के ऊपर चर्चा होने जा रही है।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : मेरा स्थगन प्रस्ताव था, उस पर आपने व्यवस्था नहीं दी, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैं जरूर दूंगा। ऐसे दस माननीय सदस्य हैं जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव या ध्यानाकर्षण दिये हैं। वह भी दस हैं तो उन दस का भी तो नम्बर से ही आयेगा। (व्यवधान)

श्री फतेहसिंह : मैं अकाल के ऊपर बोलने के लिए तैयार हुआ हूं, उसके बाद सदन के सारे सदस्य इस तरह से खड़े हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिये आप। आप बोलें माननीय।

श्री फतेहसिंह : मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर अकाल की भयंकर स्थिति है। पूरे प्रदेश में कहीं तो अनावृष्टि, कहीं अतिवृष्टि और कहीं ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है और इस सदन में कई माननीय सदस्य इसके बारे में बोले भी हैं। इस मौके पर मैं यह

(श्री फतेहसिंह)

कहना चाहूंगा कि जो अकाल राहत कार्य राजस्थान की सरकार ने शुरू किये वह काफी देर से शुरू किये। जहां आदिवासी क्षेत्र है या जहां सूखा क्षेत्र है, जहां लोगों के ऊपर मुसीबत है और सरकार की तरफ से जिस मात्रा में राहत देनी चाहिए थी, समय पर उस राहत को उन्होंने शुरू नहीं किया। मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर नान कमाण्ड एरियाज है सूखा क्षेत्र है, उस इलाके के अन्दर भी काफी परेशानी है। वैसे पूरे प्रदेश में कई तरह की तबाही है। मैं यह कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार, जिस क्षेत्र में जिस प्रकार की समस्या है उस आधार पर वहां पर लोगों को राहत दे। विशेषकर बांसवाड़ा, डूंगरपुर के अन्दर यह स्थिति है कि उस इलाके में कोई भी सिंचाई के साधन नहीं, किसी प्रकार का उद्योग नहीं, किसी प्रकार का कोई स्थायी रोजगार नहीं, लोग शिक्षा की कमी के कारण काफी पीछे हैं, सर्विस में अधिक हैं नहीं और वहां के लोग सिर्फ खेती के ऊपर ही निर्भर हैं। जिस क्षेत्र में, जिस जिले में खेती के ऊपर लोग निर्भर रहते हों और कुदरत की तरफ से अगर बरसात सही तरीके से नहीं हुई हो तो वहां के लोगों की हालत क्या होगी। राज्य सरकार ने उन जिलों के अन्दर मजदूरी खोली है लेकिन किसी पंचायत में 20 मजदूर, किसी पंचायत में 50 मजदूर, कहीं 30 मजदूर हैं। इस तरह से मजदूरी खोलकर वहां के लोगों को राहत देने की कोशिश की है। यहां तक कि जिला स्तर पर फेमिन के काम चलाये गये हैं, मजदूरी दी गयी है और अलग-अलग क्षेत्रों में जो काम खोले हैं, स्वीकृति में पांच लाख रुपये स्वीकृत किये, पांच लाख रुपये स्वीकृत करने के बाद उसके ऊपर 20 मजदूर लगे। किसी जगह पर तीस हजार रुपये स्वीकृत किये तो सिर्फ पांच मजदूर लगे। इस तरह से डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आदिवासी बैल्ट के अन्दर मजदूरी लोगों को दी है। मैं यह कहना चाहूंगा कि उस मजदूरी से लोगों को कोई राहत मिली नहीं है। जिस मात्रा में मजदूरी खोलनी चाहिए थी वह नहीं खोली है। आज बांसवाड़ा के अन्दर आठ लाख लोग रहते हैं। आठ लाख के अन्दर करीब-करीब चार लाख लोगों को आप निकाल दें तो चार लाख लोग मजदूरी मांगते हैं। चार लाख में से दो लाख लोगों को भी मजदूरी आप दे दें तो हम यह मानते कि लोगों को राहत दी। पर बांसवाड़ा जिले में या डूंगरपुर के इलाके में 22 हजार मजदूर लगाये हैं। बांसवाड़ा में सिर्फ 22 हजार मजदूर लगाये हैं। केवल 22 हजार मजदूर लगे हैं और सरकारी आंकड़ों के अन्दर 32 हजार मजदूर लगाने की बात कही है। 22 हजार मजदूरों के अन्दर भी, मैं यह कहना चाहूंगा कि 60:40 के रेश्यो के आधार पर वहां पर आज की तारीख में 15 हजार मजदूर हैं और मैटीरियल की एवज में मजदूरों को एडजस्ट किया हुआ है। लाखों की तादाद में जहां मजदूर हों, उस जगह पर आपने 15 हजार मजदूर लगा रखे हैं। मंत्रीजी, क्या इतनी मजदूरी से लोगों को राहत मिलेगी? मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि अगर वास्तव में सरकार उस इलाके के लोगों को राहत

(श्री फतेहसिंह)

देना चाहती है तो पूरी मात्रा में मजदूरी खोलनी पड़ेगी। एक परिवार का एक आदमी कम से कम रोजगार पर लगे, इस तरह की व्यवस्था अगर आप करते हैं तो हम मानेंगे कि सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है या सहयोग मिला है। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए, लोगों के आंसू पोंछने के लिए कि हमने इतना रोजगार दिया, मजदूरी खोली, लेबर लगायी, इस तरह की बात कहकर सरकार छूटना चाहती है तो लोग बरदाश्त करेंगे नहीं। मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा, अभी कोई माननीय सदस्य बोल गये कि किसी इलाके में मजदूर आते ही नहीं। मजदूर नहीं आने का कारण एक ही है कि आपके फेमिन एक्ट के हिसाब से लोगों को जो पूरी मजदूरी मिलनी चाहिये, वह नहीं मिलती है। एक मजदूर प्राइवेट मजदूरी करने के लिए जायेगा तो वह चालीस रुपये और तीस रुपये मजदूरी लेगा और सरकार की तरफ से अगर कोई मजदूर लगा है तो उसे चौदह रुपये या अठारह से अधिक मजदूरी नहीं मिलती। तो चौदह रुपये या पन्द्रह रुपये लेने के लिए कौन मजदूर आयेगा ? मैं यह उम्मीद करूंगा कि आप अपने प्रशासन के ऊपर कन्ट्रोल करें और मजदूरों को काम पर लगावें, पूरी मजदूरी से लगावें। जिस मात्रा में वहां पर जरूरत है, उस मात्रा में मजदूरी लोगों को दें। मेरा यह सुझाव है कि एक परिवार में से एक सदस्य को काम पर लिया जाय। तब तो हम मानेंगे और उसके लिए आपको लाखों की तादाद में मजदूर लगाने पड़ेंगे। 59 के अकाल में भी बांसवाड़ा जिले के अन्दर या अन्य जिलों में मजदूरी खोली थी तब एक लाख मजदूर लगे थे जबकि उस समय आबादी कम थी। उस समय कांग्रेस की हुकूमत थी।

(16.00)

उस समय भी यहां इतने मजदूर लगे थे। बढ़ाने के बाद सरकार मजदूरों के ऊपर सीलिंग लगाना चाहती है। मैं यह उम्मीद करूंगा कि सरकार उस सीलिंग को तोड़ करके जितनी जरूरत है उतने मजदूरों को मजदूरी दे। आज बांसवाड़ा और डूंगरपुर की यह हालत है कि लोग वहां से पलायन कर गये हैं गुजरात के अन्दर चले गये। गुजरात में एक मजदूर को 50 रुपये दिन के, 50 रुपये नाइट के, 24 घण्टे की मजदूरी 100 रुपये मिलती है। जब वहां 100 रुपये मजदूरी मिलती है तो वह यहां पर फिर से मजदूरी करने के लिए आयेगा, घबराता हुआ आयेगा वहां पूरी मजदूरी तो मिलती नहीं है। दूसरी तरफ यह भी हुआ है कि यहां से लोग गुजरात गये हैं और गुजरात सरकार ने भी बैन लगा दिया है कि राजस्थान या अन्य प्रदेश के लोगों को यहां पर रोजगार नहीं दिया जायेगा। वहां से लोग भटकते हुए वापस आ रहे हैं। वहां भी रोजगार नहीं मिल रहा है और यहां भी सरकार रोजगार नहीं देना चाहती है, तो सरकार क्या करना चाहती है यह मैं पूछना चाहता हूं। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले के अन्दर आपने यह बताया है कि

(श्री फतेहसिंह)

22 हजार मजदूर के हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि 22 हजार मजदूर बनिस्बत 15 हजार मजदूर वहां पर काम पर लगे हुए हैं। मैटीरियल खरीदने के लिए, ईंट, पत्थर, चूना, सीमेंट खरीदने के लिए बाकी के मजदूर एडजस्टमेंट किये हैं। अभी हम यह मानते हैं कि हमारे यहां पर 15 हजार ही मजदूर हैं। मैं यह उम्मीद करूंगा कि बांसवाड़ा जिले के अन्दर जो नॉन-कमाण्ड एरिया है, माही कमाण्ड को छोड़ कर बांसवाड़ा का क्षेत्र, पीपलखूंट, दानपुर, आनन्दपुरी, बागीडोरा, कुशलगढ़ और सज्जनगढ़, यह आधा जिला जो बाकी पड़ा है, वह नोन-कमाण्ड एरिया है और उस इलाके में आप अधिक से अधिक मजदूरी देंगे, तो वहां के लोगों को राहत मिलेगी। अगर आपने ढिलाई दी, मजदूरों को मजदूरी नहीं दी, तो वहां के लोगों को मजबूर होकर या तो सरकारी दफ्तरों का घेराव करना पड़ेगा, तालाबन्दी करनी पड़ेगी या कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। नहीं, तो फिर लटपाट होगी, और जिन लोगों के पास सम्पत्ति है उस सम्पत्ति को लोग ईमानदारी होते हुए भी लूट कर खायेंगे, यह मेरा कहना है।

दूसरी तरफ मैं यह कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार हमारे बांसवाड़ा जिले के पड़ौस में पड़ती है। वहां 15 दिन का मस्टररोल होता है। वहां की सरकार 7 दिन के अन्दर पेमेंट करती है। मैं मंत्री महोदय से, सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की सरकार किस आधार पर 7 दिन के अन्दर पेमेन्ट करती है? 15 दिन तक तो आपका मस्टररोल चलेगा। उसके बाद 15 दिन तक उन मस्टररोल को तहसील में भेजेंगे। इसमें एक महीना निकल जायेगा। एक महीने के 15 दिन बाद में पेमेंट होता है। एक मजदूर आज भूखा है और आप डेढ़ महीने के बाद में उसको मजदूरी चुकाएंगे तो यह कहां का न्याय है? मैं उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार दूसरे स्टेट में 7 दिन के अन्दर पेमेंट किया जाता है उसी रूप में अपने यहां पर भी इस तरह की व्यवस्था की जाए ताकि भूखा इंसान कभी इधर-उधर भटके नहीं। दूसरे लोगों से ब्याज बट्टे पर पैसा लाकर यह जो 15 रुपये मिलेंगे, उसमें पांच रुपया तो ब्याज का दे देगा और उसके पास में कुछ रहेगा नहीं। तो उसमें भी आपको संयम बरतना है, व्यवस्था करनी है कि लोगों को टाइम पर पेमेंट करना है।

दूसरा मेरा यह कहना था कि अकाल में लोगों को रोजगार देने की ही बात नहीं है, दूसरी समस्या हमारे सामने यह है कि उस इलाके में घास की व्यवस्था नहीं है। मेरा यह सुझाव है कि घास की व्यवस्था भी राज्य सरकार समय रहते करे। अभी घास की जरूरत है। चारा डिपो खोलें, हर पंचायत के ऊपर डिपो खोले और सरकारी मशीनरी की वहां व्यवस्था हो ताकि जो भी लोग आयें उन लोगों को पैसा देकर आप दे सकें। मैं यह उम्मीद करूंगा कि घास की भी व्यवस्था मवेशियों के लिए की जाय।

दूसरी तरफ हमारे सामने समस्या आयेगी पानी की। उस इलाके में बरसात

(श्री फतेहसिंह)

की कमी से नदी-नाले सूख गये, तालाब अधूरे रहे। दोनों फसलें पानी की कमी के कारण नष्ट हुई हैं जब हम लोगों को रोजगार दे देंगे घास की व्यवस्था करेंगे उसके बाद में पानी की जरुरत पड़ेगी। मैं उम्मीद करूंगा कि जहां गन्दी बस्ती है वहां टैंकरों से व्यवस्था करें और दूसरी तरफ हैण्डपम्प खोदें। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में अकाल राहत के समय में पिछली बार काफी कुए खुदे हैं, उन कुओं को गहरा करने के लिए अकाल राहत में लिया जाये और हैंडपम्प खोदे जायें। मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले में कलक्टर ने रेवेन्यू रिकार्ड वाइज कुओं का सर्वे कराया है। कहीं लोगों ने व्यक्तिगत कुए खोदे हैं, कहीं सार्वजनिक कुए हैं तो कहीं जीवनधारा स्कीम में कुए हैं। उन कुओं को अकाल राहत में लिये जाकर गहरे कराकर पानी की व्यवस्था की जाये।....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री कोगटा जी। अब बिराज जाइये, माननीय सदस्य कई माननीय सदस्यों को बोलना है, अब बिराजें आप।

श्री फतेहसिंह : मजदूरी के लिए मेरा यह कहना है कि आप सड़क के काम लें, एनीकट के काम लें, डैम बनायें। इस तरह के निर्माण के काम लेकर उस क्षेत्र का विकास करें ताकि हमेशा के लिए लोगों को रोजगार का एक साधन हो। इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : आप थोड़ा संक्षिप्त करने का प्रयत्न करें, माननीय सदस्य, तो ज्यादा-से-ज्यादा माननीय सदस्य आ सकेंगे।

श्री किशन गोपाल कोगटा : साहब, मेरा नम्बर आते ही संक्षिप्त हो गया?

श्री अध्यक्ष : बात कहना चाहें तो पांच मिनट में, चार मिनट में कह सकते हैं, और नहीं कहना चाहे तो चार घण्टे में भी नहीं कह सकते।

श्री परसादीलाल मीणा : ....(व्यवधान) उसी जिले के हैं काम खोलने में कोई कोतायी नहीं बरती जाएगी। फिर क्यों बोलते हैं, क्यों परेशान करते हैं उनको? आप हमारे को, अपोजीशन को ज्यादा अवसर दीजिये। कोगटा जी के वैसे ही कमी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपको ज्यादा देता हूं मैं तो वैसे ही। बिराजिये आप।

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अकाल, बिजली और पुलिस पर जो चर्चा हो रही है उसमें मैं अकाल पर बोलूंगा। राजस्थान में लगातार अकाल पड़ते रहे हैं। पिछले 15 साल के रिकार्ड अगर लें तो 15 साल में केवल दो साल ऐसे हैं जिनमें राजस्थान में अकाल किसी गांव में नहीं पड़ा हो, बाकी हर साल अकाल पड़ता रहा है। मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

किसी न किसी क्षेत्र में अकाल की स्थिति रहती है और इस बार का जो अकाल पड़ा है, उसमें राजस्थान में आधे से ज्यादा क्षेत्र में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान में वर्षा कम होने की वजह से यह अकाल की स्थिति बनी है, जो बहुत संघर्षमय है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर भी मैं राज्य सरकार को, माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब को और अकाल राहत मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि पहली बार मार्च में 6 लाख से भी ज्यादा सीलिंग स्वीकृत हुई है। पिछली विभिन्न योजनाओं में चाहे जे. आर. वाइ I हो चाहे II, चाहे आश्वासित रोजगार योजना हो चाहे अकाल राहत योजना में हो, 6 लाख से भी ज्यादा सीलिंग पहली बार इस मार्च के महीने में स्वीकृत हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : आप अपने एरिये की कोई बात कहना चाहें, कोई अमूल्य सुझाव देना चाहें उससे करें अनुगृहित.... (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले की स्थिति बहुत दयनीय है। पूरा अजमेर जिला, एक-आधे गांव को छोड़ कर अभावग्रस्त घोषित है। अजमेर जिले में जो औसत बारिश होती है उसकी भी 30 प्रतिशत हुई है। अजमेर जिले की एक पहचान है कि केवल बारिश पर यह जिला डिपेण्ड है। अजमेर जिले में 14 सौ-15 सौ से भी ज्यादा छोटे तालाब हैं जो जब बारिश होती है उससे भरते हैं, तभी ये किसान छोटी-मोटी खेती करते हैं और पीने का पानी होता है। आज यह स्थिति है कि 80 प्रतिशत तालाब सूखे पड़े हैं बारिश न होने की वजह से। उपखण्ड ब्यावर, तहसील ब्यावर जिसमें पंचायत समिति मसूदा और जवाजा है और जिसमें मेरा विधान सभा क्षेत्र पड़ता है वहां हण्ड्रेड परसेण्ट अभावग्रस्त घोषित किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 443 गांव हैं और वे सभी 443 गांव अभावग्रस्त हैं और 70 प्रतिशत से ज्यादा खराबा है। इस समय अजमेर जिले में 20 हजार की सीलिंग चल रही है मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि ऐसी स्थिति में इस टाइम 50 हजार की सीलिंग होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो अभावग्रस्त घोषित किये जाते हैं वे गांव के हिसाब से, उसके खराबा के हिसाब से होते हैं। लेकिन अभी जो काम चल रहे हैं, जो काम शुरू किये गये हैं अकाल राहत के, वे पंचायतवाइज किये गये हैं। मैं मांग करूंगा कि गांववाइज काम शुरू होने चाहिए।

अभी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अकाल राहत पर कुछ लिखा है, उसको मैं पढ़कर सुनाऊंगा। "अकाल राहत कार्य में क्षतिग्रस्त तालाब एवं नहरों के पुनर्निर्माण, अधूरे कार्यों को पूरा करने, जानवरों के पीने के पानी नाडी, जोहड़ के निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण आदि को प्राथमिकता दी गयी।" मैं,

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अभिभाषण में जो व्यक्त किया गया है यह कार्य आपने अपनी सूची में या अकाल राहत कार्यों में कार्य प्रारम्भ करने में ले लिया है या नहीं ? अगर नहीं लिया हो तो आज यह स्पष्ट करें कि छोटे-मोटे नाडियां हैं या सामुदायिक भवन हैं इनके माध्यम से लोगों को रोजगार मिले और जो जानवरों के पानी की व्यवस्था है वह पूरी हो सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र है। वहां कार्य केवल सड़कों पर ही चल सकता है। क्योंकि सड़क नीति बनी राज्य सरकार की, इसलिए अकाल राहत कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहे हैं। मेरा यह कहना है कि अकाल राहत कार्य सड़क नीति विहीन कार्यक्रम में लिया जाए, जिससे छोटे-मोटे राहत कार्य खुल सकें और सड़कों का काम हो सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका एक और ध्यान दिलाऊंगा। पूर्व में निजी कुओं में अकाल के समय 10-10 हजार रुपये अकाल राहत में स्वीकृत किये गये लेकिन अभी नहीं किये। मैं उसके लिए भी मांग करता हूं कि उसको जल्दी से जल्दी प्रारम्भ किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकीय शालाओं में विद्यालय की चारदीवारी और उनके खेल मैदान के लिए अकाल राहत कार्य स्वीकृत किये, लेकिन अन्य राजकीय भवन और अन्य सम्पत्ति जिसके चारों ओर ये जो सरकारी जमीनें हैं उसकी भी चारदीवारी बनाने के लिए आप इसमें स्वीकृति प्रदान करायें।

श्री परसादी लाल मीणा : आपने प्रतिवेदन पढ़ा है न सहायता विभाग का। सारी बातें इसमें शामिल हैं, आप क्यों भाषण दे रहे हैं ? किसी और चीज पर बोलो आप।

श्री अध्यक्ष : बिराजें परसादी लाल जी।

श्री परसादी लाल मीणा : सारा लिखा हुआ है, अध्यक्ष महोदय।

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय महोदय, मैं बिजली के बारे में बोलता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 1982 में 32 के. व्ही. से ज्यादा की लाइन स्वीकृत थी, लेकिन 10-12 साल निकल गये, पिछले राज ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। मैं विद्युत मंत्री माननीय रघुवीर सिंहजी कौशल साहब को धन्यवाद देता हूं इनका ध्यान मैंने पिछले साल ही दिलाया था और एक साल में वह कार्य प्रारम्भ करके इन्होंने अपने हाथों से उद्घाटन किया और वह कार्य प्रारम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, श्री हरिसिंह जी कुम्हेर।

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और है। ब्यावर

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

के आसपास पूरा मसूदा विधान सभा क्षेत्र बिलकुल लगता हुआ है, लेकिन ब्यावर क्षेत्र में बिजली है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे वह 10 फर्लांग में हो या 15 फर्लांग में हो या 200 गज पर हो, अगर वह ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी पंचायत में आता है तो वहां विद्युतीकरण नहीं है। मेरा माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से यह कहना है कि शहर से लगती हुई ग्रामीण क्षेत्र को जितनी भी बस्तियां हैं, चाहे वे पंचायत में आयें, चाहे पंचायत समिति के किसी क्षेत्र में आयें, अगर पास की दीवार के एक मकान के बिजली है और दूसरे में नहीं है तो निकटतम गांव में बिजली की स्वीकृति विद्युतीकरण के लिए प्रदान करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, 34 गांव ऐसे हैं जिनकी फाइलें भरी हुई हैं, विद्युतीकृत हैं।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप जाकर मंत्री जी से बात करें। बिराजें आप। श्री हरिसिंह जी कुम्हेर।

श्री किशन गोपाल कोगटा : आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पांच से छठा मिनट नहीं लूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि अकाल बाढ़ और सबकी बात हो रही है। फलोदी मरुस्थल के मध्य में है। जो बरसात का साल का औसत है, मंत्री महोदय को मालूम होगा, केवल 30 प्रतिशत वर्षा हुई है फलोदी में। पशुधन का क्षेत्र है, इसलिए मेरा निवेदन है कि सबसे ज्यादा यदि फेमिन के कहीं काम खुलने चाहिए, तो जहां पर सबसे कम केवल 30 प्रतिशत बरसात हुई है वहीं होने चाहिए। तालाबों के बारे में सदन के सदस्यों को मालूम है, मैं 30 साल से कहता आया हूं सबसे सुन्दर तालाब मेरे क्षेत्र में है, इसलिए ज्यादा लोग तब लग सकेंगे जब तालाबों की खुदाई का कार्यक्रम 'अपना गांव अपना तालाब' का आप कह रहे हैं उसमें वह कार्य हो।

दूसरा यह है कि सड़कों पर ज्यादा आदमी लगाइये, क्योंकि हमारे वहां पर सिंचित क्षेत्र एक एकड़ भी नहीं है। इसलिए दूसरा निवेदन यह है कि सड़कों पर आदमी लगायें।

तीसरा, मैं बिजली के बारे में 2-4 शब्द ही कहूंगा। सबके यहां 50 फीट से पानी निकालते हैं, कहीं 60 फीट से निकालते हैं। सौभाग्य से मेरे क्षेत्र में अब पर्याप्त भूजल निकला है, लेकिन वह सवा सौ मीटर की गहराई से पानी खींचना पड़ता है, और 32 हार्स पावर से कम की मशीन वहां पर काम कर नहीं सकती। जहां 50 फीट से पानी खींचते हैं वहां भी बिजली की वही रेट और जहां सवा सौ मीटर से खींचते हैं वहां भी वही रेट। पश्चिमी राजस्थान में अब यह साबित हुआ है कि सर्वाधिक भूजल फलोदी में है। वहां पर अनाप-शनाप ट्यूबवैल लग सकते हैं। इसलिए मरुस्थल का अगर सही मायने में विकास चाहते हो तो

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

मरूस्थल में 80 फीट, सौ फीट से ज्यादा गहराई से पानी निकालते हो उसकी बिजली की रेट आधी की जानी चाहिए।

अन्त में, मैं इतना ही कहूंगा कि आजकल बिजली से दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं। दो विभाग हैं। एक तो आर. एस. ई बी. है जो बिजली का उत्पादन करता है, लाइन खींचता है, बिजली सप्लाई करता है। दूसरा इलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टर है जो यह देखता है कि सेफ्टी के लिहाज से फिटिंग ठीक है या नहीं है। आर. एस. ई. बी. के ऊपर निरीक्षण करने का काम इन्सपेक्टर का है, लेकिन वर्तमान में एक ही अधिकारी है वही विद्युत मण्डल का चीफ इंजीनियर है और वही इन्सपेक्टर है। फिर अगर कंज्यूमर और बिजली बोर्ड के बीच में विवाद हो तो वही जज और वही फैसला करने वाला होता है। अन्यथा इन्सपेक्टर अलग होना चाहिए। तीसरा यह है कि रेट की जो व्यवस्था है उसमें नियम तो कुछ और कहते हैं। नियम में दो अधिकारी हैं। एक तो इन्सपेक्टर और एक परसन टू एसिस्ट इन्सपेक्टर। अब इसमें पी. डब्ल्यू. डी. और दूसरे विभागों में चीफ इंजीनियर और एडिशनल चीफ इंजीनियर, एस. ई., एक्स. ईएन., ए. ईएन. और जे. ईएन.। इस तरह की व्यवस्था तीन-चार तरीकों की कर रखी है। तो कृपया उन नियमों को अध्ययन करके और जो भारत सरकार के बनाये हुए नियम हैं उस हिसाब से आप इन्सपेक्ट्रेट को गठित कीजिये। वरना आप कुछ कारणों से, कारण आप समझ सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था की गयी है, वह बिलकुल नियम विरूद्ध है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप यह जो इन्सपेक्ट्रेट है और इसका जो गठन है इसमें कैसे अधिकारी हों और उनको कितना अधिकार होना चाहिए इस पर आप गहराई से विचार करेंगे। मैं सदस्यों से भी माफी चाहता हूं, आपसे माफी चाहता हूं कि नाम नहीं होते हुए भी आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपका नाम तो था, पर थोड़ी देर से था। कोई बात नहीं। बिराजें आप। श्री हरिसिंह जी कुम्हेर।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके प्रति आभार के साथ अपनी बात प्रारम्भ करना चाहता हूं और इस सदन का तथा सम्बन्धित मंत्री जी का ध्यान भरतपुर जिले में शीतलहर तथा ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ और बाढ़ से नुकसान हुआ, उसके बाद अकाल राहत कार्यों में जो कंजूसी बरती जा रही है उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमारा भरतपुर जिला मुख्यतया कृषि प्रधान क्षेत्र है। कृषि प्रधान तो पूरा राजस्थान ही है, लेकिन विशेष तौर से अब भरतपुर दिन-प्रतिदिन कृषि प्रधान होता जा रहा है। उसका कारण यह है कि हमारे भरतपुर जिले के अन्दर

(श्री हरिसिंह)

कोई इण्डस्ट्री नहीं लग सकी। उसका कारण यह है कि ताजमहल की वजह से और घना बर्ड सेंचुरी होने के कारण वहां से 50-50 किलोमीटर तक पोलुशन रोकने के लिए कोई नयी इण्डस्ट्री स्थापित नहीं हो सकती और इसलिए वहां की जनता, करीब 13 लाख की आबादी कृषि के ऊपर पनपती रहे।

पिछले साल भयंकर बाढ़ आयी और बाढ़ इतनी भयंकर आयी कि उसमें मेरे क्षेत्र कुम्हेर के 110 गांवों में से 101 गांव बाढ़ से प्रभावित हो गये। वे इस कदर प्रभावित हुए कि वहां सब के सब गांवों को अकाल राहत घोषित किया गया। पता नहीं अकाल मंत्री महोदय कहां चले गये, मैं उनसे निवेदन करना चाह रहा था कि 101 अकाल के अन्दर घोषित हुए और उसके अलावा भरतपुर जिले के और 200 ग्राम घोषित हुए। इसका मतलब यह है कि करीब 300 गांव अकालग्रस्त भरतपुर जिले के अकाल मंत्री महोदय ने घोषित किये। यह काम एक तरफ था। पूरी फसल खतम होने को आयी थी। अगली फसल आने वाली थी। इसी बीच में भयंकर शीतलहर आयी। शीत लहर से फसल उबर ही रही थी कि ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि भी इतनी भयंकर ओलावृष्टि हुई कि उसमें कई जानवर मोर वगैरह आ गये तो वे अंधे हो गये, मर गये। सरसों की फसल तो ऐसा मालूम पड़ता था कि खेतों के अन्दर जैसे कोई डंठल खड़े रह गये हों। चने खतम हुए, गेहूं खतम हुए। एक प्रकार से एक ऐसी तबाही आई, वज्रघात हुआ प्रकृति का ओलावृष्टि से। वह कोई 2-4 गांवों में नहीं हुआ श्रीमान्।

मैं आपको निवेदन करूं कि हर तहसील में 10-5 से ज्यादा गांवों में एक लाइन की लाइन के अन्दर ओलावृष्टि हुई। हमारे कुम्हेर में बरसाई, खेरावड़ वगैरह में ओलावृष्टि हुई। श्रीमान् भरतपुर में सूखो फलवारे इत्यादि गांवों में हुई। बयाना में बैल्ट की बैल्ट बीसियों गांव में यह ओलावृष्टि हुई। वैर में बीसियों गांव में ओलावृष्टि हुई। अनेक गांव ओलावृष्टि से प्रभावित हुए। इसके बाद में, सरकार ने अभी तो पता नहीं चलेगा कि कितनी फसल का नुकसान हुआ है। जैसे-जैसे फसल खलिहान में आएगी तब पोल खुलती है फसल की। इसके अन्दर 20 परसेंट, इसके अन्दर 30 परसेंट, इसके अन्दर 50 परसेंट नुकसान हुआ है। जब फसल खलिहान में आती है तब पता चलता है इसके अन्दर तो 70 परसेंट नुकसान है, 80 परसेंट नुकसान है। जो यह नुकसान हुआ उसको राहत पहुंचाने के लिये अभी तक राजस्थान सरकार ने कोई सक्रिय कदम उठाया नहीं है। ऐसे मामले में तो जो सक्रियता के साथ इमिडियेट रिलीफ मिलती है वह मिलनी चाहिए। वह राहत भरतपुर जिले में नहीं दी गई।

अब मैं अकाल राहत मंत्री जी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने अकाल राहत व बाढ़ राहत तो घोषित कर दिया, लेकिन आपने सीलिंग कितनी लगाई है? पूरे भरतपुर जिले में करीब 3 लाख से ज्यादा

(श्री हरिसिंह)

आबादी इफेक्ट हुई है, अकाल प्रभावित घोषित हुई है और उसमें आपने सीलिंग लगाई है 1500 की। 1500 की कोई सीलिंग है ? एक सौ गांव तो मेरे क्षेत्र में ही है। उन सौ गांवों में यह 1500 लेबर लगाये जाएं तो एक गांव के 10-15 आदमी आते हैं। उससे क्या रिलीफ मिलेगी ? अकाल राहत मंत्री जी आप स्वयं पधारे थे। मंत्री महोदय, आपने भी इस बार का तांडव नृत्य देखा। सैंकड़ों बांध जिसके टूटे हैं, तमाम नहरें जिसकी टूटी है उनसे पूरी कार्तिक की फसल बरबाद हो गई है। इस तांडव नृत्य के बाद, इतनी आबादी अकाल में घोषित करने के बाद भी आपने 1500 की सीलिंग कायम की है। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि उस सीलिंग लिमिट को आप बढ़ाइए। काम तो आपने खुलवा दिये, काम तो कलक्टर साहब ने खोल दिये लेकिन काम खुलने से मतलब क्या हल हो रहा है। इसमें काम एक लाख का खोल दिया और 5 आदमी लगाये, 10 लगाये। इसलिये सीलिंग लिमिट को बढ़ायें आप, एक तो मैं आपसे यह निवेदन करके चलना चाहूंगा।

दूसरा, मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारा इलाका, जैसे मैंने आपको कहा कृषि प्रधान इलाका है। मंत्री महोदय ने बिजली के क्षेत्र में सुधार किया है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन हमारी कुम्हेर तहसील से पता नहीं क्यों नाराज हैं आप। भरतपुर जिले की हर तहसील में आपने 120 के. वी. का नया स्टेशन कायम कर दिया है सिवाय कुम्हेर को छोड़कर।

श्री कैलाश मेघवाल : सिवाय कुम्हेर को छोड़ करके ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हां, कुम्हेर को छोड़ कर के हर जिले में, जिले की हर तहसील में, हर पंचायत समिति में आपने 120 के. वी. के नये स्टेशन कायम किये हैं। पता नहीं कुम्हेर से क्या नाराजगी है ? मैंने आपसे यह भी निवेदन किया है कि कुम्हेर की जो एग्जिस्टिंग लाइनें हैं कम से कम उनको तो ठीक करा दीजिए। उसमें भी आपकी मेहरबानी है कि आपने 2 ओ. सी. बी. दी है। लेकिन 6 लाइनों के बीच में 2 ओ. सी. बी. मिली है। रात को तमाम लाइनें फुंक जाती है, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिये बिजली नहीं मिलती है, लोग बड़े परेशान है। मैं विद्युत मंत्री महोदय आपसे बहुत संक्षेप में निवेदन करना चाह रहा हूं कि आपके दिल में कुम्हेर से कहीं कोई नाराजगी है तो उसे निकाल कर कुम्हेर की बिजली व्यवस्था ठीक करने की मेहरबानी करें और विशेष रूप से अकाल राहत मंत्री जी से निवेदन है कि इसमें आप हमारे यहां पर लेबर की जो सीलिंग 1500 कायम की है उसे कृपया बढाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री शिवनाथ सिंह जी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष जी, चाहे इसे पक्षपात कहें चाहे कुछ भी

(श्री शिवनाथ सिंह)

कहूँ, मैं सबसे पहले दो शब्द राहत मंत्री जी के प्रस्ताव पर निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे बाढ़ हो, चाहे ओलावृष्टि हो, ये सब प्राकृतिक आपदाएं है और इनसे भगवान ही बचा सकता है, सरकार इससे बचा नहीं सकती, केवल राहत दे सकती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि राहत देने के जो नार्म्स आपके पहले से बने हुए है वे बहुत पुराने हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी कह सकते हैं कि कांग्रेस के राज में बने, बन सकते हैं कभी भी। लेकिन आज समय आ गया है कि उन नार्म्स को रिवाइज करना चाहिए और जो नार्म्स के हिसाब से आज जो राहत राशि आप देते हैं वह बहुत कम है। राहत कार्य खुलने चाहिए और जहां लोग पीड़ित हुए हैं उनकी पीड़ा को कम करना चाहिये। हमारे जिले में भी शीत लहर से सरसों की खेती को भयंकर नुकसान हुआ है। उसकी गिरदावरी अभी तक हुई नहीं है। वह गिरदावरी होकर कुछ राहत मिल जाए तो ठीक है। अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी ने कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार करने के लिए प्रस्ताव रखा है। मेरा निवेदन है कि कानून तो है, बना हुआ भी है लेकिन कानून के साथ-साथ व्यवस्था नहीं है, कतई नहीं है, यह बात सही है। आज इस प्रान्त में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी है और उसको सुधारने के लिये आवश्यक कदम उठाने चाहियें। मैं पुलिस को दोष नहीं देता। आज चोरी करने के, डकैती करने के, जुर्म करने के तरीके काफी रिफाइन्ड हो गये हैं। हमारे टी. वी. ने सत्यानाश कर दिया है। जवान छोरे नये-नये ढंग से इन जुर्मों को करते हैं और उन जुर्मों को पकड़ने के लिये हमारी पुलिस के पास न प्रशिक्षण है और नहीं उनके पास साधन है। दूसरी बात यह कि किसी को पकड़ भी लिया जाए तो पकड़ने के बाद इन्वेस्टिगेशन करने के जो सुदंर तरीके आज होने चाहिये, वे नहीं हैं। यदि मार-पिटाई होती है और पुलिस स्टेशन में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम उसकी भर्त्सना करते है, आलोचना करते हैं। लेकिन पुलिस की कठिनाई को देखते हुए मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस मामले में सोचे और जितना तरीका जुर्म करने में डवलप हुआ है पुलिस को उसी हिसाब से डविलप करना चाहिये और इसी हिसाब से पुलिस प्रशिक्षित हो।

माननीय अध्यक्ष जी, अपराध बढ़े हैं माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि कानून व व्यवस्था की स्थिति ठीक रही है। मैं आपसे उन्हीं के आंकड़ों से निवेदन करना चाहूंगा। इस प्रान्त में नकबजनी की घटनाएं 1993, 94 व 95 में लगातार बढ़ रही है और उसके साथ-साथ नकबजनी की घटनाओं को प्लस 10 पर्सेण्ट से अधिक बढ़ा है। उसके साथ-साथ जो रिकवरी पोजिशन है वह दयनीय हैं। आज 50 पर्सेण्ट रिकवरी नहीं हो रही है और यह बहुत शर्मनाक बात है। मैं अपने जिले के लिये कह सकता हूं कि पिछले 6 महीनों

(श्री शिवनाथ सिंह)

-में व्हिकल्स की चोरी हुई, दुकानें फूटी घर फोड़ कर चोरी की गई और उनमें से एक भी बरामदगी नहीं हुई। एस. एच. ओ. के पास रिपोर्ट करने के लिये जाते है तो जवाब मिलता है कि क्या पुलिस वाले साथ रहकर चोरी करवाते हैं। अध्यक्ष जी, पुलिस वाले साथ रहकर चोरी नहीं करवाते है लेकिन अपने संरक्षण में चोरी करवाते हैं, यह बात सही है। इसलिये इस ओर माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये और रिकवरी की जो बहुत बुरी परिस्थिति है, उसमें सुधार करना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष जी, पुलिस की ज्यादतियों की दिन-रात बात होती है और उनमें ऐसे-ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, माननीय मंत्री जी उनको प्रोटक्शन नहीं दें, पुलिस को प्रोटक्शन नहीं दिया जाए। वाजिब केस हो, उस मामले में करना चाहिये।

अभी 3-4 रोज पहले मैंने यहां मामला उठाया था हरिजन महिलाओं के साथ में मारपीट का। उस थानेदार एस. एच. ओ. गुढ़ा का एक रवैया बन गया है कि जो भी मन आये वह करे। अध्यक्ष जी, 3-4 किस्से अभी 15 रोज के अन्दर उनके हुए हैं। एक पिटा हुआ व्यक्ति पुलिस में आया, रिपोर्ट लिखाने लगा तो थानेदार ने कहा कि मुलजिम को बुलाकर पूछूंगा कि उसने जुर्म किया है या नहीं किया है। एस. पी. साहब तक मामला पहुंचा और एस पी. के आदेश से उसकी रिपोर्ट दर्ज की गई।

माननीय अध्यक्षजी, अदालतों से इंजन्क्शन जारी होते हैं। उन लोगों को लाकर जंगले में रखा जाता है। पूछते हैं तो कहते हैं कि अदालत का इंजन्क्शन क्या काम करेगा, यहां तो मार-कुटाई हमको रोकनी है। जिस आदमी के पक्ष में इंजन्क्शन जारी है, उसी को जंगले में लाकर रख दिया। माननीय अध्यक्षजी, इस तरह के अनेक मामले हैं जिनमें ये पुलिस वाले और खास तौर से मेरी कांस्टीट्युएंसी के हैड-क्वार्टर पर जो गुढा थाना है उसमें कोई शुमार नहीं ज्यादतियों का, अनैतिक कामों का। माननीय मंत्री महोदय चाहेंगे तो मैं उनके एफ. आई. आर., नम्बर वगैरह सब दूंगा, लेकिन इतना ही निवेदन करना चहूंगा कि इस मामले में थोड़ी सख्ती बरतनी चाहिये।

माननीय अध्यक्षजी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। आखिरी सवाल में बिजली पर कहना चाहता हूं और वह यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले एक–डेढ़ साल में बिजली के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता राज्य सरकार के बिजली बोर्ड के प्रयत्न बिजली उत्पादन की तरफ है, चाहे उसमें लागत कितनी भी आयी हो, लेकिन प्रयत्न सही दिशा में है।

आज मैं प्रोडक्शन की बात नहीं करना चाहता। आज मैं कंज्यूमर की बात करना चाहता हूं। कंज्यूमर की हालत क्या है। अभी कहा गया कि हमारे बोर्ड की आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ हो गयी कि हम आज कैश पर पर्चेज करते हैं।

(श्री शिवनाथ सिंह)

माननीय अध्यक्षजी, यह किसकी कीमत पर हुआ है। यह सब बोर्ड की आर्थिक स्थिति सुधारी है, वह किसान की खाल निकाल-कर किया गया है, उस पर इतना भयकर अत्याचार हुआ है। आज नर्सरी स्कीम की बात कर सकते हैं। नर्सरी स्कीम का फायदा उन लोगों को मिलता है जिनके पास लाख दो लाख रुपया है। आज उनके हिसाब से यदि हम मापदण्ड करें तो मेरे ख्याल से गरीब काश्तकारों के लिये यह वाजिब नहीं होगा। इस नर्सरी स्कीम को आप रखें, मुझे एतराज नहीं है लेकिन आपकी आर्डिनरी प्रायोरिटी है, उस प्रायो-रिटी को कायम रखिये और उसमें पूरे कनेक्शन आप दीजिये।

माननीय अध्यक्षजी, एक-दो मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा आज इस बिजली बोर्ड में, माननीय चेयरमेन साहब भी नहीं कह सकते कि कितने सर्कुलर निकलते हैं। एक दिन में 3-4-5 सर्कुलर निकलते हैं। वे सर्कुलर भी कैसे हैं। अध्यक्षजी, अभी 18-10-95 को एक सर्कुलर निकला है और उसमें यह निर्णय लिया गया कि व्यक्ति ने पहले कनेक्शन ले लिया एक पोल, दो पोल स्कीम में उनके लिए उनकी मीटिंग बैठी और मीटिंग बैठने के बाद यह तय किया गया कि पिछले 4-6 महीने का सर्वे करवाया जाए कि कौन से कनेक्शन कौनसी स्कीम में आते है और कौनसी स्कीम में नहीं आते है। फिर आदेश निकाला गया कि अमुक तारीख से पहले के जितने कनेक्शन है उनको या तो वे नर्सरी में कन्वर्ट करवा लें या फिर अपना रुपया वापिस ले जाएं। माननीय अध्यक्षजी, 4-6 महीने पहले जिसने कनेक्शन ले लिया उसको आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं। लोग अदालत में गये और अदालत में जाने के बाद कंज्यूमर कोर्ट ने फैसला किया कि इस प्रकार के आदेश बिजली बोर्ड नहीं दे सकता। मैं इस मामले में इतना निवेदन करना चाहूंगा कि कंज्यूमर कोर्ट के जो आदेश हो चुके है, फैसले हो, चुके है उन फैसलों के आधार पर आप अपने केसेज को समाप्त कीजिये। कंज्यूमर कोर्ट के खिलाफ या तो आप अपील में जाइये और यदि अपील में नहीं जाते हैं तो हर कज्यूमर को आप कोर्ट में ले जाने के लिये बाध्य मत कीजिये। जो फैसले हो चुके हैं उन फैसलों के अनुरूप आप आगे की कार्यवाही कीजिये।

माननीय अध्यक्षजी, अन्त में एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बच्चों की शाम 6 बजे से लेकर 10 बजे तक की पढ़ाई बिजली के बिना नहीं हो पा रही है। इसके लिए बार-बार निवेदन किया गया। यहां के आदेश चले गये, मंत्रीजी ने कहा, चेयरमैन साहब के आदेश चले गये, लेकिन उनकी पालना नहीं हो रही है। हमारे बच्चों की पढ़ाई के दिन है, परीक्षाओं के दिन है. शाम को 6 से लेकर 10 बजे तक झुंझुनूं जिले में तो बिजली नहीं मिल रही है। कहा यह जा रहा है कि हम बिजली देंगे तो आप बिजली की चोरी कर लोगे। अध्यक्षजी, चोरी पकड़ना आपका का काम है, हमारा काम नहीं है। उसकी सजा बच्चों को नहीं दी जानी चाहिये। इसलिये मैं इतना ही निवेदन

(श्री शिवनाथ सिंह)

करना चाहूंगा कि बिजली की व्यवस्था में सुधार किया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री गरासिया साहब। पाइण्टेडली कहें। थोड़ा अच्छा रहेगा, सभी माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : विचार तो यह था कि सारी बातें कहेंगे लेकिन अगर आपने आदेश दिया है तो मैं अपने विचारों को संक्षिप्त में रखूंगा।

पूरा राजस्थान ही नहीं, विशेष रूप से राजस्थान का दक्षिणी भाग जहां जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर कानून की दृष्टि से जनजातिय लोगों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया जाता है, उसके बारे में मैं कुछ उदाहरण देकर बताना चाहूंगा। चाहे वह मुंदवाड़ा केस हो, चाहे पारसोला काण्ड हो, चाहे बिलोड़ा का राड होली का काण्ड हो, हड़मत्या सलूम्बर वाला काण्ड हो। अभी एक नया जो हुआ सलूम्बर में धरियावद में मांडूवाना केस, इन केसों में विशेष रूप से पुलिस का जिस तरह का रवैया होना चाहिये था, वैसा नहीं हुआ विशेष रूप से मुंदवाड़ा-पारसोला जो काण्ड, हमारे सामने बैठे हैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य उनके राज में हुआ था और उस समय वास्तव में जिस तरह से आदिवासियों पर बर्ताव हुआ, बर्बरता की, उसको मैं यहां शब्दों में व्यक्त करूंगा तो शायद सब के दिल दहल जाएंगे। आज भी अन्वेषण का जो तरीका पुलिस का है...

श्री रामस्वरूप मीणा : दिल तो आप लोगों के दहलेंगे। कांग्रेस की देन है जो आज आप बुराई कर रहे हो।

श्री अध्यक्ष : बिराज जाएं। इतना उग्र होने की कहां जरूरत पड़ रही है। अभी आपके सीमेंट फैक्ट्री का धुंआ आ रहा है, आप काहें को उग्र हो रहे है। आप बिराज जाओ।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : अभी आप सुनते जाएं, मैं बता रहा हूं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। आप इतना क्यों व्यग्र हो रहे हैं। इन्हें बोलने दें, आप क्यों बोल रहे हैं।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासी की बात आदिवासी सुने तो अच्छा रहेगा।

मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय, का ध्यान आकर्षित करना चाहता था कि विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में आप जो अधिकारी, थानेदार, व थाना-प्रभारी लगाते हैं उनको....

श्री रामस्वरूप मीणा : इतने अत्याचार हो रहे हैं और आप कह रहे है कि कुछ नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजिये। सारा दिन + + + जरूरी नहीं है। आप बिराज जाएं।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप गलत बात क्यों कहते हैं। सही बात तो कहलवाओ आप।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये। बोलने दें।

श्री जुबेर खान : + + + जब तक बैठ नहीं जाए, क्योंकि कल तो + + + नहीं है।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आदिवासी क्षेत्र में जो अधिकारी और थाना प्रभारी लगाते हैं, अच्छे सुलझे हुए अधिकारी या प्रभारी लगें, विशेष रूप से अगर जनजाति के अधिकारी, कर्मचारी या शिड्यूल कास्ट के अधिकारियों को भी आप लगा सकते हैं अगर उनकी सी. आर. अच्छी हो, तो अच्छा रहेगा। लेकिन सी. आर. के लिए कहना चाहूंगा कि आपके जिला-प्रभारी या डिविजन प्रभारी उनकी सी. आर. को बनाते और बिगाड़ते हैं। अगर जन-प्रतिनिधि उनकी सिफारिश करते हैं तो उनकी सी. आर. ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि जनता उनकी सी. आर. बनाती और बिगाड़ती है। थाना प्रभारी के पास में अगर गरीब व्यक्ति चला गया और उसकी बात सुनी गई तो मैं समझता हूं कि वह उसके लिये देवता के रूप में होगा। जनजाति क्षेत्र के लिए मैं अपनी तरफ से एक सलाह देना चाहूंगा कि विशेष रूप से वहां जो जनजाति के अधिकारी या कर्मचारी हैं उनको लगाने से पुलिस का जो व्यवहार है उसमें सुधार आयेगा। उसके पीछे कारण यह है कि आदिवासी की संस्कृति....

श्री हीरालाल बिश्नोई : आदिवासी संस्कृति को कांग्रेस जानती है आप कहां जानते हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिश्नोई साहब बिराज जाएं। आपको क्या हो गया है? आज सारा दिन तो आपकी चर्चा हो रही है, क्या बात है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल बिश्नोई : उसको कांग्रेसी जानते हैं, कांग्रेसी।

श्री अध्यक्ष : बिश्नोई साहब, आपकी लम्बी चौड़ी चर्चा हो गयी, आप क्या कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : आप बिराज जाएं। इलेक्शन में पता लग जाएगा। अभी दो महीने बाद में पता लग जाएगा।

मैं निवेदन करना चाह रहा था कि आदिवासी और कर्मचारी होंगे तो कम से कम उनके कस्टम के बारे में, कल्चर के बारे में जानेंगे। मै विशेष रूप से छोटे-छोटे अपराधों के बारे में बताऊंगा। चाहे

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

नाता प्रथा है, छोटे-मोटे झगड़ों की जो प्रथा है, अभी जो धरियावद का केस हुआ उसमें नाते की प्रथा का था। आपस में दोनों पार्टियों का सुलहनामा हो रहा था लेकिन पुलिस की दखलंदाजी से जो हादसा हुआ, उस हादसे को टाला जा सकता था। इसलिये विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह के केस में जन-प्रतिनिधि को आप इन्वाल्वड करें, चाहे वह वार्ड पंच हो, सरपंच हो, एम. एल. ए. हो, अगर ये लोग इन्वाल्वड होंगे तो कम से कम उनकी संस्कृति के बारे में जानते हैं, उनके केस के नेचर के बारे में जानते हैं। ये लोग आपके ज्यादा सहायक बनेंगे। तो अधिकारियों को आप उस तरह से निर्देश देंगे, उनको इस तरह से ट्रेनिंग देंगे, जो आपका रिकूटमेंट कोर्स होता है उसमें इस तरह का एक निर्देश होगा तो विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में जो इस तरह के अपराध होते हैं, घटनाएं होती हैं, उनको रोका जा सकता है।

जनजातीय क्षेत्र, विशेष रूप से खेरवाड़ा में एक एम. बी. सी. के नाम से, एक पूर्व में चल रही थी केवल इसमें जनजाति के आशार्थी लिये जाते थे लेकिन पता नहीं कुछ कारणों से उसको जनरल कर दिया। मैं गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा क्योंकि उन लोगों का एक इतिहास रहा है चाहे कहीं भी उनको बुलाया है उन जवानों ने कभी पीठ नहीं दिखायी। उस इतिहास को बनाये रखें, उनकी शूरवीरता को बनाये रखें और एम. बी. सी. जिसका नाम है, मेवाड़-भील-कोर के हिसाब से उसमें जो प्रशिक्षणार्थी हों वे आदिवासी हों, जनजाति के लोग हों, यह विशेष रूप से मेरा निवेदन है।

मैं कानून व व्यवस्था के लिये भी कुछ सलाह देना चाह रहा हूं। यहां राजस्थान पुलिस के पास में आबादी के हिसाब से जितना मैन पावर होना चाहिये था, उतना नहीं है। जितने आधुनिक शस्त्र होने चाहिये, उतने आधुनिक शस्त्र उनके पास नहीं है। आज से छह-सात वर्ष पहले सूरजपोल का कांड सबको याद होगा कि आतंकवादी आये और थाने में गोलीबारी कर गये। वहीं मारकर चले गये। अगर मान लीजिये उस समय पुलिस के पास आधुनिक हथियार होते तो शायद यह हादसा टाला जा सकता था।

अभी उदयपुर में एक पेट्रोल पम्प लूटा गया, वहां पर भी पुलिस के पास में इस तरह के आधुनिक हथियार और साधन होते तो शायद हम उन चोरों और डकैतों को पकड़ने में कामयाब होते। विशेष रूप से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस को अधिक से अधिक साधन दिये जायं। साधनों के लिये बजट की जरूरत पड़ेगी और अगर बजट और साधन होंगे तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में जो नये तरीकों से अपराध बढ़ रहे हैं, नये तरीकों से अपराध का आधुनिकीकरण हो रहा है, उसको रोकने में पुलिस कामयाब होगी। मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस को अधिक से अधिक बजट दिया जाय, मैन पावर बढ़ाया जाय।

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

वैसे मैं सरकार को, विशेष रूप से मुख्य मंत्री महोदय को बधाई देना चाहूंगा कि 20 प्रतिशत महिलाओं का आरक्षण किया है।

श्री अध्यक्ष : भीमसेनजी चौधरी।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : महिलाएं पुलिस में बढ़ेंगी तो अधिक से अधिक थाने खोले जायं ताकि महिलाएं जिनको थाने में बुलाकर पुरुष द्वारा अन्वेषण किया जाता है, उसको अधिक से अधिक रोका जाय। मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि अपराधी अगर कोई हो..... (व्यवधान)....

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में अपने इलाके की समस्याओं के बारे में, बिजली और अकाल राहत कार्यों के बारे में और कानून व व्यवस्था के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : तो कम से कम महिला कांस्टेबल रखा जाय, यह विशेष रूप से ध्यान रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कानून के साथ-साथ अकाल के बारे में बताना चाहूंगा। जनजातीय क्षेत्र में वास्तव में अकाल की वीभत्स हालत है। वहां के अधिकतर लोग गुजरात पलायन कर गये।

श्री अध्यक्ष : सात मिनट में तो चाहे जो कह सकते हैं। सारी दुनिया को नाप रहे हैं।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : मैं निवेदन करना चाहूंगा, दो मिनट के लिये, ये सुविधाएं बढ़ायें, क्योंकि आदिवासियों का रोजगार अगर बढ़ेगा तो वे भरपेट खा पायेंगे।

श्री अध्यक्ष : ज्यादा थोड़े ही यहां कहना है आपको ?

श्री चुन्नीलाल गरासिया : आज रोजगार बढ़ा है, उसके लिये तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

एक माननीय सदस्य : मंत्रीजी आपके पास ही बैठे हुए हैं।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : आप मजदूरी ज्यादा बढ़ायें, यह विशेष रूप से अकाल मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा। बिजली के बारे में विशेष कहना नहीं चाहूंगा लेकिन 'कुटीर ज्योति' एक योजना है। अधिक से अधिक कुटीरों में यह ज्योति बढ़े, क्योंकि अगर एक गांव में टोटल चार बल्ब जल गये तो उससे आदिवासी की रोशनी नहीं बढ़ेगी। प्रत्येक गांव में, जितने घर हैं, उन सबमें ये लट्टू जले, उसके लिये विशेष रूप से हमारा जो 12 पर्सेण्ट पैसा योजना में आर. एस. ई. बी. का होता है, उस 12 पर्सेण्ट पैसे को अगर विद्युतीकरण के लिये खर्च करेंगे तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जितने जनजाति क्षेत्र हैं, राजस्थान में, हर आदिवासी के घर में लट्टू जलेगा। जय भारत। धन्यवाद।

श्री भीमसेन चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली और अकाल राहत....

श्री अध्यक्ष : एक सैकण्ड ।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे बढ़ाया जाय ।

श्री चन्दनमल बैद : ऐक घंटे से कुछ नहीं होगा । एक घंटे से क्या होगा ?

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जब तक बिजली पर चर्चा हो रही है, तब तक बढ़ाया जाय ।

एक माननीय सदस्य : दो घंटे बढ़ाया जाय ।

श्री चन्दनमल बैद : जब तक यहां चर्चा नहीं हो जाय, तब तक बढ़ाया जाय ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप और हम यहीं हैं, आवश्यकता होगी तो और बढ़ा देंगे ।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं बढ़ायेंगे । अध्यक्ष महोदय, जब तक चर्चा समाप्त नहीं हो जाय तब तक समय बढ़ाया जाय ।

श्री विष्णु मोदी : आज की कार्य-सूची समाप्त होने तक का समय बढ़ाया जाय और आप एक घंटे का समय बढ़ा रहे हैं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : कार्य-सूची में कुछ है नहीं ।

श्री विष्णु मोदी : कार्य-सूची में कुछ नहीं है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : जवाब देना है और यह चर्चा होनी है ।

श्री चन्दनमल बैद : हां, जब तक चर्चा नहीं हो जाय, सदन का समय बढ़ाया जाय ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा निवेदन है कि कई माननीय सदस्यों ने रिजर्वेशन करवा रखे हैं । यदि मान लीजिये, माननीय सदस्य नहीं हों तो क्या होगा ।

श्री चन्दनमल बैद : वे चले जायेंगे ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यदि आवश्यकता होगी तो और बढ़ा लेंगे ।

श्री विष्णु मोदी : कितना समय बढ़ा, मान्यवर ?

श्री भीमसेन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये । आप तो बोले हैं ।

(श्री अध्यक्ष)

क्या सदन का समय एक घंटे के लिये बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे के लिये बढ़ाया जाता है। बिराजिये आप। चौधरी साहब।

विभिन्न विषयों पर विचार

श्री भीमसेन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे इलाके की बिजली, अकाल, राहत और कानून व व्यवस्था की समस्याओं के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे इलाके में बिजली के सम्बन्ध में रात को 7.00 बजे से लेकर 10.00 बजे तक सिंगल फेस से सारे गांव को लाइट दी जाती है, जिससे सारे गांव में अंधेरा रहता है। इसके बारे में एस. ई. के आर्डर हैं कि गांव के लोगों को सात बजे से दस बजे तक सिंगल फेस में बिजली नहीं दी जाय। सारे लूणकरणसर और खाजूवाला में मंडियां हैं, इन मंडियों में सात बजे से दस बजे तक अंधेरा रहता है। इसलिये इसकी व्यवस्था की जानी चाहिये।

इसके अलावा हमारे यहां पर जो सबग्रिड स्टेशन है। 132 के. वी. का, राजियासर में और घड़साना में, इन सब ग्रिड स्टेशन से चार-पांच ग्रिड लाइनें जाती हैं। अगर किसी एक लाइन में फाल्ट होता है तो सारी पांच लाइनों में, ग्रिड सब-स्टेशन में उससे नुकसान पहुंचता है। इसलिये इस व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिये। इसके अलावा खाजूवाला और लूणकरणसर के गांवों में, जहां ग्रिड सब-स्टेशन हैं, जैसे शेखसर है और खाजूवाला में, वहां पर आपके बिजली कर्मचारी अपर्याप्त हैं और बीकानेर शहर में एक्स. ईएन. हैड क्वार्टर पर और ए. ईएन. हैड-क्वार्टर पर वे सारे कर्मचारी लगे हुए हैं। गांव में कोई हैल्पर वगैरह नहीं है। इससे जो लाइनें खराब होती हैं उससे गांव के लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। ट्रांसफार्मर्स कभी-कभी खराब होने पर उनको रिप्लेसमेंट में एक-एक, डेढ़-डेढ़ महीना लग जाता है। अभी शेखसर में और नथुसर के ट्यूबवेल में दो ट्रांसफार्मर्स खराब हो गये थे, उनको दो-दो महीने लग गये रिप्लेसमेंट में। इसलिये इस व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिये।

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे बीकानेर जिले में किसी भी एक गांव को भी सामान्य श्रेणी में इलेक्ट्रिफाइड नहीं किया गया है। मेरा इलाका सिंचित क्षेत्र का इलाका है, सीमान्त क्षेत्र का इलाका है, वहां पर मेरे इलाके में 187 चक आबादियां सिंचाई विभाग द्वारा एक हजार की जनसंख्या के आधार पर दी गयी हैं। वे सारी चक आबादियां अंधेरे में हैं। उन 60 गांवों को राज्य सरकार ने रेवेन्यू गांव अब घोषित किया है, उनकी जनसंख्या, किसी की पांच हजार है किसी की दो हजार है, किसी की तीन हजार है, उसमें बिजली की कोई योजना बनायी हुई नहीं है। इसलिये मैं

(श्री भीमसेन चौधरी)

सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

इसके अलावा अकाल राहत के अन्दर, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे बीकानेर जिले मे सीलिंग की सीमा बहुत कम रखी गयी है और वहां पर पशु आहार के लिये कोई भी अनुदान की व्यवस्था अभी तक नहीं की गयी है। हमेशा अकाल के अन्दर पशुओं के लिये आपने अनुदान की व्यवस्था की है लेकिन इस बार आपने कोई अनुदान की व्यवस्था नहीं की है। आज चारे के भाव 200 रुपये क्विंटल हो रहे हैं और सरकार ने अभी तक कोई उसके बारे में व्यवस्था नहीं की है। पेयजल के सम्बन्ध में भी ढाणियों और गांवों के अन्दर आपने अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की है। टी. एस. एस. की जो स्कीम है, दो-तीन स्कीम्स मेरे इलाके की हैं, उनमें अकाल होते हुए भी, उनका संधारण मेंटिनेंस हाथ में नही लिया है।

इसी तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके में पूगल थाने के अन्तर्गत होली के दिन पुलिस के लोगों ने, एस. आई. और कुछ सिपाहियों को लेकर कुम्हारेवाला गांव में पहुंचे और वहां समाजकंटकों के सहयोग से उन्होंने कार्य किया। महिलाओं के साथ दुर्व्यहार किया, उनके साथ मार-पीट की और चोटें पहुंचायीं। इतनी मारपीट की कि एक महिला का तो गर्भपात भी हो गया। एस. आई. ने दुर्व्यवहार किया, टैक्टफुली सिचुएशन को हैंडल नहीं किया। उससे गांव में बड़ा आतंक और रोष व्याप्त है। इसके बारे में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा था। मैं समझता हूं कि इसके बारे में उचित कार्यवाही की जायेगी। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इन समस्याओं के समाधान के लिये आप आदेशित करें।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणकुमारजी। (अनुपस्थित) श्री महादेवसिंह जी (अनुपस्थित) श्री अमरारामजी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय अध्यक्षजी, मैं बिजली के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। बिजली के बारे में इस समय ब्याज का बढ़ता भार करोड़ों रुपयों में....

श्री अध्यक्ष : सात मिनट में पूरा करने की चेष्टा करें।

श्री अमराराम चौधरी : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें कुछ सुधार जरूर हुआ है लेकिन सुधार के साथ-साथ में जो योजनाएं प्रारम्भ की गयी हैं... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सुबह से झेलता-झेलता और मिट्टी उठा-उठाकर अपने सिर में डालने लग जाता है। यह सारा समय उसी में लगता है। कोई अर्थ ही नहीं इस चर्चा का।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : भिजवा दो, जिससे हमारी छुट्टी हो। उनका नाम अखबार वालों को दे दो कि उनका नाम छाप... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप ।

श्री अमरराम चौधरी : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो 25000 कृषि कनेक्शन आपने रखे हैं उसमें से 10,000 कृषि कनेक्शन आपने सामान्य में रखे हैं। ये जो कनेक्शन हैं, वे 1986 से पेंडिंग पड़े हैं, उसके लिए आप समय निर्धारित कर दें तो उनका नम्बर पहले आ जायेगा। आप एक टाइम पीरियड फिक्स करें कि हम तीन साल के 1986 से 1989 वालों को कनेक्शन, जो यह दस हजार कनेक्शन हैं, दे देंगे। इसमें समय निश्चित नहीं है।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि नर्सरी के अन्दर आपने जो कनेक्शन दिये उसमें पुस्तक के अनुसार पन्द्रह दिन में डिमांड नोटिस निकल जायेगा। लेकिन क्या उन काश्तकारों के डिमांड नोटिस भरने के बाद में समय पर उनको सामान उपलब्ध हुआ या नहीं हुआ ?

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे यहां कई ऐसे भी नर्सरी कनेक्शन हैं कि जिन्होंने डिमाण्ड नोटिस भर दिया लेकिन आज तक उनको सामान नहीं दिया गया ! कंडक्टर व इन्सुलेटर का अभाव है। सामान पूरा होना चाहिए।

इसके अलावा आपके पास स्टाफ की कमी है। हमारे यहां पर जब गर्मियों में आंधी चलती है तो ठेकेदार द्वारा जो लाइनें खींची हुई हैं उनके खम्भे सब टेढ़े हैं और हमेशा एक्सीडेंट होने का डर रहता है। कहीं तार टूट जाते हैं, मीलों लाइनें खराब हो जाती हैं और बरसात के दिनों में वह ठीक नहीं होती है और काश्तकारों को तथा घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बहुत बड़ा नुकसान होता है। आपने सौर उर्जा के लिए भूमि पूजन किया, आप प्लाण्ट भी लगा रहे हैं हमारे जालीपा में; कपूरढ़ी में लेकिन यह कब तक मिल जायेगी ? इसके बारे में लोगों को संदेह हो रहा है कि यह हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी।

आपने हमारे यहां 220 के. वी. का कार्य किया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने 33/11 का जी. एस. एस. आसोतरा के लिए स्वीकृत किया, जो मार्च तक पूरा होना था, वह पूरा नहीं हुआ। आपने सिवाना तहसील में और पादरू का जो जी. एस. एस. स्वीकृत किया उसको दो साल हो गये लेकिन अभी इनसे दो सालों के अन्दर इन तीन जी. एस. एस. स्वीकृत होने के बावजूद भी बने नहीं हैं। अब काश्तकार पर इतना लोड है कनेक्शन लेना चाहे तो ले नहीं सकते। आप 10 हजार में से हमारे 300 कनेक्शन सामान्य में हमें देंगे तो 300 कनेक्शन अब मिलेंगे। जब तक जी. एस. एस. नहीं बनेंगे तो उन काश्तकारों को बराबर वोल्टेज नहीं मिलेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपने दो साल पहले काम स्वीकृत किये हैं उनको जल्दी प्रारम्भ करें।

अब मैं अकाल के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मंत्रीजी यहां नहीं हैं। बाड़मेर जिले में और मेरे विधान सभ-

(श्री अमराराम चौधरी)

क्षेत्र और पचपदरा तहसील के 16 गांव ऐसे निकाले है कि इन 16 गांवों में अकाल नहीं है, लेकिन बाकी में तो अकाल है। आपने जो काम खोले हैं क्या वे शुरू हो गये ? आपने फरवरी के अन्दर काम स्वीकृत किये लेकिन वे काम अभी तक शुरू नहीं हुए। काम में तो मजदूर लगने चाहिए, जिनको मजदूरी मिलनी चाहिए वह नहीं हुआ। मेरे यहां लूणी नदी के किनारे डबल क्रोप का एरिया है, ठीक है वहां आप काम बाद में खोलें, लेकिन जो पचपदरा विधान सभा क्षेत्र का उप तहसील गिड़ा और पचपदरा तहसील का नोर्थ का हिस्सा है वहां पर भयंकर अकाल है और सारे मजदूर बेकार बैठे हुए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक समय जब अकाल के अन्दर कोई कार्य मन्जूर होता था तो मंत्री स्वयं मौके पर जाकर काम को मन्जूर करते थे। सम्वत् 2025 के अन्दर जो सड़कें बनी थी वे आज तक थोड़ी-बहुत कायम हैं। आपके यहां जब तक 9 या 10 इन्च का ग्रेवल अगर नही डाला जायेगा, इस रेगिस्तानी क्षेत्र के अन्दर वह ग्रेवल एक साल से ज्यादा नहीं रहता, वहां पर बड़े-बड़े टेंक्स और गाड़ियों से जो सेना का अभ्यास हो रहा है, आज मेरे यहां की 29 सड़कें सारी सेना के अभ्यास से नष्ट हुई।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। माननीय अर्जुनदासजी मदान।

श्री अमराराम चौधरी : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट अब नहीं है।

श्री अमराराम चौधरी : मैंयह निवेदन करना चाहूंगा कि उन सड़कों को आप शुरू करें और वहां लोगों को मजदूरी भी मिलेगी। अभी यहां मरु विकास के सेक्रेटरी आये, कलक्टर और वे दोनों ऐसी सड़कों पर गये, उनको फलसूड़ जाना पड़ा और उसके पास के गांव में पूछा कि यह हीरा की ढाणी कितनी दूर है। यह बाड़मेर में है ?

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। माननीय मदानजी।

श्री अमराराम चौधरी : उन्होंने देखा कि नहीं-नहीं, यह तो जैसलमेर जिला आ गया। यानि कोई रास्ते नहीं हैं। उन ऐसे रास्तों को ठीक किया जाय।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। अर्जुनदासजी मदान।

श्री अमराराम चौधरी : लॉ एण्ड आर्डर के सम्बन्ध में तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सुजानगढ़ थाने की मेरे पास में दो शिकायतें हैं। उनमें एक है, संयुक्त डाइरेक्टर आपके चिकित्सक हैं, सी. आर. नम्बर 124 में जो मुकदमा दर्ज हुआ था। एक गर्भवती महिला का गर्भ प्राइवेट चिकित्सालय के अन्दर गिराया गया, जिनको अधिकार नहीं था। इससे वह महिला आज दिन तक पीड़ित है। फिर उस महिला के पति ने मुकदमा दर्ज

(श्री अमराराम चौधरी)

कराया । उसमें जब चिकित्सक ने लिखा कि प्राइवेट चिकित्सक को अधिकार नहीं था तो फिर उसका चालान क्यों नहीं हुआ ? उसमें एफ. आर. कर दी गयी । इससे क्राइम बढ़ते हैं ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें । श्री अर्जुनदास जी मदान ।

श्री अमराराम चौधरी : एक और मुकदमा आया मेरे पास में, माननीय मंत्रीजी, सी. आर. नम्बर 40 में एक महिला का है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप अब ।

श्री अमराराम चौधरी : एक महिला का है जिसके साथ एक कम्पाउंडर ने 363 का ओफेंस कमिट किया ...

श्री अध्यक्ष : चालान पेश नहीं हुआ तो अदालत में इस्तगासा कर दें । बिराजें आप । श्री अर्जुनदासजी मदान ।

श्री अमराराम चौधरी : और अब उसको हैरेस किया जा रहा है कि वह उससे राजीनामा कर ले । इसलिए उसको आप प्रोटेक्शन दें ताकि उसको परेशान नहीं किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें । श्री अर्जुन दासजी मदान ।

श्री अमराराम चौधरी : एक इन्फोर्मेशन में निवेदन करना चाहूंगा । पाइण्ट आफ इन्फोर्मेशन । मेरे बाईतु तहसील में गांव कानोट के केसाराम जाट की तीन बच्चियां हैं वे ढाणी में जैसे शकरकंद जलता है वैसे जल कर मर गयीं । वे मासूम बच्चियां थीं । उनके शोक सन्तप्त परिवार को शांति मिले और ऐसा दुःख सहन करने की शक्ति मिले । जिस प्रकार हरियाणा में हुआ, मासूम बच्चे स्कूल के अन्दर जल कर मर गये, उनको इस विधान सभा से श्रद्धांजलि अर्पित की गयी उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी से, हालांकि वहां के कलक्टर ने और मुख्य मंत्रीजी ने मदद की होगी, ज्यादा से ज्यादा उनके परिवार को सहायता दिलायें । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : बिराज जायें । समय की सीमा है, आप बिराज जायें । आप मंत्रीजी से बात कर लें ।

श्री अर्जुनदास मदान : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन विभिन्न तीन पहलुओं पर विचार कर रहा है और मैं सबसे पहले अपनी बात बाढ़ से प्रारम्भ करूंगा ।

मेरी ऐसी मान्यता है कि इस संसार में जितने भी कष्ट हैं उसको मैं तीन भागों में बांटता हूं । एक दैहिक है, एक दैविक और एक भौतिक ।

दैहिक संताप तो वह होते हैं, मान लो मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट हुआ, मुझे कैन्सर हुआ वह मुझे झेलना है, मुझे टीबी हुई वह मुझे झेलनी है मेरे परिवार के कोई सदस्य मेरी पत्नी, मेरे

(श्री अर्जुनदास मदान)

कोई भी सम्बन्धी उसमें मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकते। इसे भौतिक संकट कहते हैं परिवार में पति-पत्नी की नहीं बनती, भाई-भाई का आपस में विवाद है, भौतिक जगत में उठने वाले जितने भी विवाद होते हैं वे भौतिक कष्टों की श्रृंखला में आते हैं। इसमें समाज कुछ मदद कर भी सकता है और कुछ नहीं भी कर सकता है। तीसरे कष्ट होते हैं दैविक कष्ट जो देव योग से आते हैं और ये केवल मात्र भाग्य से आते हैं। इस पर किसी का कोई अंकुश नहीं है और तुलसीदासजी के शब्दों में यदि आपसे निवेदन करूं तो उनके शब्दों में यह सुन लीजियेगा :—

"सुनहुं भरत कहुं भावी,
प्रबल विलख कहुं मुनि नाथ।
लाभ-हानि, जीवन-मरण,
यश-अपयश विधि हाथ।।
जनम-मरण सब सुख-दुख भोगा,
लाभ-हानि प्रिय मिलन वियोगा।
काल-कर्म बस चलेहुं गुसांई,
बरबस रात दिवस की नांई।।
कह मुनि सहिमवन्तु सुनो,
जो कछु लिखा लिलार।
देव, दनुज नर नाग,
मुनी कोई न मेटनहार।।"

माननीय, इन शब्दों के साथ अपनी बात प्रारम्भ करता हूं। यह बाढ़ की स्थिति, यह ओलावृष्टि किसी व्यक्ति विशेष के हाथ की बात नहीं है यह दैविक संताप है। कहीं आता है कहीं नहीं। एक ही क्षेत्र के आधे हिस्से में आप देखोगे कि बाढ़ आ गयी या आधे क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई, आधे में नहीं। किसी पड़ोसी के ओलावृष्टि हुई मेरे खेत में नहीं हुई। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि इन कष्टों को केवल मात्र समाज ही बांट सकता है और समाज के उत्तरदायित्व के निर्वहन करने वाले मंत्री महोदय का ध्यान मैं मेरे क्षेत्र की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

(17.00)

आप पधारे थे। 26 अगस्त, 1995 को कोटा में बाढ़ आ गयी और कोटा के 60 वार्डों में से, मान्यवर, 25 मेरे क्षेत्र में आते हैं और 35 माननीय ललितकिशोर जी के क्षेत्र में आते हैं। लेकिन मेरे जो 25 वार्ड हैं वह निचले स्तर के वार्ड हैं और इतनी दूभर स्थिति होती है यदि उसका आप आकलन करें। माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय गये, बाढ़ राहत मंत्री महोदय गये, चार-चार मंत्री गये लेकिन जिस समस्या का निदान करना चाहते थे उस समस्या का निदान, मान्यवर, नहीं हो पाया और मुझे लगता है कि सारे लोग जैसे कोई बालक डूबता हो नदी में, खड़े हुए लोग तरस तो खाते हैं लेकिन कोई मदद नहीं करता। बीच में उर्दू की शायरी में एक अलफाज में कह दूं—"ओ साहिल के तमाशाई, अफसोस तो सब करते हैं इमदाद नहीं करते।" मैं तो यह चाहता हूं कि आप अफसोस करते रहें। बाढ़ आ गयी बहुत कष्ट हो गया, लोग बड़े दुःखी

(श्री अर्जुनदास मदान)

हैं लेकिन इमदाद तो करो और इमदाद आप करते कितनी हैं ? अगर मान लीजिये कोई बौला पड़ गया तो 500 रुपये एक हैक्टेयर पर देगी आज सरकार। 500 रुपये एक हैक्टेयर पर देगी और एक परिवार को हजार रुपये से ऊपर भी नहीं देगी।

मान्यवर, खेती करने वाला किसान, गेहूं, उगाने वाला किसान तो नहीं हूं, न किसानों के बारे में मेरा ज्यादा अनुभव है लेकिन जो कुछ मेरी बुद्धि में आया है, जो कुछ मुझे जानकारी प्राप्त है, एक खेत के ऊपर 500 रुपये कोटा की धरती पर खर्च होते हैं। मान लीजिये 20 किलो उसने एक बीघे में अनाज फेंका तो 100 रुपये का तो आप गेहूं मान लीजिये, ढाई सौ रुपये उसके खाद के खर्च हो गये, 350 हुए, तीन-चार दिन निराणी और पिलाई करता 30 और 35 रुपये बीघे का खर्चा होता है डेढ़ सौ रुपये वह मान लीजिये। 500 रुपये एक आदमी ने एक बीघे पर खर्च किया और आपने एक हैक्टेयर पर दिये, एक हैक्टेयर का मतलब सवा छह बीघे के ऊपर आपने 500 रुपये दिये तो दिया क्या। मान्यवर, यह मुआवजा तो मैं मानता हूं लेकिन यह राहत भी तो नहीं है। मुआवजे में और राहत में मैं मानता हूं अन्तर है और उसको मैं समझता भी हूं वह अन्तर होना चाहिये लेकिन राहत में इतनी राहत तो, राहत का मतलब है कि परिवार को कुछ न कुछ राहत तो मिलेगी। आपने 100 रुपये मुफ्त दिये और कटाई के ऊपर इतना खर्च हो गया अब कटाई पर इतना खर्चा हो गया तो उस खेत की सफाई पर यदि मैंने 100 रुपये खर्च कर दिये तो मुझे बचा क्या, राहत भी मुझे नहीं मिली। मैं निवेदन करना चाहूंगा बाढ़ पीड़ित सहायता मंत्री से कि इसके ऊपर थोड़ा विचार करें, मंथन करें।

(17.00)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आपने तो 1991 में कानून बना दिया। उससे पहले 1982 में बना होगा, फिर 1988 में बना होगा और फिर 1991 में बना होगा। अब 1991 के कानून में अगर परिवर्तन करना है तो करिये। सब चीजें तो आपने बढ़ा दी। खेती की कीमतें बढ़ गयी और आप हर आदमी को मुआवजा भी बराबर देते हैं। मान्यवर, कभी बराबरी हो सकती है क्या संसार में ? मान्यवर, मेरा सिर दिन भर ऊंचा रहता है और रात को खटिया पर सोता हूं जब मेरा बराबरी का नम्बर आता है कि मेरे पांव और मेरा सिर एक जैसे रह पाये लेकिन फिर भी जब मैं सोचता हूं कि खाट के ऊपर बराबर हो पाऊंगा तो भी मेरा माथा, मेरा सिर तकिया मांगता है और तकिया नहीं है तो हाथ का टेका मांगता है। आप बराबरी कर सकते। संसार में हो ही नहीं सकती बराबरी।

आज कोटा की स्थिति को आप जैसलमेर से बराबर रखेंगे या आज आप जालोर से किसी दूसरे गंगानगर से मुकाबला करेंगे, वहां के खर्चे, वहां की उपज की पैदावार, कितनी बार खेती होती है,

(श्री अर्जुनदास मदान)

कितनी बार हल चलाये जाते हैं, वहां की पैदावार कितनी आती है, पर बीघा यील्ड कितनी आती है, आपने बराबरी कर दी।

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है, मेरी आपसे याचना और प्रार्थना है कि इसके ऊपर थोड़ा विचार करें, मंथन करें और चिन्तन करें। जो आश्वासन आपने मुझे कोटा आगमन पर, दिये थे, उनमें कुछ की पूर्ति तो निश्चित रूप से हुई है। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप इसके ऊपर विचार करें और थोड़ा सा उन कामों को भी पूरा करें जो बाद में आये थे।

अभी जो ओलावृष्टि हुई है, मेरे क्षेत्र में भी इस बार ओलावृष्टि हुई है और ओलावृष्टि के साथ-साथ, मान्यवर, मुझे तो दुःख यह होता है उन्हीं खेतों में, उन्हीं गांवों में पड़ी है जहां पर पानी का अभाव है पानी के अभाव के बारे में भी मुझे बहुत दुःखद पीड़ा के साथ कहना पड़ता है उसके लिये ज्ञानसिंह जी चौधरी हो आये, चीफ इन्जीनियर महोदय यहां पर बिराजमान हैं, वह हो आये, देवीसिंह जी हो आये, वहां के संभागीय आयुक्त अतुल कुमार जी गर्ग, उसके लिये चिन्तित हैं, जिलाधीश महोदय चिन्तित हैं। दोनों तरफ नहरें हैं लेकिन नहरों के बीच का पानी हमको नहीं मिल पाया। अब कहा कहें, किससे कहें। सारे लोग चिन्तित हैं। लेकिन चिन्ता का समाधान केवल मात्र विचारों की परिधि में रह जाता है, क्रियान्विति के क्षेत्र में कभी आगे आ नहीं पा रहे हैं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र की तरफ भी थोड़ा-सा आप लोगों ध्यान देना चाहिये।

अब मैं ज्यादा इसके ऊपर न कहता हुआ थोड़ा-सा ध्यान आपका इस तरफ ले जाना चाहूंगा कि आज कानून और व्यवस्था की बात हो रही है उसके ऊपर भी थोड़े से विचार रखना चाहूंगा।

मान्यवर, कहने को तो एक ही विषय के ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है लेकिन सीमा की परिधि है, सीमा का एक मंथन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी एक निवेदन करूंगा कि जब घोड़ा ज्यादा लद जाता है तो बेचारा अपनी चाल से नहीं चल पाता है। आपने वजन तो डाल दिया तीन-तीन चीजों का और आप यह कहते हैं 7 मिनट में खत्म कर दो, 10 मिनट में खत्म कर दो। मान्यवर, या तो आप घोड़े पर वजन इतना लादते कि चल ले सीधी रफ्तार से। जब आपने वजन ही ज्यादा डाल दिया तो धीरे धीरे रफ्तार से चल पायेगा। इसलिये मैं निवेदन करूं कि थोड़ा हंटर ही मत मारना, पीठ थपथपा देना, यदि ठीक चले तो।

अब, मान्यवर, पुलिस के बारे में यह कहा जाता है, अभी माननीय शिवनाथ सिंहजी कह रहे थे, गरासिया जी भी कह रहे थे कि पुलिस की व्यवस्था ठीक नहीं है। मान्यवर, मैंने पिछली बार भी कहा था और आज भी निवेदन करता हूं।

(श्री प्रद्युम्नदान मदान)

पुलिस समाज का प्रतिबिम्ब होती है। समाज का जैसा प्रतिबिम्ब होगा, जैसी स्थिति होगी, वैसा पुलिस का प्रतिबिम्ब आपको नजर आयेगा।

आज सारे समाज में जब उच्छृंखलता बढ़ती चली जा रही है, एक सज्जन कह रहे थे कि अपराधों की संख्या बहुत बढ़ गयी। मान्यवर, अपराधों की संख्या बढ़ेगी क्यों नहीं, जिस देश में एक मिनट के अन्दर 45 बच्चे पैदा होते हों, हर डेढ़ सैकण्ड में एक, अगर मैं पांच मिनट भी बोल जाऊं तो आप समझ लेना सवा दो सौ बालक इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। जिस देश में इतनी आबादी बढ़ती चली जा रही हो, जिस देश में पुलिस की संख्या उतनी की उतनी हो, जिस देश में उच्छृंखलता बढ़ती चली जा रही हो वहां व्यवस्था कैसे ठीक होगी।

आपसे निवेदन करूंगा कि मैं जितना अपने माता-पिता से डरता था उतनी मेरी औलादें आज मुझसे नहीं डरती। जितना मैं भगवान से भय खाता था, मेरे बालक उतना भगवान से भय नहीं खाते। जितना समाज के हुक्के-पानी से पहले का आदमी चिन्तित रहता था उतना आज वह चिन्तित नहीं रहता। समाज के बन्धन टूटे हैं, मान्यवर, समाज के बीच उच्छृंखलता बढ़ी है और इस उच्छृंखलता के साथ-साथ ज्यों-ज्यों उच्छृंखलता समाज आयेगी और समाज के लोग ही सारे क्षेत्रों में आयेंगे तो आप यह कल्पना करें कि इसमें अनुशासनहीनता नहीं आयेगी, जरूर आयेगी यह मानकर चलना पड़ेगा। लेकिन उसका निदान करने के लिये हमको भी निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा और मैं यह कह सकता हूं, मान-नीय इतना कहता हूं कि आज पुलिस की स्थिति राजस्थान में अपेक्षाकृत चाहे वह किसी भी रूप से अन्य प्रान्तों को ले लें, मैं सभी के लिये तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं निश्चित रूप से मानता हूं, मान्यवर, कि आज राजस्थान में पुलिस की स्थिति अन्य प्रान्तों की अपेक्षा कहीं अच्छी है, बहुत अच्छी है।

आज यह ठीक है कि कई चीजें होती हैं। भागलपुर कांड भी हुआ, जुगताराम कांड भी हुआ, महिलाओं के साथ जेल में अत्याचार और दुराचार भी होते हैं, हरियाणा के तीन-तीन, चार-चार अधिकारी दण्डित भी होते हैं अपने अपराधों के लिये। लेकिन पुलिस अगर करती है तो इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा, मान्यवर, आज गृह मंत्री महोदय से, कि पुलिस में वह व्यक्ति जाता है जिसके मन में थोड़ी पीड़ा होती है, थोड़ी वेदना होती है, थोड़ी चुभन होती है, थोड़ा अपने कष्ट बटोर करके जाता है और जब वह किसी दरवाजे को खटखटाता हो, उसकी दस्तक पर अपना मस्तक झुकाकर के अपनी वेदना को प्रकट करता हो, वहां उसे सांत्वना नहीं मिले, उसे ताड़ना मिले तो वह निराश होता है। वह सोचता है मैं जाऊं तो जाऊं कहां। समाज में ज्यों ज्यों निराशा बढ़ेगी क्योंकि फ्रस्टेशन लीड टू अग्रेशन, निराशा जितनी बढ़ती चली

(श्री अर्जुनदास मदान)

जायेगी, संघर्षो की जननी उतनी प्रगति के के साथ आगे बढ़ती चली जायेगी ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके लिये मैं यह भी मानता हूं कि आज काफी कुछ किया है । अब कोई कह रहे थे, मेरे पास बिलकुल आंकड़ें हैं, मान्यवर, मै तो आपको यहां तक भी दे सकता था कि पुलिस ने डकैती के कितने केसों को पकड़ा है । चाहे वह चित्तोड़गढ़ का एग्जाम्पल ले लेते, शाहपुरा का ले लेते, रावतभाटा का ले लेते, बेगूं का ले लेते, 16-4-95 को, बल्देवा लोधी, जो डकैती करता था भरतपुर में, उसका कांड ले लेते । इसके ऊपर यदि आज नियन्त्रण किया तो पुलिस ने ही किया है ।

इसी तरह ने तस्करी के बारे में मेरे पास बहुत से आंकड़े हैं । एक-एक आंकड़े की तिथि व कौनसी तिथि को कौनसा कांड और उसकी रिकवरी कब हुई, उसके आंकड़े भी मेरे पास हैं । मैने जैसा आपसे निवेदन किया समय की गति को मै नहीं रोक सकता. आप उसके नियन्त्रण-कर्ता हैं ।

मै तो इतना ही निवेदन करता हूं पुलिस के ऊपर ज्यादा आक्षेप नहीं करना चाहता । पुलिस के मोरल को बनाये रखने के लिये, पुलिस के नैतिक बल को बनाये रखने के लिये हमको यदि कोई आदमी अच्छा काम करता हो समाज में तो उसकी अच्छाई भी कहनी चाहिये तभी उसको प्रोत्साहन मिलेगा ।

आदमी दो चीजों के लिये काम करता है, मान्यवर. एक पैसे के लिये और एक एक प्रतिष्ठा के लिये । पैसे के लिये कोई काम कर रहा हो तो कोई बात नहीं उसको प्रताड़ना मिलनी चाहिये । लेकिन अगर कोइ आदमी अच्छा काम करे और समाज उसको प्रतिष्ठा भी न दे तो बताओ हम समाज को दे भी क्या सकते हैं इसके अलावा ।

अन्त में, मैं बिजली के बारे में थोड़ी अपनी बात कहता हुआ अपना स्थान ग्रहण करूंगा । मान्यवर, मंत्री महोदय के प्रति अपना अपना आभार प्रकट करता हूं, मै यह जानता हूं कि राजस्थान में जितना पैसा अब बिजली के ऊपर खर्च हो रहा है इतना पहले राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुआ, उतना पैसा कभी भी राजस्थान के ऊपर खर्च नहीं हुआ और जितनी वेदना, जितनी पीड़ा, जितनी जिम्मेदारी के साथ आज काम हो रहा है, मैं यह भी नहीं कहता कि पहले नहीं हुआ, हुआ होगा लेकिन जितना मैंने देखा है अभी उतना पहले मुझे देखने को नहीं मिला । इसलिये मैं उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और अन्त में एक बात, क्योंकि बिजली के ऊपर बहुत कुछ लोग बोल चुके हैं, समय का अभाव है, एक चीज मंत्री महोदय, आप से यहां पर निवेदन करूंगा और आपका ध्यान निश्चित रूप से अपनी ओर बटोरना चाहूंगा, यहां भंडारी जी भी बिराजमान है, मैं आपके माध्यम से उन तक भी अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं ।

(श्री अर्जुनदास मदान)

मान्यवर, 1992 में हड़ताल हुई थर्मल में और थर्मल मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है। आज राजस्थान की जितनी खपत है उसकी 30 प्रतिशत उपज हम वहां से करते हैं। तीसरी यूनिट 210 की लगी लेकिन दुर्भाग्य था कि आर. ए. पी. पी. बंद हो गया, वह 300 यूनिट हुआ। हमने एक रुपया कमाया तो जरूर लेकिन दो अठन्नियां गवां बैठे बाजार में, घर पर हम देखते रहे। लेकिन स्थिति यहां तक आ गयी कि आज उस थर्मल के अन्दर इंजीनियरों ने जो हड़ताल की थी 1992 में, मैं उसके बारे में दो-दो प्रतिवेदन, माननीय मंत्री महोदय को भी दे चुका हूं मैं दो-दो प्रतिवेदन मान्यवर, अध्यक्ष महोदय को भी दे चुका हूं। उनके चैम्बर में जाकर भी मिला हूं कि आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। उन्होंने मुझे यह भी कहा कि मैंने लीगल सेल में इस मामले को भेज रखा है। मान्यवर, 1992 में हड़ताल करी उन लोगों के खिलाफ आज एक्शन लिया जा रहा है। जिनको पुलिस ने हड़ताल से पहले पकड़ लिया, मैं छोटा सा सवाल करता हूं, जब हड़ताल करने वाला सुबह 5 बजे पकड़ा गया और हड़ताल हो गयी आठ बजे तो हड़ताल में शामिल कैसे माना जाता है? और फिर मान भी लिया तो फिर वह वापस लौटकर गये तो आपने एक-एक आदमी से लिखवा लिया कि साहब मुझसे अपराध हुआ, मुझसे गलती हुई। आपको ड्यूटी पर तभी लिया जायेगा। आपने उसकी अण्डर टेकिंग ले ली और उन्होंने भी अण्डर टेकिंग ले ली तो फिर कुछ लोगों को आप छोड़ दें और कुछ को आप रख लें। यह कहीं भी न्यायसंगत नहीं होता। तो जब आप क्षमा देना ही चाहते हैं तो सभी को दीजियेगा। क्षमा के बीच में भी यदि कोई भेदभाव होने लगा तो वह लोग हैं जिनकी कार्य प्रणाली पहले भी और आज भी उनकी ए. सी. आर. यदि आप देखें, ए. सी. आर. (एनुअल कान्फीडेंशल रिपोर्ट), मान्यवर पहले भी जितनी प्रशंसनीय थीं उससे ज्यादा प्रशंसनीय आज भी है। वह हड़ताल में नहीं थे, आज भी वे वहां से आते हैं +++।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री अर्जुनदास मदान : एक मिनट और, एक मिनट और। वहां से आते हैं। मान्यवर, पेशियां साधते हैं। सरकार उनको टी. ए., डी. ए. देती है। आज जब बिजली विभाग की यह मान्यता है कि जितनी लिटीगेशन होगा उसको हम कम से कम करेंगे, यह भी मान्यता है कि सरकार के खर्चे को कम करेंगे। तो उनको आने-जाने का भत्ता देना, लिटीगेशन को जबरदस्ती बढ़ाये रखना, मैं तो यहां तक निवेदन करता हूं, माननीय मंत्री महोदय कि आप अपने लीगल एक्सपर्ट को बैठा दीजिये। भगवान ने थोड़ी सी मुझे भी बुद्धि दी है, मैं भी आर्गुमेंट कर लूंगा

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अर्जुनदास मदान)

उनके बिहाफ पर । आप भी अपने आर्गुमेंट कर दीजिये और समझौता अधिकारी आप बन जाइये या अध्यक्ष महोदय बन जायं और जो निर्णय आप करेंगे वह शिरोधार्य है क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित पढ़े लिखे लोगों की प्रतिष्ठा का प्रश्न है । इसलिए मैंने यह याचना और प्रार्थना की है । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी ।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिजली के मामले में मेरे विधान सभा क्षेत्र तक ही अपने आपको सीमित रख रहा हूं । मान्यवर, मण्डावा विधान सभा क्षेत्र में लूटू और कोलीड़ा में 33 के. वी. का ग्रिड सब स्टेशन है । वह पी. एच. ई. डी. का ग्रिड सब स्टेशन है और कृषि के कुओं को भी उससे बिजली देते हैं लेकिन वह बना हुआ है पी. एच. ई. डी. से । अब लूटू और कोलीड़ा दोनों गांवों के अन्दर इतने काश्तकारों के कनेक्शंस हो गये हैं । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वहां पर कृषि के परपज के लिए अलग से 33 के. वी. का ग्रिड सब स्टेशन बनाया जाय । झुन्झुनूं तहसील के अन्दर एक ही 132 के. वी. का ग्रिड सब स्टेशन है और उसके ऊपर इतना बड़ा लोड है । मेरा आपसे निवेदन है कि 132 के. वी. का ग्रिड सब स्टेशन मण्डावा के अन्दर स्थापित किया जाय, जो 33 के. वी. का है उसको अपग्रेड किया जाय । तमाम लाइनें, तमाम 33 के वी. के ग्रिड सब स्टेशन ओवर लोड चल रहे हैं । एस. ई., झुन्झुनूं ने प्रस्ताव भेजा आपके पास कि हेतमसर गांव का 33 के. वी. का ग्रिड सब स्टेशन बहुत ओवर लोड में चल रहा है और उतना ही मण्डावा का चल रहा है । झुन्झुनूं से मण्डावा के बीच में पड़ने वाली लाइन पर काश्तकारों के, किसानों के, एग्रीकल्चर के इतने कनेक्शन हो गये हैं कि तमाम लाइनें ओवर लोड चल रही हैं तो डुराना के अन्दर 33 के. वी. का एक सब ग्रिड स्टेशन और स्थापित किया जाय । उसमें कोई खर्चा नहीं है । जो लाइन ऊपर से जा रही है गांव की, उस लाइन के नीचे ही 33 के. वी. का सब स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था जिसमें पोलों का, लाइनिंग का कोई खर्च नहीं था । उस प्रस्ताव को मान्यवर, आपने टर्न डाउन कर दिया । ट्रांसफार्मर्स जलने का सबसे बड़ा कारण मेरे क्षेत्र में तो यह है कि आपके जो लाइनमैन हैं, देखने वाले मैकेनिक हैं, उनको जो तेल आप ट्रांसफार्मर्स के लिए देते हो उसको बेचकर वे खा जाते हैं और ट्रांसफार्मर्स सूखे रहने के कारण जल जाते हैं । यह आम शिकायत मेरे क्षेत्र के अन्दर गांव वाले करते हैं । वह यह है कि साहब, इन ट्रांसफार्मर्स के लिए जो तेल आता है उसको तो यह बेचकर खा जाते हैं । ट्रांसफार्मर्स जलते हैं और हम तबाह हो रहे हैं ।

मान्यवर, पंचायत समिति अलसीसर जो बहुत बड़ा भू-भाग है, डेजर्ट सेमी-डेजर्ट, फ्लोराइड, सेलाइन वाटर और तमाम तकलीफों से घिरा हुआ है । वहां मलसीसर

(श्री रामनारायण चौधरी)

और बिसाऊ दो जगह के ऊपर असिसटेंट इंजीनियर के आफिसेज स्थापित करने के प्रस्ताव आपके पास आये थे। लेकिन रिआर्गेनाइजेशन और सब-डिविजन्स का प्रस्ताव बिजली बोर्ड ने पिछले दिनों किया था उसमें दोनों ही जगहों में मलसीसर का भी उड़ा दिया और बिसाऊ का भी उड़ा दिया। बिसाऊ ऐरिया को मण्डावा में मिला दिया और मलसीसर एरिया को झुन्झुनूं में मिला दिया। 40-40 किलोमीटर से लोग चलकर आयेंगे। खारे पानी के गांव, डेजर्ट के गांव, आवागमन के साधन नहीं। तो बिजली बोर्ड के एस. ई. ने, जिला कलक्टर ने और जिला परिषद् ने सबने प्रस्ताव दिया है कि बिसाऊ और मलसीसर के अन्दर दो ए. ईएन., सब आफिसेज, ए. ईएन., सब डिविजन्स होने चाहिए। यह मान्यवर, आपको करना चाहिए। और मेरे ख्याल से आपसे भी बहुत डेपुटेशन मिले हैं और बिसाऊ के अन्दर बड़ा भारी एजिटेशन चला है। तो सब लोगों को, वहां इलाके में आप तो गये नहीं लेकिन जिला कलक्टर और बिजली अधिकारियों ने उनको आश्वस्त किया था कि बिसाऊ के अन्दर हम खोलेंगे। उसमें आज तक आपने कुछ नहीं किया। मान्यवर, झुन्झुनूं जिले में शाम को 10 बजे तक गांव के अन्दर बिजली नहीं मिलती। अधिकारी कहते हैं कि इसमें दिक्कत है। बिजली की चोरी होती है। काश्तकार केपेसिटर्स लगाकर चोरी करते हैं। जो हम बिजली की कटौती करते हैं उसमें काश्तकार चोरी करते हैं। तो काश्तकार चोरी करते हैं, उस चोरी को रोकने का काम आपका है। लेकिन इस वजह से जिन लोगों के पास में एग्रीकल्चर के कनेक्शन नहीं हैं। गांव के लोग हैं, डोमेस्टिक कनेक्शन हैं, बच्चों की पढ़ाई है। इन दिनों में सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी की परीक्षाएं हो रही हैं और मेन एक्जामिनेशन भी चालू होने वाले हैं। इनके बच्चों का, विद्यार्थियों का क्या होगा। इसके ऊपर आप गौर कीजिये। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में सतर्कता समिति की मीटिंग हुई थी। उसमें यह निर्णय हुआ था कि हम बिजली देंगे, कोई व्यवस्था करेंगे। पांच-सात दिन तो मीटिंग के बाद वैसी व्यवस्था रही होगी, बराबर बिजली मिली। अब उसको वैसे ही काट दी। अब परीक्षाओं के दिनों में विद्यार्थियों की यह हालत हो रही है। परीक्षा तो देंगे, सरकेंगी नहीं; खिसकेंगी नहीं। लड़कों की जिन्दगी बरबाद हो जायेगी। केरोसिन तेल का जो सिस्टम था वह मिलता नहीं है। पुराना सिस्टम लालटेन का, दिया-बत्ती का, वह खत्म हो गया और बिजली आप नहीं देते हैं। मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि आप बिजली की समस्या को दूर करने की कृपा करें, यह मेरी बिजली सम्बन्धी बात है।

अकाल सहायता के बारे में माननीय जाट साहब को मैंने कहा कि आपने बड़ा अजीब उत्तर दिया कि राजस्थान में तो शीत लहर आयी ही नहीं। तो मुझे आपने फरमा दिया कि आपने तो कोई प्रश्न दिया ही नहीं था। यह तो अमराराम जी का प्रश्न था। मान्यवर, कायदा यह है कि कम्प्यूटर से किसका नाम आता है, किसका नहीं आता, वह किसी के हाथ की बात नहीं। अमराराम जी का

(श्री रामनारायण चौधरी)

कम्प्यूटर में आ गया। लेकिन मंत्री महोदय की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि प्रश्न से भी ज्यादा इम्पोर्टेन्ट मैंने राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर सबसे पहले संशोधन का प्रस्ताव, इसी बात को, शीत लहर को, ओलावृष्टि को लेकर के दिया है। वह ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इस पर गौर फरमायें। शीत लहर से झुन्झुनू जिले के अन्दर बहुत भारी नुकसान हुआ है जिससे काश्तकारों की 50 परसेन्ट तक सरसों चली गयी। झुन्झुनू जिला भी, सरसों के प्रोडेक्शन में अच्छे जिले हैं उनमें से एक है। और गिरदावरी आपने करवायी नहीं, मान्यवर। आप कभी उदयपुरवाटी के कुछ गांवों में जाते हैं तो जानने वाले लोग आपको ले जाते हैं। उनके साथ खेल-कूदकर आप वापस आ जाते हैं। कोई मजीद कार्यवाही मंत्री को करनी चाहिए, इम्प्रेशन मिनिस्टर को देना चाहिए उस प्रकार का, माफ कीजिये किसान के घर में पैदा होकर, बहुत बड़े विद्वान होने के बावजूद भी आप अपनी परफोरमेन्स में इसकी कमी दिखा रहे हैं। यह कमी नहीं रहनी चाहिये। और यह कमी इस बात से ही प्रकट होती है कि आपने मुझे कह दिया कि आपने तो प्रश्न ही नहीं दिया। मेरे प्रश्न की बात नहीं है, मंत्री क्या जवाब देता है? उससे हमें दुःख होता है और हमें इसलिए भी दुःख होता है कि आप किसान कम्यूनिटी को रिप्रजेंट करते हो। चीफ मिनिस्टर साहब ने पकड़ रखा है आपको। तो हमारे नाम को तो बट्टा लगा रहे हैं आप लेकिन उनके नाम को तो उजागर कीजिये। यह तो मत कहिये कि आपने कोई प्रश्न नहीं दिया था। देख लीजिये। राज्यपाल के अभिभाषण में।....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बट्टा लगाने वाली बात मत कहो।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, मैं ला एण्ड आर्डर के बारे में अधिक नहीं कहूंगा। ला एण्ड आर्डर के बारे में मैं राजस्थान सरकार को कोई प्रमाण पत्र नहीं देता हूं। राजस्थान अपेक्षाकृत पीसफुल है। हमेशा ही रहा है लेकिन देश के सन्दर्भ में अब यहां भी गिरावट आ रही है ला एण्ड आर्डर में, जिसको आपको संभालना चाहिये। सबसे बड़ा नुकसान राजस्थान को बिहार और बंगाल, यह सीधी लाइनें जुड़ी हैं कलकत्ता तक, चौड़ी लाइनें हैं। हमारे चौधरी घासीराम जी कहते थे कि यह सड़कें बेकार हैं। बोले क्यों साहब, तो बोले चोरों का रास्ता खुल जायेगा, चोरियां बढ़ जायेंगी और खोज नहीं मिलेंगे। पहले खोज निकालते थे तो खोज बुझ जायेंगे। चोरियां बढ़ जायेंगी। तो हम देखते हैं कि जबसे यह सीधी लाइनें हुई है तब के बाद इतनी वारदातें बढ़ गयी हैं। माननीय गृह मंत्री जी इन वारदातों को चैक करवाये। झुन्झुनूं और सीकर जिले के अन्दर जितनी भी वारदातें हो रही हैं, यू. पी. और बिहार के जो लोग आ रहे हैं सब कर रहे हैं रात के अन्दर। कच्छा पार्टी है, वे सिवाय कच्छे के कुछ नहीं रखते हैं, हाथों में लट्ठ रखते हैं। जिस

(श्री रामनारायण चौधरी)

घर में घुसते हैं उसके ऊपर पांच-दस लट्ठ ठोक देते हैं। ठोककर के उनको भयभीत करके बन्द कर देते हैं और चोरी कर लेते हैं। इस प्रकार की वारदातें चार-पांच जगह झुन्झुनू जिले में और अण्डावा में भी हुई थीं।

श्री चन्दनमल बैद : जांघिया पार्टी का एक संस्करण है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह उसमें भी आगे बढ़ा हुआ है। पुलिस को आप सुसज्जित कीजिये। थानों के अन्दर बुड्ढे थानेदार बैठे हैं, बुड्ढे सिपाही और हैड कांस्टेबल बैठे हैं। आप डी. जी. और आई. जी. को कहिये कि उनको तो लगा दें लाइन में। उनकी ड्यूटी लगा दे मिनिस्टर्स के पास, उनकी ड्यूटी लगा दें आई. ए. एस. और आई. पी. एस. आफिसर्स के घरों में। उनसे बर्तन साफ करवाओ, बुहारी लगवाओ, कपड़े धुलवाओ, और कोई काम हो वो करवाओ लेकिन मेहरबानी करके पुलिस स्टेशन्स में आज कल के ट्रेन्ड नौजवान लड़कों की कमी नहीं है अगर कमी है तो और भर्ती कीजिये, और बजट मांगिये, हम देंगे आपको बजट। इससे दो परपज हल होंगे। एक तो बेजरोगार युवको को नौकरी मिलेगी और एक ला एण्ड आर्डर सुधरेगा। ला एण्ड आर्डर सुधरेगा तो राजस्थान की जनता सुख पायेगी और आपका उसके अन्दर नाम होगा। तो आप इस ढंग से पुलिस को सुसज्जित कीजिये।

अब आपके बड़े आफिसर्स हैं। बड़े आफिसर्स के इन्सपेक्शन जिलों के और कहीं के भी, यह टेक्निकल मत बनाइये। मैंने शिक्षा मंत्री जी से भी निवेदन किया था कि डायरेक्टर आफ एजूकेशन एक भी स्कूल को नहीं देखता, डिप्टी डायरेक्टर कहीं नहीं जाता, जोइंट डायरेक्टर कहीं नहीं जाता, एजूकेशन सेक्रेटरी कहीं नहीं जाता, स्पेशल सेक्रेटरी कहीं नही जाता। क्या करते है आप मुझे बताइये? क्या तो आपका होम सेक्रेटरी करता है, क्या आपका कोई डी. जी. करता है? डी. जी. ने कोई थाना देखा है. डी. जी. ने गांव में जाकर के किसी आदमी से बात की है? 35 हजार गांव हैं राजस्थान के, एक गांव को देखा है कि उस गांव की क्या स्थिति है, कभी मिले हैं वह लोगों से? नहीं मिले। अब आप किसी भी हैड आफ दी डिपार्टमेंट से किसी भी सेक्रेटरी से बात कर लो, यह मीटिंगों में हैं। तो मीटिंग तो करें हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन डी. जी. को, आई. जी. को, इतनी फोज इकट्ठी कर रखी है, किसी जमाने में एक आई. जी. होता था उसके नाम से हरिण खोड़े होते थे। हरिण खोड़े होने का मतलब यह कि उसकी एक धाक थी। आप आपने आई. जी. की सब धाक मिटा दी, डी. जी. लगाया, वह डी. जी. कहीं जाता नहीं है। (व्यवधान) सब मामला गड़बड़ कर दिया। तीन-चार होम मिनिस्टर बना दिये तो क्या रहेगा, होम मिनिस्टर तो एक ही रहेगा, होम मिनिस्टर तो होम मिनिस्टर। किसी जमाने में सरदार पटेल एक होम मिनिस्टर थे उनके नाम से हरिण खोड़े होते थे। मैं आपकी काबलियत को चुनौती नहीं देता हूं। व्यक्तिश,

(श्री रामनारायण चौधरी)

मैं आपका प्रशंसक हूं लेकिन आपकी पुलिस को आप काबू में कीजिये । होम मिनिस्टर साहब आपको गांवों में जाकर देखना चाहिये, आपको थानों में जाकर देखना चाहिये । न आप अकेले गये, न कभी डी. जी. को लेकर गये, आई. जी. को लेकर गये । आप बिना प्रोग्राम के देख लीजियेगा फिर आपको पता चलेगा कि जिन 35 हजार गांवों के ऊपर आप होम मिनिस्टर हो, सचिवालय में तो आपको मुख्य मंत्री जी ने ऐसी जगह पर बैठा रखा है कि आने जाने वालों पर नजर आपकी बराबर पड़ती रहती है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, जगह तो आपको बड़ी उपयुक्त दे रखी है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मान्यवर, आपकी बड़ी कृपा हुई कि आपने समय दिया । मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : सरप्राइज विजिट करें और पुलिस वाले पकड़ लें । मथुरादास जी ने सरप्राइज विजिट की थी मेरी कांस्टीट्यूएंसी के खेड़ा के पुलिस स्टेशन में तो गोरा और खूबसूरत आदमी, गांव के काश्तकार को प्रहरी, पुलिस वालों को देख लिया कि यह मथुरादास जी हैं । उन्होंने कहा कि मेरी एफ. आई. आर. लिखो, फटाफट एफ. आई. आर. लिखो । चाक आउट करके कह दिया कि आपकी एफ. आई. आर. आ गयी । डिप्टी मिनिस्टर उन दिनों में मेडिकल की थी वह भी जनाना हास्पिटल, जोधपुर में गयी सरप्राइज विजिट पर ... (व्यवधान) .. तो जमादार खड़ी रहती थी, उन्होंने धक्के दिये तो उनके फ्रेक्चर हो गया । तो इसलिये आप को फ्रेक्चर कराना है तो रामनारायण जी की बात मानना । पुलिस वाले जो सेवा करते हैं वहां पर वह ऐसी करेंगे कि आपकी सुनेंगे भी नहीं । आप कहेंगे कि मैं होम मिनिस्टर हूं तो ले होम मिनिस्टर, ऐसी ठुकाई करेंगे । फालतू आप इसमें मत पड़ना । इनकी सलाह में गये तो मैं समझता हूं हास्पिटल में रहना पड़ेगा ।

श्री कैलाश मेघवाल : राय के लिये धन्यवाद ।

श्रीमती कमला (बैराठ) : हमने एडजार्नमेंट मोशन दिया था चार-पांच दिन पहले, उस वक्त आसन से यह निर्णय दिया गया था कि जब यह बहस आयेगी उस वक्त आप लोगों को प्राथमिकता से बोलने का मौका देंगे । वह था जयपुर, दौसा, भरतपुर जिले में ओलावृष्टि वगैरह का, तो हमारे को प्राथमिकता मिलना तो दूर रहा पता नहीं बोलने का मौका भी देंगे या नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगवान दास डोसी ।

श्री भगवानदास डोसी (चौहटन) : उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले में इस साल भयंकर अकाल है उसमें चौहटन तहसील में भयंकर अकाल है । मेरी तहसील में 75 प्रतिशत खरावे के सारे गांव हैं सिर्फ

(श्री भगवानदास डोसी)

13 गांव ही ऐसे हैं जो पचास पर्सेंट से ज्यादा खरावे के हैं। वहां अभी तक अकाल राहत कार्य नहीं खोले गये हैं और अधूरे काम जो मन्जूर हुए हैं सम्वत् तियांलीसे, चंवालीसे सिंचाई के कुएं जो निजी कुएं थे छह हजार मन्जूर हुये थे जिसमें चोहटन तहसील में अकेले में तीन हजार हुए थे, वह अधूरे पड़े हैं। उन अधूरों की स्वीकृति अभी तक नहीं दी है। कृपा करके अधूरे कुओं को पूरा करवायें ताकि किसानों को राहत मिले।

मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि अभी जो लेबर की संख्या है वह भी कम है, हालांकि इतनी लेबर अभी नहीं लगती है जैसी पुराने टाइम में लगती थी लेकिन फिर भी पर्याप्त लेबर नहीं है। लेबर की संख्या भी बढ़ायी जाय।

कानून और पुलिस के मामले में यह निवेदन करना है कि बाड़मेर शहर में दो जैन विधवा महिलाओं की, चोरी की नीयत से व्यक्ति गये, चोर रात के अन्दर एक महिला भेली देवी की हत्या की, उसके बीस दिन बाद दूसरी औरत की भी हत्या की। अभी तक मुलजिमों का कोई पता नहीं लगा है। उसकी सही जांच कराकर मुलजिमों का पता लगायें। अभी तक पुलिस ने सुराग नहीं खोजा है। पुलिस पर पूरा दबाव डालकर यह कार्यवाही करावें और अच्छे आफिसर लगाकर इसकी जांच करवायें।

बिजली के मामले में हमारे चोहटन में 132 के. वी. की लाइन का ग्रिड सब स्टेशन बनाया जाय और चोहटन के अन्दर गंवार में जो ग्रिड सब स्टेशन मन्जूर है वह खोलें। समहा की ढाणी में नहीं खोलकर गंवार में ही उसका ग्रिड सब स्टेशन बनाया जाय। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण जी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : उपाध्यक्ष जी, काफी चर्चा इस बार में हो चुकी है। पाइंटेड बात कुछ लोगों ने की भी है। तीन बातों पर आज बहस हो रही है। बिजली, ला एण्ड आर्डर और अकाल एवं बाढ़ राहत। उपाध्यक्ष जी, बिजली, के मामले में चर्चा कल भी हुई थी। ऊर्जा मंत्री जी यहां बिराजमान हैं, आपने एम. ओ. यू. साइन किया। 1520 करोड़ का घोटाला है, क्या है यह जांच में सामने आयेगा लेकिन आप बहुत जोर-शोर से इस सदन में बोलते थे, पहले जब आप विधायक थे, मैं काश्तकार हूं, किसान की पीड़ा समझता हूं, आज, आप मंत्री हो गये और जिस तरह से बिल्ली से चूहा बिल में घुसता है वैसे क्यों घुसते हो। आप काश्तकारों के नाम पर कोई पोल नहीं लगाते, पैसा लेते हैं, नर्सरी के नाम पर लूट रहे हैं। पांच बीघा जमीन किसी हरिजन की है पचास हजार का डिमांड भेज रहे हैं, एक लाख का डिमांड भेजते हैं। आप कोटा सम्भाग के हैं, किसान परिवार के हैं, बनावटी नहीं हो, कृपा करो थोड़ी सी। भैरोंसिंह जी सीधे किसी अध्यक्ष से ओब्लाइज्ड हैं कि नहीं हैं लेकिन आपके अध्यक्ष है वह कंट्रोल करो, गरीबों के खिलाफ हैं। मैं तो व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रशंसक हूं उनका। सौ प्रतिशत

(श्री रामनारायण मीणा)

गरीबों के खिलाफ जो अधिकारी राजस्थान सरकार में बैठा है उसको आपने चेयरमैन बना दिया। एक किताब निकाली है, किसानों को दो। मीटिंग तो होती नहीं है। एक दफा मीटिंग हुई हमने कहा इस किताब का क्या करें, एल. ई. साहब कहते हैं हमारे चेयरमैन साहब से बात करो। चेयरमैन साहब से बात करें उनको फुर्सत नहीं मिलती है एम. ओ. यू. साइन करने से और माननीय ऊर्जा मंत्री जी.....

श्री उपाध्यक्ष : आपका समय पांच मिनट का है इसका भी ध्यान रखें।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि आज बिजली विभाग में क्या हो रहा है। ऊर्जा मंत्रीजी को ज्ञान है तो गड़बड़ है, ज्ञान नहीं है तो ज्ञान कर लें क्योंकि बहुत सी बातें हो रही हैं, नौ-नौ हजार का पोल और क्या हो रहा है वह दूसरी बात है। भ्रष्टाचार की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन इतना जरूर है कि 95 प्रतिशत कनेक्शन्स, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी आप दिल से जानते हो, दिमाग से समझते हो, क्या भ्रष्टाचार हो रहा है। खासबुड़िया में भी मैं कल किसी की शादी में गया था कि साहब मेरे से यह कहा कि तीन हजार रुपये पहले देओ तो डिमाण्ड निकलेगा। पहले नम्बर पर है। इतनी गड़बड़, तीन हजार से तो बीस हजार तक साधारण राशि है और हालत बहुत खराब है। माननीय मुख्य मंत्रीजी भी शायद जा रहे हैं कोई बात नहीं है। (व्यवधान)

दूसरी बात, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जैसा कि मैंने कहा था आपको किसान मोर्चा पार्टी के लोग लिखे कि आप किसानों के खिलाफ हो, किसानों के हितों की अनदेखी कर रहे हो। उसके साथ ही आप एक पर्टिक्युलर ग्रुप के खिलाफ हो रहे हो माननीय ऊर्जा मंत्रीजी। जनजातियों के नाम पर जो प्रायोरिटी कनेक्शन्स मिलते थे क्या कारण है आपने उनको बन्द कर दिया? मैं आपसे आशा करूंगा आपकी कांस्टीट्यूएंसी में जो लोग रहते हैं आप उनसे नाराज नहीं होंगे। आज ही घोषणा करेंगे कि पूर्ववत वह चालू रहेंगे। इन लोगों का शोषण नहीं होगा। बिजली विभाग उनका ध्यान रखेगा इसके साथ माननीय ऊर्जा मंत्रीजी आप तो कोटा सम्भाग के रहने वाले हो। मैं बारां की बात नहीं कर रहा। कोटा सम्भाग में कौनसा यूनिट लगा रहे हो बिजली उत्पादन का यह आप मुझे बता दीजिये? आप जिस धरती में पैदा हुये हो वहां कौनसा यूनिट बिजली उत्पादन का लगा रहे हो? आपके वहां खपत होती है आपने साइन करके दिये होंगे, आप उसके बारे में क्या कर रहे हो? इसके बारे में आप अवगत करायें।

इसके साथ ही एक गरीब के पक्ष की बात आयी थी, यहां किसी ने कहा था यह नियम है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1984 में कौन चीफ मिनिस्टर था किसकी सरकार थी। गरीब के, हरिजन के मोहल्ले में ट्रान्सफार्मर लगेंगे, पहली बत्ती उसके

(श्री रामनारायण मीणा)

घर में जलेगी। वह तो खतम हो गया लेकिन आज आप कुटीर ज्योति खतम कर रहे हो। गरीब को बिजली नहीं देना चाहते हो, उसके घर को अंधेरे में रखना चाहते हो। आप किसी से नहीं तो माननीय मुख्य मंत्रीजी का आप नाम लेते, मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री का, एक ही है। पांच हार्स पावर तक के कनेक्शन उन्होंने फ्री दे रखे हैं। आप क्यों नहीं देना चाहते हैं? नो पोल कनेक्शन का कोई पैसा नहीं। आप क्यों नहीं देना चाहते? बिना प्रायोरिटी के कनेक्शन मिलता है। आप जाकर पड़ोस में, आप कोटा जाते हैं इसकी तुलना कीजिये। इसके साथ ही, बहुत सी बातें हैं कहने को लेकिन कुछ बात में समझ ही गये होंगे।

हमारी लॉ एण्ड आर्डर की बात है। एक तरफ बी. जे. पी का कार्यकर्ता थाने में दलाली करें और पुलिस उसको रास्ते में रोक कर डण्डा मार दे तो ए. डी. एम. का ट्रान्सफर हो जाये और कमिश्नर उसकी जांच करें। और एक तरफ सैकड़ों राउण्ड गोली चला दी, उस थानेदार के पक्ष में क्या आपके लोग बोलें? इससे लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन बिगड़ती है, अधिकारी डीमोरलाइज होते हैं। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं यह चीजें क्यों पैदा हो रही हैं। माननीय गृह मंत्रीजी आप बैठे हो। हम मानते हैं आप हमारे हो और आप हमारे नहीं होगे तो भी हम मानेंगे, ईमानदारी से मानेंगे लेकिन किसी आदिवासी की, हरिजन की लड़की का बलात्कार हो तो एफ. आर. लग जाये और दूसरों की हो तो आप रोज टेलीफोन करो। आप भूल जाइये, कोई काम नहीं आयेगा, वही लोग काम आयेंगे जो आपके हैं। यह थोड़ा सा इसको रखो, आप किसी के बहकावे में नहीं आयें। इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा मान्यवर,....

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह हरिजन होते तो किसी हरिजन की लड़की से शादी कर लेते।

श्री रामनारायण मीणा : हरिजन की बात नहीं है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मोरल की बात आती है। आज इस सदन में सबसे ज्यादा केसेज किसी पार्टी के मैम्बर्स के खिलाफ लगे हुये हैं, मैं घोंडा के सांसद की बात नहीं करना चाहता, हमारे यहां भी माननीय सदस्य को गिरफ्तार करने की बात है और हम सब बचाने में लग रहे हैं। ऐसे-ऐसे लोग जब सदन के मैम्बर्स बन जायें और जिस पार्टी के मैम्बर्स हों और मोरलाइज की बात करें, संस्कारों की बात करें तो शर्म की बात है।

इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो गृह मंत्रीजी आप तुरन्त फाइल मगवा लेते हो। लोग आपकी जमीनों पर कब्जे करते हैं। मैं देई थाने का एक केस बता रहा हूं। आपके प्रधान ने कब्जा किया और गोलियां चलायी। आपने फाइल मंगवा ली। 307 का केस था उनको गिरफ्तार नहीं होने दिया इसलिए कि आपकी पार्टी में हैं वह लोग। आप ऐसे केसेज को देखिये जिससे लॉ एण्ड आर्डर

(श्री रामनारायण मीणा)

की सिचुएशन नहीं बिगड़े। जो बदमाश है, पार्टी का फायदा उठाना चाहते हैं, आप उनको बेनकाब कीजियेगा।

इसी के साथ, गृह मंत्रीजी मैंने आपसे निवेदन किया था कि लटूर मीणा को पुलिस ने मार दिया। आपके रिकार्ड में यह नहीं है। थानेदार ने मारा, केस रजिस्टर हुआ आपके आई. जी. लेवल के आदमी गये उसको पांच पैसा नहीं दिया जबकि मुख्य मंत्रीजी तक से हम मिले। आपकी पार्टी का कोई भी साधारण कार्यकर्ता किसी की सिफारिश करता है, 5000-10000 रुपये दे देते हैं। वह किसी की जेब का नहीं है। मुख्य मंत्रीजी का, मेरा या आपकी जेब का नहीं है। वह बाकायदा पब्लिक का पैसा है, उसमें ईमानदारी बरतिये, किसी के साथ भेदभाव मत कीजियेगा। उस लटूर मीणा का जिसका केस नम्बर 8/95 है, 304 में आपने केस रजिस्टर किया। पुलिस की कस्टेडी में उसको मारा गया। वह बात अलग है आपने गिरफ्तारी दिखायी कि नहीं दिखायी। लेकिन पुलिस ने मारा। आपके रिकार्ड में नहीं है कि पुलिस की एट्रोसिटी से उसको मारा गया, पुलिस ज्यादती से उसको मारा गया। ऐसे केसेज को आप रिव्यू कीजिये। गलत इन्फारमेशन इस हाउस को मत दीजियेगा। सरकार में आप बैठे हैं।

मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टाडा के केसेज के कोर्ट के बारे में बात करना चाहूंगा। आपके टाडा के ठीक है सारे खतम हो गये। गृह मंत्रालय आपका बहुत इफेक्टिव है इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आफिसरों की बड़ाई नहीं करता लेकिन यह सही है आपके हाथ हैं वह सही काम करते हैं वह जब तक काम नहीं करें उसके पहले टाडा कोर्ट के पी. पी. मिल करके पता नहीं क्या-क्या करके हिसाब-किताब, चाय पानी पीकर के उसको पहले रिलीज करा देते हैं। आप चैक कीजिये हर केस को। आपने कब आर्डर दिया किसी की जमानत का, उसके पहले क्या हो गया। आप चैक कीजिये आपको बहुत बड़ा घोटाला नजर आयेगा, लाखों रुपये की लेन-देन हुई है और आप यदि चाहेंगे, आपके आदमी कहेंगे, ऑन ओथ कहेंगे, ईमानदारी से कहेंगे कि हमारे से इतना-इतना पैसा लिया है। जब गृह मंत्रालय से आपने रिलीज नहीं किया, मैं आपसे मिला एक पर्टिक्युलर केस में, मैं नाम नहीं लेना चाहता। आपके आफिसर्स बहुत ईमानदार है इसमें कोई दो-राय नहीं। गृह मंत्रालय में, सैक्रेटरियट में बैठने वाले मेरी व्यक्तिगत जानकारी में है, मैं किसी की बड़ाई करने का आदी नहीं हूं लेकिन इसके बावजूद ऐसे नाटक होते जा रहे हैं। आप कृपया इसको चैक कीजिये। मैंने आपको व्यक्तिगत कहा, आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, बहुत खेद की बात है और मुझे बहुत दुःख है इस बात का कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ़ कुछ करते नहीं हो। धारा-3 के केसेज हैं। माननीय गृह मंत्री महोदय, आप तो सही हो लेकिन आपकी कार्यशैली बदल दो। 100 प्रतिशत एक्विटल होने जा रहा है। कौन थानेदार है, कौन डीवाई. एस. पी. है, जिसने जांच की उसके खिलाफ

(श्री रामनारायण मीणा)

कार्यवाही कीजियेगा। उसने गलत जांच क्यों की या धारा-3 में किसी को परेशान क्यों किया। उसमें बदनामी होती है इसलिए इन लोगों के खिलाफ धारा-3 में केस रजिस्टर करवा दिया। तो उनको उसी स्टेज पर समझा दिया जाय, किसी को परेशान नहीं किया जाय। उससे क्या होता है गांव में भेदभाव बढ़ जाता है। वह बैरी हो जाते हैं, मूंछ ऐंठते हैं। इसलिए ऐसे केसेज में आप थोड़ा ध्यान दें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ एवं राहत की तो बात में इतनी सी कहना चाहूंगा, बाढ़ राहत मंत्रीजी कहां है, सिंचाई मंत्रीजी भी नहीं है, सब गायब है। कोई फर्क नहीं पड़ता है इनको। बंसोली बांध मेरे क्षेत्र में है। बरसात में गांव वालों ने मिट्टी पटकी, बरसात में गांव वालों ने बोरों में मिट्टी डाल करके रोका। आज की तारीख तक बंसोली बांध के काम को अकाल राहत में नहीं लिया गया। बरसात आ गयी, बांध टूट जायेगा, उससे 10 गांव बह जायेंगे और बड़ी जन-धन की हानि होगी। ऐसे केसेज में कम से कम थोड़ा देखिये। राहत मंत्रीजी आप अच्छा काम कर रहे बताये लेकिन एम.एल.एज. क्या करें वहां जाकर, चैक करें तो भ्रष्टाचार हो रहा है मस्टर-रोल में। उसमें चैकिंग का कोई पावर ही नहीं है। आपने जो मस्टर-रोल दी है दूसरे दिन फट जाती है। मैं खुद देख करके आया हूं। सारी फट गई तीसरे दिन। उसको इधर चिपकाओ तो उधर से फट गई वह फर्जीवाड़ा दिखता है, उसमें बी का ए दिखता है, ए का बी दिखता है। आप मस्टर-रोल नयी छपवाइये। भारत सरकार का जो पैसा आता है उसमें से आप छपवा लीजिये आपकी सरकार के पास पैसा नहीं हो तो। इसलिये कृपा करके आप देखिये। मस्टर-रोलें ठीक ढंग की रखिये।

इसके साथ ही एक चीज और हो रही है। अकाल राहत में आप मिट्टी डलवाते हो। ग्रेवल रोड हो, आप कुछ करना चाहते हो इसलिये कह रहा हूं। आप हर रोड बी. डब्ल्यू. एम. जो आप कहते हो....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करिये।

श्री रामनारायण मीणा : एक मिनट, मैं तो बहुत शोर्ट में बोल रहा हूं। बी. डब्ल्यू. एम. रोड जहां पर हो, जैसे मेरा आप लिख लीजिये पोखानाड़ा से इन्द्रगढ़ का एक रोड मंजूर हुआ वहां कूढ तालाब तक पहले से एक ग्रेवल रोड है, आप उसमें मिट्टी नहीं डलवा रहे, मिट्टी डलवा कर उस रोड को खतम कर रहे हो। कृपा करके पक्के स्ट्रक्चर्स जो भी हैं आप उनको प्रायोरिटी दीजियेगा। ग्रेवल में क्या होता है, एक ट्रक में मिट्टी आती है, 10 तगारी की मिट्टी आती है और हजार तगारी का बिल बनता है। यह पूरे राजस्थान में हो रहा है। भगवान के वास्ते थोड़ा कम कीजिये। आप कर सकते हो। मुझे पता है आपके ऊपर थोड़ा विश्वास

(श्री रामनारायण मीणा)

भी है हम लोगों को क्योंकि ग्राप काश्तकार हो। ऐसे नहीं हो जो काश्तकार की बात करें बिजली में भी भगवान राम-राम सत्य हो जाये ऐसे नहीं हो ग्राप कुछ करने वाले हो।

एक बात ग्रौर कहना चाहूंगा। माननीय गृह मंत्रीजी आप लोगों को लड़ाओगे, हैण्ड पम्प खराब है, एक ही हैण्ड पम्प पर भीड़-भाड़ हो रही है। सारे हैण्ड पम्प खराब हैं। जो पुराने जमाने में लगे थे वे सब खराब हैं। राजीव गांधी मिशन का पैसा ग्राता है उसका पता नहीं कहां दुरुपयोग हो रहा है। लगे हुए हैण्ड पम्पों को ग्राप ठीक नहीं कर सकते। इसकी दोहरी व्यवस्था को ठीक कीजियेगा। ग्रापने पंचायत को दिया, पंचायत ग्रौर पंचायत समितियां ग्रापकी काम नहीं करती। जन स्वास्थ्य ग्रभियांत्रिकी विभाग से हम कहते हैं बड़े लेवल पर काम नहीं हो रहा। कृपा करके ऐसे मामलों में कोई सुचारू रूप से नियम बनाइयेगा, यह नहीं कि अभियान चल रहा है। ग्रभियान चले तीन महीने हो गये एक भी हैण्ड पम्प ठीक नहीं हुग्रा। इसलिए कृपा करके थोड़ा ऐसे मामलों को देखें ग्रौर जहां हरिजन बस्तियां हैं उनके लिए हम लिखें तो थोड़ा प्रायोरिटी दें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रामनारायण मीणा : इसी के साथ बातें बहुत हैं। सत्ता पक्ष में बैठे मंत्री लोगों जरा ईमानदारी से सोचो, जनता का हित देखो। हो सकता है आखिरी दिन हो विधान सभा का। माननीय नेता महोदय, हो सकता है ग्राखिरी दिन हो विधान सभा का। जून में चुनाव हो जायेंगे, जुलाई में क्या पता ग्राप ग्रौर हम दुबारा चुनाव नहीं लड़ लें। इसलिये थोड़ा देखें। ताकि पब्लिक ग्रापको समझे। कुछ करने की बात करें ग्रापके पक्ष में ग्रौर हमारे पक्ष में। इसी के साथ में बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपीचन्द।

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : उपाध्यक्ष महोदय, सात तारीख को हमने ग्रोलावृष्टि के लिये एडजोर्नमेंट मोशन दिया था ग्रौर ग्रभी तक हमारा नाम नहीं पुकारा गया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं जानकारी करा रहा हूं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : किस बात की जानकारी करा रहे हो?

श्री गोपीचन्द गुर्जर (नगर) : ग्राप बैठिये ग्रापका नम्बर ग्रायेगा तब बोल लेना।

श्री रामनारायण मीणा : मैं उस देई केस के बारे में इनका स्टेटमेन्ट ग्राने के बाद में .. (व्यवधान) जो गुप्तांग काट गये।

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप बिराज जाइये।

श्री रामनारायण मीणा : एक मिनट, उसके बारे में जो गुप्तांग काट के ले गये,

(श्री रामनारायण मीणा)

देई का केस जो सीरियस क्राइम है। मुख्य मंत्री जी....

श्री उपाध्यक्ष : आपका भाषण समाप्त हो चुका है।

श्री रामनारायण मीणा : मैं इसीलिये टाइम नहीं लेना चाहता। इसके लिये उसमें....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : आप सो-सो कर क्यों जग रहे हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत के अन्दर कोई दो राय नहीं है कि हमारी सरकार ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। जहां हमारे विद्युत के चेयरमैन पी. एन. भण्डारी की बात है वहां मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि वह बहुत ज्यादा ईमानदार और बहुत ज्यादा योग्य व्यक्ति हैं। माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय बहुत ज्यादा योग्य हैं, बहुत ज्यादा कुशल हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसानों के विषय में जो गला काटा है। माननीय भण्डारीजी ने उसको किसान कभी भूलेगा नहीं। किसानों को कनेक्शन के अन्दर ही नहीं यदि बिजली विभाग का अधिकारी भी गलती से काम कर रहा होगा तो भण्डारीजी की भृकुटि उनकी तरफ सीधी नहीं होगी। माफ करना....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप नियमों का ध्यान रखें। आप नाम न लें।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : जब बुराई होती है तो नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं और जब सच्चाई कही जाती है तो नाम में पीड़ा होती है इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन्स्ट्रूमेन्ट कोई बढ़िया है तो उसे बनाने वाला कोई बढ़िया कहलायेगा। इन्स्ट्रूमेंट के बारे में कोई बढ़िया घटिया की बात नहीं करता। यह तो मशीनरी है। यह तो इन्स्ट्रूमेंट हैं भण्डारी जी तो। इनकी क्वालिटी के ऊपर बात करने की कोई खास बात नहीं है। खराबी है तो बदल दिया जायेगा। बात जो अनुभव की है माननीय भण्डारी जी के कार्य पद्धति की। जिस तरीके से यह जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करके चलते हैं। यह अपने दिमाग से गलतफहमियों को निकाल दें कि यह जनप्रतिनिधि से ऊपर नहीं है। हम इनकी इस तरह की सत्ता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इज्जत करेंगे माननीय मंत्री जी की, हमारी सरकार की। लेकिन कर्मचारी को यह गलतफहमी हो जाये कि हमारा जनप्रतिनिधि से ऊंचा कद है तो औकात का आभास कराना बहुत जरूरी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि विद्युत विभाग में रिटायर्ड अधिकारियों को काम पर लगा रखा है। विद्युत विभाग के अन्दर क्या बेरोजगार लोग नहीं मिले इसके लिये ? मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता विद्युत विभाग के बारे में। जो है, वह ठीक है लेकिन मैं समझता हूं कि किसानों के कनेक्शन के ऊपर निश्चित रूप से कुछ कंसेशन देना चाहिये, सब्सिडी देनी चाहिये इतने महंगे कनेक्शन इस

(श्री गोपीचन्द गुर्जर)

बार किसानों को दिये गये हैं उतने महंगे कभी नहीं दिये गये। किसानों का गला मत काटिये। यदि किसान नहीं पनपेगा तो न राजस्थान पनपेगा और न हिन्दुस्तान पनपेगा। इस देश की जड़ किसान है और किसान की जड़ में पानी लगेगा तो व्यापारी भी फलेगा-फूलेगा, सारे लोग फलेंगे फूलेंगे। लेकिन किसान यदि नहीं पनपेगा तो यह देश नहीं पनप सकता।

दूसरी बात, मैं बाढ़ राहत के ऊपर कहता हूं। बाढ़ राहत में भरतपुर जिले में रिकार्ड तोड़ बाढ़ आयी। जिस समय सर्वेक्षण हुआ बाढ़ का, जो वास्तव में पीड़ित लोग थे उनको+++कलक्टर ने बाढ़ सहायता नहीं दी, बाकी दूसरे लोगों को दी।

श्री उपाध्यक्ष : यह जो नाम ले रहे हैं यह एक्सपंज कर दिया जाये।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : किसी को सहायता मिले इसकी मुझे तकलीफ नहीं लेकिन जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं उनको राहत ना मिले यह पीड़ा की बात है। इसलिये मैं बाढ़ राहत मंत्री का माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भरतपुर जिले में जो बाढ़ पीड़ित लोगों की लिस्ट बनी है उसकी जांच करायी जाये। उसमें जो बाढ़ से पीड़ित लोग रह गये हैं उनको राहत की कोई व्यवस्था की जाये। आठ लाख रुपये तो रूपवास में फर्जी बंटते-बंटते रुकवाये थे। लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है। माननीय उद्योग राज्य मंत्री नसरूल्ला जी गये थे, इन्होंने सैंकड़ों ऐसे परिवार देखे जिनके घरों का नामोनिशान नहीं था। उनका बाढ़ राहत की लिस्ट में नाम नहीं और जिनकी बिल्डिंग्स बनी हुई थीं उनमें कमीशन तय करके+++ने भरतपुर में बाढ़ राहत का पैसा बांटा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बाढ़ राहत में जो काम चल रहा है उसके अन्दर यदि आप एक बात प्राथमिकता से ध्यान दें कि तालाब प्राथमिकता के साथ खुदवाये जायें। गांवों में बाढ़ का पानी तालाबों में स्टाक हो जायेगा तो पीने के पानी की भी सुविधा मिल जायेगी और बोरिंग भी चार्ज होते जायेंगे। गांवों में आज तालाब समाप्त हो गये। बाढ़ राहत के पैसे का अधिक से अधिक अगर कहीं उपयोग किया जाये तो पूरे जिले में तालाब भारी मात्रा में खुदवाये जायें तो मैं समझता हूं कि उसका सही सदुपयोग होगा। रोजगार भी मिलेगा मजदूरों के लिये और पीने के पानी की और सिंचाई के पानी का दोनों का समाधान निकल जायेगा।

अब मैं आता हूं कानून व्यवस्था के बारे में। कानून व्यवस्था के बारे में पुलिस का जिस दिन से निर्माण हुआ है उस दिन से लेकर के आज तक न तो

+++नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री गोपीचन्द गुर्जर)

थानों में इनकी संख्या में बढ़ोतरी की गयी है और न पुलिस के लिये जो पेपर वगैर की जरूरत पड़ती है उसकी व्यवस्था की गयी है। हमने पुलिस में व्यवस्था ही इस तरह की है कि उसको मजबूरन रिश्वत लेकर व्यवस्था करनी पड़ती है। कागज के लिये कोई कोटा पुलिस में नहीं है। जो बार्डर के थाने हैं वहां पर कोई साधन नहीं हैं। आज का अपराधी तो आता है पाला के अन्दर, मारुति के अन्दर और हमारा सब इंसपेक्टर पड्डा बुग्गी में भाग रहा है, पैदल भाग रहा है, टूटी साइकिल से भाग रहा है। भरतपुर के बार्डर के थानों में, माननीय गृह मंत्री जी के मैंने कितनी बार आग्रह किया होगा कि बार्डर के थाने हैं हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से खूंखार अपराधी प्रवेश करते हैं भरतपुर में। लेकिन आज दिनांक तक होग उपखण्ड के किसी भी थाने के अन्दर गाड़ी उपलब्ध नहीं की है। बैलगाड़ियां है और यदि गाड़ियां उपलब्ध भी करा रखी हैं तो कोटे में 100 लीटर डीजल दिया है। आप सोचिये तो इस बात को कि 100 लीटर डीजल में साल भर के लिये

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

क्या हो पायेगा ? तो उस खर्चे के अनुपात में उनको मिलना चाहिये। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान में गो-वंश पर प्रतिबन्ध लग चुका है। कानून बन गया है। लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान में से भारी मात्रा में गो-वंश निकल रहा है। रात्रि को मेरे पास फोन आया कि दस ट्रक गो-वंश टोंक जिले से निकलकर के गये। सूचना देने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन काम नहीं करता। हजारों गो-वंश रोजाना भरतपुर जिले से निकलते हैं। कानून में प्रावधान है लेकिन अनदेखी की जा रही है। इसलिये मैं माननीय गृह मंत्रीजी से आग्रह करना चाहूंगा कि राजस्थान पुलिस को सख्त निर्देश दे दें कि जिस गो-वंश की रक्षा के लिये, बिल के लिये इतना संघर्ष करना पड़ा और सारे हिन्दुस्तान में श्रेय राजस्थान की सरकार को मिल रहा है उसकी धज्जियां न उड़ायें और गो-वंश को इस तरीके से कानून की अवहेलना करके नहीं निकाला जाये।

भरतपुर जिले के कानून व्यवस्था के बारे में चर्चा करना चाहता हूं कि वहां के जिला प्रमुख के घर डकैती डल गयी। वहां के सांसद का पेट्रोल पम्प लूटा गया। वहां के बैंक में आठ लाख की डकैती पड़ गयी।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : लेकिन आज दिनांक तक भी बरामदगी नहीं हो पायी और दूसरी जैसे सलेमपुर का एक मीणा मण्डावर के थाने में पुलिस कस्टडी में मर गया। आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस तरह के जघन्य अपराधों में कार्यवाही होनी चाहिये। तीसरा, मैं सीकरी काण्ड के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा माननीय गृह मंत्री जी का कि 27 जनवरी, 1994 को सीकरी थाने

(श्री गोपीचन्द गुर्जर)

में घनश्याम दत्ता नाम के एक डीवाई. एस. पी. ने बेगुनाह व्यक्ति लल्लू धोबी की पीठ में गोली मारकर हत्या कर दी। 74 निर्दोष व्यतियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया वह आज तक लटका हुआ है। घनश्याम दत्ता जो सबसे बड़ा गो हत्यारा है, राजस्थान के इतिहास में एक कलंक है जिसने 192 गायों का सामूहिक वध करवाया, माननीय मुख्य मंत्री जी के....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : ...और उस घनश्याम दत्ता को न निलम्बन कर पाये और न उसके खिलाफ 302 का मुकदमा कर पाये।....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : और आज उसका एक हल करके पोस्टिंग करके भेजा। अच्छा होता कि उसको आप हिण्डोन और सवाई माधोपुर में पोस्टिंग न करके भरतपुर ही पोस्टिंग कर देते तो घनश्याम दत्ता का इन्तजाम हम लोग कम से कम करते। वह धोबी मर गया उसके लिये 302 का कानून नहीं बनता है। कोई गरीब व्यक्ति पुलिस की गोली से मर जाये वहां 302 आड़े नहीं आता और जहां किसी पुलिस कर्मचारी के किसी ने हाथ भी लगा दिया तो 74 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि घनश्याम दत्ता के खिलाफ 302 का मुकदमा चलाया जाये और 74 व्यक्तियों के खिलाफ लगे मुकदमा सरकार विड्रा करें। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसका बहुत-बहुत धन्यवाद। शार्ट में अपनी बात कह पाया हूं। जय-हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसादी लाल जी मीणा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टे और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय एक घण्टे के लिए और बढ़ा दिया जाय?

(स्वीकृत)

(सदन की सहमति से सदन का समय एक घण्टे और बढ़ाया गया।)

विभिन्न विषयों पर विचार

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज अकाल राहत, ऊर्जा और कानून व्यवस्था पर एक साथ चर्चा हो रही है। सबसे पहले राहत मंत्रीजी, पिछले दिनों दौसा जिले में ओलावृष्टि से फसलों का जो नुकसान हुआ है उस नुकसान के एवज में इससे भी पहले दौसा जिले के 1055 गांवों में से 99 प्रतिशत गांव अकाल से प्रभावित हैं और फरवरी में ओलावृष्टि से 100 प्रतिशत

(श्री परसादीलाल मीणा)

खराबा फसलों का हुआ है। राहत मंत्रीजी, आपने जो नियम बनाये हैं उन नियमों में एक हजार रुपये से ज्यादा किसी भी किसान को देने के लिए प्रावधान नहीं किया है। अधिकतम आप एक हजार रुपये से ज्यादा किसी भी किसान को नहीं देंगे। मेरी उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से प्रार्थना है कि किसानों की फसलों का 100 प्रतिशत खराबा हुआ है। आज कहीं चारा नहीं है, कहीं अनाज नहीं है, किसान के पास कहीं कुछ नहीं है तो वे किस तरह से अपना एक साल का गुजारा करेंगे। इसलिए सरकार को सबसे पहले वहां पर चारे की व्यवस्था करनी चाहिए। सहकारी संस्थाओं की जो ऋण वसूली है उसको स्थगित की जानी चाहिए। जिन गांवों में ओलावृष्टि से शत-प्रतिशत या पचास प्रतिशत से ऊपर जाकर नुकसान हुआ है वहां पर आगे एक साल तक किसान के बिजली के बिलों का भुगतान नहीं लें। जो किसान बिजली के बिलों का भुगतान नहीं कर सके उनके आगामी एक साल तक कनेक्शन नहीं काटने के लिए सरकार को राहत देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने यहां प्रतिवेदन रखा है, बहुत अच्छा है। इन्होंने काफी राहत दी, काफी अच्छे नियम बनाये पर मंत्रीजी आपने एक जगह लिखा है कि हैं विधायकों को समिति का सदस्य इसलिए नहीं बनाया गया कि अध्यक्ष महोदय की अनुमति नहीं मिली। मंत्रीजी, यह अजीब बात है। विधान सभा सत्र चल रहा है, यह प्रतिवेदन विधान सभा में पेश हो रहा है तो क्या हमारे अध्यक्ष महोदय सहमति देने में नाराज हैं? आप चाहे तो आज आप सहमति ले लें। आपने बहुत अच्छे निर्देश दिये है, मैं इस बात को कहीं चैलेंज नहीं करता परन्तु एक भी कलक्टर ने कहीं भी एक भी काम स्वीकृत नहीं किया है। एक भी कमेटी या कमेटी बनाने की घोषणा उन्होंने नहीं की है। आपकी कमेटी कागजों में है, आपके प्रतिवेदन में हैं। कलक्टर्स ने अभी तक कहीं भी मीटिंग नहीं बुलायी है। एक जगह मैं मंत्रीजी, आपसे मिला था और आपने दौसा कलक्टर को टेलीफोन किया था, उस तारीख तक आप स्वयं को पता है कि एक भी काम कलक्टर ने कहीं पर कोई मन्जूर नहीं किया। जब कि 1055 गांवों में से 1022 गांव दौसा जिले के प्रभावग्रस्त हैं। क्या सरकार अकाल राहत में लोगों को इस तरह की राहत देगी? लोग कैसे गुजारा करेंगे? आज सत्र का अन्तिम दिन है। आने वाली गर्मी में पानी की क्या व्यवस्था करने जा रहे है? कितने हैण्ड पम्प लगाने जा रहे हैं? पानी की क्या व्यवस्था कर रहे हैं, चारे की क्या व्यवस्था कर रहे है, अकाल राहत कार्य खोलने की क्या व्यवस्था कर रहे हैं? राहत मंत्रीजी, आपका प्रतिवेदन बड़ा सुन्दर है, अच्छे नियम हैं पर आपके कलक्टर्स आपके प्रतिवेदन को, आपके आदेशों की बिलकुल अवहेलना कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार से मांग है, मंत्रीजी आपको तो याद होगा, दो साल पहले भी मेरे इलाके में ओलावृष्टि हुई थी तब मुख्य मंत्रीजी ने यहां खड़े होकर यह कहा था कि वर्तमान में

(श्री परसादीलाल मीणा)

जो राहत राशि दी जा रही है यह बहुत कम है हम इसको बढ़ायेंगे और उसके लिए आपने एक कमेटी गठित की, पर उस कमेटी की रिपोर्ट दो साल तक तो नहीं आयी। यह कहां का तमाशा हुआ सरकार का? आप राहत देना चाहते हैं? लोगों को फसलों का करोड़ों का नुकसान हो गया, पहले अकाल से लोग परेशान हो गये पर देने के नाम पर आपके पास कुछ नही है।

राहत मंत्रीजी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपने इसमें लिखा है कि एक ग्राम पंचायत में एक काम मंजूर होगा। एक ग्राम पंचायत में 10 गांवों में अगर ओलावृष्टि से 10 प्रतिशत खराबा हो गया तो आप वहां पर काम मन्जूर नहीं करेंगे। आपने बेन लगा रखा है। प्रत्येक गांव में जहां पर ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, जो अकाल राहत में 100 प्रतिशत खराबे में है वहां पर प्रत्येक गांव में काम खोलने की घोषणा करिये। आप वहां पर दूसरी योजनाओं के भरोसे मत रहिये। लोग पलायन कर जायेंगे, उनको आप कहीं से भी पैसा दें। आप कहते हैं कि सिंचाई में मजदूर लगा रहे हैं, स्वरोजगार योजना में मजदूर लगा रहे हैं। इन योजनाओं में आपका क्या लेना देना है। सुनिश्चित रोजगार भी हमारे जिले में है। 90 प्रतिशत राशि स्कूल भवनों के लिए दे दी और उस राशि को सरपंचों को भवन बनाने के लिए दे दिया। वे सब ठेके पर करा रहे हैं, कोई मजदूर नहीं लगा रहे हैं। सारे काम ठेके पर हो रहे हैं। इसकी जांच करवा लें, पूरे जिले में हो रहा। वहां पर सरपंचों ने ठेका दे दिया और ठेके से काम करवाये जा रहे हैं। तो कैसे मजदूर लगेगा? आप सब खाना पूर्ति करते जा रहे हैं।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा राहत मंत्रीजी से कि दौसा जिले की बहुत गम्भीर स्थिति है। न चारा है, न अनाज है, न राहत कार्य है। आप एक बार खुद निरीक्षण करिये। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा कि पहले हमारी सरकार थी और राहत कार्यों के निरीक्षण के लिए एक-एक प्रभारी मंत्री नियुक्त करते थे। आपने कलक्टर्स के भरोसे काम छोड़ दिया कि कलक्टर्स कामों को देखेंगे, कलक्टर्स ही करेंगे। कौन सा कलक्टर आपकी मानता है? आप हर जिले में एक-एक मंत्री को प्रभारी बनायें। मैं उप मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा, उप मुख्य मंत्रीजी यहां पर बैठे हैं। सारे जिलों में अकाल की, ओलावृष्टि की ऐसी स्थिति है। आप एक-एक प्रभारी मंत्रीजी की नियुक्ति की घोषणा करिये आज ही और जल्दी से जल्दी राहत कमेटियो की मीटिंग बुला कर कार्यों की स्वीकृति करवाइये। आपकी एक गाइड लाइन है, इसको आपके कलक्टर्स कभी भी करने वाले नहीं हैं। यह आपके कागजों तक ही सीमित रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कानून और व्यवस्था पर एक बात कहना चाहता हूं। कई मामले मैंने पिछले साल भी उठाये और इस साल भी उठाये हैं। एक भी

(श्री परमादीलाल मीणा)

मुकदमे में चालान गृह मंत्रीजी ने नहीं किया है। मैंने गत वर्ष अलवर जिले के तिजारा में सन्त राम सैनी की हत्या हुई थी, उसकी सरे आम एक राज नेता ने हत्या की थी और उस हत्या में उसके खिलाफ नामजद रिपोर्ट है। तिजारा बन्द हुआ है, तिजारा के बन्द के दौरान आपकी सरकार ने आश्वासन दिया था कि इसमें चाहे कोई भी बड़े से बड़ा अपराधी होगा उसको हम गिरफ्तार करेंगे। पर मुझे खेद है कि वह सरकार में मंत्री रहा हुआ है, वह बहुत प्रभावशाली है भारतीय जनता पार्टी में। अभी मुख्य मंत्रीजी का रानी-बीबी में बहुत बड़ा सम्मेलन करवाया था। बहुत बड़ा टीका था माथे पर, हमने टी. वी. पर देखा था। तो कैसे उसको गिरफ्तार करेंगे। गृह मंत्रीजी, जगमालसिंह से आप डरते हैं। आप उसको मुल्जिम नहीं, आप उसको अपना परमेश्वर मानते हैं इसलिए आप उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। अगर इस तरह से अपराधियों को छोड़ने की हालत हुई तो साधारण आदमी का चालान कैसे होगा। यही हाल महुआ और दौसा जिले का है। सूबेदार सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के सरपंच का लड़का है, फालसड़ी का रहने वाला है, उसने किरोड़ी लाल महाजन की हत्या की। उसका मुकदमा नम्बर 156/94 है, आप नोट कर लें, जिसमें किरोड़ी लाल महाजन को गोली से मार कर हत्या की है। उसको आपने आज तक गिरफ्तार नहीं किया। फिर उसने डकैती डाली, उसने बलात्कार किया कमलेशी देवी के साथ, उसने लूट की और हत्या की। आपने क्या उसको गिरफ्तार कर लिया? आपकी पुलिस उसको पकड़ने गयी पर छुट-पुट घटनाओं के कारण छोड़ कर आ गयी। आपने 302 का डबल केस मर्डर का मुल्जिम गिरफ्तार किया और उसको आपने छोड़ दिया। क्या यही आपकी पुलिस की शान है, क्या यही आपका शासन है, क्या यही आपकी व्यवस्था है कि एक मुल्जिम गिरफ्तार होने के बाद पुलिस उसको छोड़ दे? कितने मुकदमों में यह मुल्जिम है, कितनी डकैतियों में यह शामिल है? महुआ और दौसा की यह हालत है, गृह मंत्रीजी। मेरा पर्सनल किसी से कोई नहीं है पर यह हालत है कि वहां पर लूट, हत्या, डकैती हो रही है। इसी तरह के हालत अलवर के, महुआ के हैं। एक मुकदमा नम्बर 10/95 जनवरी में दर्ज हुआ। सन्तराम सैनी की जिस तरह से बरबरता-पूर्वक जगमाल सिंह ने हत्या की, जहर देकर उसको मारा और उसकी विधवा ने उसका मुकदमा दर्ज करवाया।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

वह आज दर-दर भटक रही है। तिजारा बन्द रहा, जनजीवन अस्त-व्यस्त रहा। आज तक आपने क्या कार्यवाही की? आप बता दीजिये गृह मंत्रीजी, इसका आप जवाब दें? आप चालान कर रहे हैं या एफ. आर. लगा दी यह आप आज हाउस को बतायें कि क्या कर रहे हैं? मैंने एडजोर्नमेंट मोशन लगाया था, एक साल हो गया उसका आज तक जवाब

(श्री परसादीलाल मीणा)

नहीं आया। आपकी पार्टी के लोग अगर इस तरह से शासन की व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को भंग करेंगे तो दूसरे लोगों को आप क्या कह सकते हैं। आप कुछ नहीं कह सकते। पहले अपनों पर काबू करिये, अपने लोगों को सुधारिये फिर दूसरे लोगों को कहने की हिम्मत आप करिये नहीं तो ये हालत बेकाबू हो जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री परसादी लालमीणा : बिजली के बारे में दो मिनट में कहना चाहूंगा कि आठ घण्टे की घोषणा सरकार ने की थी। नजदीक मेरे मित्र विधायकगण बस्सी से आने वाले यहां बैठे हैं, वे बता रहे थे कि तुंगा में इतने घण्टे बिजली मिली, 10.35 पर आयी और 10.40 पर चली गयी, 9.35 पर आयी और 9.45 पर चली गयी। इस तरह से दो घण्टे भी वहां पर बिजली किसानों को नहीं मिली है।

(18.00)

तो वहां पर धरने पर बैठे थे। मेरे पड़ोसी विधायक, जिनको सरकार ने वर्तमान में बोर्ड का मैम्बर बना रखा है, वहां पर धरने पर बैठे थे। उनको भी किसानों ने खूब सुनायी और खूब सुनी। वहां पर एक कार्यकर्ता ऐसा है जिसके पास बिजली का एक-एक मिनट का रेकार्ड है कि कितनी बजे बिजली आयी और कितने बजे गयी। उसको देखकर हमें शर्म महसूस होती है। ऊर्जा मंत्रीजी वहां पर एक दिन में किसानों को एक घण्टे, डेढ़ घण्टे, दो घण्टे बिजली मिली है और उनकी फसलें चौपट हो गयी हैं। क्या आप इसी तरह बोर्ड को चलाना चाहते हैं? आप ईमानदारी से मूल्यांकन करा लीजिये, जितने घण्टे किसानों को बिजली दी उसके औसत के आधार पर बिलों की वसूली कीजिये, नहीं तो बहुत बुरा हो जायेगा।

आपने कहा कि हमने 25 हजार कनेक्शन दिये, कहां दे दिये? आपको मैं बताऊं कि वन पोल और टू पोल स्कीम में 8414 कनेक्शन दिये हैं और उसमें भी क्या किया? जब किसान की फसल कटने का समय आया तो आपने डिमाण्ड नोटिस जमा कर लिये और आपके बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि इसकी बी. आर. नहीं बढ़ रही है इसलिए सामान्य योजना में कनेक्शन नहीं दिये जा सकते, आप नर्सरी में एप्लाई करें, आप लिखकर दो, बी. आर. बढ़ जायेगी तब कनेक्शन देंगे। बी. आर. कैसे बढ़ जायेगी? नर्सरी में लिखकर देने से क्या बी. आर. बढ़ जायेगी?

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली बोर्ड ने किसानों का शोषण किया है। उनसे जबर्दस्ती लिखवाया गया है। उनको कहा गया है कि आप नर्सरी से बिल देंगे तब कनेक्शन होगा, नहीं तो डिमाण्ड नोटिस जमा कराने के बाद भी कनेक्शन के

(श्री परसादी लाल मीणा)

लिए मना कर दिया। झुन्झुनूं जिले के किसान हाईकोर्ट में गये। वहां से जो आर्डर आया उसके ऊपर आपने आज तक क्रियान्विति नहीं की। ऊर्जा मंत्रीजी, आप देखिये जिन किसानों के वन पोल, टू पोल में साधारण श्रेणी में जमा हो गया, आप क्यों उनको नर्सरी के लिये बाध्य कर रहे हैं। हजारों भोले-भाले किसानों से आपने जबर्दस्ती फसल के समय लिखवाया है, आप उन सारे मामलों को देखें। वन पोल और टू पोल का जो मामला है, उसमें आप उनसे नर्सरी का भुगतान न लें।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री परसादी लाल मीणा : आपने 8445 कनेक्शन नर्सरी के दिये हैं और 6752 कनेक्शन सामान्य श्रेणी में देने की बात कही है। एक सरक्युलर निकाला है बोर्ड ने। बोर्ड तो जैसे खुदा हो गया हमारे ऊपर, इस विधान सभा के ऊपर, मुख्य मंत्रीजी के ऊपर और इस सरकार के ऊपर जैसे कोई परमेश्वर हो गया। इन्होंने एक आर्डर निकाला है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विष्णु मोदी.... (व्यवधान), श्री विष्णु मोदी लास्ट वक्ता हैं।

श्री परसादी लाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट लूंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज तीन मंत्रियों के जवाब होने हैं और कुछ प्रिविलेज मोशन पर आसन को व्यवस्था देनी है इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय का जवाब प्रारम्भ करवायें।....(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : आखिरी दिन है, हाउस चलाइये। हाउस चलता रहेगा 10 बजे तक, क्या दिक्कत है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : आखिरी दिन है, आप सब जाना चाहते हैं। सबने रिजर्वेशन करवा रखे है, किसी के शादी है, किसी को कोई और काम है.... (व्यवधान)।

एक माननीय सदस्य : काश्तकारों को इन्होंने तकलीफ दी है इसलिए बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। (व्यवधान)।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सात बजे के बाद सम्भव नहीं है, मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : 11 बजे के पहले नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अकाल पर चर्चा होने दें।

एक माननीय सदस्य : सबने बोल लिया, सब सदस्यों ने कहा है।

श्री रतनलाल ताम्बी : अकाल पर चर्चा समाप्त नहीं हुई है। आप कृपया

(श्री रतनलाल ताम्बी)

उसे लीजिये। अकाल बिजली और पानी की व्यवस्था, तीनों महत्वपूर्ण मसले हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जवाब प्रारम्भ करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : जवाब कैसे प्रारम्भ होगा ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : कैसे नहीं होगा ?....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। आप समाप्त करें।

श्री परसादी लाल मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने सामान्य श्रेणी के लिए एक आर्डर निकाला है 1983 तक के सामान्य श्रेणी के लोगों, 94 तक के एस. सी. के लोगों, सहरिया और ट्राइबल बेल्ट के लोगों को 85 या 86 तक को कनेक्शन देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, कोटा, बून्दी, सवाईमाधोपुर, झालावाड़, जयपुर, दौसा जिलों के मीणा क्या करेंगे ? इन लोगों को पैसे वाले समझते हैं ? इनको एस टी. से निकाल दिया। आपके चेयरमेन ने जो आर्डर निकाला है उसको अच्छी तरह से देख लीजिये। मैंने आर्डर पढ़ा है। एक भी कनेक्शन इन जिलों के एस. टी. केटेगिरी के लोगों को नहीं दिया जायेगा। एक भी कनेक्शन बिना नर्सरी के, बिना वन पोल, टू पोल में नहीं दिया जायेगा। आप तो उस इलाके से आते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं। कोटा, बून्दी, झालावाड़, जयपुर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, अलवर के लोगों के लिए आप प्रावधान करिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय समाप्त करें। श्री विष्णुजी मोदी दो मिनट में अपनी बात कहेंगे।....(व्यवधान)। आप बैठिये, कृपया समय बरबाद न करें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : व्यवस्था का प्रश्न है। पाइंट ऑफ आर्डर रेज करते हैं, कभी ऐसे पास नहीं होता ...(व्यवधान), आप मेरी बात तो सुनिये, मुझे मौका दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आपके पक्ष के माननीय सदस्य को पुकारा है। वह बोल रहे हैं और आप पाइंट आफ आर्डर उठा रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, मैंने पाइंट आफ आर्डर उठाया है, यह तो विधान सभा के कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों में है। उपाध्यक्ष महोदय, हमने 8 तारीख को ओलावृष्टि पर एडजोर्नमेंट मोशन दिया था। आसन ने उस पर व्यवस्था दी कि 16 तारीख को जब इस विषय पर आम चर्चा होगी उस समय आपको बोलने का अवसर दिया जायेगा। यह आसन की दी हुई व्यवस्था है। आसन अपनी दी हुई व्यवस्था को खण्डित कर रहा है। मेरा निवेदन है कि आसन द्वारा जो व्यवस्था दी जा चुकी है, या तो आप उस पर पुनर्व्यवस्था दें, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। हमें यह तो महसूस हो जायेगा कि आसन से बार-बार व्यवस्था बदली जाती है।....(व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्तावों का उत्तर नहीं आया है। सरकार ने उस पर जो व्यवस्था दी है उस पर बोलेंगे। हमारा भी उसमें दो जगह हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अधिकतर माननीय सदस्यों को बुलवाया गया है। श्री विष्णु मोदी दो मिनट में अपनी बात कहेंगे।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह सदन रात के दो-दो बजे तक चला है। हम इन मसलों पर बातें कर रहे हैं, कौनसी नयी बात है। मुख्य सचेतकजी, आप समय क्यों नहीं बढ़ाते। आपको क्या परेशानी है?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया व्यवधान नहीं।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में तीन बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है। मैं अपने को बहुत सीमित करता हुआ ओलावृष्टि के विषय पर, जिस पर कई माननीय सदस्य चिंतित हैं, निवेदन करूंगा। 1994 में जब ओलावृष्टि हुई थी तो मैंने इस सदन में आसन के माध्यम से यह आरोप लगाया था कि सरकार की अकर्मण्यता और निकम्मेपन से हानि हुई है और इससे बचा जा सकता था।

उपाध्यक्ष महोदय, उस वक्त माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा जवाब में इस बात से सहमति प्रकट की गयी थी कि भारत सरकार के मौसम विभाग और इनसेट से मौसम की जो जानकारी मिलती है उससे राजस्थान सरकार का तालमेल नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप मुझे इसका कुछ बनाकर भेजो तो मैंने 10 अप्रैल, 94 को उनको पूरी जानकारी दी कि किस तरह से भारत सरकार के मौसम विभाग से जानकारी मिल सकती है। भारत सरकार ने साइंस और टैक्नोलाजी के क्षेत्र में यह उपलब्धि हासिल कर ली है कि चाहे आंधी हो, तूफान हो, ओलावृष्टि हो, मौसम का बदलाव हो, 72 घण्टे पहले जानकारी हासिल हो सकती है।....(व्यवधान)। एक मिनट महावीरजी, बोलने दें प्लीज।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ओलावृष्टि, पानी, तूफान को रोकने का कोई उपाय बताया आपने।

श्री विष्णु मोदी : यदि सरकार द्वारा उसको जानकारी दी जाती तो वह पकी हुई फसल काटकर अपने घर ले जा सकता था, फसल और आदमी का नुकसान नहीं हो सकता था। फिर 1995 में ओलावृष्टि हुइ और मैंने 23 फरवरी, 1995 को फिर माननीय मुख्य मंत्रीजी को लिखा कि

"The emphasis in my previous letter was on the need for creation of machinery which could gather information in advance in regard to the impending danger of hailstorm and other vagaries of the weather and warn the people so that the possible losses to their property etc. can be minimized. The matter was raised by me in the House during April, 1994 session. The new shell of hailstorm this year has created panic among the people and I think. I have sufficient reason to submit to you

(श्री विष्णु मोदी)

that the Government has done nothing so far in this direction and in case the hailstaron create havor thir year as well, we will have none other than ousrelves to be blamed"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस सरकार की अकर्मण्यता से, इस सरकार के निकम्मेपन से, इस सरकार की इनएफिशिएंसी से ओलावृष्टि को तो हम नहीं रोक सकते थे लेकिन ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है उसको कम कर सकते थे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा सबसे अहम मुद्दा आज हम विचार रहे हैं कानून और व्यवस्था पर। मैं इसमें भी अपने आपको सीमित रखते हुए 14 मार्च, 1996 के सिर्फ दो अखबार की कुछ लाइनें पढ़कर आपको सुनाऊंगा।

दुर्गावाहिनी संयोजिका के कारण हुई स्कूटर मैकेनिक की हत्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एवं परिवार की शाखा दुर्गावाहिनी की जिला संयोजिका श्रीमती अशोक शर्मा के कारण स्थानीय क्रिश्चियन गंज के स्कूटर मैकेनिक मुकेश सक्सेना की हत्या हुई है। इस जघन्य अपराध में संघ परिवार और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को भारी धक्का लगा है। पुलिस ने दुर्गावाहिनी की संयोजिका के पिता, दो भाइयों....

श्री किशनगोपाल कोगटा : उपाध्यक्ष महोदय, यह अखबार से कोट कर रहे हैं?....

श्री विष्णु मोदी : मैं कोट कर रहा हूं।

श्री किशनगोपाल कोगटा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिना जानकारी के सदन में, अखबार में छपवाकर यहां कोट नहीं किया जा सकता....

श्री विष्णु मोदी : आई. एम. सपोर्टिंग।

श्री किशनगोपाल कोगटा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यहां पर नहीं हैं उनके ऊपर कोई चार्जेज नहीं लगाये जा सकते।....(व्यवधान)....

श्री विष्णु मोदी : ....बताया जा रहा है कि इस मामले में विश्व हिन्दू परिषद के एक प्रांतीय पदाधिकारी पर भी उंगलियां उठ रही हैं। गत 1 मार्च को ही कर दी गयी थी हत्या लेकिन राजनैतिक दबाव के कारण....

श्री उपाध्यक्ष : आप आगे क्या कहना चाहते हैं?

श्री विष्णु मोदी : मैं कोट कर रहा हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : यह रेफरेंस हो गया। आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री विष्णु मोदी : यह अखबार मेरे पास राजस्थान के इतने सारे हैं। हर रोज....

श्री किशनगोपाल कोगटा : यह पार्टी विशेष का अखबार है और यह खुद निकलवाते हैं।

श्री विष्णु मोदी : यह हर रोज राजस्थान के अखबार....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया व्यवधान नहीं।

श्री विष्णु मोदी : ....हत्यायें और नकबजनी से भरे पड़े हैं। अजमेर के अन्दर 1 मार्च को हत्या हुई और सत्तारूढ़ पार्टी के लोग उसमें शरीक हुए। 10 मार्च तक कार्यवाही नहीं हुई। अजमेर की जनता ने क्रिश्चियन गंज थाने का घेराव किया। वहां पर डी. आई. जी. और एस. पी. आये। उसके बाद में कार्यवाही हुई और उसके बाद में संघ परिवार के और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो रक्षक ही भक्षक बन गये हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही हुई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं और चार लाइनें 14 तारीख के अखबार की आपके सामने पेश करना चाहता हूं। पत्रिका 14 मार्च-थाना नाहरगढ़ रोड़ पर तैनात सिपाही वीरेन्द्र व हरिप्रसाद के दोस्त सूरज, सुरेश और घनश्याम गणगौरी बाजार स्थित गर्ल्स स्कूल से दो नाबालिग लड़कियों को पिक्चर दिखाने के बहाने एक होटल में ले गये और वहां उन दोनों को जबरन शराब पिलाकर उनके साथ कई बार बलात्कार किया।

दूसरी इसी में है, इस लोमहर्षक घटना के ठीक 12 वें दिन सामूहिक बलात्कार की दिल दहलाने वाली दूसरी घटना सामने आ गयी। इस मामले में हसनपुरा की एक लड़की को जयपुर पुलिस का घुड़सवार सिपाही बालूसिंह अपने अपराधी दोस्तों के साथ अपहृत कर ले गया और उसके साथ दस दिन तक बलात्कार करते रहे। निरन्तर होने वाले बलात्कार से लड़की की हालत जब ज्यादा खराब हुई तो यह लोग उसे मरणासन्न हालत में सड़क पर पटक कर भाग निकले। इन दो महत्वपूर्ण घटनाओं के अतिरिक्त जयपुर पुलिस में अनेक सिपाही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छुटपुट-लूटपाट की घटनाओं, मादक पदार्थों की तस्करी से भी जुड़े हुए हैं। सूत्रों के अनुसार जयपुर होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राज मार्ग पर ट्रक ड्राइवरों से छीना झपटी....

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट का समय समाप्त।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। अभी तो मैं आपका 10 मिनट का समय और लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं।

श्री विष्णु मोदी : मैं अपने आपको सीमित कर रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : मैं नहीं दे पाऊंगा।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो बोलना है। मैं तो बोलूंगा। यह वार्षिक प्रतिवेदन पुलिस विभाग का है....

श्री उपाध्यक्ष : केवल मैं एक मिनट का समय और दे रहा हूं।

श्री विष्णु मोदी : मैंने बिजली पर तो शुरू ही नहीं किया। यह सरकार बिजली से भागना चाहती है। हाउस के सामने 3 सबजेक्ट्स हैं। पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार हर रोज 3 लूट, 4 हत्यायें, 3 बलात्कार, 22 नकबजनी और 44 चोरियों की वारदात होती हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रोम जलता रहा और नीरो बंसी बजाता रहा। अगर इस तरह की घटनाएं राज्य में हों फिर भी आप यह समझते हैं कि हमारी ला एण्ड आर्डर की व्यवस्था ठीक है तो यह मैं आप पर और इस सदन पर छोड़ता हूं कि यह कैसी ला एण्ड आर्डर व्यवस्था है।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद। अब बिराजें।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली का सवाल है बहुत लम्बी-चौड़ी बातें राजस्थान की जनता को भुलावे में रखने के लिए की जा रही हैं। लोकसभा का चुनाव हैं। राजस्थान की सरकार किसानों को, डोमेस्टिक कन्ज्यूमर्स को और इन्डस्ट्रीज को बिजली देने में असफल रही है और सिर्फ थोथे प्रचार किये जा रहे हैं। हम आकाश से बिजली लायेंगे, हम पाताल से बिजली लायेंगे। मैं बहुत छोटे समय में तीनों-चारों बातें निवेदन करूंगा और मजबूरन इसलिए आपसे निवेदन करना पड़ रहा है और समय मांगना पड़ रहा है कि मैंने नोटिस दिया था कि आप इनके ऊपर अलग से बहस करायें लेकिन सब के ऊपर बहस करवा रहे हैं। सबसे पहले मैं सोलर की बात करना चाहूंगा। 3 कम्पनियों को सोलर का ठेका दिया, एनरजन, एनरान और सनसोर्स। इन तीनों कम्पनियों की जो टैक्नोलाजी है, यह कहते हैं कि हमने 300 मेगावाट के लेटर आफ इन्टेन्ड जारी किये हैं लेकिन 30 मेगावाट भी बिजली यह जो तीन टैक्नोलाजी है दुनियाभर में हिन्दुस्तान में नहीं, अमेरिका में नहीं, पूरे विश्व में 30 मेगावाट बिजली नहीं बनती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो गवर्नर साहब का अभिभाषण था उसके 32वें पाइण्ट पर लिखा है कि मेथानिया स्थित सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए ग्लोबल एनवायरनमेंट फेसेलिटी से अगले वर्ष सहायता स्वीकृत होने की आशा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दुनियाभर में रिसर्च होती हैं, नये इनवेन्शन्स होते हैं और डंकल के मामले में भी इसी सदन में बहुत लम्बी चौड़ी बातें की जा रही थी कि नीम पेटेन्ट हो जायेगा, दवाई पेटेण्ट हो जायेगी, अंकल आ जायेगा, दातून भाग जायेगी। इस तरह की बातें हो रही थी। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस एनरजन ने यहां एक कान्फ्रेन्स की थी। राजस्थान सरकार के आदमी भी उसमें थे, मैं भी उसमें गया था। वह लम्बी चौड़ी डींग हांक रहे थे कि हमारी जो टैक्नोलाजी है वह सबसे सस्ती है लेकिन तीनों टैक्नोलाजी जो 3 डिफरेन्ट टैक्नोलाजी है उन तीनों को 2 रुपया 24 पैसे की रेट दी गयी। मानानीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक छोटीसी बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आप उस समय बीच में मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे, मुझे भी करना पड़ेगा आपको।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : कल मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप बिराज जायें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : 30 मेगावाट से ज्यादा नहीं है तो उसका जवाब तो मुझे देना ही है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : "35 megawatt capacity solar power project in the Souther Colifornia, comprising 8 plants, is currently the world's largest, providing 90 per cent of the worlds solar energy."

मैं असत्य बोल रहा हूं। यह आप चैलेन्ज कर रहे हैं तो फिर आप जवाब दें इसका।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब भी कोई इनवेन्शन होता है, मुझे इसलिए आपसे निवेदन करना पड़ रहा है कि उधर से ऊर्जा मंत्री जी बोल लेते हैं, उधर से मुख्य मंत्री जी बोल लेते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात कहें।

श्री विष्णु मोदी : मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं और मुख्य मंत्री जी ने कहा कि तुम लोग विनियोजन नहीं चाहते, तुम इस तरह का वातावरण पैदा करना चाहते हो जिससे राजस्थान में बिजली नहीं आये, राजस्थान का विकास नहीं हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस देश की आजादी का सवाल हो, राजस्थान के गठन का सवाल हो या राजस्थान में आधारभूत ढांचा खड़ा करने का सवाल हो, बी. जे. पी. से ज्यादा कांग्रेस इस बात की जिम्मेदारी ज्यादा महसूस करती है कि राजस्थान का विकास हो। हम राजस्थान का विकास अवरुद्ध नहीं करना चाहते। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह वक्त भी देखा तवारीखी घड़ियों ने, उन्होंने खता की, सदियों ने सजा पायी। हम यह नहीं चाहते कि आप जिस तरह के समझौते कर रहे हैं, आप जिस तरह की गोलमाल कर रहे हैं उसे आने वाली राजस्थान की सदियां भुगते, आगे आने वाली राजस्थान की पीढ़ियां भुगते। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब फैक्स मशीन का आविष्कार हुआ था, जब कम्प्यूटर का आविष्कार हुआ था, जब केलकुलेटर का आविष्कार हुआ था तब वह महंगी चीजें थीं और आज दुनिया भर में एक से डेढ़ पर्सेण्ट तक इलेक्ट्रोनिक चीजों पर प्राइसेज महीने में, नॉट एनुअली, मन्थली गिर रही है लेकिन यह जो एल. ओ. यू., पी. पी. ए. या जो कुछ बात करते हैं, जो सदन के पटल पर रखते

(177)

(श्री विष्णु मोदी)

नहीं है, उसके अन्दर इस बात की कोई गारण्टी नहीं है। जो कि राजस्थान को ही नहीं, हिन्दुस्तान को जैसलमेर, जोधपुर से बिजली देने की बात करते हैं पर जब यह टैक्नोलोजी सक्सेसफुल हो जायेगी, जब प्राइसेज क्रेश होंगे तब आप क्या करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है ...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें तो ठीक रहेगा।

श्री विष्णु मोदी : मैं 10 मिनट का समय और लूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां भी इन्वेंशन होता है, जहां भी किसी चीज का इनोवेशन होता है तो वहां ऐसी कोई सरकार नहीं है जो कि उसमें रायल्टी वसूल नहीं करती। मैं ही नहीं, माननीय जसवंत सिंह जी, जो बी. जे. पी. के संसद में उप नेता हैं, उन्होंने भी इस सरकार को कहा है कि आप यह जो सोलर ऊर्जा पैदा कराने जा रहे हैं यह होगी या नहीं होगी यह तो बड़ा सवाल है लेकिन आप कम से कम एग्रीमेंट में इससे रायल्टी की बात करें। तो मेरा यह आरोप है सरकार पर कि यह राजस्थान की भूमि, जो मुख्य मंत्रीजी कल कह रहे थे कि हमें तो अब पता लगा कि यह इतनी बड़ी भूमि, इतनी बड़ी पूंजी हमारे पास पड़ी है। लेकिन अगर वह पूंजी पड़ी है तो उस पूंजी को यों ही मत जाने दीजिये। राजस्थान की सदीयों से और उस इलाके के लोगों ने सैकड़ों वर्षों से तकलीफें झेली हैं तो उसमें सरकार को रायल्टी की व्यवस्था करनी चाहिए।

तीसरा मेरा आरोप है कि 300 मेगावाट आपने तो एल. ओ. यू. कर लिया, एम. ओ. यू. कर लिया या पी.पी.ए. करने जा रहे है या क्या करने जा रहे हैं, इस बात की आपने क्या गारंटी की है कि अगर वह 300 मेगावाट बिजली पैदा नहीं करेंगे तो यह सरकार क्या करेगी? आप तो सुहावने सपने दिखा रहे हैं कि बिजली आ रही है, आ रही है और जिस दिन बिजली नहीं आयेगी उस दिन क्या होगा ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात करते हैं नेफ्था की....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आप यह तो बतायें कि आप को नुकसान क्या है। आप इसका तो जवाब दे दें। आपने कहा कि नहीं आयी है, आप यह तो बतायें कि उसमें नुकसान क्या है। अगर वह नहीं बनायेंगे तो हम नहीं खरीदेंगे, और नुकसान क्या हो गया ?'

श्री विष्णु मोदी : राजस्थान की जनता में जो आशाएं जगायी है कि यह हिन्दुस्तान को बिजली देंगे, उस राजस्थान की जनता की आशाओं का क्या होगा ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो वोट लेने के लिए जाल

(श्री खेतसिंह राठोड़)

रचा है, बाकी यह मामला बिलकुल कमजोर है!

श्री विष्णु मोदी : दूसरी बात बड़ी बात करते हैं कि नेफ्था से इतनी बिजली आ रही है, भिवाड़ी, उदयपुर, नीमराना फलां, फलां... माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां की स्थिति यह है---

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपसे समय चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको नहीं दे पा रहा हूं। कृपया समाप्त करें।

श्री विष्णु मोदी : जो मैं यहां कह रहा हूं वह सिर्फ भाषण करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैंने 17 दिसम्बर, 1995 को जब यह लैटर आफ इन्टेंट भी इश्यू नहीं हुए थे, उस वक्त मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी, ऊर्जा मंत्री जी, मुख्य सचिव जी को, एनर्जी सैक्रेटरी और फाइनेंस सैक्रेटरी को चिट्ठी लिखी थी और इस चिट्ठी में, मैं इकोनोमिक टाइम्स को कोट कर रहा हूं। जो दो रुपये दस पैसे की यहां दुहाई दी जा रही है, जिस बात को कहा जा रहा है कि हमने बिजली का सबसे कम ठेके पर सोदा किया है, मैंने यह लिखा है कि आप जानकारी कर लें, मैं आपके लिए सूचनार्थ यह भेज रहा हूं, इसमें लिखा है, क्योंकि यह, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 60 मेगावाट, 50 मेगावाट और ज्यादा से ज्यादा हुण्डरेड मेगावाट की बात कर रहे हैं—

"60 megawatt is using naphtha in combined cycle to supply power at a guaranteed rate of just 1 rupee 60 paise per unit ..." One Rupee Sixty Paise per unit. "... to Sanghi Industries Limited. This is far lower than the rates ranging from Rs. 2.10 to 3.15 for new big projects."

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इन्टरनेशनल बिडिंग का मतलब क्या है ?

श्री विष्णु मोदी : राजस्थान की जनता को आप किसी बिडिंग के नाम पर धोखा नहीं दे सकते।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अगर वह कोट ही नहीं करेगा तो उसका क्या कर लेंगे आप, यह तो बता दें। (व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : अब हमारी समझ में आ गयी और मुख्य मंत्रीजी की बात भी समझ में आ गयी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : एनराज का, थर्मल का और डीजल जनरेटिंग सैट में कोई फर्क ही नहीं लग रहा आपको। आप कोई फर्क ही नहीं बता सकते। एक थर्मल है और एक डीजल जनरेटिंग सैट है। आप रोल्स रायस को मारूति से कम्पेयर कर रहे हो। कैसे कर सकते हो ?

श्री हरिसिंह : माननीय सदस्य, यह तो बता दें कि आप किस कम्पनी के लाइ-जनिंग आफिसर हैं ?

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत शार्ट में खतम कर रहा हूं ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आप तो केवल थर्मल और हाइडल को कम्पेयर कर लोगे । (व्यवधान) एक जल से होता है और एक कोयले से होता है, how can you compare that ?

श्री विष्णु मोदी : नेफ्था की बात कह रहे हैं । जिस नेफ्था की यह बात कर रहे हैं और जिस डालर की बात मुख्य मंत्रीजी और कौशल साहब कह रहे थे कि डालर यह चला जायेगा, डालर आपके हाथ में है ? डालर को आप कंट्रोल करते हो ? दुनिया का मार्केट डालर को कंट्रोल करता है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस सदन में कि वह एन-रान का समझौता कभी इस सदन के पटल पर नहीं रखा जायेगा । वह इसलिए नहीं रखा जाएगा कि जब महाराष्ट्र कांग्रेस की सरकार ने एनरान से समझौता किया था तो एनरान ने दो प्रपोजल दिये कि अगर आप हाई डिस्टिलेट फ्यूल से पैदा कहना चाहते हैं तो हम 2 रुपये 40 पैसे में देंगे और अगर आप नेफ्था से करना करना चाहते हैं तो एक रुपया 95 पैसे में देंगे । लेकिन उसके बाद में, मैं नहीं जाना चाहता कि मेनिफेस्टो में हुआ और कैंसिल हुआ लेकिन फिर जब दुबारा बुलाया गया तब उन्होंने कहा कि हमें तो रेट कम कर दो, कैसे भी कर दो जिससे कि हम शक्ल दिखा दें । तो उन्होंने कहा कि रेट तो अब फ्यूल चेंज कर दी जाय तो ही होगी । तो उन्होंने कहा कि कुछ करो, उन्होंने फिर कहा कि यह एक रुपये 95 पैसे है तो बोले कि इससे कम होनी चाहिए । फिर महाराष्ट्र सरकार ने कहा और मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र और उसमें बम्बई, दिल्ली, हमारी राजधानी हो सकती है लेकिन हमारी व्यापार की राजधानी बम्बई है, वहां के जो अधिकारी या नेता हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त करें अब ।

श्री विष्णु मोदी : मैं अभी खतम कर रहा हूं । आप पांच मिनट सुन लें । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो मिनट । मैं कन्क्लूड कर रहा हूं ।

श्री परसराम मदेरणा : This point, he should take to the logical conclusion.

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तब उन्होंने कहा कि अच्छा, तीस पर्सेंट हम हमारी इक्विटी रख देते हैं । जो 100 पर्सेंट इक्विटी एनरान की थी उसमें 30 पर्सेंट महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने कहा कि वह खर्चा हमारा होगा । तो उसके इंटरेस्ट से जो रेट कम हुई उससे एक रुपये 86 पैसे में समझौता हुआ और एक रुपये 86 पैसे में समझौता होने के बावजूद यहां की सरकार ने दो रुपये दस पैसे में समझौता किया । तो मेरा यह

(श्री विष्णु मोदी)

आरोप है कि राजस्थान की सरकार ने दो रुपये दस पैसे में चाहे लैटर ऑफ इन्टेंट दिया हो, चाहे वह पी. पी. ए. करने वाले हो, वह राजस्थान की आने वाली सदियों तक उसको झेलना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उसका तो जबाब दिला दो, थर्मल और हाइडल को कम्पेयर करोगे, डीजल और थर्मल को कम्पेयर करोगे ? उसका तो जवाब दिलवा दो। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो मुझे पता था कि जब मैं बोलूंगा तो मुझे नहीं बोलने दिया जायेगा। मुझे जानकारी थी इस बात की। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं आपको कहना चाहूंगा कि दूसरे बड़े प्रोजेक्ट की बात करते हैं, वह लिग्नाइट की बात करते हैं और उन लिग्नाइट में इतना बड़ा धोखा इस राजस्थान की जनता के साथ होने वाला है कि इस राजस्थान सरकार का ही एक उपक्रम जो आर एस. एम. एम. के नाम से जाना जाता है, उसने भी अपनी कीमत भेजी है। लेकिन मैं आज इस सदन को बता सकता हूं....कि न कभी मुख्य मंत्रीजी ने बताया, न ऊर्जा मंत्रीजी ने बताया कि हम अपनी प्राइस को इवेल्युएट कर रहे हैं लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कल कहा कि बरसिंहसर की तो 1984 में एप्रूवल आ गयी थी, तब आपकी सरकार ने क्या किया ? मैं आपके माध्यम से, to keep the record straight, कहना चाहूंगा कि 1984 से 1990-91 तक हिन्दुस्तान की सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में बिजली के कारखाने लगाने की इजाजत नहीं दी थी। हमारे पास सारे संसाधन नहीं थे। नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के साथ एग्रीमेंट हुए थे और नेवेली लिग्नाइट वापस हो गया और 19-90-91 से जब से प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया, तब से आपकी सरकार पावर में है और अगर उस वक्त आपके पास रेट रुपये 1.70 पैसे आयी थी या रुपये 1.80 पैसे आयी थी तो अब आपको कोई अधिकार नहीं है और कल आप जोइंट एकाउन्टेबिलिटी की बात कर रहे थे कि अगर आप ढाई रुपये और तीन रुपये में अब समझौता करते हैं तो क्या आपकी पार्टी की, आपकी जोइंट एकाउन्टेबिलिटी नहीं है। आप राजस्थान की जनता को, यह अगर आप फैसला नहीं कर सके, अगर आप इंडिसाइसिव हैं आपके पास अगर हिम्मत नहीं है कि आप फैसला कर सके तो इसका कतई तात्पर्य नहीं है, कि राजस्थान की जनता इसको भुगते और उपाध्यक्ष महोदय, लास्ट में, बात तो बहुत थी कहने की और मैं उम्मीद करूंगा इस सरकार से कि अगले सत्र में बिजली के उन एग्रीमेंट के ऊपर एक दिन रखें क्योंकि इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के क्लाज 79....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री विष्णु मोदी : एक मिनट, खतम कर रहा हूं. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : यह एक मिनट कितनी देर में पूरा होगा।

श्री विष्णु मोदी : एक मिनट, हाथ जोड़कर एक मिनट मांग रहा हूं । "Laying of certain Rules and Regulation before the State Legislature-Every Rule made by the State Government under Section 78 (A) and every regulation made by the Board under Section 79 shall be laid, as soon as may be, before the State Legislature" तो उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को भी सरकार ने फ्लाउट किया है तो मैं यह उम्मीद करता हूं कि अगले सत्र के पहले दिन ही यह सब सदन की टेबल पर रखें और अगर आप पाक-साफ हो तो एक दिन पूरी चर्चा करायेंगे और अन्त में मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं । माननीय मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहूंगा कि गवर्नर के अभिभाषण में आपने कहा है कि हमने 700 या 800 करोड़ रुपये लीजिंग कम्पनी से लिये हैं । लीजिंग कम्पनी वह है जो राजस्थान मे कांग्रेस की सरकार ने और आपने भी जो सब स्टेशन बनाये, जो खम्भे खींचे, जो तार खींचे, वे इन लीजिंग कम्पनियों को गिरवी रख दिये गये हैं और उत्तर प्रदेश के अन्दर यह हुआ है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें । (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : कि कई सारे सब स्टेशन अटैच्ड हो गये हैं और इसके साथ ही यही नहीं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सरकार कहती है कि हमने पावर के लिए टेण्डर किये हैं, इस राजस्थान विद्युत मण्डल ने खुद ने अखबार में खबर दी कि लीजिंग कम्पनियों को इन्वाइट किया लेकिन जो आये, उनसे तो पैसा लिया ही लेकिन एक स्पेसिफिक केस ऐसा है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि आपने नाम लेने से मना किया है कि जिसने एप्लाई नहीं किया, वह उस टेण्डर में आया नहीं, उससे भी पैसा लिया गया और उससे पैसा इसलिए लिया गया कि कहीं न कहीं से मोटिवेशन था, वेस्टेड इन्ट्रेस्ट था....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : 1948 के जमाने की बात कर रहे और यह पता नहीं कि प्राइवेट सेक्टर के अन्दर Government of India launched private power Policy in October, 1991: 1948 वाली बात कर रहे तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के बारे में आपको पता नहीं है that Government of India launched Private Power Policy in October, 1991.

(18.34)

(श्री शान्तिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप । चर्चा समाप्त हुई अब ।

श्री चन्दनमल बैद : हम इसका भेद समझ गये । उसमें और कोई शामिल है । जब मैं पूछ रहा था कि 1520 करोड़ में कितने आदमी शामिल है, अब हमें मालूम पड़ गया । Now we know it,

श्री अध्यक्ष : अकाल राहत मंत्रीजी । (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, सब पार्टियों को टाइम दिया जा रहा है। मुझे भी पांच मिनट का समय दिया जाये। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : बोलने का समय बाकी पड़ा है, आप समाप्त नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्रीमती कमला : आपने खुदने फैसला दिया है कि जिन लोगों के एडजोर्नमेंट मोशन आये थे, उनको आप आज के दिन बोलने का मौका देंगे। आप मंत्री महोदय से जवाब नहीं दिला सकते (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, तीन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो, उसके ऊपर पूरे माननीय सदस्यों को समय नहीं मिला, हमारे दल के सदस्य को भी समय नहीं मिला और तीन-तीन मामले होते हुए भी आप (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : सरकार भाग जायेगी, फायदा क्या है उससे, इसलिए कृपा करके मौका दीजिये। घण्टा भर और बैठेंगे, दो घण्टे और बैठेंगे, राजस्थान के तीन बड़े मामलों का सवाल है। समय पूरा सबको देना चाहिए। आप सरकार के भागने में भागीदारी नहीं कीजिये (व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय मंत्री महोदय, आप बिराजिये। (व्यवधान) आपको हमको मौका देना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : आपकी रूलिंग है, आपने कहा हुआ है।

श्री रतनलाल ताम्बी : आप भागीदार मत बनिये सरकार के भागने में (व्यवधान)

श्री सांवरलाल जाट : आप कुछ कह रहे हैं क्या ? (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : आप पूरे सदस्यों को बात कहने का मौका दीजिये। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : ...रात को 11 बजे तक बैठे रहेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : आप मौका दीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्रीमती कमला : हम लोगों ने भी सुबह से इसके लिए आपसे निवेदन किया था।

श्री रतनलाल ताम्बी : तीन-तीन जरूरी मामले हैं, उसके बावजूद समय नहीं मिल रहा है (व्यवधान) हमने स्थगन प्रस्ताव दिया था। आपने कहा था कि चर्चा के समय उठायेंगे, आपने वह मौका हमको नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : + + +

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल जाट : माननीय सदस्यों ने जो चिंता व्यक्त की है, राजस्थान सरकार इस सम्बन्ध में पूर्ण समर्थनशील है... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : बोलने के लिए मौका दीजिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : अकाल में बोलने का भी अकाल। (व्यवधान) अकाल पर चर्चा में बोलने का भी अकाल हो रहा है।

श्रीमती कमला : पहले भी सुबह के दो-दो बजे तक.... (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : ओलावृष्टि का मामला है, अकाल का मामला है (व्यवधान)

श्री सांवरलाल जाट : .... ओलावृष्टि से पीड़ित किसान को सहायता का भुगतान (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : आप मौका दीजिये सदस्यों को। (व्यवधान) हमारे दल का एक सदस्य बोला है अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल जाट : .... प्रभावित क्षेत्रों में अकाल राहत कार्यक्रम चालू किया गया.... (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : आप दो घण्टे बढ़ाइये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : + + + (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब चर्चा हो चुकी। बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल जाट : अध्यक्ष महोदय, जब किसानों का राम रूठ जाता है, माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा (व्यवधान)

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, आपने खुद ने रूलिंग दी है कि जिनके एडजोर्नमेंट मोशन है, उन सबको बोलने का मौका दिया जायेगा और आप मौका नहीं दे रहे हैं। आप खुद ही अपनी रूलिंग को नहीं मान रहे हैं (व्यवधान)

श्री सांवरलाल जाट : .... उस राज में व्यवस्था करना, कम से कम इस बारे में तो सुने। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : आपने स्थगन प्रस्ताव पर हमको आश्वासन दिया था कि अकाल की चर्चा के समय बोलें (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्रीमती कमला : आज सुबह ही आपने हमें कहा था । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले जवाब सुने आप ।

श्री रतनलाल ताम्बी : उसके आधार पर हम बोलेंगे । (व्यवधान)

(श्री रामस्वरूप मीणा द्वारा सदन में धरना)

श्री महावीर प्रसाद जैन : .... और आप सरकार का जवाब सुनिये और माननीय अध्यक्ष महोदय को व्यवस्था भी देनी है । आप ध्यान रखिये ।

श्रीमती कमला : मौका देना पड़ेगा, बोलने का मौका देना पड़ेगा (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : हमारा अधिकार है । (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : पहले इनको आप बोलने का मौका दीजिये और उसके बाद में जवाब दें । (व्यवधान)

श्री सांवरलाल जाट : नो, सरकार का जवाब सुनिये ।

श्री रतनलाल ताम्बी : पहले चर्चा में भाग लेंगे, फिर जवाब । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये ।

श्री सांवरलाल जाट : सरकार का जवाब सुनिये ।

श्री रतनलाल ताम्बी : पहले आप हमारी बात सुनेंगे, फिर जवाब । (व्यवधान) हमारे स्थगन प्रस्तावों पर माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी है (व्यवधान)

श्री सांवरलाल जाट : पहले सरकार का जवाब सुन लीजिये, फिर आपको कुछ पूछना हो तो (व्यवधान)

श्रीमती कमला : बोलने का मौका देना पड़ेगा (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : आप इसकी व्यवस्था कर दें ।

श्री सांवरलाल जाट : कोई रह गया हो तो सवाल कर लें । (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दी है । (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, कोई इनकी बात रह जाये तो फिर प्रश्न कर सकते हैं । कोई इनकी बात रह जाये तो फिर सवाल कर सकते हैं ।

श्री रतनलाल ताम्बी : आपने व्यवस्था दे दी । (व्यवधान)

श्रीमती कमला : मौका दीजिये । आप इस तरह से लोगों का + + + (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : आपने व्यवस्था दी है ।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये ।

श्रीमती कमला : अकाल है, ओला-वृष्टि है, शीत लहर है (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठोड़ : आपने पूरे सदस्यों की भावनाओं को जान लिया है, रात के दो बजे तक (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : और जवाब सुनिये, और उसके बाद कोई रह जाये तो आप प्रश्न कर सकते हैं । (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : आपको भागने की जल्दी क्या है ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : "" और आसन की व्यवस्था आखिरी है । (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : आप क्यों भाग रहे हैं ? (व्यवधान) आप सुन लें ।

श्रीमती कमला : इसके लिए तो आप (व्यवधान)

श्री सांवरलाल जाट : आप पहले सुन लें, उसके बाद में पूछना हो तो पूछ लें ।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये । (व्यवधान)

श्रीमती कमला । पहले भी सुबह के दो-दो बजे तक विधान सभा चलायी है ।

श्री रतनलाल ताम्बी : आपने स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दी है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : +++ जहां ओले पड़े थे वहां तो आप पहुंचे ही नहीं थे । किस बात की +++ कर रहे हो । (व्यवधान)

श्रीमती कमला : रात भर विधान सभा चली है, चर्चा हुई है (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जवाब नहीं सुनना चाहते आप सरकार का, इसका मतलब यह है कि (व्यवधान)

श्री सांवरलाल जाट : आप जवाब नहीं सुनना चाह रहे हैं (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप सरकार का जवाब नहीं सुनना चाहते ।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं सुनना चाहते सरकार का जवाब (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसका मतलब है कि आपको कोई मतलब नहीं है जवाब से, आप अकाल जैसे मामले में, (व्यवधान) सरकार की प्रतिष्ठा को आप सुनना नहीं चाहते (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री रतनलाल ताम्बी : रात के 12 बजे तक, रात भर बैठेंगे। जवाब सुनेंगे सरकार का। .... (व्यवधान)

श्री सांवरलाल जाट : .... जवाब सुनना पड़ेगा सरकार का।

श्रीमती कमला : बोलने का मौका देना पड़ेगा।

श्री रतनलाल ताम्बी : जवाब सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये (व्यवधान)

श्रीमती कमला : यही हमदर्दी है किसानों के लिए? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप दो मिनट बोलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री सांवरलाल जाट : .... इस सृष्टि के अन्दर किसान तब से मरा हुआ है....

श्री अध्यक्ष : आप पहले विराजिये। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : सरकार भाग रही है, डर रही है।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। (व्यवधान) आप उनका जवाब सुन लें।

श्री अमराराम (धोद) : आप मंत्रीजी को बैठाओ।

श्री रतनलाल ताम्बी : हम बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल जाट : .... मोती मांगे चून (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : आपने व्यवस्था दी है स्थगन प्रस्तावों पर (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं करें मंत्री जी के अलावा। (व्यवधान) मंत्रीजी के अलावा कोई अंकित नहीं हो।

श्री रतनलाल ताम्बी : XXX

श्री अध्यक्ष : पहले मेरी बात सुनें। आपके बोलने से क्या होगा (व्यवधान)

श्रीमती कमला : XXX

श्री रतनलाल ताम्बी : XXX

श्री खेतसिंह राठौड़ : XXX

श्री सांवरलाल जाट : .... किसान अतिवृष्टि से प्रभावित हुए हैं (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : XXX

श्रीमती कमला : XXX

श्री सांवरलाल जाट : .... और माननीय सदस्य सुनना नहीं चाहते (व्यवधान)

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ×××

श्रीमती कमला : ×××

श्री रतनलाल तम्बी : ×××

श्री शिवनाथ सिंह : ×××

श्री सांवरलाल जाट : .... आपको जवाब सुनना पड़ेगा (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : ×××

श्री खेतसिंह राठौड़ : ×××

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। (व्यवधान)

श्री अमराराम : ×××

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्रीमती कमला : ×××

श्री अध्यक्ष : वह मैं कह रहा हूं। यह बोल रहे हैं, न, विराजें।

श्रीमती कमला : ×××

श्री सांवरलाल जाट : इतनी त्वरित गति से किसानों को कभी सहायता नहीं दी गयी, इसलिए जवाब सुनना नहीं चाहते हैं। (व्यवधान) ओलावृष्टि से किसानों की फसल प्रभावित हुई है और राज्य सरकार ने तत्काल सहायता के जो निर्णायक मापदण्ड हैं उनके हिसाब से सहायता दी है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। विराजिये बात तो सुनें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ×××

श्रीमती कमला : ×××

श्री सांवरलाल जाट : राज्य सरकार जानती है, किसानों को रबी की फसल लागत लगाकर ... (व्यवधान)

श्रीमती कमला : ×××

श्री अमराराम : ×××

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्रीमती कमला : ×××

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें आप।

श्री बनवारी लाल शर्मा : ×××

श्रीमती कमला : ×××

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। रामस्वरूपजी, विराजिये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्रीमती कमला : ×××

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री सांवरलाल जाट : माननीय सदस्या, बहुत सुन चुके हम।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री भंवरसिंह डांगावास : ×××

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : ×××

श्री भंवरसिंह डांगावास : ×××

श्री अध्यक्ष : आवाज तो सुनाई नहीं पड़ रही, आप कहना क्या चाह रहे हैं ? आप बैठिये ।

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री अध्यक्ष : अपने स्थान पर तो बैठिये आप । आप अपने स्थान पर तो बैठें पहले ।

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री अध्यक्ष : यह हमारे सदन के माननीय सदस्य हैं ।

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री अध्यक्ष : आप विराज जायं । विराजें ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, इतनी जोर से आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष के विवेक पर कई बातें हैं इसलिए लो-प्रोफाइल में बोलना ज्यादा उचित रहेगा । बहुत आदरपूर्वक और विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि जब माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, सदन का आखिरी आज दिवस है और अहम् मुद्दे हैं, बाढ़ से क्षति हुई है, अकाल राजस्थान के 25 हजार से ज्यादा गांवों में है, ढाई-पौने तीन करोड़ की आबादी उससे प्रभावित है....

श्री सांवरलाल जाट : सरकार की जानकारी में है ।

श्रीमती कमला : आप को तो सब जानकारी है, फिर काहे के लिए बैठे हो, जाओ आप ।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, मुझे तो बहुत जानकारी है लेकिन तुला में तोलने के जो पत्थर होते हैं न....

श्री अमराराम (धोद) : वह नहीं है ।

श्री परसराम मदेरणा : उसमें कम ज्यादा करने की जानकारी मुझे नहीं है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने तो खूब किया है ऐसे ।

श्री परसराम मदेरणा : बिजली के मामले में भी, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो राजस्थान के विकास से संबंध रखते हैं, इसलिए आप कुछ समय बढ़ा दीजिये ताकि माननीय सदस्य अपने विचार इस सदन में रख सकें, उसके बाद में मंत्री जी उसका उत्तर दे दें ।

श्री रामनारायण चौधरी : पांच-पांच मिनट, चार-चार मिनट दे दें साहब ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महो-

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

दय, मेरा निवेदन यह है कि सरकार जवाब दे दे, उसके बाद कुछ सवाल रह जाय तो प्रश्न पूछ सकते हैं। क्योंकि सारे सदन की बात आ गयी है। प्रतिपक्ष के नेता महोदय, यदि कोई बात रह गयी हो तो प्रतिपक्ष के नेता महोदय कह दें लेकिन अब....

श्रीमती कमला : बीच में कोई जवाब दिया जाता है क्या ? चर्चा के बीच में काहे का जवाब होता है ? किसने आपको मुख्य सचेतक बना दिया ?

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, उसको हम रिपीट नहीं करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : समय सीमा का कोई इसलिए वह नहीं है और सब लोग....

श्री अमराराम (धोद) : जो बातें नहीं आयी, वह।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कई माननीय सदस्यों के रिजर्वेशन हैं, जाना चाहते हैं।

श्री अमराराम (धोद) : जाओ तो, उनको कौन मना कर रहा है।

श्री रतनलाल ताम्बी : जिनको जाना है वह जायें। राजस्थान की जनता का हित पहले है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : कौन सा वोट हो रहा है इस पर, तीन मंत्री रह जायं, बाकी जाओ आप।

श्री रतनलाल ताम्बी : स्थगन प्रस्ताव की जब आपने व्यवस्था दी थी....

श्री महावीर प्रसाद जैन : मुझे यह लगता है कि प्रतिपक्ष कोई गम्भीर नहीं है, सरकार कई प्रकार की घोषणाएं करना चाहती है....

श्री अमराराम (धोद) : करो, घोषणाएं सुनेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अकाल से, बाढ़ से, ओलावृष्टि से और शीत लहर से क्या नुकसान हुआ है, सरकार उसमें क्या कर रही है, क्या करना चाहती है, कोई सुनना नहीं चाहते। अब यदि नहीं सुनना चाहते हैं तो उसका कोई उपाय नहीं है। यदि उसके बाद कोई बात रह जाय, तो उसके बाद में कही जा सकती है।

श्री अमराराम (धोद) : सदन पूरा सुनना चाहता है।

श्रीमती कमला : सुनना कैसे नहीं चाहते, आप नहीं सुनना चाह रहे।

श्री रतनलाल ताम्बी : वह तो सुनने के बाद में दे सकते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह सदन की परम्परा रही है और अध्यक्ष महोदय, हमेशा जो चीफ व्हिप महोदय आपको लिस्ट देते हैं उनके आधार पर होता है।

श्री हरजीराम बुरडक : बीच में जवाब की परम्परा कब से हो गयी, आप ही जानते हैं परम्परा ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : यदि जवाब नहीं सुनेंगे और सरकार की बात नहीं आयेगी तो केवल यह सारी, इस बात का कोई सवाल नहीं है, और एक तरफ चर्चा हो जायेगी, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा बहस का। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि सरकार का जवाब सुन लें। उसके बाद यदि कोई बात रह जाय तो निश्चित रूप से कहें। समय नहीं बढ़ाया जा सकता।

श्रीमती कमला : बीच में कहीं जवाब होता है क्या ? चर्चा के बीच में जवाब करा रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक महोदय ने कहा कि सारे जिले आ गये हैं, सवाईमाधोपुर जिले का कोई भी प्रतिनिधि नहीं बोला है और हमने यह तय किया था कि हमारे रामस्वरूपजी बोलेंगे। बार-बार यह कह रहे हैं कि सारे जिले आ गये हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जवाब भी शुरू हो गया। अध्यक्ष महोदय, आपने पुकार लिया अकाल राहत मंत्रीजी को।

श्री रतनलाल ताम्बी : भीलवाड़ा जिले का कोई नहीं बोला। भीलवाड़ा जिले का भी कोई नहीं बोला है। कहां आ गये सब जिलों के प्रतिनिधि ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायं।

श्री परसराम मदेरणा : गवर्नमेंट का उत्तर प्रारम्भ हुआ या नहीं हुआ....

श्री महावीर प्रसाद जैन : हो गया।

श्री परसराम मदेरणा : सम्माननीय चीफ व्हिप, आप आसन को कोई डिक्टेट नहीं कर सकते। आसन सब समझता है, किस का रिप्लाई शुरू हुआ या नहीं हुआ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सवाल ही नहीं है डिक्टेट करने का।

श्री परसराम मदेरणा : आपने यहां पर अभी जोर-जोर से गवर्नमेंट चीफ व्हिप की हैसियत से कहा कि सब बातें सामने आ गयी हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : करीब-करीब।

श्री परसराम मदेरणा : यह सरकार इतनी निष्ठुर है और इतनी टाइरेंट है कि बाढ़ से जो क्षति हुई है, उसका एक उत्तर दिया है कि हमारे वहां पर कानून नहीं है और नियम नहीं है। हम यह इस सरकार को कन्वींस करना चाहते हैं ताकि थोड़ा बहुत इसका पिघले यह, टाइरेंट का दिल।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बिलकुल पिघला हुआ है।

श्री परसराम मदेरणा : आपके तो कुछ पिघला हुआ नहीं है। आपके तो दलिया गुड़ है, वह तो अपने आप ही गर्मी में पिघलता है। वहां जाते हैं आप, सोनू गांव में, मुख्य मंत्रीजी के साथ में....

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो आपने किया है वही तो बताना चाहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : और सूर्य की पूजा करते हैं न, तो उसमें आपका सब

(श्री परसराम मदेरणा)

जो गुड़ चिपका हुआ है, वह सब पिघल जाता है।

श्री अध्यक्ष : पारीकजी, इशारे खतम करो, जाना है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह आपके चिपकने वाला है।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए एडीशनल पाइंट कहने की आवश्यकता है, जैसा माननीय सदस्या कह रही थीं। पंजाब कम्पेनसेशन दे रहा है, हरियाणा कम्पेनसेशन दे रहा है और जहां तक मुझे जानकारी है, अगर थोड़ा-बहुत भी प्रशासनिक अनुभव है इस सरकार में मंत्री की हैसियत से रहने का और रिलीफ डिपार्टमेंट भी एक लम्बे अरसे तक मेरे पास रहा है, अगर नेबरिंग स्टेट मदद कर रही है, आप कह रहे हैं कि सब बातें आ गयी, कहां आ गयी? इसलिए हम कन्वींस करना चाहते हैं सरकार को, हम जो कह रहे हैं उसका एक आधार है और सरकार को रिकन्सीडर करना चाहिए, जैसे एक्जीक्यूटिव आर्डर से यह आदेश दिये जा सकते हैं, इसके लिए कोई लॉ में अमेण्डमेंट करने की जरूरत नहीं हैं, यह बहाना ले रहे हैं आप। इसलिये आप माननीय सदस्यों को इस बहुत महत्वपूर्ण बहस के अन्दर हिस्सा लेने दीजिये। आप जिस तरह से हठधर्मी अपना रहे हैं, अगर आप इसी तरह की हठधर्मी अपनाते रहे तो फिर हमारे सामने भी दूसरा विकल्प नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट निवेदन करना चाहूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट आपसे निवेदन करना चाहता हूं और गवर्नमेंट चीफ व्हिप से एवं सत्ता पक्ष से भी, कि इस हाउस की एक परम्परा है। पूर्व में भी प्रतिपक्ष के नेता ने प्रतिपक्ष की तरफ से समय मांगा है और दो बार खड़े होकर आपसे निवेदन किया, सदन से, अध्यक्षजी से, आप सीमित टाइम दे दीजिये, पांच-पांच मिनट का दे दीजिये, चार मिनट का दे दीजिये और घण्टे भर में सब को निपटा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : वह सब निपट जाते पर लम्बा भाषण हो जाये तो उसमें गड़बड़ी हो रही है।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं-नहीं, मान्यवर, प्रतिपक्ष के नेता ने दो बार खड़े होकर आपसे टाइम मांग लिया, सरकार के सामने अपनी बात रख दी, उसके बाद इतनी क्या हठधर्मी है, एक घण्टा और आगे बढ़ा दीजिये, क्या फर्क पड़ता है। हम आपको कापरेट कर रहे हैं, हम कोई आपको गालियां नहीं निकाल रहे, गला नहीं पकड़ रहे, वोटिंग कोई हो नहीं रही है और सब सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो रहा है, अच्छी-अच्छी बातें प्रतिपक्ष ने कही है, कौनसी आपको गालियां निकाली? क्यों डर रहे हैं आप? अब एक घण्टे की बात है, इसलिये अच्छा रहने दो न वातावरण और मामला आगे बढ़ जाय, जैसा हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने

(श्री रामनारायण चौधरी)

कहा है कि इससे आगे कुछ और बात हो जायेगी। इसलिये क्यों ऐसी आप बनाना चाहते हैं कन्ट्रोवर्सी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कांग्रेस के राज में दो-दो बजे तक डिबेट चली है। ऐसी क्या दिक्कत की बात है ?

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्षजी, मुझे एक मिनट का समय दीजिये।

श्रीमती कमला : भोजन यहीं कराया जाता था।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्षजी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस सत्र का आखिरी दिन है। हमें बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में विदा होना चाहिए। हम राष्ट्र गान के साथ इस सत्र के आखिरी दिन का समापन करना चाहते हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं, समय की कोई कमी नहीं है, रात को बारह-एक बजे तक चलता है, आज भी जब माननीय सदस्य इतनी बात कह रहे हैं, बहुत से दल हैं जिनको भी अवसर नहीं मिला है, इसलिये इस बात के लिए हमारे चीफ व्हिप....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। तीन मंत्री साहबान को भी जवाब देना है और....

श्री शिवनाथ सिंह : हां, मैं भी कह रहा हूं न। प्रतिपक्ष को, वह जवाब दे रहे हैं साहब....

श्रीमती कमला : दे देंगे टाइम। एक घण्टा और बढ़ा दीजिये।

श्री शिवनाथ सिंह : वह जवाब दें। उसके लिए नहीं कह रहा हूं मैं।

श्री परसराम मदेरणा : अभी तो राजस्थान की आल इण्डिया कम्युनिस्ट पार्टी का जो प्रतिनिधि है, उसको समय नहीं दिया जा रहा है। आप समय नहीं दे रहें हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा :....नहीं बोलने देंगे यह।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें, बिराजें।

श्री शिवनाथ सिंह : इसलिये मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि ऐसा अवसर नहीं आये कि विपक्ष को वो करना पड़े जो इस सदन के लिए शोभा नहीं है और हम बड़े शांतिपूर्ण वातावरण में राष्ट्र गान के साथ विदा होना चाहते हैं इसलिए उस अवसर को आप बिगाड़ने मत दीजिये। और माननीय मुख्य सचेतक को भगवान सद्बुद्धि दे और इस सुन्दर वातावरण में हम डिस्पर्स हों, इस प्रकार की व्यवस्था रहे। माननीय उप मुख्य मंत्रीजी मौजूद हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि अपने गुड आफिसेज का इस्तेमाल करते हुए हमारे चीफ व्हिप को समझायें ताकि वातावरण ठीक रहे। हम आते वक्त तो लड़ते हैं, माननीय अध्यक्ष जी, पर जाते वक्त हमको लड़ना नहीं चाहिए। जाते वक्त तो प्रेम से विदा होना चाहिए।

(श्री शिवनाथ सिंह)

इसलिए घण्टे भर का समय और आप बढ़ा दीजिये ।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि सदन वास्तव में इतना गम्भीर है तो क्या साढ़े सात बजे तक इसकी चर्चा समाप्त हो जायेगी और उसके बाद माननीय मंत्री महोदय का जवाब प्रारम्भ हो जायेगा ? साढ़े सात बजे... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें । 8 बजे तक सदन का समय बढ़ाया जाता है । बिराजें आप । अब आप कहना चाहें और पूरी बात चालू करेंगे तो तीन घण्टे में करेंगे । आप दो-दो मिनट में बात कहना चाहें तो सारी बात कह सकते हैं । बिराजें । आप शंकरलालजी साहब ।

श्री अमराराम जी ।

श्री अमराराम (धोद) : मैं शॉर्ट में कहूंगा ।... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें । अब खड़े होने का कष्ट नहीं करें, बैरवा साहब बार-बार आप खड़े हो जाते हैं, this is sheer wastage of time. अब बैठ जायं ।

विभिन्न विषयों पर विचार

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, तीन विषयों पर चर्चा हो रही है, शीत लहर के बारे में कहना चाहूंगा कि मुख्य रूप से सीकर जिले में जहां सरसों बोयी जाती है बहुत बड़े इलाके में, जो फसल सरसों और चने की 80 प्रतिशत तक समाप्त हो गयी है और हमारी सरकार कह रही है, जैसा प्रतिपक्ष के नेता महोदय, ने कहा कि पड़ोसी राज्यों में इसके लिए मदद दी जा रही है तो हमें भी कोई भी प्रोविजन करके, क्योंकि हम जो 200 माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य हैं, राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं हमको नियमों को चैंज करने के लिए भेजा है, नियम बनाने के लिए भेजा है इसलिए पूरे राजस्थान के किसानों के हित में कोई भी चैंज करना हो तो सर्वसम्मत इस बात के लिए तैयार हैं । चैंज किया जाना चाहिए । जहां तक अकाल का सवाल है पूरे सीकर जिले के 900 गांवों में से 513 गांवों में अकाल से पहली मार हो गयी है, दूसरी शीतलहर की हो गयी और, अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है कि 513 गांवों में से एक भी गांव से आज तक जो हमारे मुख्य मंत्रीजी और सरकार नवम्बर में चालू करना चाहती थी, मार्च तक एक कार्य अभी तक चालू नहीं हुआ है और 513 गांवों में मात्र एक हजार लोगों को रोजगार देने की जहां मजदूरों की सीलिंग दी गयी है, मैं समझता हूं सरकार न चारे की व्यवस्था करना चाहती और केवल घोषणाओं से लोगों को राहत पहुंचाना चाहती ।

जहां तक सवाल बिजली का है, अध्यक्ष महोदय, यह सरकार जहां 8 घंटे

(श्री अमराराम)

की घोषणा करती है, सीकर जिले में अगर 8 घंटे और रात्रि को दो फेस 6 से 10 दी जाये तो सीकर जिले में 120 मेगावाट की आवश्यकता है और आपको आश्चर्य होगा कि सीकर जिले को फसल के वक्त केवल मात्र 51 मेगावाट बिजली दी गयी। जब सीकर जिले के किसानों ने संघर्ष करके बिजली बोर्ड और सरकार को बाध्य किया तो आप आश्चर्य करेंगे कि केवल मात्र 83 मेगावाट बिजली करके किसी भी सीकर जिले के किसान को 8 घंटे बिजली नहीं दी गयी। अगर 8 घन्टे भी दी जाये तो 120 मेगावाट बिजली दी जानी चाहिए थी। कैसी स्थिति है कि बिसावा जी.एस.एस. जो नागौर जिले के मकराना तहसील में है, 8 महीने हो गये, सरकार का पूरा पैसा खर्च हो गया, पूरे उसके सब स्टेशन पर जितने ट्रांसफार्मर लगने चाहिए थे वो लग गये लेकिन आज तक वो चालू नहीं हुआ है। जितने भी पैसे वन पोल और टू पोल में लिए गये, माननीय सदस्यों ने कह दिया कि मंत्रीजी ने घोषणा की थी सेमीनार में कि जिनके पैसे वन पोल और टू पोल के लिए ले लिये गये हैं उनको उसी कैटेगिरी में दिया जायेगा। लेकिन आज तक भी नहीं दिया जा रहा है और 650 रुपये पर एच.पी. के हिसाब से मंत्रीजी की घोषणा के बाद भी बिजली बोर्ड हर किसान से जिनके वी.आर. नहीं बैठ रहे हैं जिन फीडर्स के, उनसे वसूल किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह मंत्रीजी के ऊपर भी बिजली बोर्ड हो गया, जो सरकार से ऊपर हो गया, जो किसानों को लूटने में माहिर है, जो एन्हान्स्ड सिक्योरिटी के नाम से राजस्थान के किसानों से करोड़ों रुपये के आदेश निकाल दिये गये। जो राजस्थान के स्वतंत्रता के इतिहास में कभी नहीं आये हैं।

तीसरी शार्ट में, जो कानून-व्यवस्था की स्थिति है उसके बारे में निवेदन करूंगा जहां आपके पुलिस थाने रक्षक हैं वहां आम और गरीब आदमी जाने से कतराता है और जो तस्कर हैं, जो शराब माफिया हैं, 10 तारीख की घटना है। आप आश्चर्य करेंगे, सीकर जिले की कोतवाली में एक व्यक्ति को पकड़ा गया और उससे 5 लाख 38 हजार रुपये बरामद किये गये, सोने के बिस्कुट बरामद किये गये और चांदी बरामद की गयी। पुलिस ने चालान किया 109 में कि यह तो पिंजरे बनाने वाला है। उनको छूट दी जाती है। आज जितने भी स्मगलर हैं चाहे वे हुण्डी का काम करने वाले हों, वे पुलिस से मिलीभगत करके छूट जाते हैं और गरीब पुलिस थाने में जाने से डरता है। आज दहेज हत्या की बात है। मेरे सीकर में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 153/95 दहेज हत्या हुई जिसमें वहां का पुलिस प्रशासन मिला हुआ है और तीन महीने के बाद आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जहां हमारी सरकार महिलाओं की रक्षा की बात करती है, बड़े-बड़े रिजर्वेशन की भी बात करती है लेकिन भंवरी देवी जो भटेरी का कांड हुआ, आप आश्चर्य करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और माननीय सदस्य उन

(श्री अमराराम)

बलात्कारियों को बचाने के लिए रैली करते हैं.... (व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल मीणा : यह बिलकुल झूठ है। आप उन गरीबों को जो 70-70 वर्ष के होकरे हैं आपको पता हो नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी वाले उन आदमियों को झूठे फंसा रहे हैं। आप कभी उस गांव में गये हैं क्या ?...(व्यवधान)

श्री अमराराम (घोद) : +++ नही है राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट में अपील की है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है और आप बलात्कारियों को बचाने के लिए प्रदर्शन करते है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री कन्हैया लाल मीणा : पुलिस इस झूठे केस में मुकदमें लेकर के.... और कम्युनिस्ट पार्टी उसको उठाना चाहती है। आप जानकारी दें उसकी कुछ। ... (व्यवधान)

श्री अमराराम : .... इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं की बात करती है, वो केवल मात्र छलावा है... (व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल मीणा : ....उस दिन वो भंवरी देवी वहां मोजूद ही नहीं है बलात्कार होना तो दूर रहा....

श्री अमराराम : .... जो बलात्कारियों को बचाने के लिए रैली कर रहे हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस भंवरी देवी के लिए उस रैली के अन्दर, जो भंवरी देवी बलात्कार का शिकार हुई उसके लिए जितने भी अपशब्द कहे गये हैं, इस माननीय राजस्थान के सदन में मैं कह नहीं सकता. (व्यवधान) जो बात की जा रही है....

श्री कन्हैयालाल मीणा : .... उन गरीबों को झूठे सी. बी. आई. ने ढाई साल जेल में बंद कर दिया गया.... आदमियों को झूठे फंसाया। वो भंवरी देवी वहां गांव में ही मौजूद नहीं थी उस दिन और उसने बलात्कार का आरोप लगाया....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : मीणा साहब बिराजिये आप। श्री हरजीरामजी बुरड़क।

श्री अमराराम : आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें अब। क्यों इन्टरवेन्शन कर रहे हैं जब आप ? समय को क्यों जाया कर रहे हैं आप ? बुरड़क साहब को बोलने दें। आपका स्थगन वो था।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, + + + शब्द का प्रयोग किया गया है।

श्री अध्यक्ष : उसको एक्सपंज कर दें।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट का समय लूंगा। सबसे पहले माननीय विद्युत मंत्रीजी का ध्यान जो पिछले बजट सत्र में यहां घोषणा की थी उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसी हाउस में करीब-करीब इसी समय आपने यहां घोषणा की थी। 21-4-95 को रात्रि को 9.40 बजे प्रोसिडिंग में लिखा है- आपने कहा है कि बुरड़क जी ने कहा था कि 10 हार्स पावर से ज्यादा की मोटरों के ही उनमें सब्सिडी समाप्त कर दी थी। इन सबको सब्सिडी मिलेगी और जिनके पैसे जमा हो गये हैं उनके बिल में एडजेस्ट कर लिये जायेंगे। यह आपकी यहां घोषणा थी। इस सम्बन्ध में मैंने आपको पत्र भी लिखा लेकिन आज तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही आपने नहीं की। इसलिए मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि आज आप इस स्थिति को स्पष्ट करें और जो पूर्व की आपकी घोषणा है उसकी अनुपालना करें। दूसरा, मेरा यह था कि मैंने पिछली बार भी....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्ति बनाये रखें। बोलने दें।

श्री हरजीराम बुरड़क : दूसरा, मेरा यह निवेदन है कि आपको मैंने कई बार अकेले में भी निवेदन किया है और इस हाउस में भी कहा है कि जो गांवों में आप घरेलू कनेक्शन देते हैं उनमें गांव वाइज प्रायोरिटी आपने कर रखी है। वो ठीक है लेकिन सब डिवीजन में एक गांव का तो आप 1995 का कनेक्शन कर रहे हो और दूसरे पास के गांव में 1993 में जिन्होंने डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा करा दी उनको नहीं कर रहे हो। कम से कम आपको साल में दो बार 6-6 महीने में रिव्यू करके एक सब डिवीजन में आपको बराबर करना चाहिए। मैंने आपको पत्र लिखा। आपने बोर्ड को भेज दिया। मेरे पास उत्तर आ गया कि हमारे पास इतने साधन नहीं हैं। इसमें कौन से साधन लगते हैं? इसमें कोई साधन नहीं लगता। अब एक गांव में तो आप 1995 के करो और एक गांव में आप 1993 के ही नहीं करो। इसमें साधन की कहां बात है। आप जो 1995 में कर रहे हैं उसको आप 1993 में करिये। इसमें आपको कहां दिक्कत हो रही है? मेरे एक सवाल के जवाब में अभी आपने कहा, मेरे क्षेत्र का गांव है खंगार, उसमें 119 कनेक्शनों के पैसे आपको 1993 में जमा कराये....

(19.00)

मैंने उसमें यह भी पूछा था कि 1993 के बाद में आपने वहां पर कोई कनेक्शन नहीं दिया, उस बात को आप टाल गये और आगे यह कह दिया कि एस्टीमेंट

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हरजीराम बुरडक)

गलत बन गया। तो एस्टीमेट फाइल वालों ने तो बनाया नहीं। जिसके नाम 1993 से पैसे जमा है उसको तो आप लिये बैठे हो और 1995 के आप कनेक्शन कर रहे हो। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि एक सब-डिविजन आप कम से कम साल में तो सबको बराबर करो। उसमें आपने यह भी लिखा कि एस्टीमेट बनाने वालों के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं। क्या कार्यवाही कर रहे हैं? जिन्होंने पैसे जमा करा दिये वे लोग जिन अधिकारियों की गलती से तीन साल तक वंचित रहें, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं? आप इसकी भी घोषणा करें।

तीसरा मेरा सवाल अकाल राहत मंत्रीजी से है। आपने पहले यहां हाउस में घोषणा की थी नवम्बर में कि हम यह काम अगले महीने में ही शुरू कर देंगे। क्या शुरू किया? पिछले महीने मैंने नागौर कलक्टर को पूछा तो कहा कि 500 आदमियों की सीलिंग आयी है। नागौर जिले में 11 पंचायत समितियां हैं और उसमें आप 500 आदमियों को काम देना चाहते हैं। बाद में जो सेंक्शन निकली वह या तो पटवारघर की है या पंचायतघर की है उनमें कौनसे मजदूर लगायेंगे? इसलिए आपको चाहिए कि फेमिन में तालाबों के या सड़कों के काम करायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि इसकी व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिनारायण जी।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, इधर भी पीड़ा है।

श्री अध्यक्ष : दोनों ही तरफ पीड़ा है। कुछ व्यक्त कर सकते हैं और कुछ अव्यक्त रहती है।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, अव्यक्त का आपको ज्ञान हो गया।

श्री हरिनारायण (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में बिजली, अकाल और पुलिस पर चर्चा हो रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बिजली की भारी समस्या रही है और बिजली की समस्या के कारण किसानों की फसलें चौपट हो गयीं इसलिए भैराण्डा कलां में एक 33 के. वी. सब-स्टेशन खोला जाय और बिजली की पूर्ति के लिए सवाई माधोपुर से श्योपुर जो 132 के. वी. की लाइन जा रही है उसमें से भैराण्डा खुर्द के अन्दर एक 132 के. वी. सब-स्टेशन बनाया जाय। उसमें लाइन नहीं डालनी पड़ेगी। जो श्योपुर जा रही है उसी से जम्पर डालकर वहां सब-स्टेशन बन सकेगा। भूरी पारड़ी और डूंगरी ऐसे गांव हैं जहां पर माननीय तत्कालीन मंत्री हरलालसिंह जी खर्रा ने उद्घाटन किया था किन्तु आज भी उस गांव में बिजली नहीं है। उस समय वह बल्ब न जाने कैसे जला दिया, यह पता नहीं है। कम से कम 20 गांव ऐसे हैं जहां की बिजली की लाइन चोरी हो गयी और तारों का पता नहीं है और गांव वाले इस समस्या में उलझे हुए हैं, मतलब उनको बिजली नहीं पहुंच रही है।

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति बनायें। जब आप करने ही बैठे हैं, एक घण्टा और ले रहे हैं तो कृपया सुनें। बोलो आप।

श्री हरिनारायण : जिन गांवों में बिजली है, अनुसूचित जाति की पंचायतें हैं उस कस्बे के अन्दर या गांव के अन्दर लाइन है लेकिन पास की पास ही अनुसूचित जाति की जो बस्तियां हैं, अलग से उनमें बिजली नहीं है। उनकी फाइलें भी जमा हैं कृपया ऐसी बस्तियों के अन्दर डिमाण्ड नोटिस निकला कर बिजली लगवायी जाय ताकि हरिजन बस्तियों के अन्दर बिजली पहुंच सके।

इसी प्रकार सिंचाई के साधनों की भी मेरे क्षेत्र में बहुत कमी है। सूखा सम्भावित क्षेत्र है और वर्षा के ऊपर ही आधारित रहता है। दो बड़ी नदियां चम्बल और बनास मेरे विधान सभा क्षेत्र में होकर बहती हैं। उनका सारा पानी समुद्र में चला जाता है और पूरा का पूरा क्षेत्र सूखा का सूखा रहता है। दो ही योजनाएं हैं, एक वृहद इन्दिरा जलोत्थान सिंचाई योजना, दूसरी पीपल्दा जलोत्थान सिंचाई योजना पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर ली गयी हैं अतः इन दोनों योजनाओं को जल्दी से जल्दी चालू करवाया जाय और बनास और चम्बल नदी से मिनी लिफ्ट इरिगेशन योजनाएं चालू की जायं। पूर्व में जो योजनाएं चालू की गयी थीं उनमें डीजल के पम्पसेट लगा रखे हैं उनको बन्द करके वहां पर बिजली की मोटरें लगवायी जायं तथा वहां तक की लाइन सरकार द्वारा लगवायी जाय।

श्री अध्यक्ष : बनवारीलाल जी बैरवा। आप बोल रहे हैं?

श्री हरिनारायण : हां, बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट और। नहीं, मैं बोलने से मना नहीं कर रहा हूं। आप बोलते बोलते रुक मत जाना।

श्री हरिनारायण : एक बांध की योजना प्रस्तावित है, यह एक गम्भीर बात है कि उस पर टाइगर प्रोजेक्ट के जो अधिकारी हैं उन्होंने फिर आपत्ति लगा दी है कि इससे बांध परियोजना को नुकसान पहुंचेगा, उस पानी से वहां की वनस्पति को नुकसान पहुंचेगा। जब पानी भरेगा, तालाब बनेगा तो वहां पर जंगली जानवर भी पानी पीयेंगे, वनस्पति भी हरी-भरी रहेगी। वन क्षेत्र के जो अधिकारी हैं, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने हां की है कि वाकई में यह बांध बनना चाहिए था। इसलिए इस बांध को बनाया जाय।

एक प्रस्तावित बांध और है जो बनास नदी के ऊपर ईसरदा में है। इसको भी बंधाया जाय क्योंकि कई बार यह सुनने में आया है कि पूर्वजों के टाइम में संवत् 1956 में और 1996 में एक बून्द भी पानी नहीं बरसा। अब भगवान ऐसा न करे लेकिन ऐसी स्थिति आ जाय और हमारे सारे कुओं का जल स्तर सूख जाय, हैण्डपम्प सूख जायं तो पीने का पानी

(श्री हरिनारायण)

नहीं रहेगा, सिंचाई के साधन नहीं रहेंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बांध बनाकर बरसात के पानी को रोका जाय जिससे वह पानी पेयजल और सिंचाई के कामों में आ सके।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में सावंटा एक ऐसा स्थान है जहां पर दोनों तरफ बड़ी-बड़ी पहाड़ियां हैं और बीच में नदियां होकर निकल रही हैं। इस पानी को भी रोका जाय। कम खर्चे में बांध बन सकता है।

अब मेरा पुलिस व्यवस्था के बारे में निवेदन है। आज पुलिस के जो थाने हैं उन थानों में गाड़ियां नहीं हैं इसलिए उनको जीपें अलाट की जायें। आपने पंचायत राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति को भागीदारी तो दे दी लेकिन जो अनुसूचित जाति के सरपंच हैं उनके साथ में कितना अत्याचार हो रहा है? फलौदी पंचायत के अन्दर अनुसूचित जाति की महिला सरपंच है उसके पति के नाली निर्माण करते समय दोनों पैर तोड़ दिये गये। पुलिस ने उसके ऊपर कुछ नहीं किया। इसी तरह गोटड़ा पंचायत के अन्दर सरपंच को सवर्ण जाति वालों ने पीटा। दूसरे सरपंच को जब काम सम्भालने गया तब पीटा। इसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। इसी प्रकार झीरी पंचायत समिति, मनोहरथाना, झालावाड़ के अन्दर एक अध्यापिका कार्यरत है वह अनुसूचित जाति की है, अविवाहित है, वहां के हैड मास्टर ने उसको 3-4 बार अन्दर बन्द कर दिया। उसके बाद असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर उसका शोषण करने की कोशिश की। उसने पुलिस थाने में रिपोर्ट करवायी। रिपोर्ट करवाने के बाद उन्होंने उसका प्रतिकार किया। गांव की 30-40 महिलाओं को लेकर उसको पिटवाया, अपमानित किया। उसको ढेड़ और चमारी कहकर अपमानित किया। अब वह 8 महिने से विद्यालय में नहीं जा रही है। पुलिस ने उसकी रिपोर्ट पर एफ. आर. लगा दी। डी. आई जी. कोटा ने उसको रि-ओपन करके एक मुलजिम को गिरफ्तार किया। उन मुलजिमों को गिरफ्तार करवाया जाय और उस महिला अध्यापिका को न्याय दिलवाया जाय। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बनवारीलालजी बैरवा।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : माननीय अध्यक्ष जी, 4 नवम्बर को माननीय मुख्य मंत्रीजी जब वनस्थली गये थे उस समय मैं भी वहां गया था। सब कार्यक्रम से निपटने के बाद जब उनको विदा किया तो मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया कि अकाल की स्थिति हमारे जिले में आ चुकी है और फसलें सब नष्ट हो गयी हैं। तो अपनी विशेष शैली में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि भाई, आप लोग यह अकाल की मानसिकता बदलिये। मैंने कहा, मेरी बात आप न मानें, आपका जवाब देने का विशेष ढंग है तो आप अपने कलक्टर और अपने अधिकारियों से बात कर लीजिये। उन्होंने उसी समय कलक्टर से बात की। उन्होंने कहा, साहब, वाकई बहुत बुरी हालत हो गयी है। तो उनका मैं अनुग्रहीत हूं इस बात के लिए कि वे वापस जयपुर आने वाले थे हेलीकाप्टर से,

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

उन्होंने कहा, भाई, मैं बीसलपुर का दौरा भी करके आना चाहता हूं। चूंकि वे यह देखना चाहते थे कि वाकई ऐसी स्थिति हो गयी है क्या। तो उन्होंने यहां आकर आर्डर दिये और जांच हुई तो 97 प्रतिशत हमारे गांवों में खराबा मिल गया। हमारे वहां अकाल की बहुत बुरी हालत है। मैं बार-बार जिले के अधिकारियों को कहता रहा कि यहां आप काम खोलिये, बहुत बुरी हालत हो रही है। इसी बीच में किसानों ने दूसरी फसल बोयी वह कुछ खड़ी हुई तो एक तो शीतलहर मार गयी, शीत लहर मार गयी तब उसको पानी पिलाकर थोड़ा तैयार किया तो उसके बाद में 26 फरवरी को भयंकर ओलावृष्टि हुई और सौ-सौ, दो-दो सौ ग्राम तक के ओले पड़े। मैं स्वयं उस इलाके में जाकर अपनी आंखों से देखकर आया हूं, माननीय अध्यक्ष जी, आप खेतों के अन्दर जाकर फसल को देखें तो ऐसा लगता था कि कहीं फसल बोई ही नहीं है। चना नहीं है, गेहूं नहीं है, सरसों नहीं है, सब सपाट हो गया। यह स्थिति हो गयी कि वहां के काश्तकार खड़े हुए अपने खेतों में रो रहे थे और, निश्चित रूप से वहां शायद 2-4 तो बेहोश हो गये। हालात ऐसे हो गये थे और खास तौर से परेशानी यह हो गयी कि आजकल काश्तकार गेहूं अपने काम जितना बोते हैं, अब गांव के अन्दर स्थिति यह बन गयी है कि जिनके पास पहले 100-100, 200-200 मन गल्ला पड़ा रहा करता था उनके पास भी नहीं है। अगर वह अपने भाइयों को, अपने साथियों को दे तो वह भी कहां से दे? आज वहां स्थिति बहुत खराब हो गयी है। सरकार जो मुआवजा दे रही है वह मुआवजा बहुत कम है, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, वह तो आप सबको जानकारी है। मेरा, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि जो नार्म्स पहले बने थे उन नार्म्स को चेंज कर लीजिए। यह तो है नहीं कि वह गीता, कुरान के शब्द हैं जो बदले नहीं जा सकते। समय-समय पर तमाम चीजों को रिव्यू किया जाता है और उनको अमन को बदलना चाहिये। कम से कम इतना जरूर देना चाहिए कि जो उसकी फसल की लागत है। पैदा तो आप दे नहीं सकते लेकिन लागत-लागत का पैसा आपको निश्चित रूप से उनका तय करना चाहिये और वह उनको मुआवजा देना चाहिये।

जहां तक काम धन्धे का सवाल है, मेरा निवेदन करना है कि एक तो वहां पर अनाज की व्यवस्था तत्काल की जाय, पानी की व्यवस्था की जाय और चारे की की जाय क्योंकि चारा तो बिलकुल ही नष्ट हो गया। जब वहां कुछ रहा ही नहीं तो चारे का क्या सम्बन्ध बैठता है। जो जानवर है उनको कैसे जिन्दा रख पायेंगे? लिहाजा वहां चारे के डिपो खोले जायं और पानी के लिये हैंडपम्प की व्यवस्था कराई जाय। यह व्यवस्था तो खास तौर से उस इलाके के अन्दर की जाय। कम से कम 60 गांवों की हालत खराब है। बनास से लगा कर मोरेल तक पूरा का पूरा एरिया साफ हो गया, बिलकुल नष्ट हो गया। तो यह तो मुझे अकाल और ओलावृष्टि के सम्बन्ध में बात अर्ज करनी थी।

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

इसके साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं कि गये साल में जो ओलावृष्टि हुई उसमें रूपवास के अन्दर भी खूब ओलावृष्टि हुई थी और अबकी उसके ऊपर ओला नहीं पड़ा लेकिन ओले से भी ज्यादा गजब पड़ गया कि औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर वह घोषित हो गया। वहां पर साढ़े चार सौ बीघा जमीन काश्तकारों की, कुछ सरकार के चरागाह वगैरह को मिलाकर तय किया कि यह औद्योगिक क्षेत्र के लिये दे दी जाए। अब ठीक है जो तय सरकार ने करा वह कर ही दिया लेकिन हमने कहा कि उसके लिये जो उनको मुआवजा देना है वह मुआवजा तो कम से कम कायदे का दे दिया जाए। उसके लिये गांव के सब लोगों ने मिलकर उनसे यह कहा कि इसका आधार रजिस्टरी होती है, इसका बेचान हो गया है, 1994 में यह फैसला हुआ कि औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाए और 1992 की रजिस्टरी हमने वहां पर पेश की....

श्री अध्यक्ष : कृपया आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्री बनवारी लाल बैरवा : हां, मैं खत्म कर रहा हूं।

38 हजार रुपये प्रति बीघा के हिसाब से यह मुआवजा दिया जाए। चूंकि वह तो 2 साल पहले की रजिस्टरी थी और वह नहीं दिया गया तो हमारे वहां के जो काश्तकार हैं, जिनकी 370 बीघा जमीन है वह सब बरबाद हो जायेंगे, तबाह हो जायेंगे और आप मामूली-मामूली पैसा देकर रवाना करेंगे तो इसके अन्दर वह जमीनें भी नहीं खरीद पायेंगे और उनकी परेशानियां बढ़ती चली जायेंगी।

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय गृह मंत्रीजी जवाब देंगे, मैं समझता हूं कि वह शायद बात ही यहां से चालू करेंगे कि न्याय और कानून की व्यवस्था बिलकुल सही है। यह अपना औचित्य देख लें। मैं कुछ घटनाएं आपके सामने पेश कर रहा हूं उसकी शर्त देख लें कि आपका कहना कहां तक वाजिब होगा। थाना निवाई के अन्दर दिसम्बर, 1994 की बात है, एक केस दर्ज हुआ। 390/94 केस का नम्बर है। एक बनिये की दुकान में से कुछ ड्रम लुढ़क कर आये। उसमें बहुत ज्वलनशील पदार्थ थे। वहां पर एक दम विस्फोट हुआ और भयंकर विस्फोट हुआ। मौके पर 3 आदमी मारे गये। उसके लिये आज तक उनका चालान इसलिए पेश नहीं हो पाया कि एफ. एस. एल. से रिपोर्ट नहीं आ पाई। मैं, माननीय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले को देखिए।

दूसरी बात, मेरे फार्म के अन्दर 23 मई को मर्डर हो गया। मेरे यहां पर जो काम करने वाला आदमी था उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गयी उसकी आज तक कोई जानकारी नहीं हो पाई। 2 नवम्बर को बरोनी थाने के बराबर एक किलोमीटर के फासले पर एक हरिजन महिला की हत्या कर दी गयी उसका आज

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

तक कोई पता नहीं। बद्री महाराज जो उनियारा का रहने वाला था, उनियारा थाने में वह केस दर्ज है, उसको ट्रक से कुचल कर मार दिया गया उसका आज तक कोई पता नहीं कि उसका क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किस ने मार दिया उसको। इसी तरीके से, माननीय, अभी बहुत ताजा घटना आपके सामने बता रहा हूं, चूंकि अब कानून और व्यवस्था की बात आ ही गयी है, कहां तक औचित्य होगा उसका, यह डांगरसल का मामला है, सम्पत नाम की एक लड़की है, 8 साल की, मीणा जाति की अनुसूचित जन जाति की, उसके साथ बलात्कार हुआ और बलात्कार के बाद वह लड़की बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद जब उसको होश आया तो उसने अपने घरवालों से आकर बात की। उन्होंने जाकर उसका केस दर्ज करा दिया। पुलिस की इस तरह की नेग्लीजेंसी का उन लोगों को पहले पता लग गया, वे लोग आज तक पकड़े नहीं गये।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। मेरी लिमिटेशन्स हैं। आप बिराजें। आप मंत्रीजी से बात कर लें। पाटीदार जी।

श्री बनवारी लाल बैरवा : एक मोती बैरवा है समराव का। उसका और एक गुर्जर का कुआं शिरकत में है। दोनों का आधा-आधा पिलाने का अधिकार था।

श्री अध्यक्ष : वे सब बातें अभी याद तो रहेंगी नहीं। अभी आप जाकर बात कर लें। पाटीदार जी। आप बिराजें। माननीय, फिर आप कहेंगे कि समय समाप्त हो गया, खतम हो गया। आप चाहते तो 3 मिनट में कह सकते थे सारी बात।

श्री बनवारी लाल बैरवा : एक मिनट और, माननीय अध्यक्ष महोदय। मेरे इलाके में तीन डकैती हुई। एक भीमा मीणा की हत्या हो गयी, गुराइ में डकैती हो गयी, वनस्थली में डकैती हो गयी। उन तीनों डकैतियों में आज तक कोई मुलजिम नहीं पकड़ा गया। एस. सी, एस. टी के जितने केस दर्ज हो रहे हैं उन सबमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश यह रहती है कि एफ. आर. लगा दी जाए। क्योंकि तफ्तीश कुनिन्दा आफिसर की सहानुभूति उन हरिजनों, अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ नहीं है। यह मेरा अर्ज करना था।

श्री अध्यक्ष : विराजें। पाटीदार साहब। बिराजें अब आप।

श्री बनवारी लाल बैरवा : एक मिनट और बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब एक मिनट का ही तो टंटा है। पूरे दस मिनट बोले हैं आप। मेरा भी लिमिटेशन्स हैं। एक घण्टे का समय दिया है। अब इधर से और माननीय सदस्य बोलेंगे फिर मंत्री साहिबान भी जवाब देंगे। अब आप खुद ही अकेले दस मिनट बोल जायेंगे और 25 माननीय सदस्यों ने कहा तो 25-25 के हिसाब से एक घण्टे में एक-एक मिनिस्टर साहिबान

(श्री अध्यक्ष)

जवाब देंगे, एक बज जायेगी। बिराजें आप।

श्री बनवारी लाल बैरवा : मेरे निवाई क्षेत्र के अन्दर जो हरिजन बस्तियां अलग से बस गयी हैं, 18 गांव जो अभी तक विद्युतीकृत नहीं हुए हैं, मेरा निवेदन है कि उनको विद्युतीकृत कराया जाए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे झालावाड़ जिले में 129 गांव अकालग्रस्त घोषित हुए हैं....

श्री अध्यक्ष : संक्षिप्त में बात कहिए आप।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार : बहुत संक्षिप्त में बोल रहा हूं, साहब।

लेकिन अभी 1000 श्रमिक आवंटित हुए हैं जिसकी वजह से कितने ही गांवों में हम राहत कार्य प्रारम्भ नहीं करा सके हैं। मैंने माननीय मंत्री महोदय को लिख कर भी दिया है और आपके माध्यम से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1000 श्रमिकों के बजाय उस जिले में 2000 श्रमिक आवंटित करें ताकि हम सारे गांवों में अकाल राहत के कार्य प्रारम्भ करा सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले में और मेरे पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में इस बार तीन प्राकृतिक आपदाएं घटित हुईं। पहली अनावृष्टि से अकाल, दूसरी शीतलहर के भयंकर प्रकोप से इस क्षेत्र की, विशेष कर मेरे पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र की 50 से 75 प्रतिशत फसलें जलकर नष्ट हो गयीं, जिनका मैंने कलक्टर साहब को भी लिख करके दिया और उन्होंने सर्वे भी कराया है। उसमें विशेष कर अफीम की फसल को नुकसान हुआ है जिसकी वजह से किसानों को अपने पट्टे जाने का खतरा पैदा हो गया है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि किसानों के पट्टे बरकरार रह सकें, ऐसी कोई कार्यवाही इस सदन के माध्यम से पिड़ावा क्षेत्र और झालावाड़ जिले के अफीम के काश्तकारों के प्रति करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत के बारे में भी थोड़ा-सा बताना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में 33 के. वी. जी. एस. एस. के 5 सब-स्टेशन स्वीकृत हैं। उनमें से एक अभी कार्य रूप में परिणत हुआ है बाकी चार में सामान के अभाव में कार्य शुरू नहीं हुआ है। एक जी. एस. एस. कम्पलीट पड़ा हुआ है किन्तु मात्र कियोस्क की कमी की वजह से उस सब-स्टेशन को हम चालू नहीं कर पा रहे हैं। मेरा माननीय विद्युत मंत्री महोदय से अनुरोध है कि मेरे यहां के जो शेष चार 33 के. वी. के जी. एस. एस. हैं उनमें जो सामान कम है उसकी आपूर्ति करवाई जाए ताकि वह सब-स्टेशन चालू हो सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि शायद पूरे राजस्थान में नहीं तो झालावाड़ जिले में तो वन पोल, टू पोल के जो कनेक्शन दिये गये थे और कनेक्शन भी हो चुके हैं, साल-साल, 6-6 महीने हो गये हैं....

श्री अध्यक्ष : बारां से कितना दूर है झालावाड़ ? बिराजें आप । पास में बात कर लें आप, बिराजें आप । श्री शंकरलाल जी ।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार : एक मिनट, साहब । बारां का मतलब नहीं है, साहब, मैं पूरे राजस्थान की बात कह रहा हूं । मेरे यहां वन पोल, टू पोल में कनेक्शन दिये गये थे और कनेक्शन भी हो चुके हैं लेकिन साल भर बाद, 6 महीने बाद अब विद्युत विभाग से ऐसे नोटिस आ रहे हैं कि आपके एक पोल से 300 फीट से 10 या 15 फीट, 20 फीट की ज्यादा दूरी है इसलिए एक पोल चार्ज आप और जमा करायें । 9-9 हजार रुपये के उनको नोटिस दिये गये हैं । यह किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है इसको रोका जाये ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अन्तिम निवेदन और है ला एण्ड आर्डर के ऊपर । मेरे एक कार्यकर्ता हैं, मण्डल उपाध्यक्ष हैं, उनके मामा सीकर जिले के पाटन थाने के इलाके में रहते हैं । उनके मामाजी के लड़के को कुछ बदमाश, गले में बेल्ट बांधकर कुएं में लटकाकर मारने के लिए, पकड़कर खींच कर ले गये । वहां बस से कुछ सवारियां उतरकर आयी थीं उन्होंने उसको छुड़वाया । इस बाबत मैंने गृह मंत्रीजी से निवेदन किया । गृह मंत्रीजी ने तत्परता दिखाते हुए, डीआईजी उस समय आपके पास ही विराजमान थे, उनसे कहा । डीआईजी ने सीकर एस. पी. को टेलीफोन किया । सीकर एस. पी. ने भी निश्चित रूप से पाटन के थानेदार से कहा होगा लेकिन उस थानेदार ने कोई कार्यवाही नहीं की । वह उन बदमाशों से मिला हुआ है । वे बदमाश अभी भी गांव में आजादी से घूम रहे हैं । अभी तीन दिन पहले मेरे पास फरियादी पार्टी का टेलीफोन आया था कि....

श्री अध्यक्ष : अब बिराजें आप । बात कर लेना आप । बिराजें । माननीय शंकर लालजी अहारी ।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार : मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि अपराधियों को तुरन्त गिरफ्तार करवाया जाए ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी समय हो गया है, अब जवाब दिलवाइये ।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षिप्त में कहूंगा, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद ।

मैं आपके माध्यम से माननीय अकाल राहत मंत्रीजी का ध्यान डूंगरपुर जिले की ओर ले जाना चाहता हूं । डूंगरपुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है जिसमें 850 गांव हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब बोलने दें । टोका-टाकी न करें, समय लिमिटेड है ।

श्री शंकरलाल अहारी : उस आदिवासी क्षेत्र की जनसंख्या 6 लाख के लगभग है । वहां मजदूरी के अभाव में काफी लोग

(श्री शंकरलाल अहारी)

गुजरात पलायन कर चुके हैं। मैं तो आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में वहां मजदूर लगाये जायं। माननीय अकाल राहत मंत्रीजी ने 22 हजार मजदूरों (व्यवधान) की स्वीकृति दी है। माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय अकाल से डूंगरपुर जिला जूझ रहा है और ऐसी परिस्थिति में कम से कम 50 हजार की स्वीकृति और देवें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री शंकरलाल अहारी : नहीं-नही, ऐसा नही होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर जिले में अकाल में जो कुएं लिये गये थे उन कुओं पर काम करवाया जाए और जीवनधारा के जो कुएं हैं उन पर भी काम करवाया जाए। वहां के जो पूर्व में अधूरे काम हैं, जैसे सड़कें हैं, तालाब हैं, नहर हैं, स्कूल भवन हैं उनका भी काम करवाया जाना चाहिये। अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हमारे वहां एक ही तरीका है कि भू-संरक्षण के माध्यम से अधिक से अधिक काम करवाये जाएं। भू-संरक्षण विभाग, वन विभाग और बहल परियोजना के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा काम करवाये जाएं।

डूंगरपुर जिले में हैण्डपम्प से पीने के पानी की अव्यवस्था हो रही है। डूंगरपुर पंचायत समिति में 50 हैण्डपम्प खराब हैं, बिछवाड़ा पंचायत समिति मे 85 हैंडपम्प खराब है, सागवाड़ा पंचायत समिति में 120 हैण्डपम्प खराब हैं, आसपोत पंचायत समिति में 232 हैण्डपम्प खराब हैं, सिमलड़ा पंचायत समिति में 316 हैण्डपम्प खराब हैं। इस ढंग से 803 हैण्डपम्प वहां खराब हैं। मैं आपके माध्यम से इस अकाल में पीने के पानी की जो भयंकर समस्या आयेगी उसे दूर करने के लिए निवेदन करता हूं। इसको भी ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। माननीय कमलजी। (व्यवधान)

श्री हीरालाल सहरिया : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट में सब बात कह दूंगा।

श्री अध्यक्ष : क्या ? (व्यवधान) मैं अभी उन्हीं माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा जो रेयर ही बोलते हैं। आप बिराजिये।

श्री हीरालाल सहरिया : हम तो बोलते ही नहीं हैं, साहब। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी तो बैठिये।

श्री हीरालाल सहरिया : हम तो बोले ही नहीं हैं।

श्री शंकरलाल अहारी : अकाल के समय में चारे की व्यवस्था रहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो पहली बार बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : इसलिए ही बुलवा रहा हूं। बोलिये, आप जल्दी करिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का मौका दें।

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूपजी, डिस्टर्बेंस न करें। आप बैठ जाएं। क्या बार-बार खड़े हो जाते हैं आप। (व्यवधान) विराजे जाएं।

श्री शंकरलाल अहारी : डूंगरपुर जिले के लिये चारे की व्यवस्था करवायी जाए ताकि मवेशी उसको खाकर जी सकें। डूंगरपुर जिले में सड़को का पहले जो डामरीकरण किया था वह इस समय बिलकुल उखड़ गया है, खड्डे पड़ गये हैं। मंत्रीजी से निवेदन है कि ऐसी सड़कों पर ध्यान देवें। जैसे डूंगरपुर से पीठ रोड, सिमला से माण्डली रोड, से सग्तुना रोड, झोंतरी से सुरादा और थाने से मेवाड़ा रोड। इस सड़कों की हालत बहुत खराब है। वहां वाहन चल नहीं सकते। तो इस परिस्थिति को गम्भीर मानते हुए उस काम को हाथ में लेवें।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये। शंकरलालजी, बिराजें। कमलजी।

श्री शंकरलाल अहारी : आपसे मेरी यह प्रार्थना है कि इन्दिरा आवासीय योजना (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब बिराजिये।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का मौका दीजियेगा। मेरा एडजोर्नमेंट मोशन है और मेरे इलाके में अकाल की, बिजली की, सबकी स्थिति खराब। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराज जाएं। सबको दे रहे हैं, आप बीच में ही डिस्टर्बेंस करके बहुत गड़बड़ कर देती हैं। अब आप बिराज जाएं शंकरलालजी बैठ जाएं आप। कमलजी।

श्री कमल (हिण्डौन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन से सम्बन्धित कानून-व्यवस्था के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, हिण्डौन विधान सभा क्षेत्र आज सबसे ज्यादा संवेदनशील बना हुआ है। वहा हर महीने एक-दो मर्डर होते रहते हैं और पुलिस नाकाम बनी हुई है। कुछ दिन पहले हिण्डौन के पास एक गांव में दो जाटवों की हत्या कर दी गयी। उससे कुछ दिन पहले, होली से एक या दो दिन पहले सिमरोदा ग्राम में भी एक ब्राह्मण की हत्या कर दी गयी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति बनायें रखें। बोलने दें इन्हें।

श्री कमल : चूंकि जहां ब्राह्मण की हत्या हुई वहां अभी तक कोई सहायता की घोषणा नहीं हुई है तो मैं चाहूंगा कि सरकार उसको भी सहायता दे जैसे कि जाटवों की हत्या में सहायता दी गयी है। हिण्डौन में एस. सी., एस. टी. अत्याचार निवारण एक्ट के तहत कई केस दर्ज होते हैं परन्तु पुलिस कार्यवाही न करके दबाव डलवाती है और उनमें समझौता करवा देती है जिसके कारण चालान नहीं होता और दोषियों को दण्ड नहीं मिलता है। टोडाभीम तहसील के एक गांव पीलवा में पिछले दिनों एक औरत को पीटा जो कि अनुसूचित जाति की थी। उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया जिसका

(205)

(श्री कमल)

केस हिण्डौन से दर्ज किया गया परन्तु चालान नहीं हुआ और दबाव में समझौता करवा दिया । तो मैं चाहूंगा कि उसको रि-ओपन किया जाए और दोषियों का तुरन्त चालान कराया जाए ।

क्षेत्र में ला एण्ड आर्डर की जो व्यवस्था खराब हुई है उसके पीछे कई कारण हैं । हिण्डौन के जितने भी पड़ौसी क्षेत्र हैं वहां सस्ती शराब बिकती है । गांव वाले खरीद खरीद कर ले जाते हैं और उसको अवैध तरीके से बेचते हैं । गांवों में आथोराइज्ड दुकानें बिलकुल कम हैं परन्तु प्रत्येक गांव में दुकानें लगी हुई हैं । कोई उनको रोकता नहीं है अतः मेरा निवेदन है कि इस मामले में तुरन्त कार्यवाही कर ऐसी समस्त दुकानों को बन्द कराया जाए और उन पर तुरन्त कार्यवाही की जाए ।

बिजली के बारे में मेरा कहना है कि सूरोत में एक जी. एस. एस. की जो स्वीकृति होनी है, बहुत दिनों से लम्बित पड़ी हुई है उसके बारे में आवश्यक कार्यवाही कर तुरन्त स्वीकृत करा कर निर्माण करवाया जाए ।

अकाल के बारे में कहना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के करीब 15 गांवों में फसलों को ओलों ने बिलकुल नष्ट कर दिया है और करीब दो-ढाई हजार जानवर भी उसमें मरे हैं परन्तु समुचित सहायता अभी तक नहीं दी गयी है । मैंने इस सम्बंध जिला कलक्टर को पत्र भी लिखा है । अतः जल्दी से जल्दी उनको राहत प्रदान की जाए ।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : पारीक जी ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, बहुत समय हो गया है, जवाब दिलवायें । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें । मैं अभी 5-5 मिनट में सब करा देता हूं । आप बिराजिये ।

श्री रतनलाल ताम्बी : मेरा स्थगन प्रस्ताव था, आपने व्यवस्था दी थी कि अकाल की चर्चा में भाग लें । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्यों को जाना है, (व्यवधान) अब जवाब दिलवायें (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व : अब आधा घण्टा रह गया है, आप कह रहे हैं कि करवा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें । मैं अभी करवा रहा हूं ।

श्री रतनलाल ताम्बी : आपने व्यवस्था दी थी ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 3-3 मंत्रियों के उत्तर होने हैं अभी । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें ।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव पर आपने व्यवस्था दी थी ।

श्रीमती कमला : बोलने से रोकने के लिए आप क्यों ताकत लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। दो मिनट में बात कहें अपनी।

श्री रामस्वरूप मीणा : जनता + + + मर रही है। (व्यवधान) परेशान हो रही है ...

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजिये। रामस्वरूपजी, एक घण्टा तो रोज आप ही खराब कर देते हैं सबका। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : क्यों रोकते हैं आप ? क्या बात करते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक-एक मिनट में जो कहना है, आप फटाफट कह दें। राजेन्द्र जी।

श्री जुबेर खान : आप लोगों को तकलीफ इसलिए हो रही है कि सी. एम. साहब ने खास तौर से कहा होगा कि आखिर तक रहना है, इसलिए भगना चाह रहे हो।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजिये, राजेन्द्र जी बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट आप सुन लें। बड़ी कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : कृपया, आप चालू रखें। ऐसे ही होता है यह तो, आप तो चालू रखें।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में लॉ एण्ड आर्डर पर बड़ी विशद चर्चा हुई। यूं दर्शाया गया जैसे राजस्थान की पुलिस जो है, वह मात्र क्राइम्स करने के लिए ही बनी है और उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे राजस्थान की जनता को कहीं कोई लाभ पहुंचा हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बैठकर हम केवल किसी पर आक्षेप ही लगाते रहे, मुझे यह बात कुछ कम जंची। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति बनाये रखें।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय रोहिताश्वजी और राजेन्द्रजी दोनों खड़े हुए और उन्होंने इस बात के लिए व्यवधान डाला कि मैं नहीं बोलूं लेकिन इनको शायद इस बात का इल्म नहीं था कि मैं कहीं कोई इर्रेलेवेंट बात बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं तो उन व्यक्तियों में से था जिसने बहुत पहले ही कहा था कि आप यहां से छुट्टी करिये ताकि घर जायं लेकिन सुबह से सायंकाल जब एक ही एक बात सुनी तो यूं महसूस हुआ कि पुलिस का जो चरित्र यहां पर हम लोगों ने पेश किया है उससे गया-गुजरा चरित्र और कोई हो नहीं सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस जो कुछ भी है, वह हमारे

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

समाज का परिदृश्य है। समाज ने जैसे व्यक्ति पुलिस में भिजवाये हैं वैसे ही काम होते रहेंगे। पुलिस के इर्द-गिर्द जैसा परिवेश बना हुआ है उसी का परिणाम है कि पुलिस कई बार क्राइम्स में स्वयं सम्मिलित हो जाती है। मैं बहुत लम्बा चौड़ा भाषण देने की बजाय चंद बातें कहूंगा। बलात्कार पर, मर्डर पर तो बहुत चर्चा हो गयी और मैं भी आपको यह बताऊं, साहब, मेरे सीकर में भी दो मर्डर हुए, एक बलात्कार हुआ था, यह हुआ था, वह हुआ था, हो रहा है। जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, क्राइम्स भी उसी अनुपात में बढ़ रहे हैं। खास तौर से उस हालत में और भी बढ़ रहे हैं जब सड़कों से इतने साधन हमने उपलब्ध करवा दिये कि कोई भी आदमी क्राइम्स करेगा और तेज गति वाले वाहन में बैठकर वह रफूचक्कर हो जायेगा, आपके हाथ नहीं आयेगा। तो यह सारे कारण तो हैं ही, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आज वे स्वयं उपस्थित होकर थाने की स्थिति का अवलोकन करें। थानों में आप जब स्वयं जाकर देखेंगे तो जिस हालात में और जिस परिस्थिति में थाने में आपका कांस्टेबल और कर्मचारी रहता है, मैं समझता हूं, वह ऐसा वातावरण है कि उनको क्राइम्स के लिए रात में प्रेरित करता है। ज्यों ही रात होती है वह कर्मचारी स्वयं क्राइम्स की ओर अपने आपको थोड़ा-सा यूं उकसाया हुआ-सा महसूस करता है। तो एक तो आपके जहां-जहां भी थाने हैं वहां पर आप यह सुनिश्चित करें, भले ही इसका आर्थिक भार बढ़े लेकिन उन थानों में आप कुछ रिहायश की व्यवस्था करिये। खास तौर से जो एस. एच ओ. है उसके जो सैकिण्ड आफिसर हैं, जब परिवार उन लोगों का रहेगा तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप निश्चित मानें कि जो क्राइम्स, पुलिस के थाने में हो जाता है, जैसे जुगताराम का प्रकरण हो गया, कहीं पर रेप का प्रकरण हो गया, इस राजस्थान में जुगताराम जैसे प्रकरण पर और रेप केसेज पर और थानों में जो खास तौर से मौतें होती हैं उन पर निश्चित रूप से पाबन्दी लगेगी।

दूसरा, यह रात को शराब पीकर जो उत्पात करते हैं उन पर कड़ी से कड़ी पाबन्दी होनी चाहिये और उन पर लायबिलिटी फिक्स की जानी चाहिये कि यदि रात को थानों में कोई भी दारू पिया हुआ मिल जाता है तो उस पर कड़ा एक्शन होगा। इसके साथ ही, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा-सा निवेदन और करूं कि थानों की जो दूरी है वह इतनी है कि आदमी समय पर वहां पर पहुंच ही नहीं पाता। टेलीफोन की व्यवस्था नहीं होती है। वायरलैस से तो केवल पुलिस का कनेक्शन है, पुलिस ने एक थाने से दूसरे थाने में वायरलैस कर दिया, बात हो गयी। लेकिन कहीं मेरे इर्द-गिर्द कोई क्राइम हुआ और मैं यदि यह चाहूं कि फलां थाने में मुझे सूचना देनी है और उस थाने में यदि टेलीफोन की सुविधा नहीं है तो मुझे व्यक्तिशः जाकर ही उस थाने में अवगत कराना होगा। इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। तो कृपया आप यह

(श्री राजेन्द्र पारीक)

सुनिश्चित करें कि हर थाना, भले ही वह कितने ही रिमोट में हो, में टेलीफोन की व्यवस्था होनी चाहिये। आज जिस तरह से टेलीफोन की जो हमारी व्यवस्था बनी है, ऐसी कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है कि हम थानों में टेलीफोन की व्यवस्था नहीं कर सकें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक बात और कहूंगा।

श्री अध्यक्ष : अब आपने एक घंटे का समय दिया है।

श्री राजेन्द्र पारीक : अकाल के........ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप एक घंटे तक रोक करना चाहो तो बात अलग है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : आपने रूलिंग दी हुई है कि जिनका एडजोर्नमेंट मोशन है वे बोलेंगे। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : पार्टी के व्हिप अलग नाम देते हैं। पार्टी का यह अलग होता है। अब कितने लोग बोलेंगे आप ?

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज): अध्यक्ष महोदय, दो मिनट का समय हमें दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। मंत्रीजी, बोलें आप।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, आपकी खुद की रूलिंग दी हुई है कि जिन लोगों के एडजोर्नमेंट मोशन हैं उनको आज के दिन बोलने का मौका दिया जायेगा प्राथमिकता से। प्राथमिकता तो गयी कहीं की कहीं, आप बोलने का मौका भी नहीं दे रहे हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूपजी, हर समय आप खड़े हो जाते हो। रोजाना एक-एक घंटे तक बोलते हो। क्या बोलना चाहते हो आप ?

श्री हीरालाल सहरिया : माननीय महोदय, हमारे किशनगंज विधान सभा क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की जो चर्चा चल रही है, उसके बारे में आपको.... (व्यवधान)

श्रीमती कमला : यह बहुत गलत बात कर रहे हो आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्रीमती कमला : यह बहुत बुरी बात है। बहुत गलत बात हो रही है। आपको दिये हुए निर्णय पर....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं उन माननीय सदस्यों को मौका देना चाहता हूं जो कभी-कभार ही बोलते हैं। आप बिराजिये अब।

Page No. 210

श्रीमती कमला : एक सदस्य के बोलने पर आपको....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये ।

श्री हीरालाल सहरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, कानून व व्यवस्था पर आज चर्चा चल रही है उसके बारे में मैं आपको ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप तो वैसे ही एक घंटा बोल गयी सुबह । एक घंटा आपने सुबह पूरा बोल लिया ।

श्री महेन्द्रकुमार मीणा : अध्यक्ष महोदय, हम तो एक मिनट... (व्यवधान)

श्री हीरालाल सहरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे किशनगंज विधान सभा क्षेत्र की दो मिनट में अपनी बात कह कर समाप्त कर दूंगा ।

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को... (व्यवधान) मिनट के लिए भी नहीं बोले आप ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, बोलें आप ।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इस तरह की हरकत.... (व्यवधान)

श्री हीरालाल सहरिया : दो मिनट में मैं अपनी बात कहकर समाप्त कर दूंगा । आप मुझे दो मिनट का समय अवश्य दें ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सदन में व्यवस्था दे दी थी । साढ़े सात बजे हैं, तीन मंत्रियों के जवाब हैं, दस बजे...... (व्यवधान)

श्रीमती कमला : और मेरे एक के बोलने से यह आपकी विधान सभा.... (व्यवधान)

श्री हीरालाल सहरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं कानून व व्यवस्था के बारे में बोलना चाहता हूं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये । एक घंटा.... (व्यवधान)

श्री हीरालाल सहरिया : मैं तो बोलूंगा, साहब । माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगंज विधान सभा क्षेत्र में थाना.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये ।

श्री हीरालाल सहरिया : ग्राम बिसायी में काफी समय से... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये ।

श्री हीरालाल सहरिया : दो समुदायों में झगड़ा हो रहा है । (व्यवधान)

श्रीमती कमला : यह बहुत गलत बात है, अध्यक्ष महोदय । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये । अब आप विराजिये ।

श्रीमती कमला । आपने रूलिंग दी है ।

श्री हीरालाल सहरिया : और वहां पर पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है । किसी प्रकार की उसकी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है । (व्यवधान)

श्रीमती कमला : आपने रूलिंग दी है, उस रूलिंग को आप लागू करें ।

श्री, हीरालाल सहरिया : एस. पी. से, डी. आई. जी. से कहने के बावजूद भी... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाईमाधोपुर जिले में ओलावृष्टि, अकाल से बहुत सा नुकसान हुआ है और उसके बावजूद भी आप हमें बोलने का अवसर नहीं देते हैं । यह सवाईमाधोपुर की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये ।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप हमको अवसर दें, अगर आप हमको अवसर नहीं देते हैं तो कोई फायदा नहीं । (व्यवधान) हम नहीं सुनना चाहते मंत्रीजी को । हमें आप अवसर नहीं देते तो हम मंत्रीजी को नहीं सुनना चाहते ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : जब तक आप हमको सवाई माधोपुर के सम्बन्ध में बोलने का अवसर नहीं देंगे, हम नहीं सुनना चाहते मंत्रीजी को ।

श्रीमती कमला : मतलब आप देना नहीं चाहते जवाब । (व्यवधान) माननीय सदस्यों का +++ (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर की बात है, उसको आप सुनना नहीं चाहते ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप बार-बार हल्ला कर रही हो । (व्यवधान) इतनी जोर से हल्ला कर रही हों । आप कांग्रेस की स्पोकसमैन हो क्या ? कोई भी बात उठती है .. (व्यवधान)....

श्री हीरालाल सहरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट बोलने का मौका दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री महेन्द्रकुमार मीणा : किसानों की फसल नष्ट हो गयी । (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(209)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप मंत्री महोदय का उत्तर आने दीजिये। बहुत बड़े वक्तव्य, जवाब देने हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला सवाई माधोपुर के अन्दर जब ओलावृष्टि हुई तो किसानों की फसलें नष्ट हो गयीं। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूपजी, आपका बोलना जरूरी नहीं है, आप बिराज जायं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप बैठ जाइये। हमने आपके कहने से दो बार समय बढ़ा दिया। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : सबसे ज्यादा हमारी फसलों का नुकसान हुआ है। सुने बिना मंत्रीजी क्या जवाब देंगे। अगर उन्हें हमे सुनना हो तो .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। मेरी बात तो सुनेंगे कि नहीं ?

श्री रामस्वरूप मीणा : जिला सवाई माधोपुर में भयंकर ओलावृष्टि से फसलों का नुकसान हुआ। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : यूं करके क्या बात कर रही हों ?

श्रीमती कमला : ओलावृष्टि से नुकसान (व्यवधान)

श्री महेन्द्रकुमार मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की भी यही हालत है।

श्री रामस्वरूप मीणा : अकाल पड़ गया और आज यह कहेंगे कि ·· (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय, आप तो जवाब दें। यह तो ऐसे ही करते रहेंगे। मंत्री महोदय, आप जवाब दीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय, आप जवाब दीजिये। इनको जाना है तो जाने दीजिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : जिला सवाई माधोपुर में जो फसलों का नुकसान हुआ है, उस नुकसान के बारे में मैंने अब तक.... (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : तीन-चार बार टाइम बढ़वा लिया है।

श्री सांवरलाल जाट (राज्य मंत्री, अकाल राहत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल के बारे में... (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय, आप जवाब दीजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : बड़े शर्म की बात है। इतना नुकसान हमारे जिले में हुआ है और आप हमें बोलने का अवसर भी नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : आपने रूलिंग दी है। हमें अधिकार बोलने का।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको पहले बोलने दिया जाय। (व्यवधान) जिला सवाई माधोपुर के साथ अन्याय है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सुबह सदन का टाइम खराब किया....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : सवाई माधोपुर के साथ अन्याय कर रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : और अब सदन का समय खराब कर रही हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : जिला सवाई माधोपुर में भयंकर ओलावृष्टि से फसलों का नुकसान हुआ है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय, आप बोलिये। आप जवाब दीजिये। यह तो यूं ही करती रहेंगी। यह क्या कर रही हो ? (व्यवधान) इस तरह हाथ क्यों कर रही हो ?

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला सवाई माधोपुर में भयंकर ओलावृष्टि हुई है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह क्या तरीका है आपका ? दोनों हाथ....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : सबसे पहले हमें सुना जाय और उसके बाद मंत्री बोलेंगे। जिला सवाईमाधोपुर में....

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपको नहीं सुनना है तो बाहर चले जाइये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : भयंकर ओलावृष्टि हुई है।

श्रीमती कमला : मैं बोलती हूं तब.... (व्यवधान)

श्री सांवरलाल जाट : (राज्य मंत्री, अकाल राहत) : माननीय सदस्य, आप सामने खड़े हैं....(व्यवधान)....

श्रीमती उजला अरोड़ा : कमलाजी बोल रही हैं.... (व्यवधान) सिट डाउन।

श्री सांवरलाल जाट : मैं दावे से कह सकता हूं....

श्री रामस्वरूप मीणा : जिला सवाई-माधोपुर में ओलावृष्टि से भयंकर नुकसान हुआ है....

श्री सांवरलाल जाट : उनकी हालत पूछने नहीं गये। ओलावृष्टि से, अकाल से, शीतलहर से....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : किसान बरबाद हो गया है।

श्रीमती कमला : मुझे बाहर निकलवा दीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : चुप रहिये।

श्री सांवरलाल जाट : और राजस्थान सरकार की ओर से आश्वस्त करता हूं.... (व्यवधान)

श्री महेन्द्रकुमार मीणा : और आप राजस्थान सरकार को बोलना चाहते हैं।

(श्री महेन्द्रकुमार मीणा)

हम नहीं बोलने देंगे जब तक हम को नहीं सुनेंगे ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने अगर तय कर लिया तो हम आपको नहीं बोलने देंगे ।

श्री सांवरलाल जाट : आज किसान रबी की फसल... (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : नहीं बोलने देंगे हम आपको । आपने तय कर लिया आपको लड़ना ही है । आता क्या है आपको ....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, जिला सवाईमाधोपुर में भयंकर ओलावृष्टि हुई है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आता क्या है आपको केवल लड़ने के अलावा ? तय कर लिया बोलने नहीं देंगे ।

श्री रामस्वरूप मीणा : जिला सवाईमाधोपुर में ओलावृष्टि और बिजली दोनों की भयंकर समस्या बनी हुई है ।

श्री सांवरलाल जाट : निर्णय लेने के लिए राजस्थान सरकार तैयार है ।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, रूलिंग दी है । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप पहले हमारे यहां का दौरा करें ।

श्री सांवरलाल जाट : माननीय सदस्य कह रहे हैं गुजरात में....(व्यवधान) 50 रुपये मिलते हैं इसलिए लोग गुजरात में आ रहे हैं ।

श्री रामस्वरूप मीणा : गांव में जो नुकसान हुआ है उसको देखें और आप हमारी बात को सुनें तब आप उसके बारे में जवाब देंगे वरना हम जवाब नहीं देने देंगे ।

श्रीमती कमला : यह कोई तरीका नहीं है । (व्यवधान)

श्री सांवरलाल जाट : मैं दावे से कह सकता हूं कि रोजगार की आवश्यकता होगी ....

श्री रामस्वरूप मीणा : आप जब तक हमारी बात को नहीं सुनेंगे हम जवाब नहीं सुनेंगे ।

श्री सांवरलाल जाट : उसी जिले में रोजगार उपलब्ध करवा देगी । और मैं यह घोषणा करता हूं... (व्यवधान).... तीन लाख है यह पांच लाख कर दी जायेगी....

श्री रामस्वरूप मीणा : जिला सवाईमाधोपुर में भयंकर ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है ।

श्री सांवरलाल जाट : और भी ज्यादा आवश्यकता होगी.... (व्यवधान) लोगों को रोजगार दिया जायेगा ।

श्री रामस्वरूप मीणा : उसको आप जब तक नहीं सुनेंगे हम आपकी बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे। इसलिए आप हमारी बात को सुनें।

श्री सांवरलाल जाट : मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय सदस्य कह रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : जिला सवाई-माधोपुर में जो ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है....

श्री सांवरलाल जाट : मुझसे कह रहे थे कि आपने बट्टा लगा दिया....

श्रीमती कमला : कमाल कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। पुलिस को बुलवा कर फिकवा दीजिये, पुलिस से उठवा कर फिकवा दीजिये मुझे।

श्री रामस्वरूप मीणा : उसका स्वयं जाकर के पहले मुआयना करें....

श्री सांवरलाल जाट : मैंने उनसे पूछा कि आपके विधायक कहां हैं.... (व्यवधान) वह कहते हैं....

श्री रामस्वरूप मीणा : किसानों को मुआवजा दिया जाय।

श्री सांवरलाल जाट : और विधान सभा में अब चर्चा करते हैं। मैंने तो बट्टा लगाया कि नहीं लगाया आपने मट्ठा बैठा दिया किसानों का।

श्री रामस्वरूप मीणा : जिला सवाई-माधोपुर में भयंकर ओलावृष्टि हुई है उसका मुआवजा किसानों को दिया जाय।

श्री सांवरलाल जाट : राज्य सरकार ने निर्देश दिये ...(व्यवधान) सरकार प्राथमिकता से इतने कार्य करवायेगी जिससे आने वाले समय में किसानों को लाभ मिले। कुएं, तालाब, नाड़ी, एनीकट,.... (व्यवधान)....

श्रीमती कमला : आप में बहुत ताकत है। पुलिस से उठवा कर फिकवा दीजिये।

श्री सांवरलाल जाट : कुछ माननीय सदस्यों ने यह चर्चा की है....(व्यवधान) कुछ अनियमितताएं कर रहें हैं....

श्रीमती कमला : पुलिस से उठवाकर फिकवा दीजिये, बोलने मत दीजिये।

श्री सांवरलाल जाट : राज्य सरकार की तरफ से मैं सदन को आश्वस्त करता हूं....

श्री रामस्वरूप मीणा : जिला सवाई-माधोपुर में भयंकर ओलावृष्टि में जो नुकसान हुआ है उसके बारे में पहले आप हमारी बात को सुनें उसके बाद में सरकार जवाब दे।

श्री सांवरलाल जाट : लापरवाही करेंगे और हमारे निर्देशानुसार कार्यवाही नहीं करेंगे....(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : श्रीमती कमलाजी, आप बैठ जाइये। मैं आपसे आग्रह करती हूं, बैठ जाइये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बैठ जाइये आप। सुनने दीजिये हमको। सदन का समय खराब करती हैं।

श्री सांवरलाल जाट : माननीय सदस्यों ने चिंता जाहिर की है ... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : पाइण्ट आफ आर्डर।

श्री सांवरलाल जाट : जहां पर जितनी आवश्यकता होगी, राज्य सरकार की परिवहन सब्सिडी मिलती है....(व्यवधान).... इसी प्रकार गौशाला के लिए अनुदान जो दिया जाता है....(व्यवधान) मैं कोशिश करूंगा कि इस वर्ष गायों के चारे के लिए....

श्रीमती कमला : आप इस तरह जबरन जवाब दे रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : जिला सवाई-माधोपुर में ओलावृष्टि से भयंकर नुकसान हुआ है उसमें किसानों को सहायता दी जाय, उनका निरीक्षण किया जाय।

श्री सांवरलाल जाट : रिकार्ड उठाकर देख लीजिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : फसल जो नष्ट हुई है फसल बीमा कराया जाय।

श्रीमती कमला : मुझे सदन से निकलवा दीजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : किसानों को राहत दी जाय। ओलावृष्टि में सहायता दी जाय। अध्यक्ष महोदय, किसानों को राहत पहुंचाइये।

श्री सांवरलाल जाट : माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा अगर आपको तकलीफ है तो केवल +++ से काम नहीं चलेगा ..(व्यवधान) राजस्थान का किसान जानता है....

एक माननीय सदस्य : सात महीने हो चुके हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं है।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, जिला सवाईमाधोपुर में भयंकर ओलावृष्टि हुई है और उसके कारण जो नुकसान हुआ है उसके बारे में हमको सुना जाय।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री सांवरलाल जाट : राज्य सरकार जो कह रही है उसको आपको सुनना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : जो सरकार बोलने न दे वह सरकार +++ है। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : पाइण्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : आपका पाइण्ट आफ आर्डर.... (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री रामस्वरूप मीणा : जिला सवाई-माधोपुर में भयंकर ओलावृष्टि हुई है। आज अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, सरकार साथ नहीं दे रही है, शर्म की बात है।

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्रीमती कमला : आपने रूलिंग दी है।

श्री रामगोपाल बैरवा : अनुसूचित जाति एवं जनजाति के साथ अन्याय किया जा रहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बहुत शर्म की बात है आपके लिए। वह अच्छे हैं.... उनको न सुनकर के आप हल्ला मचा रहे हैं। अखबार वाले लिखेंगे आपके लिए।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्रीमती कमला : + + +

श्री रामस्वरूप मीणा : जिला सवाई-माधोपुर में भयंकर ओलावृष्टि हुई है। किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं....(व्यवधान)

श्रीमती कमला : आपकी रूलिंग है।

श्री अध्यक्ष : किसी को सुनना नहीं चाहते। हर टाइम आप खड़े हो जाते हैं; मर्जी आये जैसे टाइम समाप्त करते हैं फिर कहते हैं.... (व्यवधान) चार बजे तक हाउस थोड़े ही चलाना पड़ेगा।

श्रीमती कमला : जो सरकार बोलने न दे वह क्या सरकार है।

श्री रामगोपाल बैरवा : लोगों पर गोलियां चलायी जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष : सबसे ज्यादा समय आपने और रामस्वरूपजी ने खराब किया है।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे रूलिंग....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : कमलाजी, पाइण्ट आफ आर्डर।

श्रीमती कमला : मैं आपकी रूलिंग के मुताबिक कह रही हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, भाटीजी, फरमायें।

श्री रामगोपाल बैरवा : अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों पर अन्याय किया जा रहा है और सरकार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है।

श्रीमती कमला : आपकी रूलिंग है। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : एक बार आपने मंत्रीजी को आवाज दे दी स्टेटमेंट देने के लिए तो बीच में कोई नहीं बोलेगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : कृपया, आप विराज जायें। क्यों डिस्टर्बेंस कर रहे हैं? एक मिनट सुनने तो दें किसी को।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, आपने सुबह रूलिंग दी थी कि जिनके एडजोर्नमेंट मोशन हैं उनको प्राथमिकता से बोलने का मौका दिया जायेगा। I am one of the signatories और आपने मुझे मौका नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष : आइन्दा ध्यान रखूंगा मैं सब। आज तो ठीक है, आइन्दा ध्यान रखूंगा। जिस-जिस का एडजोर्नमेंट मोशन है उसी को बोलने दूंगा फिर पार्टी व्हिप का कोई मतलब नहीं।

श्रीमती कमला : हमने दिया है मैंने एडजोर्नमेंट मोशन, मेरा रखा है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले पार्टी व्हिप का लाते हैं, 50 नाम तो लिख कर दे देते हैं। दो तो पार्टी के व्हिप बने हुए हैं डिप्टी और चीफ व्हिप, 50 स्लिप पकड़ा रहे हैं आप।

श्रीमती कमला : आपने रूलिंग दी है। हम उसमें सिग्नेटरीज़ हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : पाइण्ट आफ आर्डर। कमलाजी, एक मिनट।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण मुद्दे पर जब माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, बात कहना चाहें तो दो मिनट में कह सकते हैं। सुबह से हाउस को रोक कर रखा है, समय खराब कर रही हैं। भाटीजी, आप फरमायें।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : क्या जवाब देंगे क्षेत्र के लोगों को ? आज क्षेत्र के लोग सुनना चाहते हैं इनको बोलते हुए।

श्रीमती कमला : मेरा इलाका शत-प्रतिशत अकालग्रस्त है। भयंकर ओलावृष्टि हुई है, शीतलहर से बरबादी हुई है और मेरा हक बनता है।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात हो गयी पूरी। ओलावृष्टि की हो गयी, आपने बात कह दी, बात खतम हुई। विराजें अब आप। भाटीजी, आप बोलें।

श्रीमती कमला : उसके बाद आप मुझे नहीं बोलने देते, यह कोई तरीका है क्या आपका। क्या बोलने दिया ?

श्री रामस्वरूप मीणा : जिला सवाई-माधोपुर के एक भी माननीय सदस्य को अवसर आपने नहीं दिया।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि मैं आपसे व्यवस्था चाह रहा हूं।

श्रीमती कमला : हमारा एडजोर्नमेंट मोशन है, हमको बोलने का मौका दीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप व्यवस्था देवें कब दे रहे हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : कमलाजी, एक मिनट ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बात तो करने ही नहीं दे रहे, व्यवस्था क्या देने देंगे आप, आप बैठिये, शांति से सुनिये । आप मंत्री महोदय का उत्तर नहीं सुन रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने व्यवस्था का मुद्दा उठाया । कमलाजी....

श्रीमती कमला : आप स्पीकर हो गयीं क्या आज से ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : बात तो सुनना पसंद ही नहीं ।

श्रीमती कमला : + + + आप स्पीकर हो गयीं क्या आज से ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप ऐसे-ऐसे क्या कर रही हो ?

श्रीमती कमला : आपके इलाके में ऐसे होगा तो आप भी ऐसे ही करोगी ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : शर्म की बात है ।

श्रीमती कमला : बात कर रही हो, यहां पर खड़े होकर बोल दिया इसलिए कह रही हो ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, विवाद में इतना समय चला गया । आप तीन मिनट से ज्यादा किसी को टाइम मत दो....

श्री अध्यक्ष : मानता कौन है ? कमला जी तो कभी नहीं मान सकती ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : तीन मिनट से ज्यादा कोई नहीं....

श्री अध्यक्ष : सुबह से, एक घण्टे से यहां पर हाउस को रोक कर के रखी हैं । हमेशा जब देखो जब खड़ी हो जाती हैं । एक-एक घण्टे तक बोलती रहती हैं । किसी को सुनना नहीं चाहती आप ।

श्रीमती कमला : बिलकुल गलत बयानी कर रहे हैं आप । मेरी पार्टी ने मुझे पहली स्पीकर चुना था इसलिए मैंने ज्यादा समय लिया । पार्टी की इजाजत से लिया, पार्टी की इजाजत के बिना नहीं लिया मैंने ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कहा, रामनारायणजी ने कहा, समय बढ़ा दिया गया....(व्यवधान)

श्रीमती कमला : और आपके विधान सभा में मेरे बोलने से ही कोई कोलेप्स होता, टूटता हो, बिखरता हो....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको कोई मानता ही नहीं है यहां । सवाल यह है कोई मानता ही नहीं । आसन को मजबूर किया जा रहा है ।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम ही नहीं इसमें। (व्यवधान) यह पार्टी की लिस्ट है देख लें आप।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, एडजोर्नमेंट मोशन जो लगाया है उसमें कमलाजी का नाम है हमारी तरफ से। एडजोर्नमेंट मोशन लगाया है न ओलावृष्टि पर, उसमें कमलाजी का नाम हमारे साथ है।

श्री अध्यक्ष : बोलने जब दे रहे हैं पर वह तो वैसे ही खड़े हो रहे हैं। रोज खड़े होते हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : दौसा जिले के सारे विधायकों ने एडजोर्नमेंट मोशन लगाया हुआ है, केवल एक को टाइम दिया है।

श्री अध्यक्ष : सबको बुलाया है मैंने।

श्री परसादीलाल मीणा : एक को बोलने दिया है। न हरिसिंहजी को बोलने दिया, न महेन्द्र कुमारजी को बोलने दिया, न कमलाजी को बोलने दिया।

श्री रामस्वरूप मीणा : एक मिनट आपने हमको नहीं दिया। एस. टी. के साथ अन्याय कर रहे हो आप। सवाईमाधोपुर के साथ अन्याय कर रहे हो आप।

श्री अध्यक्ष : जो रोज बोलते हैं उनको क्या बुलायें। जो नहीं बोलते हैं...(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : सिकराय से आने वाले माननीय सदस्य इस हाउस में एक बार भी नहीं बोले।

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : एक बार भी नहीं बोले इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी। एक मिनट का अवसर आप सबको दो, उसके बाद कार्यवाही आगे बढ़े।

श्री मोहनलाल मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, यह बार-बार क्या मामला है, समझ में ही नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप तो विराज जायें। दो मिनट बैठें आप।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपकी बड़ी मेहरबानी हुई, आपने मुझे कहा कि आप व्यवस्था देंगे। मैं आपके कहने पर सीट पर आ गया। मेहरबानी करके आप मुझे सिर्फ यह बता दें कि व्यवस्था में आप मेरे दोनों मोशन रिजेक्ट कर रहे हैं या पेंडिंग रख रहे हैं? यह बता दीजिये।

श्री किशनगोपाल कोगटा : अभी कैसे बतायेंगे?

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर विचार कर रहा हूं। आपने जो मोशन दिये हैं उन पर विचार कर रहा हूं। सारे तथ्यों को मुझे मंगाना पड़ेगा, अखबार वाले भी हैं, दूसरे भी हैं जिन-जिन का आपने नाम लिया उन सबको बिना सुने मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : समझ गया मैं।

श्री अध्यक्ष : इसलिए मैं अभी पेंडिंग

(श्री अध्यक्ष)

कर रहा हूं । भाटीजी, आपका भी और आपका भी । बिराजिये आप ।

श्री रामस्वरूप मीणा : जिला सवाई माधोपुर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है । 100 प्रतिशत ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है और आप एक मिनट का अवसर हमको नहीं दे रहे हैं । आप एक मिनट का अवसर दें उसके बाद में, अध्यक्ष महोदय, हम किसी को सुनेंगे ।

श्री अध्यक्ष : आपने कह दिया न ।

श्री रामस्वरूप मीणा : भ्रष्टाचार व अत्याचार सवाईमाधोपुर जिले में हो रहे हैं, वहां खालों के अन्दर बदमाशियां हो रही हैं । पुलिस की गोली से लोग मर रहे हैं और वहां लूटपाट चल रही है, डकैतियां हो रही हैं और एक शब्द भी बोलने का प्रश्न नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : बात हो गयी न आपकी । खतम करें । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : सवाईमाधोपुर जिले में माननीय मंत्रीजी गये थे, वहां 100 प्रतिशत नुकसान हुआ है । आपने खुद ही देखा है । आप क्या कर रहे हैं, बताइये ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराज जाइये ।

श्री रामस्वरूप मीणा : पहले आप सवाई माधोपुर के बारे में कहलवाओ ।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात हो गयी, बिराजिये । हां, बोलिये आप ।

श्री रामस्वरूप मीणा : उनको कहने दो सवाईमाधोपुर के बारे में । पहले उनको कहने दो सवाईमाधोपुर के बारे में । आप बिराजमान हैं इस ऊंचाई पर ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप । बिराजें ।

श्री रामस्वरूप मीणा : मंत्रीजी कह रहे हैं पहले ।

श्री सांवरलाल जाट : जवाब दे दूं न, जवाब पूछ रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : एक-एक मिनट का मामला है और क्या पूछना है आपको ? (व्यवधान) इनकी बात सुनें आप । अभी सारी बात आ जायेगी ।

श्री सांवरलाल जाट : ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में जहां-जहां पर नुकसान हुआ है.... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : अभी सवाई माधोपुर के बारे में कह रहे हैं । सुनो ।

श्री सांवरलाल जाट : मैं भी सवाई-माधोपुर के कुछ गांवों में गया हूं । वास्तव में किसानों को ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है । कई जगह शत-प्रतिशत भी हुआ है और सहायता विभाग के जो नार्म्स हैं उनके हिसाब से सहायता वितरित कर दी गयी है वहां और मैं यह आश्वस्त करता हूं कि अगर रोजगार की आवश्यकता

(श्री सांवरलाल जाट)

होगी तो रोजगार वहां पर खोला जायेगा। निश्चित रूप से आप जो कार्य बतायेंगे, वह कार्य प्राथमिकता से करवा दिये जायेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराज जायें।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : आज तक विधान सभा में बोले ही नहीं। एक बार भी नहीं बोले एक मिनट ही बोलने दीजिये इनको। यह लास्ट वक्ता हैं।

श्री अध्यक्ष : आप, श्रीमान् 25 की जगह 50 नाम लिख देते हैं जो माननीय सदस्य नहीं बोलते उनके नाम क्यों लिखते हैं आप।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : एक ही मिनट के लिए बोलने दीजिये इनको। आज तक बोले ही नहीं हैं। एक मिनट ही दीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : एक मिनट ही बोलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप रोज ही बोलते हैं.... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं तो एक दिन बोला था। आपके गुस्से का कारण हो गया मैं। आपने मुझे दो मिनट भी अलाऊ नहीं किया। गुस्सा तो किया दूसरों पर और अब मार पड़ी मेरे पर।

श्री अध्यक्ष : कोई गुस्सा नहीं। गुस्सा तो मैं आपका सुन रहा हूं सुबह से ही। सुबह से ही सुने जा रहा हूं मैं। (व्यवधान) कभी घारीवाल जी का सुनूं, कभी हरिसिंह जी का सुनूं। बिराजें आप। (व्यवधान)

श्री महेन्द्रकुमार मीणा (सिकराय) : फसल को नुकसान हुआ है, सारी सफल चाहे गेहूं की हो, चने की हो, नष्ट हो चुकी है। मंत्री महोदय भी गये थे, इन्होंने भी कुछ आदेश दिया लेकिन सब लीपापोती हो गयी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सारी बात हो गयी न आपकी।

श्री महेन्द्रकुमार मीणा : मान्यवर, किसी भी किसान को कोई मुआवजा नहीं मिला है। मिला है तो मात्र 57 रुपये, 100 रुपये। इसलिए मेरा निवेदन है कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाय, किसानों के बिजली के बिल माफ किये जायं।

इसी प्रकार, मान्यवर, मैं बिजली के बारे में एक मिनट ही बोलूंगा। मेरे यहां से 75 फाइलें नर्सरी योजना के तहत लगी थीं। 75 गरीब किसानों ने उधार ले-लेकर, अपना जेवर बेचकर फाइलें लगायी थीं। मान्यवर, एक भी किसान के लिए डिमांड नोटिस जारी नहीं हुआ है। जे. ईएन., ए. ईएन. पैसे मांगते हैं, पांच-पांच हजार की रिश्वत दो तब जाकर हम डिमांड नोटिस जारी करेंगे। इसी प्रकार, मान्यवर, 14 ग्राम मेरे विधान सभा क्षेत्र

(श्री महेन्द्रकुमार मीणा)

के अन्दर हैं वह पिछले 5-10 साल से.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें। माननीय गृह मंत्रीजी !

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप लिखित में दे दीजिये।

श्री महेन्द्रकुमार मीणा : एक भी लाइन नहीं खींची है। इसलिए, मान्यवर: उनको बिजली तुरन्त दी जाय जो भी 75 फाइलें गयी हैं। (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, सदन का समय मंत्रीजी के जवाब होने तक बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन का समय मंत्रीजी के जवाब होने तक बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधे घंटे, मंत्रीजी के सभी वक्तव्य होने तक बढ़ाया जाता है। एक मिनट। (व्यवधान) आप फरमायें। आप क्या कहना चाहते हैं ?

विभिन्न विषयों पर विचार

श्री हरिसिंह (महुआ) : कुछ लोगों ने एडजोर्नमेंट मोशन लगाये और उसमें आपने व्यवस्था यह दी इस पर.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। आप रोज ही बोलते हैं, माननीय।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मेरा निवेदन तो सुन लो आप। सवाल सदन की व्यवस्था का है। अब चीफ व्हिप के कहने से नामंजूर कर दिया, चाहे इधर के हों या उधर के हों.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने तो समय बढ़ा दिया और।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सदन के नियमों का निर्वहन कर रहे हैं क्या, यह है प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायें। कृपा करके बिराज जायं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपने व्यवस्था दे दी, आपने व्यवस्था तोड़ दी। चीफ व्हिप जो नाम दें तब यह कह दीजिये कि अगला जो सत्र होगा उसमें कोई माननीय सदस्य किसी एडजोर्नमेंट मोशन, कालिंग अटेंशन मोशन बिलकुल नहीं लगायेंगे।

श्री अध्यक्ष : खूब लगाओ। खूब लगाओ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह सदन चीफ व्हिप और, माननीय, आपकी इजाजत से

(श्री हरिसिंह)

और आपके रहम-करम पर चलेगा नियमों की अवहेलना करके ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब बिराजें आप। हरिसिंह जी, बिराजें अब, आप।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऊर्जा मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और इटावा, जो मेरा विधान सभा का क्षेत्र है, में अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट की विशेष प्रॉब्लम है। छह बजे से लेकर दस बजे तक डिम लाइट आती है। बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। माननीय मंत्रीजी इस बात को देखें और वहां पर लाइट की समस्या का हल करें, बस एक ही बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये (व्यवधान) आप माटीजी, बिराजे। आप क्या कह रहे हैं ?

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली जिला मुख्य मंत्रीजी का जिला है। पाली जिले से मुख्य मंत्रीजी हैं वह इस चर्चा में भाग नहीं ले सकते। एक आयुर्वेद राज्य मंत्री हैं वह इस चर्चा में भाग नहीं ले सकते। एक उप मुख्य सचेतक हैं वह इस चर्चा में भाग नहीं ले सकते और एक रूलिंग पार्टी के सदस्य हैं जो अनुपस्थित हैं। पाली जिले की समस्याओं के बारे में मैं इस सदन का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं इसलिए मैं महज आपसे दो मिनट का समय चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली जिले में अकाल की स्थिति यह है कि....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री भीमराज भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली जिला मुख्य मंत्रीजी का जिला है और मुख्य मंत्रीजी के जिले की बात भी अगर नहीं सुनी जायेगी तो किसकी बात सुनी जायेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली जिले में अकाल की स्थिति यह है कि फरवरी, 1996 से अकाल के कार्य खोलने की मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के बावजूद भी अभी तक पाली जिले में कोई अकाल का कार्य नहीं खोला गया है और यह इस सरकार की व्यवस्था है कि अकाल के कार्य खोलने के लिए जितना भी डिले किया जा सके उतना डिले करके उस सरकारी पैसे को बचाये जाने की चेष्टा की जा रही है। अकाल से जो लोग गांव छोड़कर बाहर जा रहे हैं उनको किसी भी तरह का काम मुहैया नहीं कराया जा रहा है। आज हालत यह है कि पाली जिले में जो भी अकाल के कार्य खोले जाने चाहिये, चाहे वह तालाब के कार्य हों, चाहे वह बाढ़ बचाव के कार्य हो, वह कार्य नहीं खोले गये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें, भाटीजी। आप 295 लगाकर सदन में बोलते ही हैं।

श्री भीमराज भाटी : पाली जिले की स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा।

माननीय अध्यक्ष जी, शीतलहर की वजह से पाली जिले में चने की फसल का 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हो गया। सरसों की फसल का नुकसान हो गया। हालत यह हो गयी कि 350 रुपये प्रति क्विंटल भाव गिर गये। चने के भाव आधे रह गये। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से मांग करूंगा कि वह केन्द्र सरकार से अनुरोध करे कि सरकारी समर्थित मूल्यों पर चने और सरसों की खरीद की जाय।

यही हालत, माननीय अध्यक्षजी, पाली जिले में कानून और व्यवस्था की है। पाली जिले और पाली शहर की कानून और व्यवस्था की हालत यह है कि नया गांव में भंवरिया-बावरिया का मर्डर हो गया उसका आज तक भी पता नहीं चला। शहर में जिलाधीश के निवास स्थान और एस. पी. के निवास स्थान के पास में सरेआम दिन-दहाड़े मर्डर हो गया उसका आज तक भी पता नहीं चला। लालकृष्णजी आडवाणी जी के एक भाई नारायण दास जी सिंधी का मर्डर हो गया। (व्यवधान) उसका आज तक पता नहीं चला।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह सब बातें आपको लिखकर देनी चाहिये, माननीय सदस्य (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : हमारे शहर में जो दो जुड़वां जैन बहिनें थीं, नौजवान बहिनें थीं, उन बहिनों का मर्डर हो गया। उसके बारे में पिछले सत्र में माननीय गृह मंत्रीजी ने सी. आई. डी. (क्राइम ब्रांच) के एस. पी. नारंग से....(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : भाटीजी, आप बोल ही रहे हैं, लिखकर दे नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। माननीय मंत्रीजी।

श्री भीमराज भाटी : मैं दो ही मिनट लूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब दो मिनट तो हो गये। छह बार कह दिया।

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री भीमराज भाटी : मैं नहीं लूंगा ज्यादा समय।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। प्लीज कोआपरेट भी।

श्री भीमराज भाटी : उसके बारे में अभी जांच....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दो-दो मिनट, छह बार तो कह दिया। बोले ही जा रहे हैं।

श्री भीमराज भाटी : मैं दो मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप घड़ी देखकर नोट कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायं अब ।

श्री भीमराज भाटी : आप घड़ी देखकर नोट कर लीजिये, मैं दो मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा ।

श्री अध्यक्ष : अब बैठ जायें । माननीय मंत्रीजी । मंत्रीजी का वक्तव्य सुनें आप ।

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष जी, विद्युत विभाग की यह हालत है कि आपके विजिलेंस के अधिकारी सरेआम उद्योगपतियों से पैसा ले रहे हैं और वह चोरी के मुकदमे.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब कृपया बैठें । मंत्रीजी का वक्तव्य सुनें आप ।

श्री भीमराज भाटी : छोटे-छोटे उद्योगपतियों के ऊपर और छोटे-छोटे गरीबों पर जुल्म ढा रहे हैं । उन सरकारी अधिकारियों द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें, माननीय । अब सब हो गया । आप क्या कहते हैं, कौनसी संसदीय परम्परा का विकास हो रहा है, मैं नहीं समझता (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आपके मार्फत इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें । माननीय मंत्रीजी ।

श्री सांवरलाल जाट (राज्य मंत्री, अकाल राहत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी जमाने में यह कहा जाता था हिन्दुस्तान व राजस्थान को जो फसल है, खेती है वह मानसून का जुआ है । उस जमाने के अन्दर किसान खरीफ की फसल पैदा करता था और मानसून अच्छा आ गया, समय पर आ गया तो उनकी खेती अच्छी हो जाती थी । पशुपालन और खेती ही उनका मुख्य धन्धा हुआ करता था और खेती में भी खरीफ की फसल होती थी । इसी के हिसाब से राजस्थान का फेमिन कोड बना जिसमें अगर फसल खराब हो गयी और फसल खराब होने की स्थिति में लोगों के पास रोजगार का कोई अल्टरनेट नहीं बचता था ।

(20·00)

इसलिए लोगों के लिए राहत कार्य प्रारम्भ किये जाते थे ताकि लोगों के जीवनयापन, पशुओं के लिए चारे-पानी की, बांटे की व्यवस्था हो । आज का समय बदल गया है । आज किसान मानसून का जुआ नहीं, प्रकृति का जुआ हो गया । आज रबी की फसल बहुत ही ज्यादा क्षेत्र में किसान करता है, बहुत ज्यादा लागत आती है । पता नहीं चलता है कि कब उसकी हवा निकल जाय । एक कहावत है, "रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सून, पानी गये न ऊबरे, मोती मानस चून ।" किसान के पानी कम आ जाता है तो अकाल पड़

(श्री सांवरलाल जाट)

जाता है, समय पर नहीं आता है तो अकाल पड़ जाता है। समय से पहले मानसून चला जाता है, अकाल पड़ जाता है। वही पानी अगर ज्यादा मात्रा में गिर जाता है....(व्यवधान) सुन तो लो। क्या ठेका ले रखा है नहीं सुनने का? अगर वही ज्यादा मात्रा में गिर जाता है, फसल बरबाद हो जाती है, बाढ़ की स्थिति आ जाती है और वही पानी अगर आकाश में जमकर पत्थर बनकर गिरता है तो ओलावृष्टि के रूप में किसान बरबाद हो जाता है। जब राम रूठ जाता है तो किसान राज की तरफ देखता है। आखिर हमारा कोई नहीं है, भगवान अगर हमारे से रूठ गया। वह राज की तरफ देखता है कि कुछ इमदाद राज करे। मैं यह दावे से कह सकता हूं कि माननीय भैरोंसिंहजी के नेतृत्व में सरकार बनी है उसके बाद किसानों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है। कभी बाढ़ आ जाय तो माननीय मुख्य मंत्रीजी हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचते हैं, मंत्री लोग पहुंचते हैं, अधिकारी पहुंचते हैं और ओलावृष्टि हो जाय तो मुख्य मंत्रीजी पहुंचते हैं, उनके मंत्री पहुंचते हैं, अधिकारी पहुंचते हैं। सहायता के नार्म्स ...

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : मेरे यहां तो नहीं गये।

श्री सांवरलाल जाट : मैं हर जगह गया हूं। अब हर जगह तो, आप भी मंत्री बन जाओगे तो नहीं जा सकते और जब आप बनोगे, हम पूछेंगे, कहां-कहां गये....(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : आप बाड़मेर में कितनी बार गये हो?

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं, अमरा रामजी। बिराज जायें। कृपया टोका-टोकी नहीं करें। सुनें।

श्री सांवरलाल जाट : तो सहायता के जो नार्म्स थे वह हमने बदले। 86 से पहले क्या मिलता था, अगर आप चाहें तो एक-एक बात बता दूं। 1991 में हमने रिवाइज किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की मंशा है, माननीय मुख्य मंत्रीजी की मंशा है कि यह सहायता पर्याप्त नहीं है। रबी की जो क्राप होती है, कार्मशियल क्राप है। किसान काफी लागत लगाता है और अगर हम किसानों का भला नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से इस देश की, प्रदेश की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। इसलिए मुख्य मंत्रीजी की मंशा है कि इस नार्म्स को भी बदला जाय। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसमें परिवर्तन हो। (व्यवधान)

कई माननीय सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की फसल बीमा की। मैं तैयार हूं, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी तैयार हैं कि इस फसल का बीमा होना चाहिए। यदि कोई बीमा कम्पनी तैयार हो, किन-किन शर्तों पर हो तो आप हमारे पास भेज दीजिये। मैंने बहुत प्रयास किया कि कोई कम्पनी आवे। हमने बुलाया भी था कोई बात करें कि किसानों की फसलों का बीमा कीजिये। इसका प्रीमियम राज्य सरकार भी देगी और कुछ किसान से क्या व्यवस्था

(श्री सांवरलाल जाट)

की जा सकती है, इसके ऊपर विचार करेंगे। तो, माननीय सदस्य, मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार पूरी चिन्तित है, आप भी व्यवस्था करिये अगर कोई कम्पनी आपकी जानकारी में हो, भेजिये। उन शर्तों के ऊपर बैठकर चर्चा करें क्योंकि शर्तों के बारे में चर्चा हुई है, आर. एस. ई. बी. के समझौते हुए उसमें भी चर्चा हुई थी और मैं आप सबको विश्वास में लेकर ही करना चाहूंगा इसलिए आप, कोई कम्पनी हो तो भेजिये, क्या-क्यों शर्तें हैं।

श्री परसराम मदेरणा : (नेता, प्रतिपक्ष) : गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने एक-एक स्टेट लिया है और आप इंश्योरेंस के बारे में मैंने सुना है कि एक ऐसा एश्योरेंस दिया था फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अन्दर। तो यह मामला मुख्य मंत्रीजी और आपका बैठने वाला नहीं है। बहुत बड़ा कम्पनशेसन है। पहले भी राजस्थान में एक दफा लागू हुआ था। एक साल बाद कम्पनशेसन करीब 40-50 करोड़ का हो गया। उस साल से समाप्त कर दिया। मुख्य मंत्रीजी सब जगह गये हैं, अभी झुन्झुनूं भी गये थे। झुन्झुनूं में उन्होंने गूंजती हुई चंग के ऊपर तो मागी थाप, थाप मारते ही पग थिरकने लग गये। यह पग मत थिरकाओ यहां पर। मुख्य मंत्रीजी की चंग बजाने से कुछ नहीं होने वाला है। आप भारत सरकार से लिखा-पढ़ी करो। अगर भारत सरकार आपको मदद नहीं देगी तो राजस्थान जैसी स्टेट जिसमें आल्टरनेटिव अकाल पड़ता है, इतना बड़ा कम्पनशेसन हो जायेगा कि आज आपका जो घाटा है, यह कम से कम उसके बाद चौदह हजार करोड़ रुपये का कर्जा बढ़ाया आपने, 1990 में हम तो पांच हजार करोड़ छोड़ गये थे, पांच साल में नौ हजार करोड़ और अगर इंश्योरेंस आपने कर दिया, कम्पनी आपके पास में ले आओ, यह कोई मदारी की डुगडुगी है जो हम आपके पास भेज दें, कौन कम्पनशेसन के लिए आयेगा, इतना अमाउण्ट भी नहीं होगा, उस कम्पनी को एश्योरेंस भी नहीं होगा कि राजस्थान सरकार इतना अमाउण्ट दे सकती है। इसलिए आप कोई व्यावहारिक बात करो। यह तो आपने हमको आफर कर दिया कि कम्पनी भेजो हमारे पास।

श्री हरिशंकर भामड़ा (उप मुख्य मंत्री): यह जो बात आप हमें समझा रहे हैं, अच्छा होता, जिन लोगों ने यह मांग की उनको भी समझाते कि यह मांग व्यावहारिक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कृपया माननीय मंत्री महोदय को सुनें।

श्री सांवरलाल जाट : प्रतिपक्ष के माननीय नेता की जो चिन्ता है उससे मैं सहमत हूं। भारत सरकार की तरफ से, जैसा कि आपने फरमाया, प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

श्री परसराम मदेरणा : इसका औचित्य है, युक्तियुक्त भी है और इसकी

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रोपराइटी भी है लेकिन भारत सरकार से राज्य सरकार को बात करनी पड़ेगी।

श्री सांवरलाल जाट : भारत सरकार से बात करने के लिए हम तैयार हैं।

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : सरकार कई तरह के घाटे सहन करती है किसानों के लिए। किसानों के लिए इंश्योरेंस का घाटा सहन कर लेगी तो क्या सरकार बिक जायेगी? यह समझ रहे हैं कि किसानों की बात भी हम कहते हैं कि इंश्योरेंस कराइये आप। हम गवर्नमेंट ग्राफ इण्डिया के पास जायं या गवर्नमेंट ग्राफ राजस्थान के पास जायं, यह हमारी मंशा है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। मंत्रीजी को बोलने दें। कृपया शांति बनाये रखें।

श्री सांवरलाल जाट : बाढ़ से इस वर्ष काफी नुकसान हुआ है। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : यह बात मैंने इसलिए कही है कि इससे कोई इंश्योरेंस नहीं होने वाला है। इसलिए व्यावहारिक बात मैंने कही थी। और अगर आप यह समझते हैं कि करा सकते हैं तो आप तो मूंछ रखते हो, मैं भी मूंछें रखना शुरू कर दूंगा।

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : देखिये, साहब, सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की है। मुख्य मंत्रीजी ने और अकाल राहत मंत्रीजी ने चाहा है कि किसी तरह से यह हो सके और आप कह रहे हैं कि इस प्रकार की कम्पनी दुनिया में कहीं नहीं है। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : यह इम्पासिबल बात है, यह झांसापट्टी है, गुमराह करने वाली बात है। फिर सदन में मिलेंगे नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। माननीय मंत्रीजी।

श्री सांवरलाल जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष बाढ़ से भी राजस्थान में काफी नुकसान हुआ था। हमने भारत सरकार को निवेदन किया था कि राजस्थान में यह अप्रत्याशित दुर्घटना हुई है तो निश्चित रूप से आपको एक अध्ययन टोली भेजकर सहायता करनी चाहिए। आपको आश्चर्य होगा, भारत सरकार ने अध्ययन टोली भेजी, लगभग 700 करोड़ रुपये का नुकसान हमने बताया तो भारत सरकार ने हमको एक पैसा नहीं दिया। माननीय मुख्य मंत्रीजी जब उस मीटिंग में पधारे थे तो उन्होंने काफी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके 21 करोड़ रुपये देने के लिए कृषि मंत्रालय को सहमत करवाया और आज तक वह पैसा नहीं मिला। मैं प्रतिपक्ष के माननीय नेता और सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके कम से कम 21 करोड़ रुपये के लिए कहें, जो कहकर गये, वादा किया, वह पैसे दिलवायें जिससे राजस्थान में बाढ़ से जो क्षति हुई है उस क्षति का पुनर्निर्माण करवाया जा सके।

अकाल की स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा हुई थी। मैं आज यह दावे से कह सकता

(श्री सांवरलाल जाट)

हूं कि राजस्थान के विभिन्न जिलों में सात लाख से अधिक लेबर काम कर रही है और अकाल राहत के तहत तीन लाख श्रमिक काम कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर नहीं होंगे। कृपा करके शांति बनाये रखें। पहले बोलने दें। क्या करते हैं, इतने सीनियर मेम्बर हैं ?

श्री सांवरलाल जाट : हमने कहा था कि नवम्बर माह में अकाल राहत कार्य शुरू कर देंगे। हमने नवम्बर माह में अकाल राहत कार्य शुरू करने के आदेश जारी कर दिये और जो अति संवेदनशील एरिया, ट्राइबल एरिया थे वहां पर हमने पहली दिसम्बर से काम-काज शुरू कर दिये। चूंकि अकाल का मतलब होता है, लोगों का पलायन होना, पानी का अभाव होना, चारे का अभाव होना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान के अन्दर जो पहले स्थिति हुआ करती थी कि गुदड़ बांधकर बसों में जा रहे हैं, ट्रेनों के अन्दर जा रहे हैं, गायों की छांगें की छांगें जा रही हैं, इस रास्ते से निकल रहे हैं, वहां पर गोली-काण्ड हो रहे हैं, चारा नहीं है, पानी नहीं है, यह स्थिति राजस्थान में भैरोंसिंहजी के राज में नहीं होने दूंगा। इस महिने के अन्दर तीन लाख की श्रमिक सीमा है। अगले महिने में इस अकाल राहत के तहत पांच लाख लोगों को रोजगार दिया जायेगा और अगर अधिक आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से दिये जायेंगे।

अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि लोग गुजरात जा रहे हैं। पचास रुपये और सौ रुपये कमाने जा रहे हैं। एक आदमी रात को भी काम करता है और दिन को भी करता है और सौ रुपये कमा लेता है। तो राजस्थान सरकार की तरफ से 50 या 100 रुपये मैं नहीं दे सकता हूं। बत्तीस रुपये जो मिनीमम वेजेज है उस पर अगर उसके क्षेत्र में काम करने के लिए सहमत है तो राजस्थान सरकार की तरफ से मैं आश्वस्त करूंगा कि किसी को भी रोजगार की तलाश में बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है।

यहां पर यह भी चर्चा हुई जो कि राजस्थान सरकार ने प्राथमिकताएं तय की हैं। पहले केवल मिट्टी के काम हुआ करते थे। आजकल हमने पुख्ता काम, स्थायी सम्पत्तियों का सृजन किया है जिससे आने वाले समय में लोगों को लाभ मिले। किसानों के लाभ के लिए तालाब, जोहड़, नाड़ियां, एनीकट को सर्वाधिक प्राथमिकता हमने दी है। अब कुछ जगह से शिकायतें आ रही हैं कि जो प्राथमिकताएं दी हैं उसके अनुरूप काम नहीं हो रहे हैं। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर सरकार की प्राथमिकताओं, दिशा-निर्देशों की अनुपालना कहीं किसी जिले में नहीं हुई है तो निश्चित रूप से इसके ऊपर कार्यवाही की जायेगी। अभी मण्डावा वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि आपने बट्टा लगा दिया। अब हमने तो बट्टा लगाया कि नहीं, गयी बार 2050 में मैं गया था उधर, मण्डावा में. मैं कई बार गया हूं आपको मालूम होगा, आपका तो अता पता ही नहीं था। मैं पूछता था कि आपके एम. एल. ए. साहब कहां हैं। उन्होंने

(श्री सांवरलाल जाट)

कहा कि साहब, हमारे तो रोटेशनल सिस्टम पर आते हैं, हमारे दुख-दर्द में भागीदार हों या नहीं हों, एक बार यह जीतेंगे दूसरी बार दूसरा जीतेगा। तो आप तो अकाल के समय भी अपने लोगों के पास नहीं गये। आज आप मुझे क्या कहते हैं? इसलिए अब हमने तो बंटंटा लगाया कि नहीं लगाया पर आप तो किसानों का मटठा ही बैठा रहे हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्य परसादीलाल जी ने एक सवाल उठाया था, अकाल राहत कमेटियों के सम्बन्ध में। इसकी एक प्रक्रिया है कि सहायता विभाग लॉ डिपार्टमेंट के माध्यम से भेजता है और यह प्रक्रिया आपकी ही बनाई हुई है। हमने यहां पर सहमति के लिए भेज दिया है कि माननीय विधायकों को इस अकाल राहत कमेटी में सदस्य मनोनीत किया जाय। जब तक आपकी सहमति नहीं आती है, हमने विशिष्ट आमंत्रित रखा है कि कोई भी अकाल राहत की बैठक होगी तो बिना विधायकों के नहीं होगी। यह जिला कलक्टर की ड्यूटी है। कुछ सदस्यों के नामीनेशन की जहां तक बात है, नामीनेशन में कुछ समय लग रहा है। जिला स्तरीय कमेटियों का एक हफ्ते के अन्दर-अन्दर यह जो नामीनेशन करना है, कर दिया जायेगा। बाकी कमेटियों का गठन आलरेडी है। कमेटियों में कौन-कौन अधिकारी होंगे, वह सब है। एम. एल. एज. सारे के सारे हैं उसमें। चाहे विशिष्ट आमंत्रित हों या मान लीजिये एज ए सदस्य दो तीन दिन के अन्दर अब हो जायेंगे। माननीय अध्यक्ष जी से चर्चा हो गयी है। सभी माननीय सदस्य अकाल राहत कमेटी के सदस्य होंगे और नामीनेशन एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर कर दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : जनरल आपकी सहमति दे देनी चाहिये गवर्नमेंट को कि आल एम. एल. एज. होंगे। क्योंकि जिन जिलों में अकाल है और करीब-करीब सभी जिलों में अकाल है वहां के एम. एल. एज. हमेशा रहते आये हैं तो आप जनरल यह आदेश निकाल दीजिये, गवर्नमेंट को परमिशन दे दीजिये कि एम. एल. एज. उन कमेटियों के स्थाई सदस्य रहेंगे विशेष आमंत्रित नहीं, हमेशा मेम्बर रहेंगे और यह डिग्निटी....

श्री अध्यक्ष : जैसे ही आपने फरमाया, मैंने दस्तखत कर दिये हैं, 29 जिलों में।

श्री सांवरलाल जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी चर्चा उठाई थी कि कुछ जिलों के अन्दर चारे की समस्या है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि कहीं भी चारे की कमी है तो कल से ही यह चारा परिवहन की जो सब्सिडी है वह सरकार देने के लिये तैयार है। बांसवाड़ा जिले में हमारे पास सबसे पहले प्रस्ताव आया था कि चारे की यहां पर कमी है। हमने बहुत पहले ही वहां चारे के परिवहन की व्यवस्था करवा दी।

इसी प्रकार पशु आहार के सम्बन्ध में जो अनुदान है वह भी मैं दो एक दिन के अन्दर ही शुरू करवा दूंगा और राजस्थान सरकार विचार कर रही है कि गोशालाओं के लिए जो अनुदान मिलता है उसमें बढ़ोतरी की जाय और पशुओं के लिए जो अनुदान मिलता है आहार के लिए, उसकी

(श्री सांवरलाल जाट)

बढ़ोतरी पर भी विचार किया जा रहा है।

राजस्थान सरकार और राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री इस राजस्थान के किसानों के लिए बहुत संवेदनशील हैं और मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि जिस व्यक्ति को राहत कार्य पर रोजगार की आवश्यकता होगी, रोजगार की व्यवस्था करेंगे, चारे पानी की आवश्यकता होगी चारे पानी की व्यवस्था करेंगे और किसी भी प्रकार से अकाल की वजह से जो पहले ला एण्ड आर्डर की स्थिति पैदा हुआ करती थी वह स्थिति पैदा नहीं होने देंगे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सर्वाधिक लेबर किस जिले के अन्दर लगी हुई है अकाल राहत में ?

श्री सांवरलाल जाट : बांसवाड़ा जिले में।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : और सबसे कम बरसात कौनसे जिले की कौनसी तहसील में हुई है ?

श्री अध्यक्ष : आपकी तहसील में, मतलब यही है ? बिराजें आप।

श्री सांवरलाल जाट : आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं ... (व्यवधान) यह अकाल राहत के अन्दर राजस्थान सरकार की तरफ से कोई प्रतिबन्ध नहीं है। हमने जो सीलिंग दी है वह सीलिंग पूरी नहीं हो रही है क्योंकि पहले केवल फसल के ऊपर किसान डिपेंड रहता था, आजकल कई धन्धे हैं, कई खानें चल रही हैं, कई निजी सर्विसेज चल रही है। आपकी सीलिंग हम बढ़ा देंगे जिस दिन यह सीलिंग पूरी हो जायेगी....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हमारे यहां पर केवल एक फसली इलाका है, तीस-बत्तीस प्रतिशत बरसात हुई है एवरेज की।

श्री सांवरलाल जाट : मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके एरिया में अगर आवश्यकता होगी तो और काम खोल दिये जायेंगे। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : बांसवाड़ा के बाद सबसे ज्यादा लेबर कहां पर है ?

श्री सांवरलाल जाट : सबसे ज्यादा श्रमिक सीलिंग है बांसवाड़ा और उदयपुर में।

श्री परसराम मदेरणा : सीलिंग नहीं लेबर ?

श्री सांवरलाल जाट : लेबर सबसे ज्यादा आ रही है उदयपुर में, उसके बाद बांसवाड़ा में।

श्री परसराम मदेरणा : अजमेर में ?

श्री सांवरलाल जाट : अजमेर में भी आ रही है। मैं सारी बात दूं आपको।

श्री अध्यक्ष : उदयपुर में ज्यादा है। उदयपुर ज्यादा गीला है और ज्यादा ड्राट है अबकी बार। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : मेरा अकाल राहत मंत्रीजी से एक प्रश्न है। अकाल राहत के कार्य जो अभी आप फरमा रहे थे कि पक्के काम ज्यादा लिये जा रहे हैं, यह सही है कि पक्के काम लेने के बाद पंचायतों को सामग्री राशि एक महिने पहले स्वीकृत कामों की आज तक एडवांस नहीं दी गयी जिससे वह सारे के सारे काम नहीं चल पा रहे है और उसमें दिक्कत आ रही है।

दूसरा, पांच और दस लेबर एक-एक पंचायत में स्वीकार किये गये हैं। इस तरह के आदेश जिला कलक्टर से निकाले हैं। एक पंचायत में आठ-दस गांवों में पांच-दस लेबर कैसे काम कर सकते हैं, क्या हालत हो रही है। इसलिए इसको ठीक करने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष : आप मिल करके बात कर लें। यह तो डिबेट का देयर इज नो एंड टू इट।

श्री सांवरलाल जाट : आपके भीलवाड़ा में 18 हजार की 7 हजार ही आ रही है। पहले संख्या पूरी करवा लीजिये आप।

श्री अध्यक्ष : आप बैठें। आप बात कर लेना, सारी बात हो जायेगी। नीतिगत बात हो रही है, कोई इण्डिविजुअल कैपेसिटी की बात थोड़ी ही हो रही है। माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : अध्यक्ष जी, विधान सभा के प्रांगण में आज कानून और व्यवस्था पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखें। मुझे इस बात की खुशी है... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये, सुधार के लिये भी दिये, सुदृढ़ करने के लिये भी दिये, तफतीश ठीक हो इस बारे में भी दिये, उनका स्वागत करता हूं कुछ प्रकरणों पर मेरा यहां ध्यान भी खींचा है। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात का अफसोस है कि आखिर आज राजस्थान में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, कुछ इक्के दुक्के केस निकाल कर सम्पूर्ण पुलिस प्रशासन के ऊपर किसी तरह ब्लैंक आरोप लगा देना, यह इस विधान सभा में तो कम से कम उचित नहीं लगता है। मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं और वह इसलिए रखना चाहता हूं कि प्रामाणिकता सिद्ध होती है। अगर तुलनात्मक आंकड़े देकर यह कहा जाता कि राजस्थान की कानून और व्यवस्था की स्थिति यह है। 1993 के नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े उपलब्ध हैं और हिन्दुस्तान की सरकार ने किताब पब्लिश की है उस किताब के आंकड़े हैं और वह मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि कुछ बातें बहुत स्पष्ट हैं। यहां जो बातें सामने आती हैं, पर्सेण्टेज आफ केसेज चालान, आल इण्डिया का एवरेज है 52 9 प्रतिशत। जितने केसेज रजिस्टर हैं होते उन पंजीबद्ध प्रकरणों में से चालान जो होता है वह आल इण्डिया का पर्सेण्टेज है 52.9 और 1993 में राजस्थान का चालान का पर्सेण्टेज था 61.2, 1994 में 61.32 और 1995 में 63.65। यह मैंने आपके सामने आंकड़े दिये हैं जो पुलिस विभाग के आये हैं।

अब उसमें भी एक स्थिति मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष

(श्री कैलाश मेघवाल)

महोदय, कि हमारे यहां पर इस तरह की शिकायतें होती थीं कि पुलिस केसेज रजिस्टर नहीं करती है। आज भी कई प्रदेशों से जानकारी मिलती है कि कोई जाता है तो उसको रजिस्टर करने के पहले कई तरह की जानकारी करते हैं लेकिन यहां पर 1990 के बाद एक स्पष्ट निर्देश पुलिस को दिया गया कि आप थाने पर आने वाले व्यक्ति की एफ. आई. आर. अवश्य दर्ज करेंगे। उसकी प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी आप करें कि सही है या गलत है या ऐसा है, ऐसा नहीं करेंगे। आपको केस दर्ज करना ही है। जिससे इस तरह के केसेज में कमी आयी है। मैं नहीं कहता कि आज भी थाने पर जाने के बाद आदमी को पूरी तरह रिसीव कर लिया जाता होगा लेकिन बहुत कम स्थिति ऐसी आयी है, बहुत कम शिकायतें ऐसी आयी हैं कि प्रकरण दर्ज नहीं किये गये। अब यह मैंने आपके सामने तथ्य क्यों रखा? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए रखा है कि यह जो केसेज रजिस्टर होते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद फाल्स केसेज होते हैं, तफतीश के बाद इस नतीजे पर पुलिस पहुंचती है कि यह मुकदमा झूठा पंजीबद्ध कराया गया है और वह आंकड़ा मैं इसलिए आपके सामने देना चाहता हूं कि राजस्थान का पर्सेण्टेज जो फाल्स केसेज का है वह है 22.12 और आल इण्डिया का जो फाल्स केसेज का पर्सेण्टेज है वह है 5.45 अब यह मैं आपके सामने इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जो केस पंजीकृत हुए, जो चालान हुए उनमें जो असत्य प्रकरण दर्ज कराये गये वह निकालने के बाद यह स्वीकार करने में और मैंने पुलिस की रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार किया है कि 17 प्रतिशत मुकदमे....

श्री हरजीराम बुरडक : झूठे केस कम दर्ज हुए। यह तो लोगों ने झूठे करवाये नहीं इसमें पुलिस की क्या विशेषता रही ?

श्री कैलाश मेघवाल : पुलिस की विशेषता यह रही कि राजस्थान के 17 प्रतिशत पंजीकृत मुकदमे, जिसमें अपराध घटित हुआ है, अनट्रेस्ड गये हैं। मैं इस बात की उम्मीद करता था कि आप दूसरे प्रदेशों से आंकड़े लाकर रखेंगे क्योंकि आल इण्डिया का अनट्रेस्ड 42 प्रतिशत रहता है। आल इण्डिया में जो पंजीकृत घटनाएं हैं, जो अपराध हुए हैं, 42 प्रतिशत केसेज अनट्रेस्ड जाते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करता हूं कि कोई दुनिया का या कहीं का उदाहरण देते कि केस रजिस्टर होने के बाद हण्ड्रेड पर्सेण्ट चालान हुआ है, केस रजिस्टर होने के बाद हण्ड्रेड पर्सेण्ट तफतीश तो हो चुकी है। तफतीश का एक तौर तरीका है और मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं, कई तरह के आरोप लगते हैं पुलिस पर कि एक प्रकरण तफतीश में रजिस्टर होता है और रजिस्टर होने के बाद इन्वेस्टीगेटिंग एजेन्सी अपनी एवीडेंस कलेक्ट करना चालू कर देती है....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : गृह मंत्रीजी, आपका ध्यानाकर्षण डिस्टर्बेन्स के लिए

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

नहीं हैं लेकिन आप जब यह एश्योरेंस दे रहे हैं तो मेहरबानी करके सी. एम. सैक्रेटेरिएट को और सी. एम. को कह दीजिये कि एम. एल. एज. के खिलाफ फाल्स एफ. आई. आर. दर्ज नहीं करवायें। यही अर्ज करना है। मेरे पास डाकूमेंटरी प्रूफ है, फैक्ट्स की फोटोस्टेट कापी है कि सी. एम. सैक्रेटेरियट से बाकायदा आर्डर गया है कि एम. एल. ए. के खिलाफ आप फलानी तारीख को केस रजिस्टर करवाइये और उसमें एफ. आर. लगी है बाद में।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, ओसियां से आने वाले माननीय विधायक का जो सुझाव है उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन देश का फौजदारी कानून, दण्ड प्रक्रिया संहिता, चाहे एवीडेन्स एक्ट....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैंने तो सिर्फ आपको सजेशन दिया है।

श्री कैलाश मेघवाल : आपके सुझाव का स्वागत मैंने मन से किया है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : इसलिए कि सिर्फ सदन को अवगत करा दूं।

श्री कैलाश मेघवाल : आपने अवगत करवा दिया। आपका मन्तव्य भी पूरा हो गया और आपके सुझाव का मैंने मन से स्वागत कर लिया है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : पुलिस को अगर कोई फाल्स रिपोर्ट देता है तो 182 में मुकदमा चलता है। तो सी. एम. के यहां से आर्डर्स गये और वह फाल्स साबित हुए एफ. आई. आर. दर्ज करवायी उसका क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष : अब इसकी डिबेट बन्द कर दें तो ठीक है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, फलौदी से आने वाले माननीय विधायक का जो सुझाव है वह ठीक है। 182 का मुकदमा चलता है लेकिन उसके लिए भी परमिशन चाहिए। कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। लेटेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आयी है, चूंकि चलना तो हमको इसी आधार पर है सुप्रीम कोर्ट जो इन्टरप्रिटेशन करती है मैं कहना चाहता हूं कि इस देश का जो कानून है, इतना ट्रान्सपेरेन्ट कानून है कि कई बार शिकायत आपकी मेरे पास आती है, मैं कई बार उनसे कहता हूं कि एफ. आर. दे दी है तो आप प्रोटेक्ट पिटीशन लगाइये। खोली भी जा सकती है। लेकिन जिस तरह का ट्रान्सपेरेन्ट है, गिरफ्तारी के बाद से 24 घंटे के अन्दर-अन्दर फर्स्ट स्क्रूटनी हो जाती है मजिस्टेट के सामने कि सही गिरफ्तार किया गया या गलत गिरफ्तार किया गया। उसके बाद लगातार चान्स रहते हैं, लगातार जमानत की अर्जियां लगती हैं, एवीडेन्स कलेक्ट होती है। आप एवीडेन्स कलेक्ट नहीं करो तो मजिस्ट्रेट के यहां लगातार काग्नीजेन्स है और उस सारे के बाद, एवीडेन्स कलेक्ट करने के बाद इन्वेस्टीगेटिंग एजेन्सी इस नतीजे पर पहुंचती है कि इसमें अपराध घटित नहीं हुआ

(श्री कैलाश मेघवाल)

है और अपराध को प्रमाणित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है तो एफ. आर. पेश करती है। उस एफ. आर. के बाद भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि हमने आज तक यह कोशिश नहीं की कि यह सेक्शन 161 है यह 161 का सेक्शन हमने बड़े-बड़े लॉ कमीशन बैठा लिये, 161 के सेक्शन की उपयोगिता क्या है सिवाय एवीडेन्स को डिस्क्रेडिट कर देती है और 161 के बयान जिस तरह से लिखे जाते हैं उसकी वजह से भी पुलिस की कार्य-प्रणाली में बड़े-बड़े कमीशन भी आये, बड़ी-बड़ी चर्चायें भी हुई, लोक सभा में भी हुआ लेकिन कभी भी इस बात के बारे में यह नहीं हुआ कि इस 161 का कोई सब्स्टीट्यूट आ सकता है कि नहीं। ये जड़ है। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारे बयानों के बाद भी अदालत में एफ. आर. जाने के बाद नोटिस दिया जाता है कम्पलेनेंट को, तीन-तीन स्थितियां उत्पन्न हैं, जुडिशियल स्क्रूटनी होती है एफ. आर. को, चालान नहीं पेश हुआ तो, और जुडिशियल स्क्रूटनी के बाद अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर इस नतीजे पर पहुंचता है कि तफतीश पूरी नहीं हुई, कुछ बिन्दु छूट गये तो वह वापस उसको भेज सकता है नम्बर एक, नम्बर दो वह खुद रजिस्टर कर सकता है और प्रोटेस्ट पिटीशन की भी बात है। इस तरह हमारे यहां पर क्रिमिनल लॉ सारा जो है वह इतना ट्रान्सपेरेन्ट है कि जिसमें अगर ढंग से काम किया जाय और लगातार निगरानी रखी जाय वो स्थिति साफ हो जाती है।

मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर रहा था कि यहां पर इस तरह के कोई आंकड़े आते, जिस प्रदेश में हमारे यहां से ज्यादा चालानी प्रतिशत हो तो सामने तो आता। आल इण्डिया का एवरेज मैंने आपके सामने रखा। कुछ मुकदमे अनट्रेस्ड रह गये तो मैंने स्वीकार किया है, रिपोर्ट में लिखा है कि चालानी प्रतिशत इतना है, असत्य इतने हैं और बाकी के तो सब प्रमाणित प्रकरण हैं। वह जो ट्रेस आउट नहीं हुए, अब उसमें ट्रेस आउट नहीं होने में आरोप लग सकते हैं। कुल मिलाकर पुलिस का बेड़ा इस देश में जो आपने भी विकसित किया और हम भी विकसित कर रहे हैं उस बेड़े में मैं यह नहीं कहता सब सफेद हैं, अपवाद स्वरूप काली भेड़ें भी हो सकती हैं, उस बेड़े में विवेक एप्लाई करने में भी गलती हो सकती है। उस बेड़े में तेज बुद्धि और मन्द बुद्धि का भी बहुत बड़ा सवाल रहता है, एवीडेन्स कलेक्ट करने में भी। तो राजस्थान सरकार की हमेशा यह मंशा है, जो अपराध पंजीकृत होता है, अपराधी निश्चित रूप से दंडित होना चाहिए।

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ आंकड़े आपको और बताना चाहता हूं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : सदन का समय कार्यसूची समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है।

विभिन्न विषयों पर विचार

राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर विचार

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इंडिविजुअल केसेज दो चार गये हैं, डिबेट में उत्तर दे दो आप तो।

श्री परसराम मदेरणा : आप तो यह बता दीजिए कि उग्रवादियों के लिए जयपुर शरणस्थली बना। हरनेक सिंह सिद्धू दो साल तक यहां पर रहा। अभी यह आया है कि सदर बाजार में जो बम विस्फोट हुआ उसके जो एक्यूज्ड पकड़े गये हैं वह दो तीन दफा जयपुर में आकर आमेर रोड पर रहे थे कहीं। यह आतंकवादी और उग्रवादी जयपुर में आ रहे हैं, आपको और मुख्य मंत्रीजी को दोनों को ही जेड श्रेणी में शुमार किया गया है, आपके चारों तरफ गाड़ियां तो दौड़ रही हैं आगे-पीछे लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि इस ओर आपको ध्यान देना चाहिए और इंटेलीजेंस एजेन्सी को ज्यादा सक्षम बनाना चाहिए।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने....

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : गृह मंत्रीजी, आप तो यह बता दीजिए कि 28/96 में जिसमें सारे गुप्तांग काट करके ले गये उसके बारे में जवाब दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, जिसमें गलत गिरफ्तारियां की हैं?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने एक बहुत ही गम्भीर विषय पर राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित किया है उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। प्रतिपक्ष के माननीय नेता भी यह जानते हैं, अध्यक्ष महोदय, कि टेरेरिज्म आज एक इन्टरनेशनल फिनोमिना बन चुका है और राजस्थान की भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि 1 हजार 40 किलोमीटर हमारी अन्तरराष्ट्रीय सीमा है और उस अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान जो छेड़खानी करना चाहता है उसके लिए दरवाजे हमारे हो तलाश करता है। कश्मीर के आतंकवादी जब छेड़खानी करना चाहते है उसके लिए भी गंगानगर के इधर आकर चलना चाहते हैं। पंजाब के टेरेरिस्ट, भगवान की कृपा है कि आज पंजाब में टेरेरिज्म कम हुआ है लेकिन उनका भी इधर झुकाव रहता था और चूंकि आपस में आना-जाना इस तरह का रहता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता इस बात से सहमत होंगे कि आज इन्टरनेशनल टेरेरिज्म की अपनी कोआर्डिनेटिव वर्किंग है। आज हिन्दुस्तान के टेरेरिस्ट की अपनी कोआर्डिनेटिव वर्किंग है। यह इतनी बड़ी मिनेस (Menace) है जो राजस्थान में भी है और देश के अन्य हिस्सों में भी है और देश की राजधानी दिल्ली में भी है। राजस्थान के मुख्य मंत्री, माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत

(श्री कैलाश मेघवाल)

समय-समय पर, मेरा ऐसा ख्याल है पीरियोडिकल फोर्टनाइटली इस बात के लिए चिन्तित रहते हैं कि बोर्डर की स्थिति क्या है, कहीं से टेरेरिस्ट विंग तो नहीं आ रहो। हमारी पुलिस पंजाब से भी, दिल्ली से भी जितना नेटवर्क हो सकता है, जितनी इंटेलीजेंस एजेंसी हो सकती हैं उन सबसे लगातार सम्पर्क किये हुए है। आपने भी ध्यान आकर्षित किया, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, 26 जनवरी को भी जिस तरह की घटना हुई और इसके पूर्व भी जिस तरह की घटनाएं हुईं उससे राजस्थान में आतंकवादियों के एक ऐसे स्थान के रूप में, शरणस्थली के रूप में जो सम्भावना बनी हुई है उस सम्भावना पर राजस्थान सरकार सदैव जागरूक रहेगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बातें उठीं। उठनी भी चाहिए। हमारे माननीय भीमसेन जी चौधरी ने कुम्हार वाड़ा विंग का एक प्रकरण उठाया। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने....

श्री परसराम मदेरणा : अब आप एक-एक का जवाब मत दीजिए। एक-एक प्रकरण का देंगे तो आप दो घंटे लेना चाहते हैं। आपने फिगर्स तो जोरदार दे दिये....

श्री कैलाश मेघवाल : और हैं फिगर्स तो। और सब फिगर्स राजस्थान में कानून और व्यवस्था सर्वोच्च स्थान पर है इसको साबित करने वाले हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आपने क्या नहीं किया। आपने 161 सी आर. पी. सी. की व्याख्या कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है आपको 182 के अन्दर, 182 की भी आपने व्याख्या कर दी। काफी डिटेल में आप बोल गये। अब एक-एक का आप जवाब देना पसन्द करें तो आपकी मर्जी है लेकिन आपका उत्तर काफी आ चुका है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा तो नहीं बोलना चाहता, एक स्थिति का वर्णन और करना चाहता हूं उसके बाद में बैठ जाऊंगा। मुझे कोई एतराज नहीं है।

पुष्कर से आने वाले माननीय विधायक ने बहुत गम्भीर मसला उठाया है। मर्डर हुआ मुकेश का। निश्चित हुआ। लाश फेंक दी गयी। तीन दिन बाद लाश मिली। उसकी जानकारी हुई, तफ्तीश हुई और तथाकथित उनके राष्ट्रीय स्वयं सेवी संघ के कहलाने वाले, संघ के पदाधिकारी 6 आदमी गिरफ्तार हुए और इसमें जिस अधिकारी की कोताही हुई उनको भी सस्पेण्ड किया गया, आज राजस्थान की कानून व्यवस्था यह है। लेकिन मुझे एक पुरानी घटना याद आती है, माननीय अध्यक्ष महोदय, पुष्कर के माननीय विधायक उस समय सांसद थे। अजमेर में रात्रि को अपने किसी मित्र के यहां खा-पी रहे थे और इनके साथ ऐसा जघन्य अपराध घटा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि मैं

(श्री कैलाश मेघवाल)

उसका वर्णन नहीं कर सकता । इनका साहस नहीं हुआ उस समय कि उस घटना की जाकर के रिपोर्ट करते । वह अपराधी कौन थे और वह रिपोर्ट क्यों नहीं कर सके, यह मैं पूछना चाहता हूं इनसे ? अजमेर में तो सवाल ही नहीं होता, अखबारों में छपी है, बैठे हैं सामने । इतना जघन्य अपराध हो गया, वे कौन लोग थे और उनके खिलाफ ये बोलने का साहस नहीं कर सके । माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आज पुष्कर से आने वाले माननीय विधायक जब चरित्र की बात करते हैं....

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : अगर कोई घटना घटी होती तो मेरे में साहस था या नहीं था लेकिन जिस पुलिस की यहां तारीफ कर रहे हैं वह पुलिस क्या कर रही थी ? लेकिन यहां कोई घटना घटी ही नहीं ।

श्री कैलाश मेघवाल : आपने जाकर के एस. पी. के पैर पकड़े कि इस बात को उजागर मत करना नहीं तो मेरी........ (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : आप इंडिविजुअली किसी को काउड डाउन नहीं कर सकते ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप ।

श्री विष्णु मोदी : यदि आप यह चाहे कि मैं इस सदन मे नहीं बोलूं तो मैं आपकी इन धमकियों में नहीं आने वाला । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह धमकी की बात नहीं, आपके प्रेम की बात हो रही है ।

श्री विष्णु मोदी : यदि किसी सांसद के साथ कोई घटना घटी और पुलिस कार्यवाही नहीं करे तो उस पुलिस की आप तारीफ कर रहे हैं । आप इंडिविजुअली किसी को रोकना चाहते हैं तो मैं रूकने वाला नहीं हूं । (व्यवधान) माननीय गृह मंत्रीजी, जब रक्षक ही भक्षक हो गये हैं, आपकी पुलिस इनडिसिप्लीन्ड हो चुकी है, आपके सिपाही क्रिमिनल्स के साथ है.... (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : सुनिये भी आप ।

श्री विष्णु मोदी : आप जिस मुकेश हत्याकाण्ड की बात कर रहे हैं । तीन तारीख को लाश मिली और उस लाश को बजाय उसकी मां को सौंपने के आपने जला दिया । आप यह नहीं चाहते थे कि उन हत्यारों को पकड़ा जाय ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें ।

श्री विष्णु मोदी : मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अजमेर की उस जनता को.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बहुत पुरानी दोस्ती है आपकी । बिराजें आप ।

श्री कैलाश मेघवाल : हां, दोस्ती है तभी तो मैं कह रहा हूं । इनके भाषण आजकल बहुत सुधर गये हैं ।

श्री अध्यक्ष : यह मिल्लत की कुश्ती क्यों लड़ रहे हो । बिराजें आप । मोदीजी, मिल्लत की कुश्ती क्यों हो रही है आपकी ।

श्री कैलाश मेघवाल : राजनीतिक प्रतिबद्धता की बात करते हैं तो सोचता हूं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री कैलाश मेघवाल : जब यह प्रशासनिक कुशलता की, अकुशलता की बात करते हैं तो सोचता हूं कुछ सुधरें। सबसे पुराने मित्र हैं, साहब।

श्री रतनलाल ताम्बी : आपकी दोस्ती कब बिगड़ गयी ? आपकी दोस्ती कब बिगड़ गयी यह समझ में नहीं आता। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। यह तो मिल्लत की बात हो रही है।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, अभी गृह मंत्रीजी जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे, उत्तर दे रहे थे, उत्तर देने के बाद में आल इंडिया फिगर्स आपने जो प्रस्तुत किये, निश्चित तौर पर उन पर यकीन करना ही पड़ेगा। इस मामले को लेकर आपने टेनजेंट लगाने की कोशिश की, जोर-जोर से लंग पावर यूज की, इसका मतलब है कि आपका केस बहुत वीक है। You are standing on a very feeble footings. इसलिए आप लंग पावर से यहां हाउस के अन्दर फिजां बनाना चाहते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : आपकी टिप्पणी के लिए आपको धन्यवाद। मैं तो अजमेर की दो घटनाओं की तुलना कर रहा था। एक घटना तो अभी की है, लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक घटना उस समय हुई थी, ऐसे जघन्य अपराध में भी पुलिस में जाने का लोग साहस नहीं कर सकते थे और पैर पकड़ते थे पुलिस वालों के।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, अभी तो विवेक की बात कर रहे थे कि विवेक की पुलिस में कमी हो सकती है। लेकिन अभी आपने तो विवेक खो दिया। राजस्थान का होम मिनिस्टर विवेक खोकर यहां पर जोर-जोर से हाथ मिला रहा है। इसका मतलब है कि you have nothing to allege and you are making some allegations.

श्री कैलाश मेघवाल : नो, नो।

श्री परसराम मदेरणा : No, No, motivated.

श्री कैलाश मेघवाल : Not at all. I am only narrating the facts of the incident, अपोजिशन के लीडर महोदय।

श्री परसराम मदेरणा : नो, आपका केस बहुत वीक है इसलिए आप जोर-जोर से बोल रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं तो तथ्य रख रहा हूं और अगर तथ्य किसी को पीड़ादायक हैं तो यह मेरे बस की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, माननीय।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, तकलीफ तो इस बात की है कि

(श्री विष्णु मोदी)

जब अजमेर की जनता ने क्रिश्चयनगंज के थाने को घेर लिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस लाश को उसकी मां को नहीं सौंप सकी, उसकी मां गुहार कर रही थी और बाद में जब जनता ने क्रिश्चयनगंज का घेराव कर लिया तब उसके बाद में एफ. आई. आर. दर्ज करनी पड़ी। तब जाकर उन हत्यारों को पकड़ा और वह सब भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के, बजरंग दल के लोग थे।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री कैलाश मेघवाल : सही है। मैं आपका आभारी हूं....(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : मेरा आरोप यह है कि एक तारीख को मर्डर हुआ, तीन तारीख को लाश फूंक दी और जब जनता ने क्रिश्चयनगंज थाने का घेराव किया तब जाकर यह केस दर्ज हुआ। आप मुझ पर क्या आरोप लगाते हैं?

श्री कैलाश मेघवाल : मैं अजमेर पश्चिम से आने वाले माननीय विधायक का, सब विधायकों का आभारी हूं, यहां पर क्योंकि मुझे जो-जो भी सूचनाएं यहां पर मिलती हैं उन सूचनाओं पर एक्ट अपोन करता हूं कोशिश करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां जैसी बात कही गयी, ऐसोसिएशन आफ द एविडेंस तथा इन्वेस्टीगेशन में जहां तक सीमा जाती है, मैने कभी भी आज तक कोई विधायक कह दे मेरी सीमा में पक्षपात किया गया हो। नीचे तो हो सकता है पक्षपात करने के भी कई कारण हैं। राजनीतिक दबाव भी है, कुछ दूसरे कंसीडरेशंस भी हैं लेकिन मेरे स्तर पर माननीय विधायक ने जब भी कोई बात कही होगी, मैंने निश्चित रूप से जो भी सम्भव हुआ और उन्हीं से पूछता हूं कि आप कहें तो मैं एस. पी. को टेलीफोन करता हूं और आप कहें तो मैं डी. आई. जी को टेलीफोन करता हूं और आप कहें तो मैं डी. जी. पी. साहब से कहता हूं। क्योंकि एजेन्सी तो यही है निष्पक्ष कार्यवाही करने के लिए।

श्री परसराम मदेरणा : Low will tape its own coures.

श्री कैलाश मेघवाल : लॉ तो लेगा ही। रूल आफ लॉ है, माननीय।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : प्रतिपक्ष के नेता महोदय रूल आफ लॉ को ही मेनटेन करना है। यह रूल आफ लॉ को आप हम बाई पास करेंगे तो कई तरह की तकलीफें आयेंगी। मेरी हमेशा यह कोशिश रहती है। मैं यह नहीं कहता कि मेरे विवेक से कोई गलती नहीं होती। मैं यह नहीं कहता कि जो आने वाले है वह सब सही होते हैं। कई बार आने वाला जिस ढंग से आपने आपको पेश करता है तो उस पर विश्वास भी हो जाता है और वह भी सफल होना है अपने मन्तव्य में कि मैं होम मिनिस्टर तक पहुंच गया हूं, टेलफोन हो जाते हैं। मैं जानता हूं उस साइकोलाजी को। लेकिन यह व्यवस्था है कि आने वालों की सबको सुननी पड़ेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की पुलिस में सुधारात्मक दृष्टि से कई

(श्री कैलाश मेघवाल)

कदम उठाये गये हैं और इस साल भी 35 करोड़ रुपया जो हमारी सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण की एक योजना है उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने और वित्त मंत्रीजी ने उदारतापूर्वक दिया है। आज यह बात आती है सामने, हमारे माननीय विधायक कह रहे थे कि आज भी यह लिगेसी जो है, फयूडल सिस्टम की लिगेसी है। इसमें आप मेरा नाम ले रहे थे कि किसी अखबार वाले ने दिया, गंगारामा था, वह गंगारामा से ही राज चलता था। हां, वही गंगारामा जो आपने अभी कहा कि गंगारामा होता था। यह गंगारामा कल्चर जो इस फयूडल स्टेट्स की थी उस कल्चर से हम पूरी तरह उऋण नहीं हो पाये है। प्रशिक्षण पर ज्यादा से ज्यादा हमको ध्यान देना है। अच्छे शिक्षित लोग हों और अच्छी सोच वाले लोग और सामान्य सोच वालों को हमको ठीक करना है। इस दृष्टि से राजस्थान की पुलिस में सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, अच्छे हथिरा ? और सबसे ज्यादा प्रशिक्षण पर हम ध्यान दे रहे हैं। हमने पिछले दिनों एक निर्देश दिया था कि केस रजिस्टर होने के दो महीने के अन्दर-अन्दर तफ्तीश पूरी हो जानी चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, समय नहीं है, नहीं तो मैं आंकड़े बताता कि इसके अच्छे परिणाम रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि पुलिस विभाग को बहुत अच्छी तरह से मानीटर किया जाय, राजस्थान की जनता को जहां सुरक्षा मिले शांति मिले वहीं अपराधों में भी अच्छी तफ्तीश होकर न्याय मिले।

इन्हीं शब्दों के साथ माननीय विधायकों के दिये गये सुझावों के लिए मैं इनका धन्यवाद अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय ऊर्जा मंत्री जी।

श्री कैलाश मेघवाल : वह तो इण्डिविजुअल केस था। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : गलत आदमी को गिरफ्तार कर लिया। (व्यवधान) क्या कहना चाहते हो ? क्या कहना चाहते हो आप ?

श्री अध्यक्ष : विद्युत मंत्री जी। माननीय सदस्य आप बिराजें। विद्युत मंत्री जी बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : हमारे सवाल हैं आप बोलिये ...

श्री अध्यक्ष : अब आप बाद में बात कर लेना। बिराजें आप। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक मामला उठाया था निवाई थाने के अन्तर्गत डागरथल गांव की नाबालग आठ वर्षीय लड़की के साथ....

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री परसादीलाल मीणा : गृह मंत्री जी ने यह कहा था कि कल परसों तक मैं गिरफ्तारी करके आपको जानकारी दूंगा। गृह मंत्री जी, क्या गिरफ्तारी हो गयी ? दूसरा मेरा मामला 159/94 थाना सलेमपुर दौसा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : क्या सूबेदारसिंह गिरफ्तार हो गया ? तीसरा मामला है, 10/95 थाना तिजारा, जिला अलवर....

श्री अध्यक्ष : माननीय विद्युत मंत्री जी। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : सन्तराम सैनी के मामले में क्या कार्यवाही हुई एक साल में ? आप बताइये, क्या कार्यवाही सन्तराय सैनी के मामले में ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। गृह मंत्रीजी से बात कर लेना।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी कह कर गये हैं कि आज जवाब मिलेगा, मुख्य मंत्री जी ने खुद ने कहा है कि आज जवाब दिलाऊंगा। मुख्य मंत्री जी सुबह हाउस में कहकर गये हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरे मामले में कहा है मुख्य मंत्री जी ने। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : एक मिनट अर्ज करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बात कर लेना अभी।

श्री रामस्वरूप मीणा : सवाईमाधोपुर जिले गुढ़ाचन्द्रजी में हुए गोलीकाण्ड (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : मुख्य मंत्री जी ने स्वयं ने कहा कि आज आपको हाउस में जवाब दूंगा। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि उनको सहायता देंगे। क्या सहायता देंगे बताइये ? (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : हाउस एडजोर्न होने से पहले दें।

श्री रामस्वरूप मीणा : जिला सवाई-माधोपुर के गुढ़ाचन्द्रजी के गोलीकाण्ड में क्या सहायता देंगे, बताइये आप ? कुछ नहीं बोले आप उसके बारे में। सीकरोदा में ब्राह्मण का लड़का मरा, कुछ नहीं बोले उसके बारे में आप। (व्यवधान) एक बैरवाओं का लड़का मरा आपने एक लाख की घोषणा कर दी ब्राह्मण का लड़का मरा आपने एक नया पैसा नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूप जी, ज्यादा बोलने से ही हल नहीं हो जायेगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : + + + यहां बोलना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कहेंगे तो। (व्यवधान) बोलेंगे नहीं तो और क्या करें ? (व्यवधान) जवाब आप दिलाते नहीं, तारीफ अपनी कर दी पूरी।

श्री अध्यक्ष : अभी बात कर लेना। बात कर लेना। अब आप बिराजें। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) आज यह क्या नयी डिबेट चालू कर दी ? यह क्या हो रहा

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

है ? आधा घंटा बढ़ाओ, आधा घंटा और बढ़ाओ। आप, माननीय सदस्य, बिराजें। आप बाद में बात कर लेना।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अन्याय है हमारे साथ। हम मुख्य मंत्रीजी की बात का विश्वास करके रात तक बैठे रहते हैं पर, हमारी बातों का जवाब नहीं आता है और गृह मंत्रीजी आज के बाद हमसे बात ही नहीं करते हैं। हम क्यों बात करने जायं उनके पास ?

श्री अध्यक्ष : अभी आप मेरे से बात कर लेना।

श्री परसादीलाल मीणा : हमको मुख्य मंत्रीजी कह कर गये हैं। आप मना कर दो मुख्य मंत्रीजी नहीं कह कर गये हैं तो। आप प्रोसिडिंग्स निकलवा लो। प्रोसिडिंग्स निकलवा लो आप। हम आपको गलत बात कभी नहीं कहते हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें।

श्री परसादीलाल मीणा : प्रोसिडिंग्स निकलवा लीजिये, मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि आज ही इनका जवाब मिलेगा। मुख्य मंत्रीजी स्वयं बैठे थे उस वक्त।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने कहा है, आप प्रोसिडिंग्स निकलवा लीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप बात कर लेना।

श्री परसादीलाल मीणा : संतराम सैनी के हत्यारे गिरफ्तार क्यों नहीं हुए ? नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने वाले बलात्कारी क्यों नहीं आज तक गिरफ्तार हुए ? क्या कर रही है एक महीने से राजस्थान की पुलिस ?

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि मेरे पास सारी सूचनाएं हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : आप दीजिये, हम पूछ रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : इस केस में मेडिकल जिन दो डाक्टरों ने किया था प्राइमाफेसी उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट सही नहीं दी। उन दोनों डाक्टरों को निलम्बित करके नया मेडिकल करवा कर जो मुलजिम सामने आये मोहनिया और उसके गिरफ्तारी के प्रयत्न चल रहे हैं, यह मैं आपको सूचना देता हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : गुढ़ाचन्द्रजी गोलीकांड का क्या हुआ ? सवाईमाधोपुर के गुढ़ाचन्द्रजी गोलीकाण्ड का क्या हुआ ?

श्री कैलाश मेघवाल : अब आप कह रहे हो, पुरानी बात हो गयी दो साल पहले की है।

श्री रामस्वरूप मीणा : हां, तो अब आप सहायता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : बैठ जायं आप । माननीय मंत्रीजी, आप बोलें ।

श्री परसादीलाल मीणा : एक मुकदमा नम्बर 156/94 थाना... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय परसादीलाल जी, बिराजें आप ।

श्री परसादीलाल मीणा : सूबेदार सिंह गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ आज तक ?

श्री अध्यक्ष : अब आप यह क्या कर रहे हो ?

श्री परसादीलाल मीणा : सूबेदार सिंह थाना बलमपुर, दौसा, जिसने कमलेशी देवी की हत्या की है, लूट की है, उसके साथ बलात्कार किया है । यह आप बताइये गृह मंत्रीजी... (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : एक तो किरोड़ीलाल के केस में चार मुलजिम थे, चार में से दो का चालान हो चुका

श्री परसादीलाल मीणा : एक का भी नहीं हुआ ?

श्री कैलाश मेघवाल : दो का हो चुका है ।

श्री परसादीलाल मीणा : साहब, मैं सुबेदारसिंह की बात कर रहा हूं, जिसने किरोड़ीलाल महाजन की हत्या की है ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें ।

श्री कैलाश मेघवाल : देखिये, सूबेदार सिंह तो पकड़ा नहीं गया है, राजेन्द्र सिंह और निहाल सिंह का चालान हो चुका है । यह जो आपने एक केस बताया था किरोड़ीलाल का, इस केस में दो मुलजिम सूबेदारसिंह और महाराम सिंह अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं । उनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है । अदालती कार्यवाही चल रही है । (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : 1994 से आज तक पुलिस क्या कर रही है । क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है ? (व्यवधान) गृह मंत्रीजी, गिरफ्तार करवाओ उनको ।

श्री कैलाश मेघवाल : पुलिस को हिदायत दी जा रही है कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे ।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह डिस्कशन का विषय नहीं है । आप वकील हो, यह क्या कर रहे हो ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं वकील हूं इसलिए चिन्तित हूं ।

श्री परसादीलाल मीणा : तिजारा के संतराम सैनी का है उसमें क्या हुआ ? तिजारा थाना जिला अलवर का है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप वकील हो फिर इस तरीके से डिस्कशन कर रहे हैं । वकील होकर इस तरीके से किये जा रहे हैं ।

At the floor of the House (Interruption) whether it can be settled here.

(श्री अध्यक्ष)

प्लीज, आप बैठ जायं। आप बिराजें। माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, आप बोलें। (व्यवधान) आप बैठें कृपया। आप बाद में बात कर लेना। मैं आपसे अनुनय विनय कर रहा हूं, आप बैठ जायं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, आज आपने कसम खा ली। आज आसन ने कसम खा ली है कि मुझे बोलने नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जायं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मेरी चिन्ता तो आप सुन लीजिये। मेरी चिन्ता को मैं आपको बताना चाहूंगा। उसका आप जवाब मत दिलाइये। आप उसका जवाब मत दिलवाइये, मैं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपने बोलना चालू किया नहीं पीछे रामस्वरूपजी बोलेंगे ही बोलेंगे वह रुक ही नहीं सकते।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि आप इसका जवाब मत दिलायें।

श्री अध्यक्ष : अब आप कृपा करें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : 1994 में जिस सूबेदारसिंह ने महाजन की हत्या की उसकी दो साल से गिरफ्तारी नहीं हुई और वह दूसरा कांड कर गया।

श्री अध्यक्ष : यह बात आप बाद में कर लेना।

श्री हरिसिंह (महुआ) : एक ब्राह्मणी के साथ बलात्कार किया, लूट की, हत्या की और तीसरी हत्या की फिर तैयारी कर रहा है और चौथी भी होगी। आखिर कौनसा कारण है कि वह आदमी गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : पुलिस सतर्क है, नहीं होगी।

श्री परसादीलाल मीणा : यह हो गयी ना अभी। अब हो गयी हत्या तो आपने क्या कर दिया?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह क्या परिपाटी है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : यह क्या कर रहे हैं आप, मुझे तो यह समझ में ही नहीं आता। आखिर कर क्या रहे हैं आप?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आप उधर देखते ही जाते हैं तो वे बोले ही जाते हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : सूबेदार सिंह पुलिस के साथ दारु पीता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह तो पहले भाषण हो चुके हैं पच्चीस बार, अब आप रिपीटिशन कर रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : दूसरी घटना हो गयी, तीसरी घटना हो गयी।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें। दूसरी घटना हो गयी तो तीसरी बार आपको बोलने का और मौका मिलेगा जोर जोर से You will be having no chance there. प्लीज सिट डाउन।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य के सुझावानुसार मैं जरा धीरे बोलूंगा। आज चर्चा में माननीय सदस्यों ने कई उत्तम सुझाव दिये हैं। लगभग, बिजली पर रोज ही चर्चा हो रही है। स्वाभाविक भी है कि राजस्थान का विकास कार्य, जन जीवन बिजली से प्रभावित होता है इसलिए इस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है कुछ ने बहुत अच्छे सुझाव दिये और कुछ ने आरोप लगाने की कोशिश की। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में....(व्यवधान) अब आप थोड़ी देर ठहर तो जाओ।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : यह कह रहे हैं कि अच्छे सुझाव दिये उनको प्राथमिकता देकर के पहले उनका उत्तर दे दीजिये और आरोप वालों का बाद में दे दीजिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आपके प्रश्नों का उत्तर यह देता हूं कि जो मैंने आश्वासन दिया था उसकी क्रियान्वित के लिए बोर्ड को निर्देश दे दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी कहा गया कि राजस्थान में जितने पावर प्रोजेक्ट आ रहे है वे लगेंगे नहीं।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)। अध्यक्ष महोदय, एक मेरा भी था।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : उस पर विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : यह इर्रिलेवेन्ट बात नहीं करें। आप बिराजें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : राजस्थान में जो पावर प्रोजेक्ट आ रहे हैं वे लगेंगे नहीं। जब आशय पत्र जारी हो रहा था तब यह आया कि सोलर चिमनी है उसके लिए डिफेंस परमिशन नहीं देगा। दो रुपये दस पैसे की रेट आयी है। जब यह बात आयी कि यह तो रेट बहुत ज्यादा है। मुझे बड़ा दुःख होता है क्योंकि राजस्थान का विकास बिजली पर आधारित है और राजस्थान के विकास का ठेका हमारा ही नहीं है, हम क्रियान्विति करेंगे लेकिन आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। इसलिए राजस्थान के विकास के लिए कोई पावर प्रोजेक्ट आता है तो उसका सुझाव तो उत्तम है लेकिन हर बात का विरोध करना कहां तक उचित है, यह मेरी समझ में नहीं आया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम कोशिश करते हैं कि प्रतिपक्ष के नेता महोदय को जो कुछ होता है, आशय पत्र वगैरह देते हैं और यदि हम चूक कर जाते हैं, इनका बड़प्पन है, इनकी ड्यूटी है राजस्थान के विकास में भागीदार है, यह हमको टेलीफोन करके हमारे अफसरों से सूचना मंगवाते है। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन यह कहा गया कि यह सोलर ऊर्जा लगेगी नहीं, संसार में इतने ही मेगावाट

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

है तो राजस्थान में 300 मेगावाट कैसे ले आयेंगे। राजस्थान ने कई नयी परिपाटी डाली है। कौनसी स्टेट में अन्तरराष्ट्रीय स्पर्धा के आधार पर निविदाएं मांगी गयी थीं? हमने मांगी, शुरूआत हमसे की। हमको आश्चर्य हुआ, जिस एनरान का एम. ओ. यू. हुआ महाराष्ट्र में उसकी प्रशंसा की जा रही है कि वह ठीक था और आज इसने इन्टरनेशनल काम्पीटिटिव बिडिंग किया उसके लिए हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं। सारे संसार की श्रेष्ठतम कम्पनियां इसमें आयी है। जो फोटो वोलटेक सिस्टम से टेक्नीक आयी है, मान्यवर, ...

श्री परसराम मदेरणा : भारत सरकार ने निर्देश भी दिये सब स्टेटस को कि आपको इन्टरनेशनल बिडिंग के द्वारा ट्रान्सपेरेंसी रखनी पड़ेगी, एम. ओ. यू. वगैरहा कोई साइन नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि यह आपके लिए नहीं है, यह निर्देश तो सभी स्टेट्स के लिए गये हैं। (व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : एक सैंकड, ठहरो तो सही, मुझे बोलने दो। माननीय नेता महोदय, राजस्थान के इन्टरनेशनल काम्पीटिटिव बिडिंग को देख कर भारत सरकार ने बाद में यह दिये हैं।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, उससे पहले दिये हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : उससे वहीं नहीं आये।

श्री परसराम मदेरणा : पहले नहीं आये ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : नहीं उसके पहले नहीं आये।

श्री परसराम मदेरणा : मैं कल देख करके आपको फोन करूंगा। मेरी जहां तक जानकारी है ...

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आप यदि मुझे करेक्ट करेंगे तो मैं करेक्ट करने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार ...

श्री परसराम मदेरणा : आपने नवम्बर में किया है और मेरी समझ में यह जो भारत सरकार के निर्देश हैं मई या अप्रेल, 95 के हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह नहीं है, मान्यवर। यदि आप मुझे बता देंगे तो मैं करेक्ट कर लूंगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन है नहीं, हमारे इस कदम की सब जगह प्रशंसा की गयी है।

मान्यवर, यह भी गया कि इसकी रेट बहुत ज्यादा है प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय, आपके लिए खास तौर पर मैं यह बात कह रहा हूं, आपके मुंह से जब मैंने यह सुना कि रेट ज्यादा है तो मुझे तकलीफ हुई। सौर ऊर्जा की रेट 3 रुपये 24 पैसे ज्यादा है। यह भारत सरकार के गैर परम्परागत ऊर्जा, मंत्रालय ने एक लिस्ट बनायी है और इसमें कास्ट

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

निकाली है सौर ऊर्जा की, जिसकी यह प्रति मेरे पास मौजूद है। इसमें यह बता रहे हैं कि पहले केन्द्रीय विद्युत मंत्री ने एमको-एनरान को हमारे पास भेज दिया और कहा कि आप इनसे बातचीत करें। उसकी शर्त आयी थी 8.75 रुपये प्रति यूनिट बीस साल बाद। तो हमने उनकी बात नहीं मानी और हमने इन्टरनेशनल काम्पीटिटिव बिडिंग किया। संसार की श्रेष्ठतम कम्पनियां आयी आपकी सूचना के लिये बताना चाहता हूं कि भारत सरकार के इस परिपत्र के हिसाब से इनकी रेट 20 साल बाद, 2020 में 7 रुपये 62 पैसे है जबकि हमारी 2 रुपये 24 पैसे होगी। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : बीस साल बाद, आपको मैंने यह बात नहीं कही थी। क्योंकि मैंने सच्ची बात कह दी इसलिए आपको पीड़ा हुई, आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैंने सच्ची बात कह दी। मैंने यह बात कही थी कि वहां का गरीब काश्तकार तीन साल बाद, सात साल तक आपने जो पावर टेरिफ तय की है 3 रुपये 81 पैसे, वह नहीं दे सकेगा। मैंने उनकी पीड़ा को ध्यान में रखकर ही यह बात कही थी। वह दे नहीं सकेगा तो बिजली ले नहीं सकेगा और कुआं चला नहीं सकेगा क्योंकि कुएं बहुत गहरे हैं, तीन सौ, साढ़े तीन सौ, चार सौ फीट गहरे हैं। मैंने यह बात कही थी तो कौनसी गलत बात कही? आपकी 2.24 की रेट 7 साल तक 3.81 रहने वाली है। मैंने गलत क्या कहा?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : 11 साल से 20 साल तक 2 रुपये 24 पैसे रहने वाली है। पांच साल बाद नेफ्था, कोयला इनकी रेट क्या जायेगी? भारत सरकार 7 रुपये 25 पैसे की रेट बता रही है और हमने 2 रुपये 24 पैसे रेट तय कर ली तो क्या राजस्थान की जनता के साथ अन्याय कर लिया?

श्री परसराम मदेरणा : आपने 2 रुपये 24 पैसे नहीं किया। 3 रुपये 81 पैसे, सात साल तक आपने सबसे ज्यादा टेरिफ इंक्रीज की है। आप देख लीजिये कि 1990 के बाद आपने सबसे ज्यादा टेरिफ इंक्रीज 28 पैसे से लेकर 50 पैसे एग्रीकल्चर सैक्टर में की है। इण्डस्ट्री से भी ज्यादा की है, पर्सेण्टेज मैं दे सकता हूं। मैंने सोचा कि ये कागज किसलिये निकाले हैं। मैं उन काश्तकारों की बात कर रहा था जिनकी आर्थिक क्षमता नहीं है। जब वे नहीं दे सकेंगे इसलिए मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया था। अगर आप यह चाहते हैं, सौर ऊर्जा का मामला बहुत डिफिकल्ट है मंत्रीजी You are trading in an unexplored field. सौर ऊर्जा में 24 घण्टे बिजली नहीं मिलने वाली है। दिन में बिजली मिलेगी, रात में नहीं फिर उसकी हाई रेट। डेजर्ट में कुएं बहुत गहरे हैं। तीन सौ, साढ़े तीन सौ, चार सौ फीट गहरे हैं। ऐसी सूरत में मैंने यह बात कही थी। आप कह रहे हैं कि नान कंवेंशनल एनर्जी मिनिस्ट्री ने हमको यह रेट दी है। नान कंवेंशनल एनर्जी मिनिस्ट्री का मैं यहां पर कंप्टेन नहीं हूं। मैं जिसको ठीक समझता हूं वह बात सदन में कहूंगा,

(श्री परसराम मदेरणा)

काश्तकारों की बात कहूंगा। यदि काश्तकारों की बात कहते हुए भी आपको पीड़ा होती है तो इसका मतलब है कि आप काश्तकारों के विरोधी हैं।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : आप यह बता दें कि आज की तारीख में दुनिया भर में सौर ऊर्जा से कितनी बिजली पैदा हो रही है?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मैं यही बात बता रहा हूं। माननीय नेता महोदय, पहली बात तो यह कि इससे सस्ती रेट किसी प्रकार से नहीं पड़ सकती और काश्तकारों का सबसे बड़ा हित इसमें है कि उसे बिजली मिले। आपकी सूचना के लिए बता दूं कि हमने इंटरनेशनल काम्पीटिटिव बिडिंग 1-4-94 को की थी और भारत सरकार से आदेश फरवरी, 95 में आये।

श्री परसराम मदेरणा : 94 से लेकर दिसम्बर, 1995 तक, 11-12 महीने का समय लिया, आप क्या कर रहे थे? आपको डेट की मिसइंफार्मेशन जिन्होंने दी है उनको आप करेक्ट करें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मैं निवेदन कर रहा था कि फोटो वोलटेक सिस्टम में बहुत रिसर्च हुए हैं। एमको एनरान कम्पनी जिसने रिसर्च की है, उसको खरीद लिया है। इस कम्पनी में श्रेष्ठतम वैज्ञानिक हैं इसलिए हमको आशा है।

यदि यह मान लें कि वह नहीं भी करेंगे तो हमारा बिगड़ भी क्या जायेगा? हमने 25-25 लाख रुपये कैश और 75-75 लाख रुपये की बैंक गारन्टी ली है। एक करोड़ रुपये उनके डूबेंगे यदि वह ऐसा नहीं करेंगे। एक कम्पनी और गयी है।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने आपके सब लैटर ऑफ इंटेंट देखे हैं, फ्यूअल से लेकर तमाम चीजें खरीदने के। जमीन एक्वायर करने में भी यदि वे मदद चाहेंगे तो दे देंगे। क्लीयरेंस लेने में, सी. ई. ए. में, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में, उनकी सब जिम्मेदारी आपने ले रखी है। लेकिन नहीं आयेगी तो अभी जो पूरे हिन्दुस्तान में एक्सपोर्ट कर रहे हो, यह झांसा पट्टी तो मत करो।

श्री विष्णु मोदी : 7 साल से 20 साल तक यह रेट रहेगी। दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं आयेगी तो हमारा क्या बिगड़ेगा? राजस्थान की जनता को झूठे सब्जबाग मत दिखाइये।

श्री अध्यक्ष : कृपा करके इन्हें अपनी बात रखने दें। बिराजें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बोलने नहीं दे रहे हैं। ये सब बोलते हैं पर हम बोलते हैं तो हरेक सेंटेंस में कोई न कोई खड़ा हो जाता है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (फलोदी) : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। मैं आपको सरल कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, हम सब तो देख रहे हैं इसलिए इतने भारी एकेडेमिक डिस्कशन को बंद करके आपका

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

काम है राजस्थान को बिजली देने का। वर्तमान में कोई गलतियां हैं तो उनका जवाब आप दे दो, यह एकेडेमिक फलानां यह होगा वह होगा, यह प्रपंच छोड़ें। इतनी लम्बी-चौड़ी बात सबके समझ में नहीं आ रही है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि आप यह मान भी लें कि एक प्रतिशत वह नहीं लगेंगे, हमारे एफर्ट्स तो हैं। आप क्या कर रहे थे? धूप तो वहां पहले भी थी, यह रेगिस्तान पहले भी था, आपने क्या किया? हमने एफर्ट्स तो किये।

श्री विष्णु मोदी : पहले टेक्नालाजी नहीं थी।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मैं आपको बता देता हूं कि ये एफर्ट्स जिसे आज लोग मजाक समझ रहे हैं, यह संसार का सौर ऊर्जा का केन्द्र बनेगा जहां वैज्ञानिक आयेंगे। प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आपका जो क्षेत्र है वह राजस्थान की बिजली की कमी की ही पूर्ति नहीं करेगा, आप बाहर भी बिजली भेज सकेंगे, हमारे पास इतनी क्षमता है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सौर ऊर्जा संयंत्र लग तो मेरे क्षेत्र में रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : सूर्य की इतनी स्कोरचिंग हीट है कि इनके क्षेत्र में लग रहा है और झुलस मैं जाता हूं। आपके दैदीप्यमान चेहरे में से भी आज सूर्य की ऊर्जा आ रही है। उसका संचार निरन्तर, अनवरत होता रहे, भगवान से मेरी यह प्रार्थना है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : कोई-कोई सच बोलने का साहस दिखाता है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह नवीनतम टेक्नालाजी है, उन्होंने वहां लगभग काम शुरू सा कर दिया है। इम्प्लीमेंट्स बनाने की फैक्ट्री भी जोधपुर में लगायेंगे। हमारे पास उन्होंने एक करोड़ रुपये जमा किये हैं, इससे उनकी नीयत बनाने की लगती है। मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि यह सौर ऊर्जा संयंत्र यहां नहीं आयेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : रिस्क फैक्टर हो सकता है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : हमारे पास इस समय एक करोड़ रुपया उनका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गैर परम्परागत ऊर्जा का मुकाबला परम्परागत ऊर्जा से नहीं किया जा सकता। आज पर्यावरण की दृष्टि से कितना लाभदायक है। सौर ऊर्जा हमारे लिए और राजस्थान में भी वह रेगिस्तान, जहां लोग आज दिन तक दुःखी रहे उनके कल्याण के दिन आ गये हैं। मैं एम्प्लायमेंट की दृष्टि से बता रहा हूं। हमें गर्व करना चाहिए कि राजस्थान की छिपी हुई सम्पत्ति बाहर आ गयी है। राजस्थान को इस बात पर गौरव

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

होगा कि वह सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा केन्द्र बनने जा रहा है। (व्यवधान) यह छिपा इसलिये रहा कि हमको मिल नहीं रहा था... (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सूरज तो पहले भी उग रहा था, वह छिपा कहां था।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (ओसियां) : ऊर्जा मंत्रीजी, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि आपने ऊर्जा मंत्री बनने के बाद आपके नेता महोदय, जो पधार गये हैं, भारी परिवर्तन किया। क्योंकि 80 से 85 में आप यहीं बिराजते थे, इन्दिरा गांधी कैनाल के समय हमने सौर ऊर्जा की बात की तो सबसे ज्यादा खिलाफत विपक्ष के नेता के रूप में भैरोंसिंह शेखावत साहब ने की। आप उनमें परिवर्तन लाये हैं, आपको बधाई।

श्री अध्यक्ष : बिराजें भाटी साहब। "समे समे सुन्दर सबे, रूप कुरूप न कोय।"

(21.00)

बिराजें, बिराजें। समय-समयपर सब ठीक लगता है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अब माननीय प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे कि 5 साल तक जो 3 रुपया 81 पैसा हो गया। 18 साल तक सस्ती मिलेगी....

श्री अध्यक्ष : काश्तकारों की हैसियत भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय को पढ़ने का और अध्ययन करने का बहुत शौक है। क्या आप यह उम्मीद करते हैं कि 5 साल बाद 3 रुपया 45 पैसे से दूसरी बिजली कम में मिल जायेगी? आज जो समझौते हो रहे हैं उस समझौते का आप पूरा-पूरा हिसाब लगायें तो कोयला महंगा होता चला जा रहा है, गैस महंगी होती चली जा रही है। लेबर महंगी होती चली जा रही है। इस सारी स्थिति में इसकी कीमत बढ़ने वाली है और यह कितने गौरव की बात होगी कि हम आज से 20 साल बाद भी 2 रुपया 24 पैसे में बिजली देंगे। इसलिए यह कहना कि सौर ऊर्जा महंगी है यह मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। मैं माननीय मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मोदीजी को भी कष्ट है, मैं जानना चाहता हूं। यह उर्जा के बारे में मुझे बहुत बात करते हैं, मैंने इनकी सब बातें मानी हैं, जब भी यह आये हैं, हां एक ही बात नहीं मानी मैंने, इन्होंने यह कहा था कि एम. ओ. यू. कर लो... (व्यवधान) आप ठहरें, मैं स्पष्ट कर रहा हूं।

श्री विष्णु मोदी : माननीय कौशल जी, मैं आपका आदर करता हूं। अगर मैंने यह कहा हो, आप अपने ईमान से कह दें मैंने आपको एम. ओ. यू. के लिए कहा हो तो मैं यह विधान सभा ही नहीं, मैं राजनैतिक जीवन छोड़ दूंगा अपना। यह सरासर

(श्री विष्णु मोदी)

असत्य है। आप पूछ लें किसी से भी, मैंने आज तक आप से ही नहीं पूरे राजस्थान के मंत्री मण्डल से किसी की कोई भी सिफारिश की हो या किसी की इस तरह की बात की हो तो मैं राजस्थान विधान सभा ही नहीं, मैं राजनैतिक जीवन छोड़ने के लिए तैयार हूं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, इनके यह कहने के पीछे एक भावना थी। यह अलग रहा था कि इन्टर-नेशनल काम्पीटीटिव बिडिंग करने में दो साल, तीन साल लग जायेंगे।

श्री विष्णु मोदी :....और मैंने आपको जो कुछ भी कहा वह पर्सनली नहीं कहा। मैंने आपको चिट्ठियां लिखकर दी हैं और यह सारी चिट्ठियां मैं इस सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें।

श्री विष्णु मोदी : आप देख लें कि क्या हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका एम. ओ. यू. का तो यह नहीं है। आप बिराजें।

श्री विष्णु मोदी : बरसिंहसर लिग्नाइट के लिए आज भी बोला और बरसिंगसर लिग्नाइट के लिए मैं फिर बोलता हूं कि आपके 91 तक तो हिन्दुस्तान के अन्दर प्राइवेट सेक्टर में नहीं लग सकता था लेकिन 91 के बाद में जब से खुला तब उसके बाद में पहले भारत सरकार एम. ओ. यू. के आधार पर चल रही थी, आपको भारत सरकार ने कम्पनी भेजी, आपने उस कम्पनी से बात की उसके बाद में आपने इन्टरनेशनल बिडिंग की। मैंने चिट्ठी लिखी हैं। जो कुछ भी मैंने आपको लिखा है, पर्सनली लिखा है। मैंने आपसे कोई जुबानी जमा खर्च नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : आप पूरी बात सुनें, मोदी साहब। ऐसी कोई एलीगेशन की बात नहीं है। किसी की बात सुनने के बाद कुछ कहें तो अच्छा लगता है।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, मुझे कल से यह अफसोस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अन्दर अपने बारे में कुछ सुनने का दम ही नहीं है। कोई जरा सी बात कहता है तो उसको पिन-पाइन्ट करने की बात करते हैं। आप कितनी ही कोशिश करलें इस राजस्थान की बहबूदी के लिए, इस राजस्थान की भलाई के लिए जितने आप चिन्तित हैं आपसे ज्यादा हम चिन्तित हैं और आप अगर कोई गलत काम करेंगे, इस राजस्थान की जनता को भुगतने के लिए कुछ गलत काम करेंगे तो इसका विरोध करेंगे, विरोध करेंगे, विरोध करेंगे।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : और राजस्थान में पावर प्लाण्ट लगेंगे उसका विरोध करेंगे, विरोध करेंगे, विरोध करेंगे।

श्री विष्णु मोदी : पावर प्लान्ट हमने लगाये हैं और आगे भी लगायेंगे। आप ईमानदारी से लगाइये। आप राजस्थान की जनता पर बिजली के पैसे का भार मत बढ़ने दीजिए, हम उसका स्वागत करते हैं। खुले दिल से स्वागत करते हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां यह भी कहा गया कि हमने जो फ्यूअल के आधार पर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसका 2 रुपया 10 पैसे बहुत ज्यादा आ गया है। मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस स्टेट ही है हरियाणा, इसमें 2 रुपया 40 पैसे का हुआ है और उत्तर-प्रदेश में 2 रुपया 55 पैसे का हुआ है और इसमें डालर इन्वाल्व है और हमारे यहां डालर इन्वाल्व नहीं है 2 रुपया 10 पैसे में। अब यह राजस्थान की बिजली महंगी है या कहीं दूसरी जगह की बिजली महंगी है ? आप हमको यह बता दीजिए यह बिजली महंगी है 2 रुपया 10 पैसे में ? आपकी गणित है..

श्री विष्णु मोदी : बात यहां की हो और बात करें हरियाणा की....

श्री अध्यक्ष : पूरी बात सुनें। प्रश्नोत्तर करने का कोई तुक नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : फिर आप यह कहें कि वहां यह है, उससे मतलब नहीं है। अगर हिन्दुस्तान के अन्दर सबसे सस्ती है और मिल रही है तो हैदराबाद में मिल रही है और उसी नेफ्था पर 1 रुपया 60 पैसा में मिल रही है और उसी नेफ्था के आधार पर महाराष्ट्र में 1 रुपया 86 पैसे में मिल रही है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यदि एक राज्य में 1 रुपया 86 पैसे में मिल रही है तो 2 रुपया 10 पैसे आप कितने भी पावर प्लान्ट लायें, हम राजस्थान के अन्दर स्वागत करेंगे। राजस्थान के इन्टरेस्ट में मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप जितने भी पावर प्लान्ट लायें।

श्री विष्णु मोदी : मैं लाने वाला नहीं हूं। यहां चन्दनमलजी ने भी कल कहा था। आप राज में बैठे हैं, करो। हमारा काम है आपको बताने का। मैंने आपको चिट्ठी लिखी है, 1 रुपया 60 पैसे के अन्दर हैदराबाद में मिल रही है।

श्री अध्यक्ष : अब तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई वाद-विवाद प्रतियोगिता हो गयी है। बिराजें आप। नाटक में जैसे संवाद हो रहे हैं वैसे हो रहे हैं। बिराजें आप।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, आपके सम्मुख आपके कक्ष में यह चर्चा हुई थी कि अफसरों को भेज देते हैं आप उनसे बातचीत कर लीजिए 7 तारीख को। आपके सम्मुख मुख्य मंत्री जी ने कहा था। मैंने कहा था कि एनरान के

(श्री परसराम मदेरणा)

जो दोनों ही एग्रीमेंट हैं जो पंवार सरकार ने किये और जो जोशी जी की सरकार ने किये हैं उनको प्रतिलिपि हमारे पास नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास है, भेज दूंगा। दूसरी प्रतिलिपि जोशी जी सरकार की नहीं है। आज भी प्रातःकाल बात हुई थी। मुझे यह कह रहे थे कि दूसरों ने क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया, अभी तक आपने कोई पावर परचेज एग्रीमेन्ट नेफ्था पर किया नहीं है। यह दोनों ही एग्रीमेन्ट आने दीजिए और अगर आप हमसे राय लेना चाहते हैं- आपने कहा कि मंगा लेते हैं, हम भेज देते हैं, आपने कोई नहीं भेजी। आपके जो सेक्रेटरी टू गवर्नमेन्ट हैं आप उनसे पूछ लीजिए। मैंने इनसे कहा है जब अखबार में पढ़ा है, "This is a public document and I have got right to information under Art. 23 will you please send me the copy of the Letter of Intent ?" "Yes, I will send." पहले भेजी। उसके बाद में और भेजी। पावर परचेज एग्रीमेन्ट के लिए शायद मैंने 5 या 6 तारीख को उनसे कहा कि आपने जो पावर परचेज एग्रीमेंट किये हैं वह भेजें। मैं सोच रहा था कि उसमें आपने सोलर सोर्स के अलावा भी नेफ्था पर एग्रीमेन्ट कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि नेफ्था पर अभी तक एग्रीमेन्ट नहीं हुआ है। अगर आप हमारा को-आपरेशन चाहते हैं और हमसे बात करना चाहते हैं, चूंकि पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, नेफ्था बेस्ड कोई सिंघी जी ने पावर का एग्रीमेन्ट किया है हैदराबाद में और वह किया है 1 रुपया 60 पैसे में, तो आप कहते हैं आप ले आइये। अभी रिलीफ मंत्री जी कह रहे थे कि आप किसी इंश्योरेन्स कम्पनी को ले आइये, इनको कह रहे हैं कि आप किसी उनको ले आइये। जब यह लाने की बात करेंगे, मान लो कर लेते हैं तो आप कहेंगे कि मुझे चुपचाप कहा था कि एम. ओ. यू. कर लो। आपकी करनी और कथनी में अन्तर है। आप यह मत करो। आप बैठकर हमको कन्विन्स कर दो जब आपके पास उसकी प्रतिलिपि आ जाय। आप जब एग्रीमेन्ट करने जा रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं तो जिनका सोच है और पावर में जिनकी डेप्थ है, स्टडी है गहराई से, वह लोग बैठकर उस मेरिट में भी चले जायेंगे कि आल इण्डिया में दूसरी स्टेट्स में क्या रेट रही हैं और यहां पर क्या टैरिफ आप तय करने जा रहे हैं। अभी नेफ्था पर आपने एग्रीमेन्ट भी नहीं किया है, अभी चर्चा ही है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सैकण्ड ही अर्ज करूंगा। आप मुझे महीने में, दो महीने में, चार महीने में बता देना कि पंवार सरकार और वर्तमान सरकार ने जो एनरान कम्पनी से सौदा किया, पलटा और मुद्दा बनाया उसमें शुद्ध लाभ है वह केवल एक प्राइमरी स्कूल और एक सब-हैल्थ सेंटर जितना ही हुआ है बाकी वह का वह है और उसको मायाजाल में जोड़कर कर रहे हैं। आपकी सहूलियत के अनुसार कह देना। मैं इसलिए

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

कह रहा हूं कि यह सौदे की बात करके चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस सौदे के अन्दर एक मुख्य बात यह हुई है कि एक प्राइमरी स्कूल दिया है और एक सब-हैल्थ सेंटर दिया है। जब मैंने कहा कि बस यह इतना ही ज्यादा है बाकी सब आंकड़ों का मायाजाल है। तीन महीने बाद में बता देना। बात सही है, कुछ भी फर्क नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : Honble Minister is in between the two horns of dilemma. एक तरफ तो जोशी की और मुंडे की सरकार को बचाना भी चाहते हैं और दूसरी तरफ 1.86 के मुकाबले में अपने वाले केस की पैरवी करना चाहते हैं। इस दुविधा से मुझे बचाओ मेरे हमराही। इसलिए आप साफ-साफ कीजिये। विश्नोई जी के कहने का मतलब यह है कि और कुछ नहीं है, अभी जो उन्होंने समझौता किया है या उसमें इक्विटी है, फ्यूअल चेंज किया है या इन्वेस्टमेंट के सिटी कम जेस्टेशन के अलग दो हजार करोड़ रुपये रखे हैं और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कैपीटल कम लगानी पड़ेगी क्योंकि 30 पर्सेंट महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की इक्विटी है। यह सब बातें जो हैं आपकी वहां सरकार जिसके साथ में कोएलिशन में है वह किसी तरह से फेस-सेविंग करना चाहती है। आप अपना फेस-सेविंग करो और उसको नंगा करो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी। अब बिराजें। क्या डिबेट चालू कर दी आपने। There is no end to it. ज्ञान की कोई कमी नहीं है समुद्र के किनारे ही खड़े अपन।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : हमारे फेस-सेविंग जैसी कोई बात है ही नहीं। हमने पारदर्शिता लाने के लिए अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के आधार पर निविदाएं आमन्त्रित की हैं। यदि वह एक रुपये 60 पैसे की कोई कम्पनी लगाने वाली थी तो....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ऊर्जा मन्त्री जी, यह भविष्य की बातें तो सब हो गयी हैं, आपने किसानों को आठ घण्टे बिजली देने का आश्वासन दिया था वह आपने पूरा किया नहीं, अब आप कब करोगे, मेहरबानी करके, यह बता दो पहले। 8 घंटे किसान को बिजली कब देंगे ? उस पर पधारो आप।

श्री अध्यक्ष : अब चर्चा समाप्त करें। आप कोई जवाब दे रहे हैं अभी ? (व्यवधान) अब आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। इन्टरप्शन हो रहा है फिर कैसे होगा काम ?

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय मंत्रीजी जवाब देना चाहते हैं, क्या समाप्त करो ? माननीय मंत्री महोदय अच्छा जवाब दे रहे हैं, इंटरेस्टिंग जवाब दे रहे हैं उसको हमें सुनने दो।

श्री अध्यक्ष : सुनने तो दें, बीच में इंटरप्शन नहीं हो। बाद में पूछ लेना। पहले पूरी बात तो कहें वह।

श्री रामनारायण चौधरी : अगर आप समझते हैं कि यह इंटरप्शन है तो you are to check it.

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, 8 घंटे बिजली की बात आयी। मैं यह समझ रहा हूं कि कुछ लोगों को इस बात की तकलीफ हो रही है कि यह 1730 मेगावाट के तो लैटर ऑफ इंटेंट हो गये, 1700 मेगावाट के अभी 15 दिन में फिर लैटर ग्राफ इंटेंट होने वाले हैं सूरतगढ़, बरसिंहसर और धौलपुर के, 1700 यह हो गयी, दो महीने बाद कपूरड़ी और जालीपा का दो हजार का और होगा, तो अफसोस यह हो रहा है कि चुनावों में यह प्रचार क्यों हो रहा है। यह तो राजस्थान का विकास (व्यवधान) यह हर बात में खड़ा होना उचित नहीं है। यह कोई तरीका नहीं है कि आप हर बात पर खड़े हो जायं। (व्यवधान) तो, अध्यक्ष महोदय, यह जो तकलीफ है यह तकलीफ ही आरोप लगवा रही है लेकिन राजस्थान में जो बिजली के पावर प्लांट लगाने का वातावरण बना है वह अबाध गति से चलेगा, प्रतिपक्ष के नेता महोदय को विश्वास में लेंगे और यह जिस एम. ओ. यू. के लिए कह देंगे कि कैन्सिल कर दो, सदन में मैं घोषणा करता हूं। उसको निरस्त कर देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां यह बात कही गयी....

श्री राजेन्द्र पारीक : अब आपके प्रतिद्वंदी तो चले गये हैं, हमें बख्शो।

श्री अध्यक्ष : सुनें, सुनें। कृपया शांति बनाये रखें। आखिर 6 घण्टे, 8 घण्टे से बहुत चल रही है तो दस मिनट उनको पूरा सुनें। ऐसा नहीं करें। (व्यवधान) परसादी लाल जी, आपको भी सुना है। यदि आपको कोई नहीं सुने तो आपको कितना बुरा लगता है? कृपया सुनें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मैं पांच मिनट में समाप्त कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य ने 8 घण्टे बिजली देने की चिन्ता प्रकट की है। हमारा प्रयास 8 घण्टे बिजली देने का है। हम प्रयास करते हैं। कहीं तो हमारा तन्त्र कमजोर है, वोल्टेज नहीं बनता है, कभी कोई पावर प्लांट बन्द हो जाता है इससे व्यवधान आता है वरना हमने यह पूरी कोशिश की है कि 8 घण्टे बिजली मिले और अधिकतर किसानों को मिली है। अध्यक्ष महोदय, यह इस बात का सबूत है कि जहां हम हर साल 10 पर्सेंट ज्यादा बिजली की खपत की उम्मीद करते हैं वहां हमने 23 पर्सेंट ज्यादा बिजली ली है। इस साल पिछले साल से 23 पर्सेंट बिजली ज्यादा ली है वह आखिर किसानों के लिए गयी या नहीं गयी? मान्यवर, इस साल 200 करोड़ रुपये बिजली की खरीद पर खर्चा ज्यादा किया है। जो किसानों की बात कर रहे थे कि बिजली बोर्ड के चेयरमैन किसान विरोधी हैं, यह बिजली तीन रुपये, चार रुपये यूनिट की भी खरीद कर हमने किसानों को और राजस्थान को दिलायी है, चमोरा से खरीद कर। अब 23 पर्सेंट ...

श्री हरिसिंह (महुआ) : एक जगह से (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अब आप बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। यह कोई तरीका नहीं है बात करने का। बीच बीच में,

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

हर सेंटेंस के बाद में कोई न कोई खड़ा हो जाता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें। हरिसिंह जी, यह कोई डिबेट नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, 23 पर्सेंट अधिक बिजली की खपत कभी नहीं हुई, हमने सबसे अधिक ओवर ड्रा किया है। उत्तरी ग्रिड में सबसे अधिक ओवर ड्रा करने वाला राजस्थान बिजली बोर्ड है।

अभी यहां माननीय मोदी जी ने यह भी कहा था कि इन्होंने लीजिंग कर लिया और लीजिंग से बिलकुल गड़बड़ हो गयी। आज हम किसान को 23 पर्सेण्ट बिजली इसलिए ज्यादा दे पा रहे हैं कि बिजली बोर्ड ने अपनी आर्थिक स्थिति ठीक की है और उसमें लीजिंग का बहुत बड़ा हाथ है। उस लीजिंग के कारण ही हम इतनी बिजली खरीद पाये हैं। आज हमारी फाइनेंशियल स्थिति कैसी हुई है उसका मैं एक नमूना पेश करता हूं। विश्व बैंक ने राजस्थान सरकार को प्रेषित अपने प्रतिवेदन में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के वित्तीय प्रबन्ध में पिछले 6 महीनों में हुए चमत्कारिक सुधार की सराहना की है और जिस फाइनेंशियल एक्सप्रेस की बात कर रहे थे, बिजनेस स्टैण्डर्ड ने 4 जनवरी, 1996 को प्रकाशित लेख में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा इस दिशा में की गयी नवीनतम प्रणाली को न केवल सराहा है अपितु वर्ष 1995 की इस देश में हुई वित्तीय प्रबन्धन की दिशा में चार बड़ी उपलब्धियों में माना है। इस समाचार पत्र ने राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा की गयी लीजिंग को नया आयाम मानते हुए देशभर में इस व्यवस्था के अन्तर्गत सबसे बड़ी उपलब्धि माना है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारी वित्तीय स्थिति ठीक है, ठीक की है जैसे-तैसे और उसी का नतीजा है... (व्यवधान) परसादी लाल जी, आप मन से जानते हो कि बिजली 8 घण्टे मिल रही है पर यहां तो बोलना है इसलिए बोलते हो।

अध्यक्ष महोदय, आज हम तीन रुपये और चार रुपये यूनिट की भी बिजली खरीद सके उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर यह लीजिंग है जिस लीजिंग की हम आलोचना सुन रहे हैं। आज बिजली बोर्ड ने जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं और जिसकी केन्द्र के मंत्री साल्वे जी ने भी प्रशंसा की है उस बिजली बोर्ड की यहां आलोचना होती है। मैं यह जानता हूं कि कई सदस्य तो बाहर कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया है, बिजली बोर्ड में बहुत सुधार है और यहां आकर कहते हैं कि यह तो हमें विरोध के लिए बोलना पड़ेगा। तो यह ठीक नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से बात करता हूं, 90 पर्सेण्ट सदस्य कहते हैं कि बिजली में सुधार हुआ है और उसमें मैं यह नहीं मानता कि हमारा ही सबसे बड़ा श्रेय है। श्रेय हमारे विधायकों का भी है, जन-प्रतिनिधियों का भी है जो समय-समय पर सुझाव देते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : साल्वे साहब का भी है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : साल्वे साहब का भी मानता हूं। हम तो आपका भी मानते हैं। आप बहुत अच्छे सुझाव देते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं, मेरा बिलकुल नहीं है। आपको 650 मेगा-वाट सेंट्रल सेक्टर में से, अनअलोकेटेड में से वह दे रहे हैं जो हिन्दुस्तान के किसी भी प्रांत को नहीं दे रहे हैं। तो कम से कम ग्रेटफुलनेस तो जाहिर कीजिये उनके लिये, अभी आप उनका नाम ले ले रहे हैं (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : उनके पास पैसा नहीं है, हम पैसा देते हैं फटाक से इसलिए देते हैं। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : नहीं, हमको जो अलाट हुई है....(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : वहां कांग्रेस की सरकार है और हमारी पार्टी की सरकार है। आपकी हालत खस्ता थी, आपका जनरेशन का गैप हण्ड्रेड पर्सेण्ट के आसपास हो गया था, आपकी अकर्मण्यता को देखकर और वहां का कंज्यूमर दुःखी नहीं हो, उसको रिलीफ मिले और किसान की फसल पके इसलिये भारत सरकार ने और भारत सरकार के उर्जा मंत्रीजी ने आपको 650 मेगावाट बिजली सेंट्रल सेक्टर में से दी है....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आर. ए. पी. पी. की 300 यूनिट चली गयी....

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, मैं आपकी तारीफ करूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह मेहरबानी आप थे जब क्यों नहीं की ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मुझसे ज्यादा तो आपका भाषण हो रहा है। यह उत्तर आप दे रहे हैं कि मुझे देना है ? भाषण तो आपका हो रहा है आज। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : मैं आपकी बात कह रहा हूं। (व्यवधान) नहीं नहीं, साल्वे साहब ने यह बात भी कही है कि.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। हो गया समाप्त ? माननीय मंत्रीजी,....

श्री परसराम मदेरणा : साल्वे साहब ने... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हो गयी चर्चा समाप्त आपकी ? चर्चा समाप्त हुई। (व्यवधान) राष्ट्रगान।

(श्री अध्यक्ष)

जन गण मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता ।
पंजाब, सिन्धु, गुजरात, मराठा,
द्राविड़ उत्कल बंगा,
विन्ध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा,
उच्छल जलधि तरंगा,
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशीष मांगे,
गाहे तब जय गाथा ।
जन गण मंगलदायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता,
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे ।

श्री रामस्वरूप मीणा : भारत माता की जय ।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.23 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई ।)

परिशिष्ट–1

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

मांगरोल में ए. सी. एम. न्यायालय का मुख्यालय

[रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)]

मान्यवर, तहसील मांगरोल जिला बारां जिसका सम्पूर्ण सिंचित क्षेत्र व अधिकांश राजस्व इसी तहसील में प्राप्त होता है। बारां जिले के मुख्यालय पर चल रहे एस. डी. ओ. व ए. सी. एम. न्यायालय में चल रहे लगभग 7-8 हजार मुकदमे हैं। जिनमें से अधिकांश प्रकरण, मांगरोल, व सीसवाली क्षेत्र से 45 हजार मुकदमे लम्बित है। ये मुकदमे पिछले काफी समय से लम्बित है जिनका निराकरण नहीं हो पा रहा है। क्षेत्र की जनता को बारां 50 किलोमीटर जाने आने में काफी परेशानी होती है।

मांगरोल की अभिभावक परिषद व क्षेत्र की जनता लम्बे समय से मांगरोल में ए. सी. एम. न्यायालय खोलने की मांग कर रही है। उक्त हेतु 2-2-92 को मांगरोल में मुन्सिफ न्यायालय में उद्घाटन के समय न्याय मंत्री श्री शांतिलाल चपलोत को भी ज्ञापन प्रेषित किया गया था।

इसके बावजूद मांगरोल में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा आंकड़े तलब किये गये व न्यायालय के भवन बाबत भी जानकारी चाही गयी थी। लेकिन राजनैतिक दबाव के कारण ए. सी. एम. न्यायालय की घोषणा बारां मुख्यालय पर करना न्यायोचित नहीं है। क्योंकि वहां पर पहले से ही ए. सी. एम. व एस. डी. ओ. न्यायालय चल रहा है।

अतः क्षेत्र की समस्या को मद्य नजर रखते हुये नव घोषित न्यायालय ए. सी. एम. बारां का मुख्यालय बारां से मांगरोल बदलने का कष्ट करें। ताकि क्षेत्र की जनता को राहत मिल सकें।

(२५७)

डूंगरपुर जिले में तालाब निर्माण

[शंकरलाल अहारी (डूंगरपुर)]

महोदय, डूंगरपुर जिले में कुल पांच पंचायत समितियां हैं जिनमें अधिकाधिक पूर्व से तालाब निर्मित है, इन तालाबों से ग्रामीण आंचलों में काफी सुविधाएं मिल रही हैं। जैसे पशुओं को पीने के पानी कुओं का जलस्तर का बढ़ावा और कहीं-कहीं तो सिचाई का लाभ भी प्राप्त हो रहा है। जिले में कुछ तालाब तो ऐसे हैं जिनसे 50 एकड़ से भी ज्यादा सिचाई हो सकती है ऐसे तालाबों का सिंचाई विभाग के माध्यम से इनका सर्वे कराना चाहिए, जिससे सिचाई विभाग के माध्यम से पुनः कार्य प्रारम्भ करवाया जा सके, तालाबों की सुव्यवस्थित केनाल, बांध स्थल का निर्माण किया जा सके, जिससे स्थानीय किसानों को सिचाई आदि में राहत मिल सके। पंचायत समितियों के अधीनस्थ जो तालाब हैं इसका पर्याप्त बजट न होने से मरम्मत व रख रखाव नहीं हो पाता है। आज भी कई ऐसे तालाब हैं जो लम्बे समय से टूटे-फूटे पड़े हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर जिले में जो बड़े-बड़े तालाब पंचायत समितियों के हैं उन पर सिचाई विभाग द्वारा कार्य चलवाया जावे जैसे कि :—

(1) बड़लीवाला तालाब चारखाड़ा पंचायत चारखाड़ा

(2) भंवरिया तालाब बन्धवा पाल

(3) चुण्डावाड तालाब

(4) टिबरगाघाट गलेनघर

(5) रंगेली मालावा का तालाब रंगेला

(6) पाखरोड़ा तालाब

(7) बासुवा तालाब।

धन्यवाद।

निम्बाहेड़ा कस्बे की पेयजल समस्या का समाधान

[शंकरलाल अहारी (डूंगरपुर]

महोदय, निम्बाहेडा विधान सभा क्षेत्र में बाड़ी मानसरोवर बांध निर्माणाधीन है। जिससे लगभग 2000 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी साथ ही इसी बांध से छोटी सादड़ी की पेयजल योजना भी जुड़ी हुई है।

निम्बाहेडा कस्बे की पेयजल समस्या भी विकराल रूप धारण किये हुए है। हर वर्ष लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद पेयजल समस्या का स्थाई समाधान नहीं हो पा रहा है।

अतः निवेदन है कि बाड़ी मानसरोवर बांध की ऊंचाई 1 मीटर बढ़ाई जावे ताकि निम्बाहेडा की पेयजल योजना भी बाड़ी बांध से जोड़कर पेयजल समस्या का स्थायी समाधान किया जा सके। बाड़ी मानसरोवर को 1 मीटर की ऊंचाई बढ़ाने से पानी भराव क्षमता बढ़ेगी परन्तु अलग से मुआवजा नहीं देना पड़ेगा क्योंकि अधिकांश काश्तकारों को मुआवजा दिया जा चुका है। भराव क्षमता जिस क्षेत्र में बढ़ेगी और जमीन डूब में आयेगी वह बन्जर भूमि राज्य सरकार की पड़ता भूमि है। बांध की ऊंचाई 1 मीटर बढ़ाने के आदेश जल्दी दिये जावें क्योंकि बांध का निर्माण गति पर है और इस समय ही 1 मीटर की ऊंचाई बढ़ाने का आधारभूत ढांचा तैयार होने जा रहा है। ऊंचाई बढ़ने से सिंचाई का क्षेत्र भी बढ़ेगा एवं जल स्तर भी जो इस क्षेत्र में काफी नीचे चला गया है उसमें भी सुधार होकर जल स्तर बढ़ेगा।

जिला नागौर एवं डेगाना क्षेत्र में विद्युत की अनियमितताएं

[रिछपालसिंह मिर्धा (डेगाना)]

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि नागौर जिले में विशेष तौर पर डेगाना विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान रबी की फसल के समय में राज्य सरकार के 8 घण्टे रोजाना विद्युत आपूर्ति करने की नीति के बावजूद किसानों को कृषि कार्यों हेतु मात्र 5-6 घण्टे प्रतिदिन की विद्युत आपूर्ति विद्युत मण्डल द्वारा की गयी परन्तु

(251)

(रिछपालसिंह मिर्धा)

बिलों का भुगतान किसानों से पूरा वसूल किया गया। पर्याप्त मात्रा में विद्युत आपूर्ति नहीं होने से फसलों को बराबर पानी नहीं मिल सका जिससे फसलों को क्षति पहुंची। जो विद्युत आपूर्ति की गयी वह भी वोल्टेज के कम होने एवं बार-2 जाते-आते रहने से पूरी 5-6 घण्टे नियमित रूप से भी नहीं हो सकी।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (ग्रामीण विद्युतीकरण) आदेश क्रमांक अनु-9, प्र. 473 दि. 24-06-95 के अन्तर्गत किसानों के नर्सरी, तुरन्त प्राथमिकता, शिफ्ट योजना में कनेक्शन होने के बाद परिस्थितियोंवश तभी गांव में दूसरी जगह स्थानान्तरित किया जाता है तो 33 प्रतिशत लाइन व सबस्टेशन का पूर्ण चार्ज परिवर्तन के नाम पर विद्युत मण्डल किसान से वसूल करता है जबकि किसान उपभोक्ता पूर्व में ऐसे चार्ज दे चुका होता है। परिस्थितियोंवश इसी कनेक्शन को यदि उसी गांव में अन्य खेतों में बार-बार स्थानान्तरित करवाता है तो किसान को हर बार उसका ऐसा चार्ज देना होगा अर्थात् 1 लाख रुपये की लागत की लाइन व सबस्टेशन को परिस्थितिवश 5 बार परिवर्तन करवाने पर किसानों ने लगभग 4.50 लाख रुपये विद्युत मण्डल वसूल करता है तथा इतनी रकम वसूलने के बावजूद भी मालिकाना हक किसान का नहीं होकर विद्युत मण्डल का ही रहता है। अतः विद्युत मण्डल द्वारा किसानों की इस खुली लूट पर राज्य सरकार शीघ्र कार्यवाही करके किसानों को राहत दिलावे।

इसके अतिरिक्त नागौर जिले के 33 के. वी. एवं 11 के. वी. सबस्टेशन तथा 33 के. वी. एवं 11 के. वी. एल. टी लाइनों की देखभाल रखरखाव मरम्मत एवं विद्युत आपूर्ति सुचारू करने हेतु तकनीकी कर्मचारियों की जो कमी है, उसकी पूर्ति करावें। अतः आपके माध्यम से मैं माननीय ऊर्जा मंत्री से निवेदन करता हूं कि विद्युत की नियमित आपूर्ति तकनीकी कर्मचारियों के रिक्त पदों की नयी भर्ती द्वारा भरके एवं किसानों से जो स्थानान्तरण के समय 33 प्रतिशत चार्ज वसूला जाता है उसको कम किया जावे।

गंगा के बाढ़ के पानी का बंटवारा

[भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)]

मान्यवर मैं आपका ध्यान विशेष उल्लेख के माध्यम से समाधान के शीघ्र हेतु आकर्षित कर रहा हूं :—

"राजस्थान राज्य की ओर से विगत कई वर्षों से देश की प्रमुख नदियों में से यमुना व गंगा नदी के बाढ़ के पानी के हिस्सेदारी की मांग की जाती रही है। लेकिन यमुना के पानी के बंटवारों का फैसला हाल ही में हुआ है लेकिन गंगा के नदी की बाढ़ के पानी के बंटवारे के सम्बन्ध में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। जिसका फैसला शीघ्र कराया जावे।

राजस्थान राज्य का अधिकांश भू-भाग वर्षा की अननिश्चितता के कारण सूखाग्रस्त रहता है। अतः इस राज्य में पेयजल एवं सिंचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु गंगा के पानी में हिस्सा शीघ्र सुनिश्चित कराना आवश्यक है। गंगा नदी बेसिन से 11. एम. एच. एम. पानी उपलब्ध कराया जा सके तो राजस्थान राज्य के 3.6 M. Hac. M. of flow Area (2.5 M. hac. M. by Flower 1.1 M. hac. M. by 1.11 up to 150 M.) को सिंचाई एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। इस सबके लिए पानी गंगा नदी बेसिन के शारदा नदी से 4000 क्यूसेक्स क्षमता की नहर बना कर Hardstrates क्षेत्रों में पानी का भराव करना होगा।

भारत में 328 M. hac. M. क्षेत्र कृषि के लिये उपलब्ध हैं। देश में वर्षा द्वारा इतना पानी प्रति वर्ष उपलब्ध होता है अगर समानता से पानी उपलब्ध हो तो सारे क्षेत्र में एक मीटर गहराई तक पानी मिल सकता है लेकिन वर्षा Nith 1250 MM से लेकर वर्षा होती रही। यह पानी ज्यादातर जून से सितम्बर तक उपलब्ध होता है तथा इससे कुछ क्षेत्रों में आमतौर पर बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जिससे जान व माल को नुकसान होता है तथा कुछ क्षेत्रों में पीने के पानी का भी अभाव रहता है बरसात का पानी भी बहकर समुद्र में बेकार चला जाता है। अगर यह पानी वर्षा के दिनों में स्टोर कर लिया जाये तो इसका उपयोग सिंचाई में उपयोग कर लिया जा सकता है तथा जान व माल का नुकसान होने से बचाया जा सकता है।

(भीमसेन चौधरी)

भारत सरकार के National Perspective Plan for water Rcro-urce. Development के अनुसार पचास हजार करोड़ की कीमत से 2.5 M. hac. M. by Surface water व 10 M. hac. M. by increase in use of ground water by construction of 18 M. hac. M- of Storage capacity बनानी होगी।

नेशनल वाटर रिर्सोस डवलपमेंट अथोरिटी ने Himalayan River Development Mans तैयार किया है जिसके अनुसार राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों जिनमें गंगानगर (2.00), बीकानेर (2.52), झुन्झुनू (0.30), सीकर (7), नागौर (1.79), जोधपुर (2.33), पाली (1.21), सिरोही (0.52), जालौर (1.00), बाड़मेर (2.68), जैसलमेर (4.16), कुल 21.52 भौगोलिक क्षेत्र है जो कृषि योग्य क्षेत्र है। जिसके लिये 9.35 M bac. M. पानी की जरूरत है जिसमें से 1 35 M. hac. M. पानी सतलज राबी व्यास, यमुना, भाखड़ा से मिलने की संभावना है शेष 8 M. hac M. पानी की जरूरत है जो गंगा के वार्षिक Run off पानी जो Posigatoin कमीशन 1972 के अनुसार है वह 49.3 है जिससे 18.5 M. hac. M. सिचाई के लिये उपलब्ध हो सकता है राज. के 3.6 M. hac. M. को 100% सघनता से खरीफ व रबी की फसल हेतु पानी उपलब्ध हो सकेगा। जिसके लिये गंगा की शारदा नदी से RLZ 55 M. के ground levol पर 4000 क्यूमेक्स क्षमता पानी की 600 के. एम. लम्बी नहर बनाकर राज. में RLZ 215 M. पर डिप्रेशन्स के लिये जो 10 कि. मी. चौड़ा व 400 कि. मी. लम्बाई में कम गहराई के वाले कठोर पर्त के क्षेत्रों में Storage बनाया जाकर सिंचाई सुविधा देने से आज का रेगिस्तान को हटाया जाकर व सरसब्ज होकर देश को उत्पादन में 2500 करोड़ रु. की कीमती फसल के रूप में दे सकेगा। जिससे राज्य में नये उद्योग पनप सकेंगे और राज देश के प्रमुख कृषि उत्पादक राज्यों में प्रतिस्थापित हो सकेगा। अतः इस गंगा नदी के पानी का बंटवारा शीघ्रतम तय कराया जावे।

विधान सभा क्षेत्र खण्डार में सिंचाई साधनों की पूर्ति

[हरिनारायण बैरवा (खण्डार)]

महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र खण्डार की ओर दिलाना चाहता हूं जो एक सूखा सम्भाव्य क्षेत्र है जिसमें सिंचाई के साधनों की भारी कमी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र खण्डार होकर चम्बल व बनास दो बड़ी नदियां बह रही है जिनका पानी रात दिन बहता रहता है और समुद्र में चला जाता है। तहसील खण्डार में दो सिंचाई परियोजनाएं चम्बल नदी से प्रस्तावित है। पहली वृहत इन्दिरा जलोत्थान सिंचाई परियोजना और दूसरी पीपल्दा जलोत्थान सिंचाई परियोजना इन दोनों योजनाओं के चालू हो जाने पर आम किसानों के साथ-साथ क्रमशः 26.52 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 7.61 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति और 26.81 प्रतिशत अनु. जाति 15 प्रतिशत अनु जन जाति के किसान भी लाभान्वित होंगे। इन दोनों योजनाओं को आठवी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया है और वृहत इन्दिरा जलोत्थान सिंचाई परियोजना की हाईड्रोलोजी केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली से उनके द्वारा आक्षेप से राज्य सरकार को प्राप्त हुई है जिसकी पूर्ति राज्य सरकार द्वारा करके भिजवायी गयी है। हाईड्रोलोजी की स्वीकृति के पश्चात् तखमीना बनाकर केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली को भिजवाना था, अतः इसके बारे में जो भी कमी रह गयी है पूरी करके वृहत इन्दिरा जलोत्थान सिंचाई परियोजना को शीघ्र चालू किया जावे जिससे खण्डार में ही नहीं अन्य तहसीलों को भी सिंचाई और पेयजल के लिए पानी मिल सकेगा।

पीपल्दा जलोत्थान सिंचाई परियोजना का प्रतिवेदन सभी आक्षेपों की पूर्ति के बाद स्वीकृति हेतु केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली को भेज दिया है। जिसके प्रतिवेदन की स्वीकृति अपेक्षित है। अतः दोनों परियोजनाओं को अतिशीघ्र चालू किया जावे।

चम्बल नदी, बनास नदी और गालब नदी पर मिनी लिफ्ट इरिगेशन योजनाएं बढ़ाई जावें जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके जो योजनाएं डीजल पम्प सेटों द्वारा चालू कर रखी है उनकी जगह विद्युत मोटरें लगायी जावे जिन स्थानों पर मिनी जलोत्थान सिंचाई योजनाएं चालू करनी है वहां तक बिजली के खम्भे व तार लगाने की व्यवस्था सरकार करे।

(255)

(हरिनारायण बैरवा)

मानसरोवर बांध, देवपुरा बांध, पांचोलास बांध, गलाई सागर, ढोल बांध, भगवतगढ़ बांध व सूवाल बांध का जल स्तर बढ़ाने के लिये वेस्ट बीयर की ऊंचाई बढ़ाई जावे।

देवपुरा बांध की दूसरी मोरी को भी जो पूर्व में स्वीकृत थी को भी खोला जावे जिससे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोगों के गांवों बलवन्त, खानपुर, रामनगर, किशनपुरा, गड्डी, कर्मापुर व श्योपुर को भी सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। इसी प्रकार ढोल बांध में भी दूसरी मोरी खोली जावे जिसे टापुर झाडोदा, ऐचेर, काच्छीपुरा को पानी मिल सके।

गलाई सागर का रिसाव (झराव) रोका जावे जिससे पूरा पानी रूका रहे गलाई सागर बांध परियोजना सवाईमाधोपुर की सीमा पर है जहां जंगली जानवरों को भी पीने का पानी मिलता रहे।

गलाई सागर मानसरोवर बांध व देवपुरा बांध की नहरों का रिसाव रोकने के लिये इन नहरों को पक्का बनाया जावे देवपुरा बांध की मुख्य नहर को 7 किलोमीटर और बढ़ाया जावे जिससे खिरखडी व लहसोडा के काश्तकारों को सिंचाई के लिये पानी मिल सके।

कुशालीपुरा के नाले को मोड कर मानसरोवर बांध में मिलाया जावे।

इसरदा के पास बनास नदी में अरावली फर्टिलाईजर द्वारा निर्मित कुओं से जलोत्थान सिंचाई परियोजना से चालू की जावे जिससे इसरदा, शिवाड़, सारसोप, देवली, घोली, डिडायच, सुरेली, पावडेरा, सिवायगंज, बन्देहिया व बगीना को सिंचाई के लिये पानी मिल सके।

पूर्व में प्रस्तावित हम्मीर बांध को बनाया जावे जिसमें तत्कालीन बांध परियोजना के अधिकारियों ने अपनी मनमानी से रोक लगा दी थी जो बांध परियोजना सवाईमाधोपुर व किसानों के हित में नहीं है अतः अभी हाल में जो अधिकारी बांध परियोजना सवाईमाधोपुर में है उनसे वार्ता करके इस बांध को बनाया जावे।

जाति प्रमाण पत्र गलत जारी करना

[रामरिछपाल नुवाल (भीलवाड़ा)]

महोदय, मैं प्रक्रिया नियम 295 के तहत माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदय, से यह पूछना चाहता हूं कि नायब तहसीलदार, हमीरगढ़ के द्वारा श्री भंवरलाल पुत्र श्री मोतीलाल गर्ग (गुरु) (अनुसूचित जाति) जो राजस्व रेकार्ड में जाति अंकित है को नजर अन्दाज कर केवल मात्र शपथ पत्र को आधार मान कर गुरुदा जाति (अनुसूचित जाति) का प्रमाण पत्र जारी किया है और यह प्रमाण पत्र नियमों के विपरीत जारी हुआ था।

उसके विरुद्ध श्री विनोद अग्रवाल ने जिलाधीश, भीलवाड़ा के यहां प्रमाण पत्र निरस्ती बाबत दिनांक 6-1-1995 को अपील प्रस्तुत की थी उस अपील को कलक्टर के द्वारा आर. ओ. सुवाणा के पास क्यों कर भेजी थी ? और प्रमाण पत्र निरस्ती बाबत जिलाधीश कलक्टर ने कोई आदेश पारित किया या नहीं ? अगर आदेश पारित नहीं किया तो अपील पर सुनवाई कब रखी गयी है और उस प्रमाण पत्र को निरस्ती बाबत राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और गलत शपथ पत्र प्रस्तुत कर जो प्रमाण पत्र अनुचित तरीके से प्राप्त कर अनुसूचित जाति के सदस्य का अधिकार का हनन कर पंचायत समिति सुवाणा के प्रधान पद पर श्री भंवरलाल गर्ग बैठा है उसके विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज करा कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र जारी किया है कार्यवाही की जाये।

(257)

सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय में चार वर्षीय नर्सिंग पाठ्यक्रम चालू करना

[रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)]

महोदय, राजस्थान विश्व विद्यालय से सम्बन्ध प्रधानाचार्य, सवाईमानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर से बी. एस. सी. नर्सिंग चार वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम एवं बी. एस. सी. नर्सिंग दो वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के लिए 7 अगस्त, 1995 को एक प्रवेश सूचना निकाली गयी फार्म जमा कराने की अन्तिम तिथि 11-09-95 थी।

चार वर्षीय पाठ्यक्रम के छात्रों को मेरिट के आधार पर साक्षात्कार एवं मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु दिनांक 27-09-95 को जारी किये गये साक्षात्कार पत्रों के माध्यम से दिनांक 09-10-95 को प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में उपस्थित होने को कहा गया।

निर्धारित समय पर साक्षात्कार हुआ एवं सभी चयनित आवेदकों के मूल प्रमाण-पत्रों को सत्यापन हेतु यह आश्वासन देकर रख लिए गये कि सभी चयनित आवेदकों को शीघ्र ही चार वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु पत्रों द्वारा सूचना भेजकर बुलाया लिया जाएगा।

इस बात को 5 माह बीत जाने के बाद भी न तो छात्रों को बुलवाया गया और न ही मूल प्रमाण-पत्र वापस लौटाये गये जिससे छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है।

अतः बी. एस. सी. नर्सिंग चार वर्षीय पाठ्यक्रम चालू क्यों नहीं किया जा रहा है इसे शीघ्र चालू कराया जाय तथा छात्रों के मूल प्रमाण-पत्रों का शीघ्र सत्यापन करवाया जाय।

बामन गांव समीपी सड़क निर्माण हेतु अवाप्त सिंचित कृषि भूमि का मुआवजा प्रकरण

[रामनारायण मीणा (नैनवां)]

महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित बामन गांव से समीपी (जिला बून्दी) सड़क के लिए कृषि भूमि खसरा संख्या 2124 को 2 बीघा 3 बिस्वा ग्राम बामन गांव की अवाप्त की जाकर दिनांक 18-8-95 को दो व्यक्तियों सर्वश्री नारायण, प्रताप नारायण पिता कल्याणलाल जाति कायस्थ के नाम रुपये 36008/- का अवार्ड जारी किया गया है। जबकि उक्त दोनों भाइयों के मध्य कृषि भूमि का बंटवारा होकर राजस्व अभियान कैम्प बामन गांव (तहसील नैनवां) में दिनांक 27-5-93 को नामान्तरकरण तस्दीक होने से उक्त खसरा संख्या 2124 की भूमि मात्र श्री प्रताप नारायण आत्मज श्री कल्याण लाल कायस्थ के हिस्से एवं अधिकार की है। इस कृषि भूमि बाबत दिनांक 27-5-93 के पश्चात जारी अवार्ड अकेले प्रताप नारायण निगम के ही पक्ष में जारी किया जाना चाहिए था। पूर्व में यदि भूमि अवाप्ति की कार्यवाही दो नामों से की जेरकार हो तो उसे दुरस्त करके अवार्ड जारी करने की तारीख को जो भी खातेदार कृषक हो उसे ही मुआवजा राशि का भुगतान किया जाना न्याय संगत होने के उपरान्त भी भूमि अवाप्ति अधिकारी ने अपने रिकार्ड को दुरस्त नहीं करके पारिवारिक कलह पैदा करके दुबारा से विवाद खड़ा कर दिया है। जबकि दिनांक 18-8-95 के अवार्ड सम्बन्धी सूचना पत्र दिनांक 9-11-95 से अवार्ड सम्बन्धी जानकारी होते ही अवार्ड अकेले प्रताप नारायण निगम के पक्ष में जारी करने के लिए दिनांक 9-11-95 को ही भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 18 (2) (बी) के अन्तर्गत लिखित में निवेदन कर दिया गया था।

भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अन्य प्रकरणों में कानूनी प्रावधानों एवं अपने स्वविवेक को ध्यान में रखकर अवार्ड जारी किये जाने की तारीख को अंकित खातेदार के पक्ष में अवार्ड जारी किया है। इस प्रकरण में भी अवार्ड में आवश्यक संशोधन किया जाकर मुआवजा राशि प्रताप नारायण निगम को नियमानुसार अदा की जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

(रामनारायण मीणा)

इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्रीजी को मारवाड़ राजपूत महासभा जोधपुर के अध्यक्ष श्री नरपत सिंह शेखावत द्वारा उनके फैक्स संदेश क्रमांक 172 दिनांक 25-1-96 एवं 174/28-1-96 द्वारा भी आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया लेकिन बड़े दुःख का विषय है कि आज दिनांक तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिससे एक ओर जहां महिला जगत को ठेस पहुंची है वहीं जोधपुर राजपूत समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। कृपया ऐसे संगीन मामलों पर सदन में चर्चा की अनुमति प्रदान करावें।

राजस्थान के मेडिकल कालेजों में पी एम टी. परीक्षा में अनुसूचित जाति व जनजाति का आरक्षण बढ़ाना

[नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)]

महोदय, राजस्थान विधान सभा के नियम 295 के तहत चिकित्सा मंत्री का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश हेतु पी. एम. टी. परीक्षा में निर्धारित अनुसूचित जाति के 8 प्रतिशत व अनुसूचित जनजाति के 6 प्रतिशत आरक्षण की जगह नियमानुसार अनुसूचित जाति का 16 प्रतिशत व अनुसूचित जनजाति का 12 प्रतिशत आरक्षण सरकार कब तक लागू करने की मंशा रखती है ?

यह प्रतिशत लागू नहीं होने से अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को बहुत नुकसान हो रहा है क्योंकि निर्धारित प्रतिशत से 70 सीटें ही भरी जाती हैं जबकि नियमानुसार 140 सीटें भरी जानी चाहिये थी।

नियमानुसार 28 प्रतिशत आरक्षण नहीं लगा कर अनुसूचित जाति व जन-जाति के छात्रों के साथ सरकार खिलवाड़ कर बेरोजगारों को बढ़ावा दे रही है।

उक्त आरक्षण नहीं होने के का ण चिकित्सा विभाग में इन वर्गों के उम्मीदवारों के पद रिक्त पड़े हैं जबकि सरकार बेरोजगारी मिटाने की इच्छा रखती है, तो इन पदों को क्यों नहीं भरती।

(नाथूराम महारी)

मेरा चिकित्सा मंत्री महोदय व मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि निर्धारित आरक्षण अनुसूचित जाति का 8 प्रतिशत व जनजाति का 6 प्रतिशत की जगह नियमानुसार अनुसूचित जाति का 16 प्रतिशत व अनुसूचित जनजाति का 12 प्रतिशत पी. एम. टी. परीक्षा 1996 से अतिशीघ्र लागू करने की कृपा करें।

एन. बी सी. फैक्ट्री के सीटू कार्यकर्ताओं पर पुलिस एवं मैनेजमेंट की मिलीभगत से झूठे मुकदमे बनाकर परेशान करने व नौकरी से निलम्बित करना

[श्री अमराराम (धोद)]

महोदय, एन. ई. आई. लिमिटेड, जयपुर (बिड़ला समूह का बियरिंग कारखाना) में दिनांक 10-2-96 को कम्पनी परिसर में एन. ई. आई वर्क्स यूनियन (सीटू) के पदाधिकारियों पर व कार्यकर्ताओं पर तथाकथित मान्यता प्राप्त यूनियन के गुण्डों ने मैनेजमेंट की शह पर हमला किया। हमले में यूनियन के महामंत्री, उपाध्यक्ष, उपमंत्री, उप कोषाध्यक्ष सहित करीब 15 कार्यकर्ता घायल हुए। हमले में धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया। सदर थाने पर रिपोर्ट लिखाने गये घायल कार्यकर्ताओं को थाने पर बैठा कर मैनेजमेंट व पुलिस के आला अफसरों की शह पर 11 घायल व्यक्तियों पर धारा 307 के तहत झूठा मुकदमा दर्ज किया गया व मारने वाले अपराधियों को खुला छोड़ दिया गया। जिन्होंने 11 फरवरी को कारखाने में घूम-घूम कर खुला आतंक फैलाया व कारखाने के अन्दर सीटू के कार्यकर्ताओं व मजदूरों से मारपीट की। इस सम्बन्ध में सीटू के प्रतिनिधि गृह मंत्री महोदय से भी मिले थे। उन्होंने कई बार पुलिस अधीक्षक से मिलकर इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की व गुनहगारों को सजा दिलाने की मांग की। लेकिन मैनेजमेंट के दबाव के तहत अभी तक अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है व अभी भी एन. ई. आई. के गेट पर गुण्डा राज कायम है जिन्हें पुलिस संरक्षण प्राप्त है। यहां तक सीटू-यूनियन के लोकतान्त्रिक अधिकारों का भी पुलिस द्वारा हनन किया जा रहा है। दिनांक 22 फरवरी को, 23 तारीख को अखिल

(262)

274

भू-जल विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार

[रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)]

महोदय, मैं भू जल विभाग, जयपुर में कार्यरत रहे श्री एस. एम. कंवर, तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता, भू-जल विभाग, जयपुर के विरुद्ध भ्रष्ट तरीके अपनाकर कार्य करना एवं गम्भीर अनियमितताएं अपनाने के कारण भी श्री कंवर के विरूद्ध उनके कार्यरत समय दिनांक 13-9-1988 से 23-12-1990 तक में ए. सी. डी. जयपुर में तीन केस दर्ज हुए थे, केस नं. 932/90, 1116/90 एवं जांच 123/91 है।

इन मुकदमों की जांच करने हेतु ए. सी. डी. जयपुर के उच्च अधिकारी ने राज्य सरकार को एक पत्र लिखा था कि श्री एस. एम. कंवर को जयपुर अधिशाषी अभियन्ता के पद से हटाकर दूसरे स्थान पर पोस्टिंग कर दें ताकि जांच बिना किसी अड़चन के निष्पक्ष की जा सके।

राज्य सरकार के स्तर से ए. सी. डी. जयपुर को लिखे पत्र अनुसार श्री एस. एम. कंवर को नहीं हटाने के कारण अनुशासन में शिथिलता महसूस होना एवं राज्य सरकार के विरुद्ध प्रश्न चिन्ह है।

जब दिनांक 3-1-1992 तक राज्य सरकार को ए. सी. डी. जयपुर से कोई प्रमाण पत्र नहीं मिला था, तब भी राज्य सरकार ने 4-1-1992 को श्री कंवर की पदोन्नति हेतु डी. पी. सी. रख दी।

दिनांक 4-1-1992 को स्वयं श्री कंवर ने ए. सी. डी. जयपुर से जांच प्रमाण पत्र प्राप्त कर राज्य सरकार स्तर पर पूर्ण कार्यवाही कराकर 4-1-1992 को ही श्री कंवर की पदोन्नति कर दी गयी।

श्री कंवर ने मुख्य अभियन्ता भू-जल विभाग, जोधपुर को पत्र लिखकर अवगत कराया था कि 3-9-1987 से दिनांक 13-9-1988 तक श्री एस. बी. माथुर द्वारा अपने कार्यकाल में किये गये कार्य के विभाग के नार्म्स से 22 लाख रुपये से अधिक खर्चा किया था, की प्राथमिक जांच मुख्यालय जोधपुर से ए. ए. ओ. श्री पारख द्वारा

(रामस्वरूप मीणा)

प्राथमिक जांच करायी गयी थी, एवं अधिक किये गये खर्चे को मुख्य अभियन्ता श्री पी. सी. जैन द्वारा श्री कंवर ने (13-9-88 से 23-12-99 तक) के समय से ही बजट प्रावंटित कराकर बकाया राशि श्री एस. बी. माथुर के समय का Adjust कराकर पूर्ण प्रकरण को श्री पी. सी. जैन ने अधिक किये गये खर्चे को राज्य सरकार से अधिक बजट प्राप्त कर लिया।

बड़े आश्चर्य का विषय है कि श्री एस. एम. कंवर एवं श्री पी. सी. जैन मुख्य अभियन्ता की मिलीभगत से ए. सी. डी. कार्यालय में विभागीय जांच कराने हेतु वर्ष 1986 से वर्ष 1990 तक की श्री पारख उसी ए. ए. ओ. को आडिट पार्टी का इंचार्ज बनाकर आडिट करने हेतु निर्देशित कर आडिट करा ली, जो लेखा नियमों के प्रतिकूल किया है क्योंकि उसी लेखाधिकारी को उसी समय जिस समय को पूर्व में ही जांच कराई गई थी अतः गम्भीर अनियमितता बरती गई थी।

विभागाध्यक्ष द्वारा वर्ष 1992-93-94 की स्पेशल आडिट कराकर, इस अवधि में कार्यरत श्री पाल एवं करोल अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर में किये कार्य के अनुपात में खर्चे के तुलनात्मक आंकड़े आज तक सरकार को नहीं भेजे।

निम्न आडिट रिपोर्ट्स को उच्च अधिकारियों की मिली भगत से गम्भीर मामले को उजागर ना होने हेतु मुख्यालय स्तर पर दबा रखी है।

1. प्राथमिक जांच (आडिट रिपोर्ट) 3-9-1987 से 13-9-1988 तक की।

2. ए. सी. डी. कार्यालय में करायी गई आडिट (वर्ष 1986 से 1990 तक) की रिपोर्ट।

3. विभागीय इन्टरनल आडिट रिपोर्ट (वर्ष 1990-91-92-93) जिसकी आडिट जुलाई, 1993 में कराई गई थी।

ए. सी. डी. जयपुर में वर्ष 1990 एवं 1991 में श्री कंवर के विरुद्ध केस दर्ज होने पर ए. सी. डी. द्वारा सीज किये गये रिकार्ड की सूची एवं लेना देना मय

(264)

(रामस्वरूप मीणा)

ए. सी. डी. एवं अधिशासी अभियन्ता, भू जल विभाग, जयपुर के हस्ताक्षर सहित राज्य सरकार को नहीं भेजी।

गत विधान सभा सत्र में नियम 131 के तहत मा. भू-जल मंत्री को निवेदन किया गया था कि वर्ष 1986 से 1990 तक का ए. सी. डी. से वापिस प्राप्त किये गये रिकार्ड को सुरक्षित रखने हेतु विभागाध्यक्ष को पाबन्द करें। लेकिन इस विषय में विभागाध्यक्ष ने कोई सतर्कता नहीं अपनायी।

जिस आधार पर प्रमुख शासन सचिव महोदया ने जांच कमेटी नियुक्ति की है, इस प्रकार से चयनित कमेटी को करीब तीन माह व्यतीत हो चुके हैं लेकिन अब तक की गई प्रगति नहीं के बराबर है। इसके अलावा एक्स. ईएन, जयपुर कार्यालय से 30 प्रतिशत रिकार्ड चयनित कमेटी को उपलब्ध होना संभव नहीं हैं। राजस्थान जल विकास निगम में भी श्री कंवर के कार्यरत समय का रिकार्ड भी सूची सहित सीज नहीं किया गया।

अतः माननीय भू-जल मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि भू-जल विभाग में इस प्रकार की गम्भीर अनियमितताएं की जाने से एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस मामले के प्रति गहराई से जानकारी प्राप्त करने पर श्री एस. एम. कंवर, श्री पी. सी. जैन गम्भीर दोषी अधिकारी है।

अतः मैं माननीय भू-जल मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा जिसकी मुझे सदन में चर्चा करने की अनुमति प्रदान करें।

उदयपुर में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का अतिरिक्त डिपो

[महावीर भगोरा (गोगुन्दा)]

महोदय उदयपुर जिला जनजाति उप योजना का सम्भागीय मुख्यालय है। यह मुख्यालय राजस्थान का प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। इस जिले में दस तहसीले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा जिला है एवं जनसंख्या की दृष्टि से पांचवां बड़ा जिला है।

इस जिले से राज्य के ही नहीं अन्य राज्यों के प्रमुख नगरों व राज्य की राजधानियों में बसे जाती हैं।

उदयपुर मुख्यालय पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का एक मात्र डिपो है जिससे करीब 100 शिड्यूल बस रूट चलाये जा रहे हैं परन्तु तहसील उप खण्ड व पंचायत मुख्यालय को जोड़ने वाले ऐसे कई मार्ग हैं जहां पर आजादी के 48 वर्षों बाद भी राज्य व्यवस्था से परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है जिससे उस क्षेत्रों के लोगों को आवा-जाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और प्राइवेट बस आपरेटरों द्वारा संचालित वाहनों, बिना रूट परमिट के अनधिकृत वाहनों में सफर करने के लिए मजबूर होना पड़ता है एवं आये दिन दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ता है।

मैं विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत माननीय परिवहन राज्य मंत्री महोदय का ध्यान इस विशेष उल्लेख के जरिये परिवहन सुविधाओं को मुहैया कराने की व्यवस्था हेतु एक अतिरिक्त डिपो उदयपुर में खोलने हेतु आकर्षित करता हूं।

(266)

5

पंचायती राज संस्थाओं के नियम एवं अधिकार

[हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)]

राजस्थान पंचायती राज संस्था अधिनियम पारित होकर लागू हुए काफी समय हो चुका है परन्तु इस कानून के तहत राज्य सरकार को जो नियम बनाने थे वो अभी तक नहीं बनाये गये हैं जिसके कारण इन संस्थाओं के कार्य संचालन में बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो रही है। जब यह कानून लागू हुआ तथा तब सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि पुराने सामान्य नियम लागू रहेंगे जो यह एक तुगलकी आदेश था क्योंकि जिन धाराओं के तहत यह नियम बने थे वो धाराएं ही वर्तमान अधिनियम में नहीं हैं। सरकार द्वारा बार-बार घोषणाएं करने के बाद भी अभी नियम नहीं बनाये गये हैं।

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए इतना लम्बा समय बीत जाने के बाद भी इन संस्थाओं को किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया जिससे यह संस्थाएं निष्क्रिय पड़ी है।

अतः नियम 295 के तहत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि पंचायती राज संस्था अधिनियम के तहत नियम शीघ्रातिशीघ्र बनाये जाएं और इन पंचायत संस्थाओं को अविलम्ब आवश्यक अधिकार प्रदान किये जाएं।

बोराज ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा की गयी अनियमितता की जांच

[गोपीराम जाट (आमेर)]

महोदय पंचायती राज मंत्री का ध्यान आकर्षित कर कहना चाहूंगा कि ग्राम बोराज तहसील दूदू जिला जयपुर में ग्राम बोराज के खसरा नं. 1573 की खातेदारी श्री सज्जनसिंह के नाम है। खसरा नं. 1573 की खातेदारी कूप में सरपंच ग्राम पंचायत, बोराज ने सरकारी धन से कूप की मरम्मत करवायी थी इस प्रकार सरकारी

(गोपीराम जाट)

धन से खातेदारी (व्यक्तिगत) कर कूप का निर्माण करवा कर सरपंच ने पद का दुरूपयोग किया था। जनता से इस सम्बन्ध में शिकायत की ओर जांच लम्बे समय से विकास अधिकारी, पंचायत समिति, दूदू के पास लम्बित पड़ी है। सरकार का ध्यान ऐसे प्रकरणों की ओर आकर्षित कर मांग करता हूं कि लम्बे समय से जांच नहीं करने एवं निजी कुए में सरकारी धन का व्यय करने वालों के विरूद्ध सरकार क्यों नहीं कार्यवाही कर रही है।

लालकोठी (जयपुर) सब्जी मण्डी में ठेकेदारों को समय पर कार्य का भुगतान

[गोपीराम जाट (आमेर)]

महोदय, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अन्तर्गत कार्यरत फल सब्जी मण्डी, लालकोठी, जयपुर द्वारा फल सब्जी आवक गांवों में सड़कें आदि बनायी जाती है। ये कार्य पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा सम्पन्न कराया जाता है। इस फल सब्जी मण्डी के अन्तर्गत कार्य करने वाले ठेकेदारों को उनके द्वारा किये गये कार्य का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है जिससे उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठेकेदारों को खण्ड कार्यालय द्वारा बिल निश्चित अवधि में नहीं बनाये जाते जबकि नियमों में प्रावधान है कि खण्ड कार्यालय द्वारा बिल तैयार करके एक माह में एक भुगतान ठेकेदारों को अवश्य कर दिया जाना चाहिए। लेकिन फल सब्जी मण्डी लाल कोठी में नियमों कि पालना नहीं की जाती है जिससे ठेकेदारों को भारी राशि का भुगतान बकाया चल रहा है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर राज्य के कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करने की अनुमति प्रदान करावें।

जनता आवास योजना में मकानों की स्वीकृति व किश्तों का भुगतान

[गोपीराम जाट (आमेर)]

महोदय, मा. पंचायती राज मंत्री का ध्यान आकर्षित कर कहना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में इस वित्तीय वर्ष में जनता आवास के नाम से एक नई योजना आरम्भ की गयी है। निःसन्देह यह एक अच्छी योजना है और ग्रामीणों को इससे बहुत लाभ होगा। इस योजना में लाभान्वित होने वाले ऐसे व्यक्ति जिसके परिवार की वार्षिक आय 11000 रु. से अधिक नहीं है और जिसके पास पक्का मकान नहीं है, 6000 रु. पंचायत समिति में जमा करवाने पड़ते है। एवं राशि जमा करवाने पर इन्दिरा आवास की तरह मकान निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी जाती है।

मैं यह अवगत कराना चाहता हूं कि जयपुर जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में हजारों की संख्या में गरीब व्यक्तियों ने राशि जमा करवा दी है परन्तु अभी तक आधे व्यक्तियों के नाम से भी स्वीकृति जारी नहीं की गई है। लाखों रुपये पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों, जयपुर में जमा करवाये जा चुके है। स्थिति यह है कि जिनकी स्वीकृति जारी की जा चुकी है और आश्वासन के आधार पर गरीबों ने कर्जा कर मकान भी बना लिये हैं उन्हें भी पंचायत समितियों द्वारा किश्तों का भुगतान नहीं किया जा रहा है उन्हें यह कहा जा रहा है कि जिला परिषद द्वारा अभी तक राशि प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकार गरीब ग्रामीणों के साथ राशि जमा करवाने के उपरान्त भी अन्याय हो रहा है। वित्तीय वर्ष समाप्ति पर है और ग्रामीणों ने कर्जा कर 6000 रु. भी जमा करवा दिये, मकान का कार्य भी आरम्भ कर दिया परन्तु किश्तों का भुगतान न होने के कारण कर्जदाता उनको परेशान कर रहे हैं। इस प्रकार इस योजना अब तक ग्रामीणों का शोषण ही हो रहा है।

बेगूं में राजकीय महाविद्यालय

[चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं)]

महोदय, मैं मा. उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान बेगूं में कालेज खोलने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वर्तमान में बेगूं के निकटस्थ महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ है जो बेगूं से 67 कि. मी. दूर है। बेगूं के आसपास ग्रामीण इलाका है जो बेगूं से 50 कि. मी. की परिधि में फैला हुआ है। इस प्रकार ग्रामीण छात्र छात्राओं के लिए तो कालेज की दूरी 117 कि. मी. पड़ती है। इतनी दूर जाकर ग्रामीण और किसान वर्ग के लिए शिक्षा प्राप्ति करना बड़ा दूभर है।

क्षेत्र में 7 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, 3 माध्यमिक विद्यालय है जिनसे सैकड़ों छात्र छात्राएं निकालते हैं। वे आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने से उच्च शिक्षा पाने से वंचित रह जाते हैं। छात्राएं तो उच्च शिक्षा के मामले में इतनी पिछड़ती जा रही है कि ग्रामीण क्षेत्र से एक भी छात्रा ग्रेजुएट नहीं हो पायी।

अतः आपसे अनुरोध है कि बेगूं क्षेत्र की उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए बेगूं में महाविद्यालय खोलने की कृपा करें।

धन्यवाद।

रेडियो बांध के डूब क्षेत्र में किसानों को मुआवजा

[रमाकान्त शर्मा (थानागाजी)]

महोदय, रेडियो बांध अलवर और दौसा जिले की सीमा पर स्थित है। इसका समस्त पानी का भराव अलवर जिले की राजगढ़ तहसील के जयसिंहपुरा पंचायत के घाटडा और मासन गांव में है। इन दोनों क्षेत्रों के गरीब किसानों को करीबन 1000 बीघा जमीन डूब में आ गयी है और जो किसान कभी अपनी खेती के आधार पर चैन से अपना जीवन यापन कर लेते थे वे आज विस्थापित होकर जाने कहां-कहां मजदूरी के लिए भटक रहे हैं। यह बांध 80 के दशक में बना था और 10 वर्ष पहले इन लोगों की जमीन अधिग्रहित की गयी थी। लगातार 10 वर्ष से सिंचाई विभाग के अधिकारी एवं जिला कलक्टर के दरवाजे बार-बार खटखटाने के बावजूद

(रमाकान्त शर्मा)

न तो इन्हें अभी तक इनकी जमीन के एवज में काश्त के लिए कहीं अन्य जगह जमीन दी गयी है और ना ही अधिग्रहित जमीन का मुआवजा दिया गया है । सभी सम्बन्धित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के 10 वर्ष बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही न होने से दोनों गांवों के किसानों में भारी आक्रोश होना स्वाभाविक है ।

घाटडा राजस्व ग्राम है और आसन इसी ग्राम का एक हिस्सा है । बांध बन जाने के बाद दोनों गांवों के बीच पानी भर जाने से दोनों गांवों का आपसी सम्पर्क एवं आवागमन का रास्ता बन्द हो गया है । इस प्रकार में अब बांध बनाये जाने और उससे यदि पारस्परिक मार्ग अवरूद्ध होता हो तो योजना में दोनों गांवों के बीच पुल बनाने को भी सम्मिलित करना चाहिए था । लोगों की असुविधा को देखते हुए सिंचाई विभाग का यह कर्तव्य है कि यातायात के लिए दोनों गांवों के बीच पुल शीघ्रातिशीघ्र बनाया जाय । आज एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए करीबन 6 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है । आसन और घाटडा में दोनों ओर करीबन एक--एक हजार लोगों की आबादी है । आवश्यक यह भी था कि बांध के सिंचित क्षेत्र में जो सिवायचक चरागाह अथवा बंजर भूमि थी उसे इन विस्थापित लोगों को आवंटित करना चाहिए था, जो अब किया जाना चाहिए ।

मैं सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यदि 10 वर्ष के बाद भी इन्हें इनकी भूमि का मुआवजा जिसके ये अधिकारी हैं एवं इनके पुनर्स्थापन व सुविधा का ध्यान नहीं दिया गया तो इस क्षेत्र में जो भयंकर असन्तोष फैलेगा, उसे संभाला नहीं जा सकेगा ।

पुराने विद्युत कनेक्सनों के उपभोग के आधार पर पुनः नये सिरे से प्रतिभूति राशि बढ़ाया जाना

[राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा)]

महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया नियम 295 के तहत मैं सदन व सरकार के समक्ष निवेदन करना चाहूंगा कि विद्युत मण्डल द्वारा पुराने कृषि कनेक्सनों

(राजेन्द्र गहलोत)

पर बढ़ायी गयी सिक्यूरिटी राशि से किसानों में भारी रोष है, इससे किसानों को बड़ी आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ेगा। जब नर्सरी योजना के तहत कृषकों द्वारा कनेक्सन लिये गये थे, उस समय उन नर्सरी योजना नियमों के आधार पर कनेक्शन सिक्यूरिटी राशि जमा करवायी गयी थी। अब दुबारा उक्त राशि में बढ़ोत्तरी कर पुराने कनेक्शनधारियों से यह राशि वसूलने का कोई वैधानिक औचित्य नहीं है। जबकि नये कनेक्शनों पर भी यह राशि असाधारण बढ़ोतरी ही है क्योंकि पहले से ही कृषक को 60-70 हजार रुपये खर्च करने पड़ते थे, ऐसे में किसानों के हितों को नजरअंदाज किया गया है जिससे किसानों एवं ग्राम जनता में भारी रोष है। किसान अभी पाले से हुई हानि से पीड़ित हैं, ऐसे समय में किसानों को राहत की जरूरत है, सिक्यूरिटी राशि लेना संवेदनशीलता नहीं है। अतः सदन में चर्चा की अनुमति बाबत प्रस्तुत है।

ग्राम मावता, थाना उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू में दिनांक 12-1-96 को श्रीमती पुष्पा कंवर की कथित दहेज हत्या प्रकरण में जांच में विलम्ब

[राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा)

महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के तहत मैं सदन व सरकार के माध्यम से माननीय गृह मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि झुन्झुनू जिले के उदयपुरवाटी थाना क्षेत्र के ग्राम मावता में दिनांक 12-1-96 को श्रीमती पुष्पा कंवर की दहेज के कारण हत्या कर दी गयी। कई दिनों तक श्रीमती कंवर को परेशान किया गया लेकिन पुलिस द्वारा ऐसे संगीन मामलों पर ध्यान नहीं दिये जाने से श्रीमती कंवर को मौत के मुंह में धकेल दिया गया है। पुलिस को ऐसी प्राथमिक सूचना रिपोर्ट पर ही कठोर कदम उठाने चाहिये थे लेकिन आज दिनांक तक आरोपित व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं किया जाना सारी जाति के प्रति घोर अन्याय है जो एक शर्मनाक घटना है। दहेज हत्या रोकने के लिये सरकार को तुरन्त कठोर कदम उठाकर दोषियों को सजा देनी चाहिये लेकिन इतनी देरी करने के पीछे क्या कारण है ? इससे जनता में भारी रोष है तथा दोषी व्यक्तियों का हौसला बुलन्द हो रहा है।

(270)

(राजेन्द्र गहलोत)

6 माह तक आन्दोलन हुआ पर सरकार सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं देती। क्या सरकार बकाया कर्मचारियों को वेतन देगी ? मैं पुन सदन के सामने मांग करता हूं कि सरकार कब तक इसमें धुआं निकाल देगी। वरना समय आ गया, अब आपकी पार्टी का धुआं निकलेगा तैयार हो जाय।

मंत्रीजी यह भी सदन को अवगत करावें कि कितना सामान चोरी हो गया और उसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई या नहीं, यदि हुई तो क्या कार्यवाही हुई।

ग्राम पचायतों में सहायक सचिवों की ग्रुप सचिव पद पर नियुक्ति

[रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)]

महोदय, सरकार द्वारा ग्रुप सचिवों को ग्राम पंचायत में लगाया गया है उनमें प्रति ग्रुप सचिव के पास 5 पंचायत थीं और पूरा समय पंचायत को नहीं दे सकते थे। सहायक सचिव पंचायत का कार्य कर रहे हैं।

सहायक सचिवों ने उच्च न्यायालय में ग्रुप सचिव के पद पर नियुक्ति करने हेतु रिट दायर की थी। 22-2-95 को निर्णय दिया की सरकार खाली जगह पर सहायक सचिवों का कन्सीडर दर करे। सरकार ने डबल बेंच में रिट की और फैसला 8-10-95 को दिया जिससे सिंगल बेंच के फैसलों को बहाल रखा है। जबकि सरकार के पास उक्त पद मौजूद है, 9186 पंचायतें, है ग्रुप सचिव 3500 करीब है, शेष 5686 सदस्य खाली पड़े हैं पर सरकार कृषि पर्यवेक्षकों को व अध्यापकों को अतिरिक्त भत्ता देकर प्रतिनियुक्ति दे रही है। सहायक सचिव ओवर ऐज हो रहे हैं।

क्या सरकार इनको अब नियुक्ति देगी और कब देगी इस ओर सदन का ध्यान दिला रहा हूं।

सवाईमाधोपुर में पानी की भयंकर समस्या

[रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)]

महोदय, जिला सवाईमाधोपुर जो अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। यहां पर अधिकांश जनता ग्रामों में रहती है पर सरकार ने इनकी ओर अभी ध्यान नहीं दिया। जिला सवाईमाधोपुर में सरकार ने जो योजना अब तक चालू की उनकी अधिकांश टंकियों में पानी नहीं है, उनका आज तक पानी नहीं भरा। सरकार का करोड़ों रुपया खर्च हो गया है और उनको न भरकर जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। गुढाचन्द्रजी में टंकी स्वीकृत हो गयी, ठेका हो गया पर 6 माह हो गये, आज तक कार्य चालू नहीं किया अब सरकार इसको कब तक बनायेगी। कुछ योजना सरकार के समक्ष विचाराधीन है पर मन्जूर नहीं की जा रही है। उनको कब तक मन्जूर किया जावेगा ? गर्मियों में सरकार ने क्या विशेष व्यवस्था की है ? खराब हैण्ड पम्पों को कब तक ठीक किया जावेगा ? नये हैण्ड पम्प कितने दिये जा रहे है ?

अतः इस प्रक्रिया के माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे जिले के ऊपर दिलाकर निवेदन है कि पानी की समस्या को सरकार हल करें।

सवाईमाधोपुर की सीमेन्ट फैक्ट्री को चालू करना

[रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)]

महोदय, निवेदन है कि जिला सवाईमाधोपुर की सीमेन्ट फैक्ट्री, जो सन् 1983 से बन्द पड़ी हुई है जिसमें 3367 कर्मचारी कार्यरत हैं। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि कर्मचारियों के बाल बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चे भूखे मर रहे हैं और सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। गत लोक सभा चुनाव में मुझे हराने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि तुम कांग्रेस का धुआं निकाल दो, मैं फैक्ट्री से धुआं निकाल दूंगा। जनता ने चन्द वोटों से इनको जीता कर बात रख ली, पर बड़े दुःख की बात है कि 5 साल पूरे हो गये पर आज तक तक फैक्ट्री का धुआं नहीं निकला। मशीनें नष्ट हो गयीं, सामान चोरी हो गया। सदन में में इसे उठाता रहा हूं।

(रामस्वरूप मीणा)।

भारतीय हड़ताल की अपील बांटने पर यूनियन अध्यक्ष धर्मपाल व अन्य साथियों को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया।

अतः इस मामले की जांच कराकर अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही की जावे व यूनियन के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की जावें।

मैनेजमेंट ने परेशान करने के लिये व मजदूरों को भयभीत करने के लिये एन. ई. आई. वर्क्स यूनियन (सीटू) के 6 पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को अण्डर इनक्वारी सस्पेंड कर रखा है तथा झूठे आरोपों के तहत काम पर लेने के लिये मना कर रहा हैं।

अतः मजदूरों पर यह दमन बन्द करवाया जावे तथा मजदूर आन्दोलनों में पुलिस हस्तक्षेप बन्द करवाया जावें।

धन्यवाद।